राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 24 वां दिवस [संख्या 16

सोमवार

दिनांक 15 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(**श्री पूनम चन्द विश्नोई**, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

बेरी वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार की मांग

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, बेरी पे कमीशन की रिपोर्ट पर....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। प्रश्न, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : राज्य कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मेरा निवेदन कि आज को कार्यवाही से पहले इस प्रश्न को लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीया सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : .... चार लाख कर्मचारी बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

माननीय सदस्या, नियमों का ध्यान रखें। प्रश्नकाल में ....

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्या। कृपया थोडा नियमों का ध्यान रखिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आखिर यह सदन बीस तारीख से चल रहा है, एक दिन भी....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। नियमों को थोडा ध्यान में रखिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिये। अंकित न हो।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : ×

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन) : × × ×

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज। अंकित नही हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित न हो। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने सदन के कुछ नियम हैं। आप अपने नियमों और परम्पराओं से अच्छी तरह परिचित हैं।

(व्यवधान)

अंकित न हो। जब तक दुबारा आदेश न दूं अंकित नहीं किया जाये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नही हो रहा है, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : विधान सभा सचिवालय के बारे में चर्चा नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : ×

श्री अध्यक्ष : चीफ व्हिप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था, सदन की यह परम्परा रही है, प्रश्नकाल को टाप प्रायोरिटी दी जाती है।

एक-एक प्रश्न पर पाच-पांच, सात-सात हजार रुपया खर्च किया जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। आपको तो इससे लाभ होगा। प्रश्नकाल पहले शुरू कर दें, उसके बाद में....

× × × : माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। अंकित नहीं हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अनंगकुमार जैन : × × ×

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : × ×

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। व्यर्थ में समय जा रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं भाषण देने की इजाजत नहीं दूंगा। अंकित नहीं हो रहा है। प्रश्न-काल में ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : निस्संदेह एक असाधारण और गम्भीर स्थिति है। कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो कहना चाहिये कि आज कुछ कहने को तैयार हैं, निर्णय लेंगे। तो कब लेंगे, आज नहीं लेंगे, इतना तो कहने के लिए तैयार हों। यह तो कम से कम होना चाहिये।

(व्यवधान)

आपको कम से कम जिम्मेदार सरकार की तरह यह कहना आवश्यक है कि बेरी कमीशन पर आज कहने को तैयार है या नहीं। इतना तो कहें। मैं हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि कब तक कहने को तैयार हैं।

श्री यदुनाथसिंह : वित्त मन्त्रीजी गर्दन हिला रहे हैं।

श्री राजबहादुर : आपकी ग्रुप मैजोरिटी है। मैं चाहता हूं कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिये। यह ऐसी गम्भीर स्थिति है, सारा काम-काज ठप्प है। आज नहीं कहेंगे, तो कब कहेंगे, इतना तो बतावें, कब कहेंगे ?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : एक तरफ तो अकाल की स्थिति है....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अकाल का पैसा जयपुर शहर में लगाया जा रहा है। अकाल का पैसा गांवों में नहीं लग रहा है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सारी कार्यवाही स्थगित करके बेरी वेतन आयोग की मांगों पर विचार किया जाय।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं किसी माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दे रहा हूं। अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का पालन करें। कृपया बैठ जायं। आसन पैरों पर है। विराज जायें। मैं समझता हूं इसमें 15 मिनट आपने ले लिये। प्रश्नकाल का महत्व होता है उसमें कभी कोई इस तरह के प्रश्न नहीं उठाये जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों के लिये शून्यकाल निर्धारित है। खैर, 15 मिनट चले गये। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप नहीं समझ रहे हैं। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में ऐसे मामले नहीं लिये जाते। मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।

अंकित नहीं होगा।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री सुरजाराम।

आप कार्यवाही में बाधा पैदा कर रहे हैं, माननीय सदस्य,

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

तारांकित प्रश्नोत्तर
राजस्थान पुलिस सेवा में रोस्टर का अनुपालन

416. **श्री सुरजाराम** (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1981-82 में राजस्थान पुलिस सेवा (आर. पी. एस.) के चयनित वेतन शृंखला के कितने-कितने पद रिक्त हुए हैं ? क्या डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डी. पी. सी.) ने इन रिक्त पदों में किसी अनुसूचित जाति, जन-जाति के प्रत्याशी का चयन किया ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थान पुलिस सेवा (आर. पी. एस.) से भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) में चयन हेतु एप्रूवल लिस्ट में कितने प्रत्याशी लिये गये ? क्या उनमें किसी अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रत्याशी लिये गये ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या राजस्थान पुलिस सेवा (आर. पी. एस.) में प्रमोशन में रोस्टर प्रणाली अपनाई जा रही है ? यदि हां, तो रोस्टर प्रणाली कब से अपनाई जा रही है ? और रोस्टर प्रणाली की सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने-कितने प्रत्याशी हैं ? कृपया रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह)

(1) छः पद रिक्त हुए। जी हां, तीन अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों का चयन किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(2) राजस्थान पुलिस सेवा (आर. पी. एस.) से भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु माह जनवरी, 1982 में चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची (सलेक्ट लिस्ट) का अभी अनुमोदन होना शेष है, अतः सूची में किन के नाम हैं तथा उनमें कोई अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारी भी हैं या नहीं, बतलाना गोपनीयता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(3) जी हां, वर्ष 1975 से अपनाई जा रही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हमने उठाया, कम से कम ध्यान तो देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कार्यवाही में बाधा डाल रही हैं। अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अभी भी आप नहीं मान रहे हैं........

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : × × ×

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : × × ×

श्री जयकृष्ण शर्मा : × × ×

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री जयकृष्ण शर्मा : × × ×

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : राजस्थान के कर्मचारियों का शोषण करके आप अपना पेट भरना चाहते हैं। मैं यह आरोप लगाती हूं आप पर।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो !

श्री रतनाराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : समय जा रहा है। आधा घंटे का समय ले लिया है आपने। आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : क्या आपका अभिमान टूट जायेगा यदि आप कुछ कह देंगे !

श्री खेतसिंह राठौड़ : समय पर कह देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

व्यवधान न करें। जीरो आवर तो पहले ही हो गया। श्री सुरजाराम।

श्री सुरजाराम टांक:मेरे प्रश्न का जवाब दुबारा दिलवाइये, अध्यक्ष महोदय·······

श्री अध्यक्ष : दुबारा जवाब दें, मंत्री महोदय।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) :

(1) छः पद रिक्त हुए। जी हां। तीन अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों का चयन किया गया।

(2) राजस्थान पुलिस सेवा (आर.पी.एस.) से भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु माह जनवरी, 1982 में चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची(सलेक्ट लिस्ट) का अभी अनुमोदन होना शेष है।अतः सूची में किन के नाम हैं, तथा उनमें कोई अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी भी हैं या नहीं, बतलाना गोपनीयता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(3) जी हां, वर्ष 1975 से अपनाई जा रही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री सुरजाराम टांक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब दिया, 1981 में 6 में से तीन पद भरे गये हैं, जबकि 1978 –79 में 6 पद भरे गये थे, 1979-80 में 9 पद भरे गये थे और 1981 में 6 पद भरे गये थे। इस प्रकार 21 पदों को भरा गया उनमें से एक भी अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं था। इसी प्रकार अब तक 191 पद भरे गये हैं उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पद भरे गये हैं इनमें अनसूचितजाति, जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इस बारे में मंत्री महोदय कुछ बतायेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 6 पदों में से 3 पद भरे गये हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के 3 प्रत्याशी लिये गये हैं। ये हैं चयन वेतन श्रृंखला में सलेक्शन ग्रेड में। यह सारी सूचना मैंने माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दी है।

दूसरा जो सवाल है उनका, आर. पी. एस. आई. पी. एस. का गवर्नमेंट आफ इंडिया से पेनल आता है जिसके सदस्य होते हैं। वह पेनल अभी तैयार होकर नहीं आया है, वह अभी फाइनल होकर नहीं आया है, वह सूची नहीं आयी है। इसलिये, अभी यह कहना कि उसमें कितने लिये गये, सम्भव नहीं होगा।

तीसरे प्रश्न के अन्दर जो सूचना मांगी है वह सदन के पटल पर रख दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह और निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति रोस्टर प्रणाली के अनुसार लिये जाने चाहिए उनके लिये नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है किसी साल में नियमों का पालन नहीं किया गया तो माननीय सदस्य उस साल के बारे में पूछें, मैं उसकी सूचना उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस रोस्टर प्रणाली का पूरा पालन किया गयाहै और नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

श्री सुरंजाराम टांक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, जब कि आपने जो सदन पटल पर सूची रखी है उसके अनुसार 1978-79 में 6 पद भरे गये, उसके बाद 1980 में 9 पद और उसके बाद में 6 पद भरे गये, इस प्रकार से 21 पद भरे गये, मगर एक भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रत्याशी नहीं लिया गया........

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सही है कि जिस साल के अन्दर उपयुक्त केन्डीडेट अवेलेबल नहीं होते हैं उस साल के अन्दर उनको केरी फार्वर्ड किया जाता है और वह अगले साल में चला जाता है। जो सूची होती है, उसके अन्दर अगर काई उपयुक्त नहीं होता है तो सलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात सदन के माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि 1981 में निर्णय लिया गया है कि प्रमोशन का रेश्यो 1:5 किया जाय। इससे पहले कभी यह इतना ज्यादा नहीं था। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया है, पुराने नियमों के अनुसार जो एडहॉक प्रमोशन होते थे उसमें रोस्टर या रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाता था, लेकिन अब नियमों में जो परिवर्तन किया गया है उसके अनुसार अगर डिपार्टमेंट में एडहॉक प्रमोशन भी दिया जायेगा तो वह 1:5 के हिसाब से दिया जायेगा तो 20 persons will be considered and then only the selection will take place. अगर 20 आदमी तक कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का मिलता है तो वह रेश्यो के अनुसार भरा जायेगा। हम चाहते हैं कि इनका हक नहीं मारा जाय। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार इसकी चेष्टा कर रही है कि यह सब हो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : भारतीय पुलिस सेवा....

श्री अध्यक्ष : मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री सुरजाराम टांक : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप इसे किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं। अगला प्रश्न। बालचन्द्र आर्य।

श्री सुरजाराम टांक : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न यहां महत्व के ही आते हैं। समय की स्थिति को ध्यान में रख दूसरा कार्य लेना होता है। इसे अन्य किसी तरीके से उठायें।

प्रश्न संख्या 417

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति....

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरे प्रश्न के लिए आपका नाम पुकारा है।

श्री सुरजाराम टांग : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं, तथ्यों के साथ उठा सकते हैं। उत्तर दे दिया गया है। आर्डर, माननीय सदस्य अगला प्रश्न।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं अपने प्रश्न का उत्तर नहीं चाहता हूं। सरकार कर्मचारियों की मांगों का उत्तर दे। मैं प्रश्नकाल का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न

ग्राम केरिया की कूण्ड की बस्ती में प्राथमिक पाठशाला

418. श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम केरिया की कूण्ड की बस्ती में ग्रामवासियों द्वारा एक प्राथमिक पाठशाला खोलने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्रामवासियों ने जनसहयोग से पाठशाला भवन एवं शिक्षक के रहने के लिए मकान भी आवश्यकतानुसार काफी अर्से पहले बना दिया था ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्थान के आसपास 3 किलोमीटर की दूरी में कोई अन्य प्राथमिक पाठशाला नहीं है ?

(श्री हरिसिंह)

(4) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्थान के आसपास करीबन 100 छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक उक्त बस्ती में प्राथमिक पाठशाला नहीं खोली गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तथ्यों को देखते हुए शीघ्र प्राथमिक पाठशाला उक्त स्थान पर खोलने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला):

(1) जी नहीं।

(2) विभाग के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां।

(4) विभाग को जानकारी नहीं है।

(5) वर्ष 1982-83 में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर यहां प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

श्री सूरजपाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बता सकते हैं कि यह गांव किस पंचायत समिति में है ? आप आंकड़ों के हिसाब से या सरकारी रिपोर्ट के आधार पर ही यह बात कह रहे हैं, आप इसकी जानकारी ले लीजिये कि यह गांव कौन सी पंचायत समिति में है। यह भी देखें कि वहां से किस प्रकार की मांग की गयी है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो इस प्रश्न को स्थगित कर लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि ग्राम केरिया की कुण्ड की बस्ती में ग्रामवासियों द्वारा प्राथमिक पाठशाला की मांग की गयी है। विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वहां पर विद्यालय की मांग की गयी है।

दूसरा प्रश्न पूछा कि वहां पर 100 विद्यार्थी उपलब्ध हैं। तो जब विभाग के पास यह सूचना ही नहीं है कि वहां से मांग की गयी है तो विभाग को यह जानकारी होने का तो प्रश्न नहीं उठता कि वहां पर इतने विद्यार्थी हैं। अन्त में फिर भी मैंने आश्वासन दिया कि बजट आने पर मांग आयेगी तो राज्य सरकार नीति के अनुसार गुणावगुण के आधार पर निश्चित रूप से विचार करेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : पंचायत समिति कौनसी है ?

श्री अध्यक्ष : सांचौर में। श्री रामकंवार।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्नकर्ता हूं। यह पूछा गया था कि यह गांव कौनसी पंचायत समिति में है। मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सांचौर में।

श्री हरिसिंह : यह तो अध्यक्ष महोदय बता चुके हैं। ये इरेसपांसिबल जवाब दे रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं है।

श्री सूरजपाल सिंह : मैंने निवेदन किया था कि अगर इसकी जानकारी नहीं है तो

(श्री सूरजपाल सिंह)

पहले पूरी जानकारी कर लेते, उसके बाद जवाब देते या इसको स्थगित करा लेते।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को भी-गांव, जिला, पंचायत-समिति, तहसील-यह सब प्रश्न में लिखना चाहिये।

श्री सूरजपाल सिंह : मैंने मन्त्री महोदय से बात की थी कि इसको स्थगित कर दें।

प्रश्न संख्या 419

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 13 कच्ची बस्तियां चौमूं के पास बसायी जा रही हैं उनके साथ और उसके अलावा राज्य कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए मैं यह प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। मैं प्रश्न-काल का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय मैं प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 420 नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। प्रश्न का नम्बर बता दीजिये और स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

ये 420 कब लागू होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न सूची में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 420 का जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें कृपया बाधा न पहुंचायें। मैंने पूछ लिया था, आप बीच में ही दूसरी चर्चा उठाने लगे।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, बैठ जायें। माननीय सदस्य, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): **अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई।**

श्री अध्यक्ष : क्या ? नियम यह है कि मैं जब किसी माननीय सदस्य का नाम पुकारूं तो उस अवस्था में उनको अपने प्रश्न का नम्बर बोलना चाहिए बीच में, माननीय सदस्य पचास तरह की बातें करते हैं उससे........

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

शांत रहिये, मैं फिर पूछ लेता हूं।

सवाईमाधोपुर कस्बे से स्टेशन तक चालित वसेज

420. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सवाई माधोपुर शहर से स्टेशन, सवाई माधोपुर के मध्य चलने वाली बसों के परमिट कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वस मार्ग पर मनमानी सवारियां भरकर चलने के खिलाफ जनता द्वारा शिकायतें की गयी थीं ? यदि हां, तो अव तक वस मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर चलने वाली वसों में सवारियों को टिकट नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार को इनसे अनुमानतः कितना नुकसान होता है ?

(4) क्या सरकार उक्त मार्ग पर राज्य पथ परिवहन निगम की वसें चलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा): मैंने इसको स्थगित करने लिए निवेदन किया है। चूंकि मैंने शनिवार के दिन, जव विभाग की मांगें थीं, माननीय सदस्य को आश्वासन दिया था, उसके आधार पर मैं उत्तर देना चाहता हूं, पूरी जानकारी के आधार पर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगित किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह क्या उत्तर हुआ, मैं उस आधार पर दूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आश्वासन हाउस में मैंने दे दिया है इसलिए मैं पूरी जानकारी के आधार पर ही उत्तर देना चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उस समय क्यों नहीं स्थगित कराया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: स्थगित कराने का मेरा राइट है।

प्रश्न संख्या 421

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भैंरूलाल भारद्वाज।

नकटी घाटी--नायला सड़क

422. **श्री भैरूलाल भारद्वाज**(जमवा-रामगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नकटी घाटी से नायला सड़क, जो अव तक केवल ग्राम वूज तक ही वनी है, पर डामर नहीं होने से वेकार पड़ी हुई है ? सरकार अब इस सड़क को कव तक पूरा करायेगी ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री प्रद्युम्नसिंह): जी नहीं, सड़क यातायात के काम में ली जा रही है। डामर का कार्य करीवन 4 माह में पूर्ण कर लिया जावेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटी में नायला सड़क कब शुरू की गयी, इस काल में उसका कितना हिस्सा पूरा हुआ, कितना रुपया लगा, रुपया पूरा नहीं लगा तो क्या काम आ रहा है ? जब सड़क बनी ही नहीं, तो उसका क्या उपयोग किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माइन्स डिपार्टमेन्ट ने पी. डब्ल्यू. डी. को 1977-78 के अन्दर 13 लाख 80 हजार रुपये ट्रान्सफर किये। 11 किलोमीटर सड़क बनाने के बाद उसके ऊपर डामर होना शेष है। मैंने पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 4 महीने के अन्दर डामर बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सड़क अधूरी पड़ी है उसको पूरा करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वित्तीय साधन उपलब्ध होने की स्थिति के बाद निर्णय लिया जायेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: उन 13 लाख का कौन जिम्मेदार है जो कुएं में चले गये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क काम में आ रही है। इस पर यातायात चल रहा है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: प्रश्न ही नहीं उठता। जब बनी ही नहीं तो काम कैसे आ रही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, खजिन विभाग ने जयपुर पहुंचने के लिए शार्ट कट बनाया है, 7-8 किलोमीटर का काम शुरू होनहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, उस एरिया के अन्दर हमारे खनिज के ट्रक जाते हैं........

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जयपुर आने के लिए है। बाकी की काम नहीं आ रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया····

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दें ?

आप बैठ जायें। बात नहीं करें।

(व्यवधान)

मैं क्या निवेदन करूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितनी मेरे पास सूचना है उसके अनुसार जितनी सड़क का निर्माण हो चुका है वह उपयोग में आ रही है माननीय सदस्य इस बात से इन्कार कर रहे हैं। वह सड़क कतई उपयोग में नहीं आ रही है तो मैं इस बात की जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। आप नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। जब चाहती हैं, खड़ी हो जाती हैं। मैंने अनुमति नहीं दी। कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अधूरी सड़क काम नहीं आ रही है। जब तक पूरी नहीं होगी काम कैसे आ सकती है? वह पूरी कब होगी?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, इजाजत नहीं दी जा रही है। अंकित न हो।

जयपुर जिले के गांवों में जंगली गायों से फसल सुरक्षा

423. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर जिले की अनेक पंचायतों के अनेक गांवों में जंगली गायों द्वारा उत्पन्न कठिनाई के विषय में राज्य सरकार को अनेकों बार शिकायतें की गयी हैं?

(2) यदि हां, तो सरकार ने किसानों की इस भयंकर समस्या के निराकरण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है?

(3) किसानों की उक्त समस्या कब तक हल कर दी जायेगी?

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) : इस प्रश्न का उत्तर पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि इसे स्थगित करवाया जाये।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने क्या कहा, मैंने नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष : पशुपालन विभाग इसका उत्तर देगा।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने जब 22.9.81 को यह प्रश्न कृषि विभाग से किया था, तो कृषि विभाग ने जवाब दिया था कि वन विभाग को बार-बार तकाजा किया गया है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इनकी सरकार आपस में निर्णय नहीं कर सकी है कि यह विषय कौन से विभाग का है। फसलें नष्ट हो रही हैं, कोई न कोई कार्यवाही होना नितान्त आवश्यक है और आप प्रश्न को पुन: स्थगित कर रहे हैं!

श्री अध्यक्ष : इस समस्या का निदान यही हो सकता है कि किसान अपनी फसल की खुद निगरानी रखें।

श्रीमती विद्या पाठक : ....कोई भी गरीब किसान निगरानी नहीं रख सकता है। सरकार जब साधन होते हुए निगरानी नहीं रख सकती है तो वे गरीब किसान कहां से रखेंगे....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। बैठ जायें आप लोग बहुत बोलते हैं........

(व्यवधान)

श्री मेवराज तावड़।

(15)

राजमहल, उदयपुर

424. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने उदयपुर राजमहल अपने अधिकार में लिया था ? यदि हां, तो कब एवं किस अधिनियम या संविदा के तहत ?

(2) क्या यह राजमहल वापस महाराणा को सौंपा गया ? यदि हां, तो कब क्यों और किसके आदेश से ?

(3) क्या यह सच है कि शासन सचिव, शिक्षा विभाग के आदेश से राजमहल महाराजा को सौंपा गया ? यदि हां, तो किन अधिकारों के तहत ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री बुलाकी दास कल्ला) : अध्यक्ष महोदय, यह पुरातत्व विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करवाना चाहते हैं ?

स्थगित किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के नीचे आता है।

श्री अध्यक्ष : आप 5–5,4–4 सदस्य एक साथ बोल जाते हैं मैं सुन नहीं सकता। खास तौर से अगर प्रश्नकर्ता को एतराज है तो अपनी बात कह सकते हैं, उस पर में अपना निर्णय दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : यह तो शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। पुरातत्व शिक्षा के साथ ही आता है इसलिये यह बात नहीं हो सकती कि पुरातत्व विभाग जवाब देगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व विभाग अलग से काम कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजबहादुर : प्रश्न बहुत साफ है....

श्री अध्यक्ष : इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राजबहादुर : सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार ने उदयपुर राजमहल अपने अधिकार में लिये थे ? यदि हां, तो कब एवं किस अधिनियम या संविदा के तहत ? बिलकुल स्पष्ट बात है ...

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी ने यह नहीं कहा है कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है इसलिए स्थगित करवाना चाहते हैं। वे कहते हैं इसका अलग विभाग है, मन्त्रीजी हैं।

श्री राजबहादुर : मन्त्रीजी कौन हैं उसके ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद): श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, भाग 3 में स्पष्ट है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह से समय न लें, माननीय सदस्य। यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिये, यह किस विभाग का है,.....

(व्यवधान)

नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।

आर्डर प्लीज, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी। मैंने स्थगित किया है।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : इस तरह से आसन से कभी अपेक्षा नहीं करते.....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हितों की रक्षा करना कैसे सम्भव है। माननीय सदस्य जब चाहे खड़े हो जाते हैं, जब चाहे बैठ जाते हैं, जब चाहे बोलने लग जाते हैं। नियमों का पालन करें। आसन से इजाजत दी जाय तब ही बोलें।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न लीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे पर छोड़ दीजिये, मुझे सब याद है,

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, सुन तो लीजिए, आप मेरी बात....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे नही सुनना, आप व्यर्थ में सदन का समय ले रही हैं।

सुनाने का अधिकार तो तब है जब नियमों की पालना करेंगी।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायें।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो माननीय सदस्या ने जो कहा।

अगला प्रश्न। श्री रतनलाल ताम्बी।

तहसील कोटड़ी में सिंचाई परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण

425. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गणेशपुरा, खेड़ी तथा पारोली, तहसील कोटडी में कोई सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण हुआ है ? यदि हां, तो इन योजनाओं की तकनीकी उपादेयता,

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(७.)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सिचाई क्षमता तथा अनुमानित व्यय कितना है ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त परियोजनाओं के प्रस्तावित स्थल के नालों का पानी बनास नदी में बेकार जा रहा है ? यदि हां, तो इन परियोजनाओं को क्या सरकार प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त परियोजनाओं का कई बार सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो इनका कब-कब सर्वेक्षण हुआ और यह स्वीकृति हेतु कब तक विचाराधीन है ? यदि तकनीकी दृष्टि से उपयोगी है, तो इन्हें कब से आरम्भ कर दिया जायगा ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) :

(1) जी हां । सिर्फ रूपा-पारोली योजना का माह जनवरी, 1982 में पुनः सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था एवं प्रगति पर है । सर्वे का कार्य पूर्ण होने तथा आंकलन बनाये जाने के पश्चात् ही तकनीकी उपादेयता, सिचाई क्षमता तथा अनुमानित व्यय का पता लग सकेगा । खेड़ी - गणेशपुरा सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1970-71 में किया गया था । इस योजना की 1969 बी. एस. आर. के आधार पर अनुमानित लागत 6 लाख 76 हजार रुपये, वार्षिक सिचाई क्षमता 116 हैक्टेयर तथा लाभ-लागत अनुपात 1:42:1 है ।

(2) जी हां, परन्तु किसी भी योजना की स्वीकृति निश्चित लाभ लागत का अनुपात, धनराशि की उपलब्धि व अन्य कारणों पर प्राथमिकता देना, पर निर्भर करती है ।

(3) जी हां । खेड़ी-गणेशपुरा एवं रूपा-पारोली योजनाओं का पूर्व में वर्ष 1970-71 में सर्वे किया गया था । ये योजनायें लाभदायक नहीं पाये जाने के कारण स्वीकार नहीं की गई थीं ।

रूपा-पारोली पर पुनः विचार के पश्चात् एक अपेक्षाकृत बड़ी योजना हेतु जनवरी, 1982 में सर्वे प्रारम्भ किया गया है । इस योजना का आंकलन तैयार होने पर ही इसकी उपयोगिता का पता चलेगा ।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खेड़ी गणेशपुरा योजना का सर्वेक्षण 1969 मे किया गया ? पंचायत समिति जहाजपुर का मैं जिस समय प्रधान था उस समय लिखा गया था कि यह उपयोगी है और इस पर शीघ्र कार्य किया जाय ।

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में निवेदन किया कि 1970 में जो आंकलन किया गया उसके अनुसार इसकी उपयोगी भराव क्षमता 36 एम. सी. एफटी., सिंचाई क्षमता 116

(१७)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

हैक्टेयर, अनुमानित लागत 6 लाख 76 हजार रुपये और लाभ - लागत अनुपात 1:42:1 था। इस योजना को वित्तीय प्रावधानों के अभाव के कारण मुख्य अभियन्ता ने 15.3.72 को स्थगित किया था। इसके स्थगन का अन्य मुख्य कारण था कि स्वीकृति के लिए निश्चित लाभ लागत अनुपात 1.5:1 होना चाहिये जो इससे कम रहा है। इस योजना का पुनः सर्वेक्षण किया गया, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 17.7.81 के आदेश द्वारा। मौके पर निरीक्षण करने पर पाया गया कि राइट फ्लेंक पर आवश्यक बांध की ऊंचाई रखने के लिए लम्बाई लगभग 102 चैन हो जाती है, जबकि पूर्व में 62 चैन ही थी। इससे इस बांध की लागत और बढ़ जाती है तथा यह बांध बनाना लाभदायक नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने वित्तीय प्रावधान नहीं होने की बात कही है तो क्या आपने नई योजनाएं सर्वे कराकर हाथ में ली हैं ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य। स्थगित प्रश्न, श्री यदुनाथ सिंह।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 428 के लिए सटरडे को मन्त्री महोदय ने कहा था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, समय का ध्यान रखें, समय की बचत करें।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : प्रश्न संख्या 428 के लिए सटरडे को माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय और आपके बीच में बात हुई होगी। मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री सी. पी. जोशी : आपके सामने हाउस में कहा था कि मैं सोमवार को डिटेल में....

श्रीअध्यक्ष : अगला प्रश्न। स्थगित प्रश्न।

श्री यदुनाथ सिंह :

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 फरवरी, 1982)

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

12. श्री **यदुनाथ सिंह** (नदबई): (1) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार राज्य के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक श्रेणी के विद्यालयों में कुल कितने - कितने अध्यापकों की कमी है ?

(2) राज्य में ऐसे कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, जहां पर एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं है ? भरतपुर जिले के ऐसे स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अध्यापकों की निम्नानुसार कमी है:-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विद्यालय स्तर	अध्यापक		
	व्याख्याता	द्वि. श्रे. अ.	तृ. श्रे. अ.
1	3	3	4
माध्यमिक स्तर/	–	–	–
उ. मा. स्तर	15	370	–
उ. प्रा. स्तर	–	–	123
प्राथमिक(शिक्षा विभाग)	–	–	–

(2) पंचायत विभाग की ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में, जहां एक भी अध्यापक कार्यरत नही है, की सूची संलग्न है। परिशिष्ट "क"

भरतपुर जिले के ऐसे स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ख"

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्राइमरी स्कूल, जहां कोई भी अध्यापक कार्यरत नहीं है, की संख्या 243 बताई गई है। विशेष तौर पर आप देखेंगे, जैसे बाड़मेर जिला पिछड़ा हुआ है, वहां पर 62 प्राइमरी स्कूल, जैसलमेर में 22 प्राइमरी स्कूल, बीकानेर में 22 प्राइमरी स्कूल और उदयपुर में 57 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई भी अध्यापक कार्यरत नहीं है। पिछली बार भी मैंने इस तरह का प्रश्न शिक्षा के बारे में पूछा था। गांवों में प्राइमरी स्कूल ही होते हैं कोई मिडिल स्कूल या सैकण्डरी स्कूल तो होता नहीं। यह भी मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें कि यह सूची कब तक की है भरतपुर में 15 स्कूल्स के नाम तो मैं अभी जोड़कर बता दूं।

श्री अध्यक्ष : जो आपको मालूम थे उनकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जो मालूम नहीं थे वे बताये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है।

(व्यवधान)

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमलबैद): अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं जिन स्कूलों में एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं हैं, यह सूची पंचायत विभाग के स्कूलों की है इसलिए वहां से ही जानकारी मिल सकती है। यह प्रश्न चूंकि पूछ लिया गया था इसलिए जवाब दे दिया गया। 243 स्कूलों की पंचायत विभाग ने सूचना दी थी जिनमें एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं है। इसमें क्या व्यावहारिक और प्रशासनिक कारण हैं जिनके कारण से अध्यापक नहीं हैं इसके बारे में पंचायत विभाग ही सूचना दे सकता है।

यह मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि बीस हजार पांच सौ तैंतालिस प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें से 243 विद्यालयों में अध्यापक नहीं है। करीब एक प्रतिशत होता है। मैं कहता हूं कि ऐसा एक प्रतिशत भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयां हैं, उसका जवाब पंचायत विभाग दे सकता है....

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को पहले उत्तर दे देने दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा विभाग का सवाल है उप मंत्री जी ने अभी बताया कि 508 अध्यापकों के पद खाली हैं। उसमें 5000 में व्याख्याता के 15 पद खाली हैं, यह हुआ करीब 0.15 पर्सेंट 24 हजार 555 में से 370 पद खाली हैं, यह हुआ करीब डेढ़ पर्सेंट। इसी प्रकार 61 हजार 32 में से 123 पद खाली हैं, यह करीब 0.2 पर्सेंट हुआ। कुछ प्रशासनिक कारणों से भी हो सकता है, कोई अध्यापक छुट्टी जा सकता है, कोई आदेश आने पर भी जोइन नहीं करता, ऐसा हो सकता है....

(व्यवधान)

चित्रकला के अध्यापक नहीं मिल रहे हैं, दूसरे, अध्यक्ष महोदय, विज्ञान और कृषि के अध्यापक नहीं मिल रहे हैं। इसलिये हमने अब आदेश दे दिया है कि इसके लिये बी. एड. होना जरूरी नहीं है बिना बी. एड. के भी उनको ले लिया जाये। तो जो 270 पोस्ट खाली हैं, वह भर ली जायेंगी। शिक्षा विभाग का जहां तक सवाल है वह मैंने बता दिया, लेकिन पंचायत विभाग के बारे में मैं कहने में असमर्थ हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रश्न सदन के समक्ष आये तो हर माननीय सदस्य प्रश्न पूछे। प्रथम अधिकार प्रश्नकर्ता को होता है। उसके बाद कोई बात रह जाती है तो मैं किसी माननीय सदस्य को इजाजत दे सकता हूं।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : मंत्री जी ने बताया कि गांवों के अन्दर अध्यापक कम हैं। प्राइमरी में तो हैं लेकिन हायर

(श्री सुनील विश्नोई)

सैकण्डरी में नहीं जाते हैं। तो क्या इसके लिये आप कोई अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं ? क्या ग्रामीण भत्ता दे रहे हैं या कोई और सुविधा दे रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : ऐसा कोई विचार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मंत्री महोदय ने गुमराह करने वाला जवाब दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या गांवों में प्राथमिक स्कूलों के लिये अध्यापक नहीं मिलते हैं ? शहरों में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां अध्यापक नहीं हैं....

(व्यवधान)

इन्होंने यह कहा कि शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है, पंचायत विभाग का यह दायित्व है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्रामों में जो स्थान रिक्त हैं वह कब तक भरे जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें। आसन पैरों पर है। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : (गुढ़ा): × ×

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

कित न हो। ऑर्डर, ऑर्डर :

श्री महाराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं इजाजत नहीं दूंगा। मुझे माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता है। चर्चा यूं ही हो जाती है। समय बरबाद होता है....

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। दूसरे का प्रश्न होता है, आप भी पांच मिनट ले लेते हैं....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर । आप बैठ जायें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया नियमों का ध्यान रखें ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिए—

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर । आप बैठ जायें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को धन्ध हेतु ऋण

421. **श्री गोपाल पचेरवाल** (केशोरायपाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों के गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धन्धों के लिए ऋण वितरण की योजना बनाई है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में उक्त योजना को लागू किया गया है ? यदि हां, तो जिला बूंदी के सभी नगरपालिका क्षेत्रों से विभाग को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये तथा कितने ऋण किस कार्य हेतु स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । जिला बूंदी की बूंदी, नेनवा एवं कापरेन नगरपालिकाओं से 60 ऋण आवेदन-पत्र बैंकों में प्रस्तुत हुए हैं जो विचाराधीन हैं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला पाली के सोजत औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्डों का आवंटन

360. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला पाली के सोजत औद्योगिक क्षेत्र में थर्ड फेज में कुल कितने भू-खण्ड हैं ? उन भू-खण्डों का किस-किस तारीख को किस-किस को आवंटन किया गया व किस-किस तारीख को कब्जा दिया व किस-किस तारीख को लीज एग्रीमेन्ट का पंजीयन कराया गया ?

(2) उक्त आवंटित भू-खण्ड की क्या-क्या शर्तें हैं व उनकी किस-किस आवंटी ने अनुपालना नहीं की व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) जिन-जिन आवंटियों ने आवंटन

(श्री माधवसिंह दीवान)

से एक वर्ष तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, क्या सरकार उनके आवंटन को रद्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पाली के सोजत औद्योगिक क्षेत्र में थर्ड फेज में कुल 65 भूखण्ड नियोजित किए गये हैं। प्लाट्स जिन तारीखों को जिन जिन को आवंटित किये गये, व कब्जा दिया गया व कब लीज डीड निष्पादन कराया गया आदि के विवरण की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आवंटन की शर्तें तथा जिन आवंटियों ने उनकी अनुपालना नहीं की एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही आदि के विवरण की सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) एक वर्ष से पूर्व का ऐसा कोई आवंटी नहीं है जिसने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया हो। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

बीकानेर में उद्योगों को नियन्त्रित वस्तुओं का आवंटन

361. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) बीकानेर में ऐसे कौन-कौन से उद्योग स्थापित हैं जिन्हें उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न नियंत्रित वस्तुओं का आवंटन किया जाता है व आवंटन के आधार व मापदण्ड क्या रखे गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1980–81 व 1981–82 में किस-किस उद्योग को उत्पादन हेतु कितना-कितना सीमेंट, कोयला, जी. आई. शीट्स, पैराफीन वैक्स, लोहा-इस्पात का आवंटन किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन उद्योगों को विभाग द्वारा नियन्त्रित वस्तुयें आवंटित की जाती हैं क्या विभाग द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो यह निरीक्षण कितने समयोपरान्त किया जाता है ?

उत्तर

(1) बीकानेर में स्थापित उद्योग सूची 'क' में दर्शाये अनुसार हैं, जिन्हें कोयला, सीमेण्ट, मोम, लोहा-इस्पात नियन्त्रित वस्तुओं का आवंटन किया जाता है। आवंटन का आधार व मापदण्ड सूची 'ख' में दर्शाया गया है।

(2) वर्ष 1980–81 व 1981–82 में उद्योगों को नियन्त्रित वस्तुओं का आवंटन भी सूची "क" में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। निरीक्षण लगभग प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। इकाई के पास नियन्त्रित कच्चा माल पहुंचने के बाद उसकी सदुपयोगिता के सत्यापन हेतु निरीक्षण किया जाता है जिसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश प्रसारित किए हुए हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आर. जे. एस. की परीक्षा का आयोजन

362. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सन् 1980–81 में आर. जे. एस. परीक्षायें आयोजित की गयी थीं और उनमें उत्तीर्ण प्रत्याशियों का साक्षात्कार वर्ष 1981 में आयोजित किया जाकर चयन किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस चयन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में कई मुकदमे दायर हुए थे व इन मुकदमों की पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषकों के अलावा विशेष वकील की नियुक्ति की गयी थी ?

(3) यदि हां, तो किसको वकील नियुक्त किया गया था ? उन्हें नियुक्ति देने का क्या औचित्य था तथा उनको कुल कितनी फीस, टी. ए. व अन्य खर्च का चुकारा किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे की पैरवी के लिए श्री नाथूलाल जैन, अभिभाषक को नियुक्त किया गया था। इन रिट याचिकाओं में जो महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया गया था उसका उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय देने पर दूरगामी परिणाम हो सकते थे। अतः इन याचिकाओं की पैरवी करने के लिए एक वरिष्ठ अभिभाषक को नियोजित करना उचित समझा गया। श्री जैन को बोनस एवं अन्य व्यय के रूप में कुल 5,950) रु. का भुगतान किया जाना था जिसमें से 4,450) रु. का भुगतान किया जा चुका है। शेष भुगतान अभी बकाया है।

उदयपुर की सिटी बसेज

363. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर एवं उसके आस-पास चलने वाली सिटी बसेज में निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां भरी चलती है, व बसों की छतों पर भी सवारियां बैठती हैं परन्तु फिर भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती ?

(2) क्या ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी बसों के चालान किये हैं ? यदि हां, तो कृपया 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 के मध्य किये गये चालानों की सूची मय गाड़ी नम्बर सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कई मर्तबा निर्धारित संख्या से अधिक सवारियों से भरी हुई बसें चलती हैं लेकिन यह सही नहीं है कि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

(2) उक्त अवधि में किए गये चालानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम राजपुरिया (प्रतापगढ़) के सीमा-विवाद का हल

364. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से प्रतापगढ़ तहसील के ग्राम राजपुरिया के सीमा-विवाद को हल करने के लिये कोई विचार-विमर्श किया है ? यदि हां, तो अब तक दोनों राज्यों के अधिकारियों की कितनी बार बैठकें हो चुकी है ?

(2) सीमा-विवाद का निपटारा शीघ्र हो, धन-जन की क्षति न हो, इसके लिए सरकार कब तक निर्णय कर लेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध मे एक बैठक उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर आयोजित की गई थी।

(2) चूंकि मामला विवादास्पद है अतः निश्चित समयावधि बताया जाना सम्भव नहीं है।

विद्युत् मण्डल की असावधानी से मानव व पशुओं की मृत्यु

365. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक कब-कब कहां-कहां कितने-कितने मानव तथा पशुओं की विद्युत मण्डल की गलतियों के कारण मृत्यु हुई अथवा क्षति पहुंची और किन-किन को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टेन्शनवायर पर इन्स्यूलेटर लगाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि विद्युत लाइन का 'एल' फार्म देने के पूर्व इन्स्यूलेटर व अर्थवायर देख लिया जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या इस नियम का विद्युत विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल की गलतियों के कारण दिनांक 1-4-80 से 31-1-82 तक किसी भी मानव तथा पशु की मृत्यु नहीं हुई न ही क्षति पहुंची। मण्डल के कर्मचारियों की मृत्यु होने या क्षति पहुंचने पर वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाता है सम्पूर्ण सूचना एकत्र करने मे समय लगेगा।

(2) जी नहीं, टेंशनवायर पर इन्स्यूलेटर लगाना अनिवार्य नहीं है।

(3) जी नही, विद्युत लाइन का कोई 'एल' फार्म नहीं दिया जाता है।

राहत कार्यों पर कार्य देने की नीति

366. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि हर इच्छुक व्यक्ति

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

को अकाल राहत कार्यों पर कार्य उपलब्ध कराया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उक्त घोषणा के उपरान्त भी जिला जैसलमेर में 5 व्यक्तियों के परिवार पर एक, आठ पर दो एवं दस पर तीन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रणाली जारी रखी गयी ? यदि हां, तो राज्य के कितने और जिलो मे यह प्रणाली लागू रही व कितने जिलों में नहीं रही ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

अभावग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित व्यक्तियों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने की नीति राज्य सरकार की रही है।

(2) राज्य सरकार के निर्णय-अनुसार जिन क्षेत्रों मे गत पांच साल से लगातार अभाव की स्थिति है उन क्षेत्रों मे प्रभावित परिवार के इच्छुक सदस्यों को राहत कार्यों पर लगाये जाने की कोई पाबन्दी नहीं है।

उन क्षेत्र, जहां सम्वत् 2038 की अभाव स्थिति में फसलों में खराबा 12 आना से 16 आना के बीच है तथा जहां पिछले तीन साल से लगातार अभाव की स्थिति है, में प्रत्येक 5 सदस्यों के परिवार के 2 सदस्यों को, 6 से 10 सदस्यों के परिवार के 3 सदस्यों को तथा 10 से अधिक सदस्यों के परिवार के 4 सदस्यों को राहत कार्यों पर लगाये जाने के आदेश हैं।

जो क्षेत्र उक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं वहां 5 सदस्यों के परिवार के 1 सदस्य, 5 से 10 सदस्यों के परिवार के 2 सदस्य व 10 से अधिक सदस्यों के परिवार के 3 सदस्यों तक को राहत कार्यों पर लगाये जाने के आदेश हैं, उक्त आदेशों के अनुसार ही जैसलमेर जिले मे प्रभावित व्यक्तियों को राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उक्त आदेशों के अनुसार राज्य के समस्त जिलों में यह प्रणाली लागू है।

बाढ़ से सांगानेर क्षेत्र में क्षति

367. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जुलाई, 1981 में आई बाढ़ से विधान सभा क्षेत्र, सांगानेर के कितने बांध क्षतिग्रस्त हुए ?

(2) उनमें से कितने सिंचाई विभाग के हैं व कितने पंचायतों के ?

(3) उनमें से कितने बांधों की मरम्मत हो चुकी है व कितनों की हो रही है और सब बांधों की मरम्मत कब तक पूरी कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है ?

(4) उपरोक्त सूची में कौन-कौन से कार्य किस-किस विभाग द्वारा करवाये जाना निश्चित हुआ है ?

उत्तर

(1 एवं 2) जुलाई, 1981 में आई बाढ़ से सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के

(२८)

(राहत मंत्री)

सिंचाई विभाग के चार बांध क्षतिग्रस्त हुये हैं।

(3) उनमें से एक बांध की मरम्मत हो चुकी है तथा 2 पर कार्य चालू है। समस्त बांधों की मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र पूरा कराने का राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है।

(4) बांध सिंचाई विभाग के अधीनस्थ है अतः सिंचाई विभाग ही कार्य करायेगा।

कृषि भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था

368. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सन् 1980-81 व 1981-82 में किस-किस सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितने हैक्टेयर भूमि के लिये अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

सिंचाई विभाग के अधीन योजनाओं से वर्ष 1980-81 एवं 81-82 में निम्नानुसार अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराई गई/संभावित है—

क्र सं.	परियोजना का नाम	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई (1980-81) हैक्टेयर में
1980-81		
	(अ) बहुद्देशीय योजना	
1.	चम्बल योजनाएं	4000
	(आ) आधुनिकीकरण योजना	8130
	(इ) लघु योजनाएं (राज्य योजनान्तर्गत)	8669
	(ई) सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2516
	(उ) मरु विकास कार्यक्रम	1420
	(ऊ) विशिष्ट केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र की योजनाएं	396
	लघु सिंचाई योजनाएं	
	कुल योग इ से ऊ	13001
	कुल योग अ से ऊ	25131

(सिंचाई मंत्री)

वर्ष 1981-82 में सिंचाई योजनाओं द्वारा संभावित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता।

नाम परियोजना	सम्भावित सिंचाई क्षमता हैक्टेयर में
(अ) बहुद्देशीय परियोजनाएं	1000
1. लिफ्ट परियोजना (चम्बल)	1000
(आ) वृहद् परियोजना	11000
1. गुड़ गांव नहर	11000
(इ) मध्यम परियोजना	5400
1. भीमसागर	5000
2. लसाड़िया	400
(ई) आधुनिकीकरण परियोजना	3000
(उ) लघु सिंचाई परियोजना राज्य योजनान्तर्गत	5759
(ऊ) सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम	765
(ए) मरु विकास कार्यक्रम	574
लघु सिंचाई योजनाएं योग : उ से ए	7098
कुल योग : अ से ए	27498

इटावा ब्रांच कैनाल व बिनायका गांव के बीच की जमीन की सिंचाई

369. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि इटावा ब्रांच कैनाल व बिनायका गांव के बीच करीब 2000 बीघा जमीन में सिंचाई नहीं होती है ? यदि हां, तो क्या डोरली के नाले के पास से नई नहर निकाल कर उक्त जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा ?

उत्तर

जी हां।

वर्तमान में इस जमीन की सिंचाई हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम हरेन्द्रगढ़ में सिंचाई प्रयोजनार्थ तालाब निर्माण हेतु सर्वेक्षण

370. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के ग्राम हरेन्द्रगढ़ में सिंचाई हेतु तालाब बनाने के लिए सर्वेक्षण सन् 1967–68 के आस-पास किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में तालाब बनाने हेतु योजना राज्य सरकार के पास भेजी गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा तालाब कब तक बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

अजमेर नगर के नगरा क्षेत्र में बस स्टेण्ड का निर्माण

371. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के नगरा क्षेत्र से नसीराबाद रोड गुजरती है और उस पर से रोडवेज की बसें व सिटी बसेज बहुतायत में आती जाती हैं व उस क्षेत्र में धानमण्डी के पास बस स्टेण्ड पर ये सभी बसें रुकती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहाँ पर बस स्टेण्ड की इमारत नहीं होने से प्रतीक्षारत यात्रियों को विभिन्न ऋतुओं में परेशानी व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो यहां बस स्टेण्ड की इमारत का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर क्षेत्र से रोडवेज व सिटी बसें गुजरती हैं। धानमण्डी पर बस स्टेण्ड नहीं है केवल बस स्टाप है जहां केवल सिटी बसें व शटलसेवाएं रुकती हैं।

(2) यह स्थान केवल बस स्टोप है बस स्टेशन नहीं अतः यहां स्टेण्ड की इमारत बनाने का विचार नहीं है।

राजगढ़-सिधमुख सड़क का निर्माण

372. **श्री दीपचन्द** (सार्दुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राजगढ़-झुन्झुनू वाया नेशनल सड़क का निर्माण कार्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न होगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजगढ़-सिधमुख रोड का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो इस अधूरी सड़क को कब तक पूरी करने की योजना है ?

उत्तर

(1) राजगढ़-झुन्झुनू वाया नेशनल सड़क निर्माण की कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) राजगढ़-सिधमुख अधूरी सड़क को जून, 1983 तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।

बर (पाली) के डाक बंगले का निर्माण कार्य

373. श्री **माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि बर जिला पाली में सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसका कुछ भाग अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसकी दीवारें कितनी फीट बनी हुई हैं ? इसे अब कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

उत्तर

बर जिला पाली में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक डाक बंगला बना हुआ है। इसका कुछ भाग अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी दीवारें 10 फीट तक बनी हुई है।

ग्राम पवालिया (सांगानेर) की कच्ची सड़क का डामरीकरण

374. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पवालिया, पंचायत समिति, सांगानेर की आबादी 2500 है और 1966-67 में यहां अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कच्ची सड़क बनाई गई थी ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क को पक्का बनाने का विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो इस सड़क को कब तक पक्का कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जनगणना 1971 के अनुसार ग्राम पवालिया पंचायत समिति सांगानेर की आबादी 939 है। वर्ष 1966-67 में यहां अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा कोई सड़क नहीं बनाई गई।

(2 एवं 3) पक्की सड़क बनाने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बीकानेर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण

375. श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या राज्य के उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 1980–81 में आवंटित धनराशि में से बीकानेर जिले में भी सड़क निर्माण पर व्यय की गई ? यदि हां, तो किस किस क्षेत्र में कितनी किलोमीटर सड़क बनी व कितनी राशि लगाई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1980-81 में उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि में से बीकानेर में सड़क निर्माण पर कोई राशि इस विभाग द्वारा व्यय नहीं की गई। केवल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में 45,600/- रुपये खर्च कर नालियों का निर्माण करवाया गया है।

टौंक में भिक्षावृत्ति की रोकथाम

376. श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति के सहारे जीवन-यापन करने वाले टौंक शहर के लोगों का सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ? सर्वेक्षण के अनुसार इनकी संख्या कितनी है ?

(2) भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए टौंक शहर में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा उठाये गए कदमों से भिक्षुकों की संख्या में कमी आई है ?

(3) भिक्षावृत्ति करने वालों के पुनर्वास तथा जीवन-यापन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) इन भिक्षुकों में कितने ऐसे हैं जो काम करने में सक्षम हैं लेकिन आदतन भिक्षावृत्ति करते हैं ? कितने विकलांग, कुष्ठ रोग से पीड़ित एवं मानसिक रोग से विक्षिप्त तथा वृद्धावस्था के कारण भिक्षावृत्ति कर रहे हैं ? इन्हें किस प्रकार इस सामाजिक रोग से मुक्त किया जायेगा ?

(5) क्या सरकार ने इस शहर में इस समस्या के निराकरण के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ? यदि नहीं, तो जो प्रयत्न किए हैं उनका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) अब तक कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं ।

(3) भिक्षुक गृह, जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर में चलाये जा रहे हैं जिनके माध्यम से भिक्षुओं के पुनर्वास व जीवन-यापन का प्रयास किया जाता है ।

(4) भिक्षुकों का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । अतः सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(5) जी हां । अब भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार बिल प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है । इस सम्बन्ध में उपयुक्त कानून बनने पर ही कारगर कार्यवाही संभव होगी ।

रामगंज मंडी (कोटा) स्थित समाज कल्याण छात्रावास

377. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रामगंज-मंडी स्थित समाज कल्याण छात्रावास जिला कोटा में छात्रों की बढ़ती संख्या के मुकाबले कम स्थान हैं ?

(2) क्या यह सही है कि छात्रावास में छात्रों हेतु सीटें बढ़ाने की लम्बे समय से मांग की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक स्थान बढ़ाने का इरादा रखती है ?

(3) क्या जिला कोटा में मंडाना एवं चेचट में नये छात्रावास खोलने की जनता

(श्री हरीश शर्मा)

द्वारा लम्बे समय से मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। बजट प्रावधान की सीमाओं के कारण छात्रावास में सीटें बढ़ाना अभी सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। बजट प्रावधान की सीमाओं के कारण वर्तमान में यह संभव नहीं है।

जैसलमेर जिले में विकलांगों को प्रदत्त सुविधाएं

378. श्री **चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विकलांग वर्ष के अन्तर्गत चलाये गये अभियान में जिला जैसलमेर के कितने विकलांगों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गईं ? इसका ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :—

(2) जिला जैसलमेर में कितने विकलांग हैं ?

उत्तर

(1) विकलांग वर्ष के अन्तर्गत जिला जैसलमेर के विकलांगों को निम्न सुविधायें प्रदान की गई हैं :—

1- 2 विकलांग व्यक्तियों के महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के माध्यम से कृत्रिम अंग लगवाये गये हैं।

2- एक विकलांग छात्र को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

3- 20 विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न विभागों में नियोजित करवाया है।

4- 89 विकलांग व्यक्तियों को 81-82 में अपाहिज पेंशन दी गई।

(2) जिलाधीश जैसलमेर द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जैसलमेर जिले में 109 व्यक्ति अंगहीन, 36 व्यक्ति मूक-बधिर व 192 व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है। इस प्रकार कुल 337 व्यक्ति जिलाधीश द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार विकलांग हैं।

विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के आदर्श स्कूल्स

379. श्रीमती **विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में कितने आदर्श स्कूल घोषित कर स्थापित किये गये व कब कब ?

(2) आदर्श स्कूल घोषित करने के क्या आधार हैं ?

उत्तर

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत 1 माध्यमिक विद्यालय, 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 27 प्राथमिक विद्यालयों का चयन वर्ष 1981-82 में किया गया है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया है। इस चयन में उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्राथमिकता दी गई है। यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं हो तो उपयुक्त बहु-अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया है। चयनित विद्यालय की भवन व्यवस्था संतोषजनक हो तथा यथासम्भव चयनित विद्यालय पंचायत के मुख्यालय का हो।

(ख) प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है। चयन का आधार भवन की सन्तोषजनक व्यवस्था बोर्ड परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों की संख्या वैकल्पिक विषयों की संख्या आदि रहा है।

(ग) प्रत्येक जिले में से एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है। जयपुर जिले में दो विद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित विद्यालय यथासम्भव जिला मुख्यालय के लिए गये हैं।

(घ) उक्त चयन के आधारों पर विद्यालयों का चयन 20 संकल्प कार्यक्रम से सम्बन्धित गठित जिला समिति द्वारा किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर में लिपिकों की नियुक्ति

380. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह जून, जुलाई, 1980 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तदर्थ रूप से कुछ लिपिकों की नियुक्तियां की गई थीं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन लिपिकों को टाइप टैस्ट पास करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया था?

(3) क्या उक्त लिपिकों का टाइप टैस्ट लिया जा चुका है? यदि हां, तो कब लिया गया और कितने लिपिक उस टैस्ट में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण रहे? यदि टाइप टैस्ट नहीं लिया गया, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। कुल 29 व्यक्तियों का टाइप टैस्ट दिनांक 23/1/81 को लिया गया इसमें से केवल 10 व्यक्ति उत्तीर्ण हुए, शेष 19 व्यक्ति अनुत्तीर्ण रहें।

भीलवाड़ा नगर के विद्यालय

381. श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा तहसील के गोविन्दसिंह जी के खेड़ा स्कूल में कितनी अवधि से अध्यापक नहीं हैं?

(2) भीलवाड़ा नगर में कितने विद्यालय कहां-कहां चलते हैं? क्या ये विद्यालय जिस क्षेत्र के हैं वहीं चल रहे हैं? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया जाता रहा है?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा तहसील के गोविन्द सिंह जी के खेड़ा में कोई विद्यालय नहीं है।

(2) सूची संलग्न है। संलग्न सूची के क्र. सं. 23, 25, 28 एवं 33 के प्राथमिक विद्यालय भवन उपलब्ध न होने से संलग्न वार्डों में चलाये जा रहे है। क्र. सं. 15 व 16 के उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन उपलब्ध न होने से एक ही राजकीय भवन में चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार नगरपालिका भीलवाड़ा द्वारा समय-समय पर वार्डों में जो विद्यालय आरम्भ किये गये थे वे अब वार्ड का क्षेत्र व संख्याओं में परिवर्तन हो जाने से उक्त वार्डों में नहीं रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार के निर्माण हेतु चैरिटी शो

382. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के सभागार के निर्माण हेतु धन जुटाने के लिए तीन दिवसीय चैरिटी शो का आयोजन किया गया था ?

(2) यदि हां, तो किस-किस दर के कितने-कितने टिकट छपवाये गये थे और उनमें से कितने बेचे गये, कितने बचे व कितने गायब हुये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सौ-सौ रुपये के टिकट बेचने के बाद राशि एकत्रित कर जमा कराते समय उन्हें पांच-पांच रुपये में बदला हुआ बताया गया और पांच-पांच रुपयों के कुछ टिकटों को बेचने के बाद राशि एकत्रित कर जमा करते समय उन्हें दो-दो रुपयों में बदला हुआ बताया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि छपाये हुए टिकटों में पांच रुपये एवं दो रुपये की दर के टिकट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे और बचे भी हैं ? यदि हां, तो फिर अन्य दर के टिकट इन राशियों हेतु क्यों बदले गये ?

(5) क्या सरकार इस सारी गड़बड़ी की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) टिकटों के छपवाने व विक्रय करने सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। कोई भी टिकट गायब नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं।

(4) छात्राओं, अध्यापिकाओं एवं अजमेर नगर की शिक्षण संस्थाओं, विभिन्न कार्यालयों को 5 रुपये के टिकटों की पुस्तकें वितरित करने हेतु दे देने से शेष संस्थाओं एवं कार्यालयों और चैरिटी शो के दिन खिड़की पर विक्रय हेतु टिकट उपलब्ध नहीं रहने से तथा 5 रुपये के टिकट और छपवाने

(शिक्षा मन्त्री)

पर होने वाले व्यय को बचाने के उद्देश्य से 25 व 100 रुपये के टिकट, जिन्हें विक्रय नहीं करने के कारण बेकार हो गये थे उन पर पांच रुपयों की कीमत की सील लगाकर 5/– रुपये के टिकटों में बदलकर 5/– में ही विक्रय करना पड़ा।

(5) इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर आयुक्त, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से रिपोर्ट मांगी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर के सभागार के निर्माण पर व्यय

383. श्री **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के निर्माणाधीन सभागार का फोरकास्ट, एस्टीमेट व नक्शे इत्यादि किसने तैयार किये और मूल योजना के अनुसार उस पर कितनी लागत आनी थी ?

(2) क्या इस निर्माण को प्रारम्भ करने की स्वीकृति देने के पूर्व इस राशि के एकत्रित होकर निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बारे में राज्य सरकार आश्वस्त थी ? यदि हां, तो आश्वस्त होने का क्या आधार था ?

(3) निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बाद अब तक कितना कार्य हुआ है, उस पर कितना खर्च हुआ है, अब इस सभागार को पूर्ण कराने हेतु और कितनी राशि चाहिए, उसके प्रबन्ध के क्या स्रोत हैं तथा यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

(4) अनुमानित व्यय के प्रबन्ध हो जाने के बारे में आश्वस्त हुये बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माणाधीन सभागार का तकमीना व नक्शे सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड अजमेर द्वारा मई, 1980 में तैयार किये गये हैं। मूल योजना के अनुसार सभागार की लागत 1.60 लाख रुपये की था।

(2) जन सहयोग से कार्य कराने के लिए पूर्ण राशि का होना आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे राशि जन सहयोग से प्राप्त होती है निर्माण कार्य करवाया जाता है।

(3) उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बाद से अब तक छत तक का चुनाई का कार्य पूरा हो चुका है इस समय आर.सी.सी. की छत डालने का कार्य हो रहा है। अब तक इस निर्माण कार्य के लिए 1,48,688 रुपये व्यय हो चुके हैं। शेष राशि भवन विकास समिति द्वारा जन सहयोग से एकत्रित की जा रही है। निर्माण का बचा हुआ कार्य लोहा व सीमेन्ट यथा समय प्राप्त होने पर लगभग 6 माह में पूरा होने की संभावना है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के निर्माणाधीन सभागार हेतु सीमेन्ट की खरीद

384. श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के निर्माणाधीन सभागार हेतु विशेष व सामान्य परमिटों द्वारा सीमेन्ट क्रय किया जाता रहा है ?

(2) यदि हां, तो कब-कब कितनी-कितनी सीमेन्ट कहां-कहां से कितने-कितने मूल्य में खरीदी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्रय की गई सीमेन्ट में से कब-कब कितनी-कितनी निर्माण कार्य में काम में ली गई और कितनी कब से बिना काम में आई पड़ी है ?

(4) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि निर्माण में काम लेना बता कर कई सीमेन्ट के थैले संबंधित पक्षों की राय से ब्लैक में बेचे जाकर पैसा आपस में बांट लिया गया ?

(5) क्या सरकार अब तक हुये निर्माण कार्य के स्तर की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा और इसमें और कितने सीमेन्ट की आवश्यकता होगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) कार्य की आवश्यकतानुसार अब तक 202 सीमेंट के थैले काम में लिए जा चुके हैं शेष 578 थैले बचे हुये हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी देखरेख में हो रहा है।

(6) यह निर्माण कार्य लोहा व सीमेंट तथा समय प्राप्त होने पर 6 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष कार्य को नक्शे व डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने के लिए लगभग 700 थैले सीमेंट की और आवश्यकता होगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर के क्षेत्राधिकार में रिक्त पदों की पूर्ति

385. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर के क्षेत्राधिकार की शिक्षण संस्थाओं में कौन-कौन से पद कब-कब से कहां-कहां खाली पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन खाली पड़े पदों से शिक्षण कार्य में बाधा पहुंची है ? यदि अन्य अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा रिक्त

(श्री कैलाश मेघवाल)

पदों वाले विषयों का अध्यापन कराया गया है, तो क्या वह ठीक स्तर का हुआ है ?

(3) इन पदों को भरने हेतु कब-कब क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। रिक्त पड़े पदों पर अन्य अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा अध्यापन कार्य कराने से शिक्षण कार्य में बाधा नहीं पहुंची है।

(3) इन पदों को शीघ्र ही भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अजमेर में वन विभाग की पहाड़ियों पर अनधिकृत कब्जे

386. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में गणेशगढ़ से शास्त्री नगर के पश्चिम में अन्तिम छोर तक फैली वन विभाग की पहाड़ियों पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर कच्चे व पक्के मकान बना लिये हैं ?

(2) यदि हां, तो ये अतिक्रमण कब कब किस-किसके द्वारा कितने कितने क्षेत्र पर किये गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) भविष्य में अतिक्रमण नहीं होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या सावधानी व सतर्कता बरती जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अतिक्रमण को हटाने के लिये भू-राजस्व के अधिनियम 91 के अन्तर्गत केसेज बनाये जाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर में प्रस्तुत किये गये हैं तथा वन अधिनियम, 1953 की धारा 26 के अन्तर्गत मुन्सिफ कोर्ट अजमेर में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं। न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा अतिक्रमियों पर जुर्माना किया जाकर बेदखली के आदेश दिये जाने पर अतिक्रमियों द्वारा कार्यालय जिलाधीश अजमेर के यहां पर अपील की गई है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

(4) सुरक्षा एवं निगरानी की समुचित व्यवस्था बनाई हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

ग्राम कारोई (भीलवाड़ा) में वन विभाग द्वारा पेड़-पौधे लगाने पर व्यय

387. **श्री बंशीलाल पटवा**(भीलवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री बंशीलाल पटवा)

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा तहसील में कारोई ग्राम के पास वन विभाग ने पेड़ पौधे लगाने का कार्य आरम्भ किया था ? यदि हां, तो पेड़-पौधे कहां और किसकी धरती पर लगाये गये तथा इन पर कितना खर्च आया ?

(2) क्या यह सही है कि ये पेड़-पौधे हटा दिये गये ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत कारोई द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में सरपंच कारोई से अनुमति प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत कारोई (पंचायत समिति सुवाणा) की चरागाह भूमि पर पेड़ पौधे लगाए गए । इस पर रुपये 24900/– व्यय हुये हैं ।

(2) जी हां, स्थानीय विरोध के फलस्वरूप ग्रामवासियों द्वारा पौधे जबरन हटा दिये गये । घटना की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है ।

लौंगिया हॉस्पिटल, अजमेर के मैदान में स्थित दवाई की दुकान

388. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व):–क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर के क्षेत्र में लौंगिया हॉस्पिटल के मैदान में लगी हुई आयुर्वेद दवाइयां बेचने की केबिन हटाने के आदेश हो चुके हैं ?

(2) यदि हां, तो यह आदेश कब हुए और अब तक इनकी क्रियान्विति क्यों नहीं की गई है ?

(3) यह क्रियान्विति नहीं होने के लिए नगर परिषद् के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की जायेगी और अब यह केबिन कब तक हटवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2 व 3) उक्त आदेश दिनांक 8-6-81 को दिये गये थे । दि. 19-6-81 को स्थगन आदेश की पालना में क्रियान्विति नहीं की गई है । निर्णय होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अलवर नगर विकास न्यास द्वारा मरकरी लाइट्स का क्रय

389. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

नगर विकास न्यास द्वारा सोडियम एवं मरकरी लाइट्स किस किस कम्पनी अथवा फर्म से कितनी-कितनी संख्या में एवं किस दर पर खरीद की गई हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा सोडियम एवं मरकरी लाइट्स जिस जिस कम्पनी अथवा फर्म से खरीद की गई है उनकी संख्या एवं दर का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट "क")

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

प्रतापगढ़ में नगरपालिका कर्मचारियों के अनधिकृत कब्जे

390. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका प्रतापगढ़ के कर्मचारियों द्वारा पालिका की भूमि पर नाजायज कब्जा करवाया जा रहा है और जिलाधीश चित्तौड़गढ़ को अतिक्रमण की जानकारी देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं रोका गया है ?

(2) नगरपालिका क्षेत्र में किन-किन नगरपालिका कर्मचारियों ने नाजायज भू-खण्डों पर कब्जा किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार अतिक्रमियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिलाधीश चित्तौड़गढ़ से नगरपालिका को कोई भी जानकारी इस बारे में प्राप्त नहीं हुई है।

(2 व 3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 मार्च, 1982)

सतर्कता एवं अभाव अभियोग समिति सब-डिवीजन बारां (कोटा)

105. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सतर्कता एवं अभाव अभियोग समिति सब-डिवीजन बारां जिला कोटा का गठन कब हुआ ?

(2) अभी तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं तथा नियमानुसार कितनी बैठकें होनी चाहिए थीं ?

(3) इस समिति ने अभी तक कितने मामलों में निर्णय किया है ?

उत्तर

(1) सतर्कता एवं अभाव अभियोग समिति सब डिवीजन बारां जिला कोटा को गठन दिनांक 14-7-80 को हुआ।

(2) अभी तक इसकी आठ बैठकें हुई हैं तथा नियमानुसार बीस बैठकें होनी चाहिये थीं।

(3) इस समिति ने अभी तक एक मामले में निर्णय किया है।

व्यवस्था का प्रश्न

बेरी वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहा हूं।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैंने व्यवस्था दे दी, माननीय सदस्यों को। मैंने निवेदन भी कर दिया। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूं । आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । मैं इजाजत नहीं दूंगा । आसन पैरों पर है । आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती । जब मैं कहूं उस वक्त बोलें, जब मैं निवेदन करूं तो आप विराज जायें । जो विषय महत्वपूर्ण है उस पर सदन में कायदे से चर्चा हो सकती है, वरना बहस नहीं हो सकती । आपने बेरी आयोग पर कई बार बोला है जो। सदन के समक्ष विषय हैं उन पर चर्चा हो। माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें । मैंने कई बार निवेदन किया है

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री महाराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों को ध्यान से पढ़ें ।

पूरे राजस्थान के चुने हुए माननीय सदस्यों की सभा है । उठने, बोलने बैठने, सभी के नियम हैं । सभी नियमों को धकेल कर आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दे, तो यह सम्भव नहीं है । जो जनोपयोगी विषय होते हैं उनका मैं स्वयं ध्यान रखता हूं । सभी विषय जनोपयोगी हों, यह भी जरूरी नहीं । कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ मुकाबले में कम महत्वपूर्ण होते है । उस हिसाब से मैं अपने विवेक से....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आज बुजुर्ग सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है । मुझे बाध्य न कीजिए । आपको कोई शिकायत है तो आप मुझ से अलग से मिलें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है । आप तो चालीस साल से सदन में हैं....

(व्यवधान)

आप बैठ जायें, शान्त होएं । मुझे

× × × : माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

अफसोस है कि इस तरह की कड़ी बात आपको कहनी पड़ती है। लेकिन मुझे वाध्य किया जाता है, माननीय सदस्य, कहना पड़ता है ..

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है कि मैं इतनी देर से खड़ा हूं और आप सब बोले जा रहे हैं....

(व्यवधान)

आप बैठे-बैठे कुछ न बोलें। आपको नियमों का पालन करना चाहिए।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : मैंने बहुत धैर्य बरता है। आप कुछ नहीं बोलेंगे बैठे-बैठे, माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा। कृपया नहीं बोलें। यह कोई तरीका हुआ यहां चर्चा उठाने का? इस प्रकार कोई मुद्दे का विषय नहीं आता है। जिस पर भी हुआ माननीय सदस्य ने बोल दिया। आप नियमों को ताक पर रखकर बोले जाते हैं....

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मैं नाम से सम्बोधित करूंगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

बैठे-बैठे न बोलें। यह कोई अच्छा तरीका है? ..

(व्यवधान)

मुझे अधिकार है, सबसे पहले सदन को सम्बोधित करने का। आप....

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) **श्री रामकंवार बैरवा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से 13 सितम्बर, 1981 को ग्रामीण आंचलिक बैंक पीलवा, जिला नागौर के कनिष्ठ लिपिक, श्री मनोहर की पत्नी श्रीमती मन्जू की दहेज न देने के कारण की गई हत्या के सम्बन्ध में।

दिनांक 17 मार्च, 82 को सरकार की ओर से हाल ही में नव-विवाहित महिलाओं की संदिग्ध मृत्यु होने के सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य दिया जा रहा है, उसके साथ ही इस मामले को भी सम्मिलित कर दिया जाय।

(2) **श्री शिवसिंह रावत**, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरमथुरा, तहसील असेड़ी के कुछ ग्रामों में वन विभाग द्वारा चराई व्यवस्था बंद कर देने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री कनकराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांचोर नगरपालिका की परिधि में राजस्व विभाग द्वारा गोचर भूमि के पट्टे देने से शहर का विकास अवरुद्ध हो जाने के विषय में,

(4) सर्वश्री अनंगकुमार जैन व बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के ग्रामीण अचल में पिछले कई महीनों से आवश्यक वस्तुओं का वितरण न होने के विषय में।

(5) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी व श्री मेघराज तावड़, सदस्य विधान सभा की ओर से केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के प्रहरी श्री जगदीश प्रसाद के गत 11 जनवरी से लापता होने विषय में,

(6) सुश्री पुष्पा जैन व सर्वश्री कैलाश मेघवाल, गुलाबचन्द कटारिया, हीरालाल आर्य, दाऊदयाल जोशी व यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से वेरी वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू न करने से राज्य कर्मचारियों में उत्पन्न असंतोष के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(7) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पूर्व में नागौर जिले के अकालग्रस्त इलाके के लोग पेड़ों की छाल खाकर जी रहे हैं, के विषय में स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस स्थगन प्रस्ताव में आवश्यक विवरण नहीं दिये गये हैं, अतः मैं इसे भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

बैठे-बैठे न बोलें, माननीय सदस्य। छोटी-छोटी बातों की ओर मुझे ध्यान आकर्षित कराना पड़ता है, माननीय सदस्य, बड़े अफसोस की बात है।

(8) श्री मोहनलाल मोदी-सुरेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश सैनी निवासी छावनी, नीमका थाना के गत 8 सितम्बर को लापता होने के विषय में।

(9) श्री रामकिशोर मीणा- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को बस के चेसिस उपलब्ध न करवाने, प्रशासनिक सेवाओं से हटाये जाने तथा कृषि भूमि रूपान्तरण के लाभ से उन्हें वंचित करने के विषय में।

इस प्रस्ताव में एक से अधिक विषय उठाये गये हैं।

(10) श्री बंशीलाल पटवा-भीलवाड़ा नगर में स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था न होने के विषय में।

(11) श्री भंवरलाल शर्मा व श्री नाथूसिंह-आमेर के शीश महल की छत की मरम्मत व आमेर महल, हवामहल व अन्य

(श्री अध्यक्ष)

पुरातत्व से सम्बन्धित इमारतों की मरम्मत में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

इस स्थगन प्रस्ताव को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

(12) **श्री घनश्याम तिवाड़ी**–सीकर नगर में पिछली वर्षा से भारी टूट-फूट एवं हानि होने के विषय मे।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था क्या दी ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था कृपया ध्यान से सुना करें। मैंने ऊपर ही कह दिया है कि यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं इसलिए अस्वीकार किये जाते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा – गत 12 फरवरी को कृषि विभाग में उपनिदेशकों के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में हुई कथित अनियमितताओं के विषय में।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना में बताया गया है कि पात्रता सूचियों में नियमानुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न आने के कारण ही अन्य व्यक्तियों का चयन किया गया और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई।

(2) **श्री महाराम चौधरी**-पंचायत समिति मूण्डवा एवं नागौर में पिलाई की व्यवस्था न होने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि तहसील नागौर के 39 गांवों में इस समय पेयजल व्यवस्था चालू है और 8 मार्च, 1982 को इन पंचायत समितियों के कुछ गांवों में पेयजल योजना स्वीकृत की गई है।

(3) **श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर**–थाना डग के अन्तर्गत ग्राम रतनपुरा में चन्दर नामक बागरी की हत्या।

(4) **श्री दाऊदयाल जोशी**— कोटा नगर के वार्ड गोरधनपुरा में एक मार्च को इस्लाम पुत्र बाबी की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(5) **श्री भंवरलाल शर्मा व सुश्री पुष्पा जैन**—हवा सड़क जयपुर में गत 10 मार्च को बाबूलाल कुमावत की हत्या के विषय में।

उक्त तीनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुकदमे दर्ज कर दिये गये हैं, अन्वेषण जारी है।

एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना के कारण अस्वीकृत स्थगन प्रस्ताव—

(1) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर**– भवानी मंडी चिकित्सालय की एक्स-रे मशीन खराब होने के विषय के विषय में।

(2) **श्री शिवसिंह रावत**—पार्वती बांध तहसील बसेड़ी के प्रभावित गांवों के लिए आवागमन की समस्या।

(3) **श्री हीरालाल आर्य**—पीपल्दा

(श्री अध्यक्ष)

क्षेत्र के सूसनी नामक स्थान पर सीपेज का पानी भर जाने के विषय में।

अब मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं वे अपनी बात दो-दो मिनट में सदन में कह सकेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्न सूची में सम्मिलित प्रश्न का उत्तर

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अब मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : मुझे पहले बैठने दीजिए आराम से, उसके बाद में।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। पाइन्ट आॅफ आॅर्डर पर पाइन्ट आफ आॅर्डर नहीं आता है।

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : आप जब खड़े होते हैं बोलने के लिए, मैं कभी भी खड़ा नहीं हुआ। मैं बार-बार हाथ उठा रहा था लेकिन आपने देखा नहीं, इसलिए मैं खड़ा हुआ। इसमें यदि आपको आपत्ति है....

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था रहती है इसलिए शायद मैं नहीं देख पाया। अब आप फरमायें।

श्री राज बहादुर : जो भी आपने कहा मेरे लिए, जितना उपहास उड़ाया गया, मुझे उसकी चिंता नहीं लेकिन जिस प्रकार से सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है उसके सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है। रूल्स आफ प्रोसिजर में नियम है कि सवाल सम्बोधित कर दिया गया है तो अनिवार्य रूप से जवाब देना होगा मंत्री को।

"Notice of a question shall be given in writing to the Secretary and shall specify the official designation to the Minister to whom it is addressed."

अगर एड्रेस हुआ है, गलत ही हुआ है तो सैक्रेटेरियट को ठीक कराना चाहिये था और गलत नहीं था तो उसका जवाब देना ही था। उसकी अवहेलना किस प्रकार से की जा सकती है ? एक तो प्रश्न यह है।

दूसरा, एक तारीख को तीन-तीन प्रश्न स्थगित रखे हैं, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं। एक का आन्सर हो, दो का आन्सर नहीं हो उस हालत में क्या होगा ?

तीसरा टीचर्स का सवाल है, जिस पर सारा राज्य कमिटेड है। कितने दिनों में टीचर्स आ जायेंगे, नियुक्ति हो जायगी। इस सवाल का मन्त्री जी जवाब न देंगे तो क्या होगा ? तीनों प्रश्नों पर मैं आपसे सुनना चाहता हूं सहानभूतिपूर्वक, शांतिपूर्वक बिना किसी बात के, आपके जो नियम हैं, आप स्वयं उसका तो पालन कीजिए। जब एड्रेस कर दिया क्वेश्चन एक मिनिस्टर को, अगर गलत किया है तो ठीक कर दिया जाय, अगर ठीक नहीं हो पाया है तो कोई बहाना नहीं होना चाहिये जिसके आधार पर स्थगित किया जाय। यह प्रश्न जरूरी था, तारांकित था,

(श्री राजबहादुर)

मैं संकेत कर रहा हूं, बहुत इम्पॉर्टेन्ट क्वेश्चन था। छिपाने की कोशिश की जा रही है. यह मेरा आरोप है।

श्री अध्यक्ष : आपका एतराज है कि मन्त्री, जिसको एड्रेस हुआ....

श्री राज बहादुर : उसको जवाब देना ही चाहिये। अगर हमने गलत एड्रेस किया तो सैक्रेटेरियट से आशा करते हैं, गाइडेंस चाहते हैं कि उसको ठीक कर दें, या हमें बता दें ताकि हम ठीक कर दें। दूसरा, जो प्रश्न स्थगित हो चुका है-तीन हैं, एक का जवाब आया, दो में जवाब नहीं आया तो मौका ही नहीं रहता....

श्री अध्यक्ष : और तीसरा प्रश्न ?

श्री राजबहादुर : तीसरा प्रश्न आया, बहुत महत्वपूर्ण था कि कितने दिनों में इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ऐसे सवाल का जवाब अगर नहीं आयेगा तो फिर किस आशा से हम सवाल करें। यह बहुत ही गलत है।

श्री यदुनाथ सिंह : आपकी व्यवस्था है कि पौने 12 बजे स्थगित प्रश्न पुकारे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि एक व्यवस्था का प्रश्न भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा उसी से सम्बन्धित है। मेरा पहले है उससे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न टॉप-प्रायोरिटी का प्रश्न होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस सम्बन्ध में सप्लीमेण्ट करना है आपको।

श्री अध्यक्ष : वह अगर मेरी समझ में आ गया हो तो मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि अन्य माननीय सदस्यों को पूछूं। अगर मेरी समझ में नहीं आवे तो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में आपके पास कोई नये सुझाव हों तो आप मुझे बतावें।

(व्यवधान)

मैं समझ गया। मैं पहले बोल लूं उसके बाद में आप बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरी बात तो सुन लें। मैं इसी से सम्बन्धित बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई. हम पाइन्ट आफ आर्डर भी नहीं उठा सकते। आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं अपना डिसीजन दे रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी सम्मिलित हो जाये तो इसमें क्या परेशानी होगी ? विधान सभा में जो प्रश्न आते हैं, वह आसानी से नहीं आते।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पहले तो हमें दस दिन का नोटिस देना पड़ता है उसके बाद भी....

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि आसानी से प्रश्न नहीं आते हैं। आज आपने आधे घण्टे तक समय खराब किया वह किसके जिम्मे है।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर । मेरी बराबर यह कोशिश रहती है कि समय की बचत की जाय। फिर भी जिन सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन्स की मैं इजाजत देता हूं वही सप्लीमेन्ट्री पूछें। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं वही माननीय सदस्य पूछें। समय की यह सुविधा बहुत थोड़ी होती है। अगर आप इसको निकाल देते हैं तो मेरे लिए इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है····

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत ही मुश्किल से आते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। इसका तरीका है, वह है कि लाटरी से प्रश्नों को निकाला जाता है उसमें वह आये या नहीं भी आये पता नहीं। बड़ी मुश्किल से लाल किताब के अनुसार आने के बाद भी उसका नम्बर आता है या तो वह स्थगित हो जाता है या वह लैप्स हो जाता है। यदा-कदा कोई सवाल पूछा भी जाता है तो उसके मन्त्रीजी यह कह कर टाल देते हैं कि मुझे स्थगित कर समय दिया जाय। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि यदि आपको मन्त्रीजी यह कह दें कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय तो क्या यह चेयर पर पाबन्दी है कि वह इसको स्थगित करें। मेरा मानना है कि जब तक कोई कोजेण्ट रीजन्स नहीं हों जिनाइन रीजन्स नहीं हों, तब तक उस प्रश्न को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये। आज दो प्रश्न स्थगित किये गये। एक तो प्रश्न संख्या 420 किया गया और दूसरा 424 किया गया। अब 420 में स्थगित करने का क्या कारण था ? मन्त्री जी ने बताया कि मैं उत्तर दूंगा किन्तु जो कल मैंने आश्वासन दिया था उसको कम्पेअर करके दूंगा। अब आपने ही आश्वासन दिया वह आश्वासन भी आपका है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ग्राउन्ड जो दिया गया, उससे क्या वह प्रश्न स्थगित होना चाहिए था। मन्त्रीजी यह बात कहते हैं कि अपने विभाग का आश्वासन देख कर जो मैंने दिया उसके आधार पर उत्तर देना चाहता हूं। Can not be a ground for adjournment.

दूसरा 424 का प्रश्न है उस प्रश्न को आप पढ़िये। उसमें साफ लिखा है कि क्या राज्य सरकार ने उदयपुर राजमहल अपने अधिकार में लिए थे ? यदि हां, तो कब एवं किस अधिनियम या संविदा के तहत ? क्या यह सच है कि शासन सचिव, शिक्षा विभाग के आदेश से राजमहल महाराजा को वापस सौंप दिया गया ? यदि हां, तो किन अधिकारों के तहत ? तो शिक्षा विभाग के शासन सचिव ने आश्वासन दिया।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है। कोई कानूनी बात हो तो उसकी आप चर्चा कर दें।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। उसकी चर्चा नहीं करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : Whether it is in the scope of adjcurment ?

श्री अध्यक्ष : It is for the Chair to decide.

श्री भंवरलाल शर्मा : उसी के लिये निवेदन कर रहा हूं To appeal the Chair.

श्री अध्यक्ष : मैंने डिसाइड कर दिया है। उस चर्चा पर मैंने अपना निर्णय दे दिया उसकी यहां पर चर्चा नहीं होगी। आसन के द्वारा निर्णय दिया गया उसके बारे में यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है। यह सामान्य नियम है आप समय लेते हैं, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आप एड-जोर्न करने के लिये ग्राउन्ड तो देखेंगे

श्री अध्यक्ष : ग्राउन्ड देख कर ही मैंने निर्णय दिया। उसके पश्चात् माननीय सदस्य को भी उस समय कोई एतराज नहीं था। आप समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर : कृपया बैठ जावें। आर्डर आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब,यह तो....

श्री अध्यक्ष : बैठ जावें, माननीय सदस्य।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया........

(व्यवधान)

बैठ जावें, माननीय सदस्य। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। बैठ जावें।

व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया है वह तीन बिन्दुओं पर उठाया है। एक तो किसी मन्त्रीजी को कोई प्रश्न सम्बन्धित हो तो उनको उसका उत्तर दिया जाना चाहिये। उत्तर दिया जाना चाहिये यदि उस मन्त्री के विभाग से सम्बन्धित है। इस प्रश्न पर मन्त्रीजी ने हां कहा था लेकिन हो सकता है वह प्रश्न आर्कोलोजिकल डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित था और शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं हो। प्रश्नकर्ता को शायद मालूम नहीं हो और गलती रह गयी हो। मन्त्रीजी ने यह कहा कि इस विभाग से सम्बन्धित मन्त्रीजी उत्तर देंगे, तो मेरे ख्याल से यह उचित कारण है कि इसको स्थगित करने। नहीं तो हम इस प्रश्न को रिजेक्ट भी कर सकते थे। अगर सही मन्त्रीजी को सम्बोधित नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता था। अगर नियम की सभी शर्तों को प्रश्न पूरा करता है तो आम तौर पर हम प्रश्न को एडमिट करने वालों में रखते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। हमको भी यह चाहिये कि प्रश्न ऐसा हो। मैं आपके सुझाव से सहमत हूं, यदि माननीय सदस्य कोई गलत विभाग लिख दें तो उसको ठीक करके उत्तर दे दिया जाना चाहिये। अब मन्त्रीजी के विभागों में इस तरह अगर बंटवारा हो कि प्रश्न किसी अन्य मन्त्री से सम्बन्धित है तो मैं समझता हूं कि उसको स्थगित करना उचित था। वह प्रश्न स्थगित प्रश्नों में आयेगा और उसका उत्तर दिलाया जावेगा।

(श्री अध्यक्ष)

तीसरा आपने कहा स्थगित प्रश्न के बारे में, एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी ने कुछ पदों के रिक्त होने के बारे में कहा था, हां कुछ पद रिक्त हैं। उसके अन्दर बहुत कम प्रतिशत बताया। साथ में यह भी कहा कि वास्तव में कोई गलती के कारण कम प्रतिशत हो तो प्रतिशत को ठीक कर दिया जावेगा। अब हो सकता है, किसी पदोन्नति के कारण ऐसा हो गया या किसी के स्थानान्तरण के कारण ऐसा हो गया या कोई सेवा निवृत्ति के कारण हो गया या कोई बीमारी के कारण गैरहाजिर रहा हो तो मन्त्रीजी ने यह कहा कि सभी परिस्थितियों पर विचार करके रिक्त स्थानों को भरने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि इससे अधिक मन्त्रीजी क्या कहते। मन्त्रीजी पूरे राजस्थान के बारे में उत्तर दे सकते हो, ऐसी बात नहीं हो सकती है। फिर भी मन्त्रीजी को मैं कहता हूं कि कमियों को पूरा करने की कोशिश करें। अब सत्र समाप्त होने जा रहा है इसलिये जो रिक्त स्थान हैं उनकी यथा शीघ्र पूर्ति करनी चाहिये।

तीसरी बात स्थगित प्रश्नों के बारे में कही कि आज चार प्रश्न स्थगित थे उसमें से केवल एक ही प्रश्न आ सका। आप देखिये कि आज की सूची में काफी प्रश्न थे, 35 प्रश्न थे उनमें से चार स्थगित प्रश्न थे। तो इस प्रकार चार वह प्रश्न और जो 31 नये सिरे से आये वह अलग माननीय सदस्य सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रश्नकाल के अन्दर कोई अन्य प्रश्न नहीं किया जा सकता है। मैंने बार-बार माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया पर आधा घण्टे का समय एक विषय, जिसकी कि मैंने अनुमति नहीं दी थी और जो सदन में विचाराधीन विषय नहीं था, मैं चल गया। मैं माननीय सदस्यों को हमेशा ही निवेदन करता रहता हूं कि समय की बचत करनी चाहिये। समय की बचत हो सकती है इसकी दो शर्तें हैं उनका पालन करें। पहली बात विषय वह उठाया जाये जिसकी मैं अनुमति देता हूं, उस पर ही चर्चा हो और वही माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा लें या सदन में बोलें जिनको मैं बोलने की अनुमति दूं। अगर इन दो नियमों का पालन हो जाये तो अधिक प्रश्नों पर चर्चा हो सकती है। पर मनचाहे विषय पर माननीय सदस्य बोलना शुरू कर दें तो मैं क्या कर सकता हूं। कठोरता से नियमों की पालना करूं और बार-बार मैं आपसे कहूं तो अच्छा भी नहीं लगता। आप सभी सम्माननीय सदस्य हैं। यदि आवेश में आकर मैं आपका नाम पुकारूं या आपसे मैं निवेदन करूं कि आप बैठ जावे तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे बहुत जोर से कहना पड़ता है। आप सभी बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं ऐसी सूरत पैदा नहीं होनी चाहिये कि मुझको गुस्से में कहना पड़े और आपको कुछ फरमाना पड़े। सभी माननीय सदस्य हैं। मैं आपको बार-बार निवेदन करता हूं इससे अधिक मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूं। मेरी सदैव कोशिश हमेशा यही रहती है अधिक से अधिक काम हो, उसे अच्छे ढंग से सुचारू रूप से निपटा सकें। प्रश्न काल में आने वाले प्रश्नों को स्वयं मैं पढ़कर आता हूं उनके उत्तर भी पढ़ता हूं। प्रथम तो मैं प्रश्नकर्ता को अवसर देता हूं लेकिन बहुत

(श्री अध्यक्ष)

से माननीय सदस्य यह सोचें कि गंगा बह रही है उसमें अपन सभी हाथ धोलें और उस विषय पर अपने सुझाव दें तो यह अल्पकाल में सम्भव नहीं होता है। जहां तक कम प्रश्न के महत्व का सवाल है सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। स्थगित प्रश्न के लिये आम तौर पर पीछे के दस मिनट या कभी आठ मिनट होते हैं, कभी दो चार मिनट इधर उधर होते हैं। समय कम होने के कारण सवाल बच जाते हैं। जैसे कोई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है तो उस बारे में हमारी व्यवस्था की हुई है। यदि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो आप मेरे ध्यान में उस प्रश्न को अलग से ले आइये। हमारे यहां नियमों में कई तरह के प्रावधान हैं जिनके माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हो सकती है। किन्हीं माननीय सदस्यों के पहले भी यदि कोई प्रश्नकाल में छूट गये हों और मैंने यह पाया कि इन प्रश्नों के बारे में चर्चा हो ऐसी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए तो अलग-अलग माध्यमों से भी लाये हैं। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि क्योंकि माननीय सदस्य एक प्रश्न को उठाना चाहते हैं तो उनको जब चाहें उठाने की इजाजत दे दी जाये। यह हमारे नियमों के अनुसार और हमारी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार सम्भव नहीं हो सकता।

इसलिए जो तीन बिन्दु पर आपने पाइन्ट आफ आर्डर या व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, वास्तव में इनमें नियमों का हनन नहीं है। आपने बहुत ही व्यावहारिक और उपयोगी सुझाव दिये हैं। तो आपने जो सुझाव दिये हैं उनका मैं सदैव पालन करने की कोशिश करता हूं, उनका ध्यान रखता हूं और आगे भी रखूंगा लेकिन क्योंकि इसमें नियमों का उल्लघंन नहीं होता है इसलिए मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त करता हूं।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री अध्यक्ष : महिला को प्राथमिकता देंगे।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है और आपने मुझे बैठा दिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सम्माननीय विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपने हमें बहुत तरह से समझाने की कोशिश की। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि हम लोग इस आर्गूमेंट से कन्विन्स्ड नहीं हैं। आप क्या इस बात से, माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्री नहीं करते कि अगर किसी अन्य मन्त्री महोदय को सम्बोधित करके गलत तरीके से कोई सवाल उठाया भी गया तो क्या सरकार की यह जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी नहीं है कि लिस्ट में रखने से पहले वह उपयुक्त विभाग को शिफ्ट कर दे प्रश्नों को ?

श्री अध्यक्ष : वह उत्तर देंगे । यही कहा है कि संबंधित मन्त्री उत्तर देंगे ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन तीन बार टास कर दें क्वेश्चन को एक ही प्रश्न को तीन तीन बार एक दूसरे मन्त्री को दे दें । अध्यक्ष महोदय, कला और संस्कृति विभाग के बारे में अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह दूसरे मन्त्री का है....

श्री अध्यक्ष : अब आप समय ले रही हैं । फिर बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न रह जायेंगे ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे तो यह बता दें कि यह मेरा पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है क्या ? समय तो लगेगा ही....

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि कोई पाइन्ट आफ आर्डर है ।...पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्या ।

श्रीमती विद्या पाठक : शिक्षा, कला और संस्कृति आज भी माग संख्या 24 पर लगे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : उसके दूसरे मन्त्री हैं, वह उत्तर दे देंगे ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें समस्या नहीं है यह । समस्या तो यह है कि क्वेश्चन को बार बार टास किया जाता है....

श्री अध्यक्ष : जब से विधान सभा बनी है प्रश्न स्थगित होते रहे हैं । यह कोई नयी बात नहीं है । आप कोई भी प्रक्रिया या प्रोसिडिंग्स हाउस की उठाकर देख लीजिए उसमें है........

श्रीमती विद्या पाठक : पर, माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या । मैंने बात सुनली है । आपके सुझाव का मैं ध्यान रखूंगा ।

श्री नाथूसिंह । समय की बचत करें । पाइन्ट आफ आर्डर अभी आया नहीं है मेरे सामने कोई कारगर पाइन्ट आफ आर्डर.....

श्री नाथूसिंह(बांदीकुई) : हां, कारगर । अध्यक्ष महोदय, हमारे रूल्स आफ बिजनेस का रूल 34 है । अध्यक्ष महोदय, वह बहुत लम्बा है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने से पहले अध्ययन कर लिया करें तो समय की बहुत बचत हो जायेगी । मुझे बांधे रखने के लिए तो आप किताब रखते हैं और अपने आप पर किताब से कोई अंकुश रखने की कोई कोशिश करते नहीं........

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जैसा कहेंगे, जैसी व्यवस्था करेंगे हम मानेंगे....

श्री अध्यक्ष : मैं कहूं जैसा करें तो सारा काम ही निपट जाये ।

श्री नाथूसिंह : मेरा प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो तो आप बीच में कह दें ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सूची बनती है, रूल 34 एण्ड 37 इन दोनों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सूची बनाते समय दो बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो कन्सर्न्ड मिनिस्टर, जिसको संबोधित किया जाता है, का दिन नियत करते हैं, सदन में विशेष दिन फलां फलां मंत्री जवाब देंगे। फिर प्रश्न की ग्राह्यता में आता है या नहीं, यह आप देखते हैं। इन दो बातों का ध्यान रखकर आप उस प्रश्न को प्रश्न सूची में छापते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न सूची में प्रश्न आ जाता है उसके पश्चात् सदन में उसका जवाब नहीं मिले तो यह दो रूल्स बने हुए हैं 34 एण्ड 37, इन दोनों का उल्लंघन है। सदन का समय बचाने के लिए पैसा बचाने के लिए, माननीय मंत्री महोदय दोनों की सुविधा के लिए....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आपका पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री नाथूसिंह : हां, इसलिए इसमें आ चुका है....

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर तो नहीं है लेकिन आपने जो व्यावहारिक सुझाव दिये हैं उनका ध्यान रखा जायेगा।

श्री नाथूसिंह :.... या तो रिजेक्ट किया जाये....

श्री अध्यक्ष : इस तरह से नहीं होता। चार पाइन्ट आफ आर्डर आये हैं। एक भी पाइन्ट आफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आता। इसलिए कृपया ध्यान रखें पाइन्ट आफ आर्डर ही हो।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : पहले पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है........

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पहले पाइंट आफ आर्डर मैंने रेज किया था। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रति आपकी क्रूरता है........

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं। आर्डर प्लीज, जो मेरी आई कैच कर लें उनको कहा जाता है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न जिस विभाग से सम्बन्धित नहीं होता है उसको दूसरे विभाग को स्थानान्तरित या ट्रांसफर करने की व्यवस्था यह सैक्रेटेरियट करता है या फिर विभाग करता है। तो मन्त्री महोदय ने, अध्यक्ष महोदय, यह कहा है कि यह प्रश्न मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उस प्रश्न का उत्तर यह तो माना नहीं जा सकता। दूसरे, पुरातत्व विभाग का प्रश्न था। जो शिक्षा विभाग का प्रतिवेदन आ चुका है उसमें पुरातत्व विभाग शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है। तो यह कैसे माना जा सकता है कि पुरातत्व विभाग अलग विभाग है? यह तो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है....

श्री अध्यक्ष : सिंचाई के अन्दर राजस्थान नहर भी आती है, भाखड़ा भी आता है, छोटी सिंचाई भी आती है लेकिन राजस्थान नहर के मन्त्री दूसरे हैं और सिंचाई

(श्री अध्यक्ष)

विभाग के दूसरे हैं। तो यह आन्तरिक व्यवस्था है। मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन किया कि आइन्दा हमारे सैक्रेटेरियट में भी हम सतर्कता वरतेंगे। अगर नाम माननीय सदस्य गलत मन्त्री का लिख देते हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब स्थगित हुआ है....

श्री यदुनार्थसिंह : दूसरी बात और कहता हूं। यह शिक्षा नीति से सबंधित है। शिक्षा नीति का निर्धारण तो शिक्षा मन्त्री जी करेंगे, पंचायत मन्त्री तो करेंगे नहीं। तो शिक्षा नीति सम्बन्धी है कि अध्यापक नहीं हैं, इसका उत्तर तो उन्हीं को देना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कुमारी पुष्पा जी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहने से पहले आपसे क्षमा याचना चाहूंगी। मेरी भावना को समझ कर आप मेरी बात सुनें। अध्यक्ष महोदय, ड्यूरिंग दी क्वेश्चन आवर मन्त्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह आर्कोलोजी से सम्बन्धित है लिहाजा शिक्षा विभाग इसका जवाब आज नहीं दे पायेगा। तो सिर्फ यह मैंने कहना चाहा कि आर्कोलोजी भी शिक्षा विभाग में आता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। आपने कहा कि आपको कमेन्ट्री की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे वडा खेद हुआ यह सुनकर। हो सकता है उसके बदले में मैंने भी कुछ कहा है। अध्यक्ष महोदय, हम विरोधी दल में बैठे हुए लोग हैं हमारी रक्षा के माध्यम सिर्फ आप ही हैं। आसन ही है जो हमारी रक्षा कर सकता है। आसन का रुख जब हम कैच नहीं कर पाते तो विवशता में अपनी बात कहने के लिए बार बार खड़ा होना पड़ता है। हो सकता है आपको विघ्न भी लगता हो, बाधा भी लगती हो लेकिन आप ही यह बताइये कि जब आसन का रुख हमारी तरफ नहीं हो, हम आपकी आई कैच नहीं कर पा रहे हों उस सूरत में खड़े होकर कहने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। तो, अध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था दें कि यदि कोई सही प्रश्न सही वक्त पर उठाया गया है और आप यह कहें कि कमेन्ट्री की आवश्यकता नहीं है तो मुझे लगता है आपकी यह भावना नहीं होगी लेकिन हमें बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता है। हम सही बात कहना चाहते हैं, आपकी नजर में लाना चाहते हैं, सरकार को तवज्जोह में लाना चाहते हैं यह कहकर कि आपकी कमेन्ट्री की आवश्यकता नहीं है, हमें बैठाना चाहते है तो, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था सिर्फ मैं आपसे चाहती हूं कि हम कोने में बैठे हुए हैं, यह सिटिंग अरेन्जमेन्ट तो विधान सभा का है। जिसके हिस्से में सीट कोने में आयेगी वह कोने में बैठेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तवज्जोह नहीं दिला सकें, हम आपका रुख नहीं पा सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने बात कह दी। आप थोड़ी देर बाद फरमायेंगी कि समय हो गया और हमारे विषय रह गये। चर्चा का विषय नहीं है, माननीय सदस्य,....

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आसन पैरों पर है। समय की बचत करें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है। ऐसा है कि माननीय सदस्या ने एक बात कही कि मैंने कहा कमेन्ट्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। यह मैं मानता हूं लेकिन आप मेरी भी स्थिति को जानती हैं। मैं अकेला और माननीय सदस्य काफी बड़ी संख्या में। मैं निवेदन करता रहूं कि एक एक बोलें तो मैं सुनता रहूं उस वक्त के माहौल में निकल गया होगा। मेरा यह मतलब नहीं था कि आपकी कमेन्ट्री या आपके भाषण को हम सुनना नहीं चाहते। हम बहुत पसन्द करते हैं। माननीय सदस्य जो कोई भी अच्छे सुझाव देते हैं तो उसके बारे में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मेरे लिये तो सौभाग्य की बात मानता हूं कि अच्छे अच्छे सुझाव सदन में आयें। काफी समय हो गया है, अब कृपया इस चर्चा को नहीं समाप्त कर दी जाय। जो माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

पौन घंटे के समय में आप जानते हैं, कोई बिजनेस नहीं हुआ है व्यर्थ समय गया है....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : किस विषय पर, पहले मुझे विषय बता दें, वेरी आयोग के बारे में ? विषय क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विषय यही है कि अगली बार यह प्रश्न पुरातत्व विभाग के नाम से टल नहीं जाय....।

श्री अध्यक्ष : मैं टलने नहीं दूंगा, इसका उत्तर दिलवाऊंगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी . मैं एक जानकारी आपसे चाहता हूं....।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि पुरातत्व में मंत्री अलग है या राज्य मंत्री भी अलग हो गये ?

श्री अध्यक्ष : चूंकि अब यह विवाद आ गया है तो मैं मालूम करके अर्ज कर दूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरों के पास कौन कौन से विभाग हैं यह राज्य सरकार ने असेम्बली सैक्रेटेरियट को भेजा है। आपके सैक्रेटेरियट ने सदन के हर एक माननीय सदस्यों को सूचित किया है--पहले फरवरी के महीने में और अब जो प्रश्न के दिन बदले गये 5 मार्च को सभी माननीय सदस्यों को भी सूचना दी है।

(व्यवधान)

जो सूचना दी है, उसी के लिये बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह विवाद का विषय है ही कहां ? मैंने कहा न, इसका उत्तर दिलवायेंगे ।

(व्यवधान)

मैं इस पर चर्चा नहीं होने दूंगा ।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : स्वतन्त्र चार्ज है, उनके पास में ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर....।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रहने दें, अब, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा । यह विचारणीय विषय नहीं है, इसलिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । जिन माननीय सदस्यों के नाम मैं पुकारू वे अगर बोलना चाहें....

(व्यवधान)

मनचाहे विषय पर इजाजत नही दूंगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : शिक्षा मन्त्रालय से....।

श्री अध्यक्ष : यह विवाद का विषय नहीं होगा ।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज, समय जा रहा है ।

श्री मोहन लाल मोदी ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वेतन ग्रायोग का प्रश्न बहुत गम्भीर....।

श्री यदुनाथ सिंह : बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं, यह सूचना कब तक ग्रा जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अब अति हो रही है....।

श्री भंवरलाल शर्मा : अति कौनसी ?

श्री अध्यक्ष : अति यह हो रही है जो विचारणीय विषय हैं, जो ग्राज चर्चा में ग्राने चाहिये, उन पर तो चर्चा हो नहीं रही है । बेरी ग्रायोग पर किसी न किसी तरीके से समय बितायें । माननीय सदस्य, मुझे नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये बाध्य न करें । अब माननीय सदस्य बिना इजाजत नहीं बोलेंगे, नहीं तो नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी....

(व्यवधान)

ग्रार्डर, ग्रार्डर ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आज तक हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न आता है और आये दिन चला जाता है। विरोधी दल के सभी माननीय सदस्य एक प्रश्न पर बोलते हैं। इस सदन का समय भी बेकार जाता है। इस सदन के नियमों की पालना नहीं होती है। इस सदन की जो कार्यवाही होती है वह भी यूं ही चली जाती है। सवाल यह है कि राजस्थान की तीन करोड़ जनता के भविष्य का प्रश्न है, उसका तो उनको भी ज्ञान नहीं है और हम हमारी बात भी नहीं बता सकते हैं....।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात बिलकुल सही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिराज जाइये।

श्री मोहन लाल मोदी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी, मैं नाम से सम्बोधित करता हूं।

आर्डर, आर्डर। मैंने माननीय सदस्यों को....।

स्थगन प्रस्ताव
आदि पर चर्चा

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, वह आया नहीं इसलिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अनधिकृत बोल रहे हैं। पहले मुझे कार्यवाही शुरू करने दीजिये उसके बाद....

(व्यवधान)

बैठ जायं।

श्री दाऊदयाल जोशी : डाके पड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : डाके पड़ते रहते हैं, उसका क्या इलाज है।

आर्डर, आर्डर। श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है—सुरेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश सैनी निवासी....।

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें आपस में, माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल मोदी : निवासी छावनी नीम के थाने, जिसकी आयु 10-15 वर्ष थी 8-12-81 को श्री गोकुल चन्द बैद नौकरी दिलाने के बहाने फुसला कर उसको ले गया। 31-1-82 को जब वह गांव में वापस आया तब उससे जानकारी पूछी तो उन्होंने उसका उत्तर दिया उसको नीम के थाने के स्टेशन पर लाकर छोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, नीम के थाने में उसको वापस लाये नहीं हैं। पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। आज तक उस लड़के का पता नहीं है। उस लड़के का कत्ल कर दिया या स्मगलिंग के चक्कर में उस लड़के को फंसा दिया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने आज तक उससे जानकारी नहीं की। उस महाजन से पूछताछ नहीं

(श्री मोहनलाल मोदी)

की, उसको गिरफ्तार नहीं किया है। उसके जिम्मे इस केस को लगाया है। वह उसको ले गया है। उसने उत्तर भी दिया है कि उसको यहां लाकर छोड़ दिया लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसको वापस लाये। यह गरीब सैनी जाति का लड़का है और कम आयु का लड़का है। उसके इस तरह लापता होने से वहां बहुत बड़ा असन्तोष है। पुलिस बिलकुल निष्क्रिय है। कोई कार्यवाही इस पर कर नहीं रही है। वह व्यक्ति यहां आया हुआ है जो सिरोही का रहने वाला है। अभी दो–चार दिन में वह अपने गांव वापस चला जायगा फिर उसकी पूछताछ के बिना पता नहीं लगेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की आये दिन वहां घटनायें हो रही हैं। कई लड़के लापता हो गये उस क्षेत्र में। नौकरी दिलाने के बहाने उसको ले गये। पता नहीं स्मगलिंग का धन्धा करवाते हैं या किस तरह का कोई धन्धा करवाते हैं। पता नहीं लग पाता है। मैं निवेदन करूं, पुलिस में जब इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज हो गई तो उसको गिरफ्तार नहीं करने, पूछताछ नहीं करने से बहुत बड़ा असन्तोष फैल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस मामले में उस व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करवायें और उसका पता लगवायें, उसका मर्डर हो गया, एक्सीडेन्ट हो गया या स्मगलिंग में फंस गया, किसी ने कत्ल कर दिया उसकी जानकारी होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भंवर लाल जी ने जो बात कही, किसी मंत्री ने सुनने की कोशिश की ?

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं पुकारा। आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री राजबहादुर : व्यवस्था का प्रश्न उठता है, जो कुछ हम कहते हैं, उसका नोटिस नहीं लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : यदि सरकार चाहे तो किसी विषय पर अपना मत व्यक्त कर सकती है। ऐसा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है जो यहां प्रश्न उठेंगे उनका उत्तर देंगे। यदि आसन व्यवस्था दे देता है कि सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जायेगा उस अवस्था में वक्तव्य दिया जाता है....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : प्रभारी मन्त्रीजी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठे होंगे, प्रभारी मन्त्री जी, आवश्यक नहीं है।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है....।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था....।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में उठकर बाधा उपस्थित कर रही हैं, माननीय सदस्या। मैं नाम सिलसिलेवार पुकार लूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : आपने पुकारा नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठ जायं। मैं बाद में सुनूंगा, पहले नहीं। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। मेरे स्थगन प्रस्ताव में अकाल से सम्बन्धित दो घटनाओं का जिक्र किया गया था लेकिन हैडिंग बताते हुए एक ही घटना का जिक्र किया गया है। बड़े दुख का विषय है, आज राजस्थान के अधिकतर जिले अकाल से ग्रस्त हैं फिर भी अकाल राहत कार्य खोले नहीं जा रहे हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है। पेट भर भोजन मिलना मुश्किल हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो स्पेसिफिक जिलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान दिलाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में लोग कैर और खेजड़ी दो पेड़ होते हैं, इनकी छाल को सुखा रहे हैं, सुखाकर पीस रहे हैं, पीसकर बाजरे के आटे में मिला रहे हैं और उसकी रोटी खा रहे हैं। यह स्थिति इसलिए हो गयी है....

(व्यवधान)

वही बताना चाहता हूं कि उनकी क्रय शक्ति खत्म हो गयी है, वे अनाज खरीदने की स्थिति में नहीं है। उनके बच्चों के पेट निश्चित रूप से पूरे नहीं भर सकते। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जिला परिषद् की मीटिंग में नागौर तहसील के प्रधान आये श्री हरी राम बागड़िया और ग्राम अलाय के सरपंच श्री मोहन राम, उन्होंने बताया कि गुडा की ढाणियां और अलाय के पश्चिमी क्षेत्र के गांवों के लोग इन दोनों को खोदकर, उनको पीस कर बाजरे के आटे में मिलाकर उनकी रोटियां खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं वह जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं, जिला परिषद की मीटिंग में इस बात की चर्चा आयी है, जिसकी सूचना राज्य सरकार के पास आयी है। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वहां अकाल राहत कार्य खोलने की दृष्टि से राज्य सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बात नहीं है, मैं कहना चाहता हूं जैसलमेर जिले के साथ तो इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है जिसका कुछ कहना नहीं। आज पोकरण की हालत आपसे कहना चाहता हूं। वहां इस प्रकार की स्थिति है, मैं आपको गांवों के नाम बता सकता हूं जिन गांवों में इस प्रकार की स्थिति बनी है। पतरोड़ा गांव, बुर्ज की ढाणी एवं डाकरी, ये गांव ऐसे हैं, जहां दो दो दिन में केवल एक बार रोटी देखने का मौका मिल रहा है। एक कटोरी दलिया

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पकाया जाता है, एक बच्चे को खिलाया जाता है। लोगों की क्रय शक्ति बिलकुल नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र में गया था, जाने के बाद ये चर्चा आ गयी कि कुछ जिले हैं, जिनमें अकाल राहत कार्य हमने लगातार चालू करा रखे हैं। इसका भी नाम लिया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं स्थिति वहां क्या हो गयी है। हालत यह हो गयी–31 अगस्त को

(व्यवधान)

विथड्रा कर लिया, 14 दिसम्बर को और विथड्रा कर ली। दो ए. ई. एन. और 8 ओवरसियर अकाल राहत पर काम करते थे, उनको राज्य सरकार ने विथड्रा कर लिया। कैसे काम लगातार चलता रहा? इस प्रकार के पहले पहले काम खोलने का विचार किया कि हम टैस्ट वर्क खोलेंगे। मैं पोकरण होकर आया हूं, मैं बताना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय को, राजस्व मन्त्री महोदय बैठे हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टैस्ट वर्क वहां खोले गये, खोले गये कैसे, जिनको खोलने के लिए कहा गया कि टैस्ट वर्क लगातार चला रहे हैं, वहां टावरीवाला के आसपास कोई पोपुलेशन नहीं, वहां खोले, भीकमपुर में। भीकमपुर कहां है, जहां राजस्थान नहर निकल रही है। राजस्थान नहर पर मजदूरी ज्यादा मिलती है। वे लोग वहां काम करेंगे, इन टैस्ट वर्क में नहीं आयेंगे। कलेक्टर ने रिपोर्ट दे दी कि टैस्ट वर्क पर नहीं आ रहे हैं इसलिए बन्द कर दिया। पोकरण छोटा नहीं है। पोकरण बड़ा है, और टैस्ट वर्क खोले जा रहे हैं भीकमपुर में, टावरीवाला पर ताकि लोग आयें नहीं। सरकार को रिपोर्ट मिल जाय, इस टैस्ट वर्क पर कोई आने के लिए तैयार नहीं और इस टैस्ट वर्क के बहाने जितने अकाल राहत खोले हैं, वे बन्द हो जायें। सारे बन्द हो गये। पोकरण के लोग भूखे मर गये। दो समय की जगह एक समय भोजन कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं 340 करोड़ का ओवरड्राफ्ट हो गया, 340 करोड़ का घाटा हो गया तो भी अकाल राहत काम को तो मत बन्द होने दो। इस सरकार की हालत क्या हो रही है? ऐसी दिवालिया हालत किसने बनायी है? आपने। केवल वहां पर चार बार बरसात हो गयी। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, बरसात इस तरफ हुई है। वहां नहीं हुई। आज भी क्षेत्र तृप्त नहीं है। मैं शेरगढ़ की चर्चा करना चाहता हूं पिछली बार माननीय मुख्य सचेतक ने जिक्र किया था, वहां की हालत ऐसी है। एक बार जायें तो सही मुख्य सचेतक महोदय जरा और वहां की हालत एवं अकाल राहत कार्य देखें। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं आप भी शिकायत करें। राज्य सरकार से कहना चाहता हूं लोगों के जीवन के साथ मत खेलो। अब पुराना युग नहीं है कि लोग मर जायें, लोग मरने की स्थिति में आ रहे हैं। अगर दो दो दिन में भोजन करेंगे तो बनेगा क्या? एक छोटी सी कटोरी दलिया खायेंगे तो बनेगा क्या? आप व्यवस्था करें। हमें तो अकाल राहत का कोई प्रगति विवरण यहां मिल जायेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, कुछ चर्चा करने के लिए मिलेगा, राज्य सरकार को हम कुछ सुझाव देंगे किन्तु यह सरकार ऐसी है कि अकाल

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

राहत काम खत्ते में डाल दिया है। आप कहते हैं, अकाल राहत कार्य खोल रहे हैं, कोई चिन्ता की बात नहीं है। कहां अकाल राहत कार्य खोल रहे हैं? जहां अकाल है, वहां सरकार की क्या तैयारी है। ढिंढोरा पीटा जा रहा है। भगवान ने कृपा कर दी इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं इस विषय को गंभीरता से लें। लोगों के जीवन के साथ न खेलें। यह राजनीति का विषय नहीं है। यह लोगों के जीवन का विषय है। 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट हो गया तो और बढ़ा लेना किन्तु लोगों के जीवन के साथ न खेलकर अकाल राहत खोलने की व्यवस्था करें। जिन दो जिलों की चर्चा की है, जहां के स्पेसिफिक उदाहरण दिये हैं, गांवों के नाम बताये हैं, उनमें कम से कम जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य खोलें। लोगों की जेबों में पैसा आने दें। उनको अनाथ बनाने की स्थिति पैदा न करें। वहां अकाल राहत कार्य खोलें ताकि वे अपने बाल बच्चों का पेट भर सकें। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा, पथ परिवहन निगम के बारे में।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव तो मैंने रिजर्वेशन के बाबत में विशेष तौर से दिया था। पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से माथुर प्रशासन ने शासन भार संभाला है, तब से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों में एक विशेष भय उत्पन्न हो गया है। 1980 के अन्दर सभी दलों की ओर से यह प्रस्ताव पास किया था कि वर्तमान में आरक्षण पद्धति को यथावत रखेंगे और उसे कारगर ढंग से लागू करेंगे लेकिन जब से माथुर साहब का प्रशासन आया है, तब से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में जो व्यक्ति आते हैं, उनको ऐसा महसूस होता जा रहा है कि हमारा धीरे धीरे रिजर्वेशन खतम किया जा रहा है क्योंकि रिजर्वेशन में वर्तमान व्यवस्था में जान बूझकर ढील दी जा रही है। इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष पहाड़ियाजी के शासन के समय शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों ने राज्य के अन्दर बस चेसिस के लिए 5-5 हजार रुपये जमा कराये थे। अध्यक्ष महोदय, उसको सवा साल हो गये हैं, 5-5 हजार रुपये गरीब 8-10 हजार व्यक्तियों ने जमा कराये थे, अब तक जानकारी करने में एक एक आदमी के दो दो हजार खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ पथ परिवहन निगम की तरफ से एक एडवर्टाइजमेन्ट निकाला गया है और नये सिरे से प्राइवेट आदमियों, जन साधारण से एप्लीकेशन्स मांगने के लिए व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में आया है कि एडवर्टाइजमेन्ट के बाद जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनको तो चेसिस दे दी गयी है लेकिन जिनको सवा साल हो गया है उनमें से एक को भी बस चेसिस नहीं दी गई है। इससे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों में बहुत असंतोष व्याप्त है। दूसरी ओर अलवर के अन्दर एक प्राइवेट आइशर डीजल कम्पनी है, उसके द्वारा करीब 25-30 बीघा

(श्री रामकिशोर मीणा)

मीणाओं की जमीन, जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, में बगैर कन्वर्शन कराये, कृषि भूमि में होते हुए भी लगातार कन्स्ट्रक्शन कराया जा रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास तक तो फाइल पहुंची नहीं लेकिन इनके पी. ए. साहब ने वर्बली आदेश दिया और उसको आर. एफ. सी. से लोन मंजूर कर दिया है जब कि मीणाओं की जमीन अभी तक अकृषि भूमि में उद्योगों के पर्पज के लिए रूपान्तरित नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनके आधार पर इन वर्गों के व्यक्तियों को ऐसा महसूस होने लगा है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री रामकिशोर मीणा : दूसरी ओर जो....

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): मेरे पी. ए. ने क्या आदेश दिये हैं ?

श्री रामकिशोर मीणा : डेल पेड़ा गांव है, अलवर में स्थित है....

श्री परसराम मदेरणा : कोई मेरा पी. ए. सक्षम नहीं है इस प्रकार का आदेश देने को, मेरा पी. ए. मेरी अनुमति के बिना कोई दे ही नहीं सकता ।

श्री रामकिशोर मीणा : मेरी जानकारी के अनुसार उसके ऊपर कोई नोटिंग नहीं हुई है लेकिन जिला कलेक्टर, अलवर की देख रेख में वहां पर जो आइशर कम्पनी लिमिटेड है वह बराबर निर्माण करा रही है, कानून की अवहेलना करते हुए वह निर्माण लगातार कराये जा रही है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री रामकिशोर मीणा : धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशी लाल पटवा, श्री भंवर लाल शर्मा, नाथू सिंह, शीशमहल की छत में से ---। एक माननीय सदस्य चुन लें । कौन बोलना चाहेगा ?

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : 5 मिनट का समय दे दें, एक दो मिनट बोल लेगा, एक तीन मिनट बोल लेगा । ये बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष : सभी इतने महत्वपूर्ण होते हैं ।

श्री भंवर लाल शर्मा : आपको हमारे बोलने के बाद समझ में आ जायेगा कि कितना महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नाथू सिंह : मैं वहां गया था, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आमेर में तो सभी जाते हैं ।

श्री नाथू सिंह : मैं आपके सामने....

श्री अध्यक्ष : दो दो मिनट दोनों ही कह लीजिए ।

(श्री अध्यक्ष)

श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बोलने के लिए समय दे दिया है मुझे।

श्री अध्यक्ष : आपका ही नाम पुकारा था मैंने।

श्री भंवरलाल शर्मा : विषय बड़ा गम्भीर है....

श्री अध्यक्ष : यहां तो सभी गम्भीर विषय आते हैं, छोटे विषय तो आते ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आ ही नहीं सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप सब को वयोवृद्ध कहते हैं यह तो जवान टीम है। एक तो दाऊदयालजी को बना दिया, आज भंवरजी को बना दिया।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय हवामहल, गैटोर की छतरी और आमेर के महल की मरम्मत के काम सरकार ने हाथ में लिये हैं। यह अच्छी बात है, इनकी मरम्मत होनी चाहिए लेकिन जो इनका असली रूप है,जो मजबूती, जो सुन्दरता है, आशा तो यह की जाती थी कि मरम्मत के बाद अधिक सुन्दर, अधिक मजबूत होंगे लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से मरम्मत का काम चल रहा है उससे इनकी सुन्दरता घट रही है, इनका जीवन भी घट रहा है। आज राजस्थान में हिन्दुस्तान के ही नहीं विदेशी पर्यटक आते हैं वह आमेर के महल को देखने जाते हैं। वहां आप भी पधारे होंगे। वहां एक महल है जिसको शीशमहल कहते हैं। उसमें इस प्रकार के कांच जड़े गये हैं कि कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा होता है तो उसके कई रूप, कई शक्ल दिखाई देती हैं....

श्री अध्यक्ष : कई रूप में तो अलग-अलग।

श्री भंवर लाल शर्मा : कई संख्याओं में दिखाई देते हैं। काफी संख्या में दिखाई देते हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग अलग रूप दिखते हों तो जितने पक्ष व्यक्ति के हैं सब दिखने लग जायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा तो कह नहीं रहा हूं। उसकी मरम्मत का भी अब उन्होंने ऐसे लोगों को ठेका दे दिया है जो अनस्किल्ड लेबर हैं, अनट्रेंड हैं इस काम के लिए। इससे सबसे बड़ी परेशानी का कारण है वह है एक श्रीमान तंवर जो डिप्टी सैक्रेटरी एजूकेशन हैं वह आज कल इसका चार्ज होल्ड किये हुए हैं। उनको कहा गया कि पांच लाख रुपये आपको इसकी मरम्मत के लिए अलाट किये जाते है। अब यह पांच

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लाख रुपया उन्हें खत्म करना है, चाहे मरम्मत हो या न हो, रिपेयरिंग ठीक हो या नहीं हो, उसका रूप कायम रहे या न रहे, उनको चिन्ता इस बात की है कि यह पांच लाख रुपया इसी मार्च में कैसे खत्म हो। जो ट्रेंड लेवर होता है, स्किल्ड लेवर होता है, वह यह समझते हैं कि हथौड़ा मारना चाहिये या नहीं मारना चाहिए। क्योंकि 25 तारीख को कार्य पूरा करना है, इसलिये मामूली लेवर ले जाकर के भी काम शुरू कर दिया। जो क्यूरेटर हैं वे इस काम को समझते हैं, उनको दक्षता है, ज्ञान है, अनुभव है, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लेबर को लगा कर सत्यानाश करवा रहे हैं, रोक दिया जावे इसको। इस पर श्री तंवर ने उत्तर दिया क्यूरेटर साहब को, जहां तक मेरी जानकारी है, यह मरम्मत का काम हो रहा है यह ठेकेदार की मार्फत हो रहा है, इसमें बड़े बड़े इंजीनियर लगे हुए हैं। आप इस कार्य में व्यवधान मत करिये। आप उनकी मदद कीजिए। वहां पीने के पानी की जलदाय विभाग की तो कोई व्यवस्था नहीं है। पुराने जमाने का वहां एक बड़ा टैंक बना हुआ था। वहां जाने वाले लोग....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस जल का उपयोग करते थे। उस जल का उपयोग भी उस ठेकेदार को काम करने के लिए करने दिया जा रहा है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरी जानकारी यह भी है कि सेंट्रल गवंनमेंट से एक एक्स. ईएन, इंजीनियर आये थे, डिपार्टमेंट के, उन्होंने आकर कहा कि इस प्रकार की मरम्मत से इसका जो वैभव है वह समाप्त हो जावेगा, इसलिए यह काम नहीं किया जावे। उसकी अनदेखी की गई है। विभाग ने एक एक्शन जरूर लिया है, हवामहल में जो मैटीरियल लग रहा था उसकी एण्टी करप्शन को शिकायत हुई, एण्टी करप्शन वहां पर गया और जाकर के उस रद्दी मसाले को पकड़ लिया, वह मैटर अलग है। इसके लिये तो शिक्षा आयुक्त धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन उनको मैं कहूंगा, वह यह कह कर न चलें कि यह मेरा विषय नहीं है जैसा कि मन्त्री महोदय ने कह दिया। आर्कोलोजी और पुरातत्व का उन्हीं के डिपार्टमेंट का काम है। तो जो तत्परता यहां दिखाई वह वहां दिखाकर खत्म करें। वहां इस मरम्मत के कार्य की स्थिति यह बन गई है कि महलों में कई दरारें पड़ गई हैं। उनमें से आसमान दिखने लग गया है ऊपर से, कई छेद हो गए हैं। अगर इसको नहीं रोका गया या एक्सपर्ट नहीं लगाये गए तो आज उसका जो वैभव व स्वरूप है वह समाप्त हो जायेगा। मेरे साथी भाई नाथूसिंहजी माननीय सदस्य हैं वे स्वयं भी मौके पर गये हैं और काफी जानकारी लेकर आए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप गये कि नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं नहीं जा सका। ये उसको जानकरी देंगे।

श्री महाराम चौधरी : क्या महलों की बातें कर रहे हैं आप ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है और गम्भीर इस सेंस में है, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि जो व्यक्ति के जीवन से बन्धी हुई बात हो केवल उसको ही ज्यादा महत्व दूं । आर्थिक स्थिति से अगर हम विचार करें तो आंकड़े मैंने सरकार से मांगे हैं, पत्र आएगा, आंकड़े आयेंगे तो सही स्थिति का पता लगेगा अभी मैं अगर यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी राजस्थान में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आमेर के महलों की वजह से, शीशमहल की वजह से हमको मिलता है । पर्यटक जितने भी आते हैं वह शीशमहल देखने जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, अगर शीशमहल नष्ट हो गया तो एक तरफ तो पर्यटकों का आना बन्द हो जावेगा दूसरी तरफ राजस्थान के इतिहास के साथ, जयपुर के इतिहास के साथ, आमेर के साथ जो इसका सम्बन्ध है वह इतिहास भी खण्डित होगा । मैं कल स्वयं वहां गया, अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा आपको यह सुनकर कि वहां पर प्लास्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, कई जगह सफेदी की कोई आवश्यकता नहीं है । उसकी मरम्मत के नाम पर लेबर ने वहां पर हथौड़ा लेकर छः छः इंच तोड़ा है । सपोर्ट भी लगाये हुए हैं । नीचे से खड़े होकर हम देखते थे तो डर लगता था कि कहीं यह छत नीचे न आ जावे । छत नीचे से ऊपर तक क्रेक हो गई । शीशे निकल निकल कर नीचे गिरे हैं । बीच में शीशमहल है उसको बन्द करके लाइट जलाकर कई शक्लें देखने की बात अभी बता रहे थे, माननीय सदस्य । उसको तो बन्द कर रखा है । ताला लगा रखा है । तो इतना इम्पार्टेंट इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है उस पर अन-स्किल्ड लेबर, जिसे गांवों से बुला कर लगाया है, हथौड़ा मार रहे हैं । ठेकेदार वहां पर खड़ा है । हमने देखा कि एक छत पर तो दो दो फीट की दरारें हो गई हैं । इस स्थिति में उस महल की रक्षा कौन करेगा ? कैसे होगी ? इस स्थिति को वहां के कर्मचारियों ने देखा । वहां के क्यूरेटर ने, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो एक्स-आफिशियो डायरेक्टर हैं डिप्टी सैक्रेटरी शिक्षा विभाग उनको पत्र लिखा कि साहब यह ठेकेदार बदमाशी कर रहा है । यह तोड़ा नहीं जाय, तहस नहस नहीं किया जावे लेकिन उसके बदले उन्होंने जो पत्र लिखा, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि उस पत्र का ज्यादा जिक्र करूं, लेकिन उस पत्र की लैंग्वेज को पढ़कर आपको ताज्जुब होगा । उसमें लिखा है कि आपको दखलन्दाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ठेकेदार का सहयोग कीजिए । इस तरह का पत्र है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है ।

(श्री नाथूसिंह)

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ महल है उन पर जो प्लास्टर किया जा रहा है, आप को कभी समय मिले, कभी सायंकाल उधर आपको पधारने का मौका मिले तो आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, वहां पर बिलकुल प्लास्टर की आवश्यकता नहीं है। किन्तु लाखों रुपयों का ठेका देकर वहां अच्छी दीवार, जो पक्की है, तोड़ तोड़ कर के उसका प्लास्टर हटाया जा रहा है नया प्लास्टर लगाया जा रहा है। उस प्लास्टर का नमूना मैं लाया हूं इसको मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। आप चाहें तो विभाग में भिजवायें, जांच करवायें कि किस तरह की यह मिट्टी उस पर लगाई जा रही है, अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : और जिसको तोड़ा जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो तोड़ा जा रहा है। जो ओरिजिनल प्लास्टर है, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसका मुआयना करें, मैं इसको सदन की मेज पर रख रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : मेज पर रखने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देखेंगे, यह तो तोड़ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आपको ये चीजें सदन के अन्दर ही नहीं लानी चाहिए थी, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, नमूने के तौर पर लाया हूं। यह ओरिजिनल है....

श्री अध्यक्ष : इसके लिए आप मेरे से इजाजत लेते।

श्री नाथूसिंह : मैं इजाजत मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नियमों का ध्यान रखिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इसको तोड़ा जा रहा है जो दो दो ईंच मोटा है....

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें, माननीय सदस्य। आज शिक्षा विभाग की मांग है।

श्री नाथूसिंह : शिक्षा विभाग अलग है। इसका पुरातत्व, आर्कोलोजी से सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह अलग है। मान लीजिए कि इसका सम्बन्ध....

श्री अध्यक्ष : लेकिन वह मांग आज ही है। कटौती प्रस्ताव दिया है आपने? कटौती प्रस्ताव देते तो इस पर चर्चा उस समय कर लेते।

समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। चर्चा नहीं होगी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मामला है। इंजीनियर्स की टोली आयी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह वही ठेकेदार है, जिसको भ्रष्टाचार विभाग ने गलत मैटीरियल लगाने के लिए

(श्री नाथूसिंह)

पकड़ा है। यह फालूत चूना उसके नहीं लगाया जा रहा है, यह इस विभाग के लगाया जा रहा है। इस तरह लाखों रुपया भ्रष्टाचार करके खाया जा रहा है। शीशमहल की छत गिरने लायक हो रही है। अगर वह छत गिर गई, तो शीशमहल का आमेर के महल का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। आज इस मांग पर विचार है, उस वक्त अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री नाथूसिंह : सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस महत्वपूर्ण मामले पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : सभी महत्वपूर्ण हैं। अभी कई और हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, इसको राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेज दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको अस्वीकार कर दिया, इस पर बोलना चाहें तो आप दो मिनट बोल सकते हैं। यह तो नहीं हो सकता कि मैं अस्वीकार करूं, तब आप कहें इसको स्वीकार कीजिये। जब हम स्वीकार कर दें तो आप कहें आज इसको अस्वीकार कर दीजिये। कृपया अपनी बात कह दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पिछली बार जब राज्य में भारी बरसात हुई, उस समय भिन्न भिन्न शहरों के अन्दर काफी नुकसान हुआ था। उस समय राज्य सरकार ने आंकड़े एकत्रित किये थे कि किस किस शहर में कितना कितना नुकसान हुआ। कितनी कितनी अनुदान या सहायता राशि दी जाय। मैं निवेदन कर रहा हूं, जयपुर के बाद सबसे अधिक बरसात सीकर शहर में हुई थी। पचासों आदमियों के आंकड़े भी निकाले गये। वहां पर नुकसान हुआ था करीब 20-30 लाख का, राज्य सरकार की टोली भी गई। वहां जांच की थी। जांच बाद रिपोर्ट आयी कि यहां पर इतना नुकसान हुआ है। उसके बाद बाढ़ सहायता विभाग ने सभी नगरपालिका क्षेत्रों में जहां जहां नुकसान हुआ था कुछ न कुछ सहायता दी थी। अध्यक्ष महोदय, सीकर शहर के लिए तीन लाख रुपये की सहायता तय की गई थी। मेरा दुर्भाग्य कहिये, या सीकर की जनता का दुर्भाग्य कहिये, वह राशि डायरेक्टर लोकल बाडी के यहां पहुंची तो उस राशि को काट दिया गया। मैं निवेदन करूंगा, सब शहरों को, जहां पर बाढ़ से नुकसान हुआ था, कुछ न कुछ सहायता की राशि दी गई। किन्तु सीकर शहर को एक नया पैसा इस सहायता के अन्तर्गत नहीं दिया गया। मैं निवेदन करूं राज्य सरकार का जवाब आये तो लोगों को पता लग जायेगा, किसलिये नहीं दी गई। मैं निवेदन कर रहा हूं, यह भेदभावपूर्ण है। राजनैतिक भेदभाव के कारण किया गया है क्योंकि विरोधी पक्ष का वहां से एल. एम. ए. जीत कर आया है इसलिये राशि नहीं दी गई। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, अगर सरकार से इसका जवाब मंगायेंगे तो निश्चित रूप से जवाब आयेगा कि किस किस के साथ भेदभाव किया गया है। मैं निवेदन कर रहा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हूं, आप इसको राज्य सरकारी जानकारी के लिये भेज दें। इससे पता लग जायेगा। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है। राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेज दें।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसको भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी बात सुन ली।

कृषि विभाग में पदोन्नतियों के बारे में।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गत 24 फरवरी 1982 को मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये आपसे निवेदन किया था कि कृषि विभाग, राजस्थान के अधीन कार्य करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, उनकी पदोन्नति में किस प्रकार अनियमितताएं बरती जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहता हूं, वर्ष 1977 में गवर्नमेंट आफ राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्रुप–1 ने एक आर्डर प्रसारित करके, क्लास सैकण्ड ग्रुप सी के अधिकारियों को क्लास सैकण्ड ग्रुप बी में पदोन्नत किया, जिसमें कुल 12 नाम है। जमना लाल चौबीसा, हरीशचन्द्र शर्मा, शंकरपाल सिंह, जयकुमार जैन। ए एस बीडावट, एस एन वर्मा, रामगोपाल गूजर, राम कुमार सक्सैना, आर सी शर्मा, सुरेन्द्र कुमार और धन्नालाल भाटी।

यह सुरेन्द्र कुमार और धन्नालाल भाटी क्रमशः शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट के हैं। अध्यक्ष महोदय, 1977 में यह प्रमोशन हुआ। 12 अधिकारियों में एक शिड्यूल्ड कास्ट और एक शिड्यूल्ड ट्राइब के अधिकारी को प्रमोशन दिया गया। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, होता क्या है ? 17.11.81 को डी. पी. सी. की बैठक हुई है। इस डी. पी. सी. की बैठक में जो लोग सहायक निदेशक और जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, जिनका प्रमोशन 77 में हो गया, उन लोगों के 29 पद वर्ष 1980 और 9 पद वर्ष 1981 के लिये प्रमोट करने के लिये थे। अध्यक्ष महोदय, प्रमोशन उप निदेशक के पद पर दो तरीके से होता है। सीनियॉरिटी और मेरिट के आधार पर होता है। पहला पद सीनियॉरिटी के आधार पर होता है और दूसरा पद मेरिट के आधार पर। वर्ष 80 के लिये 29 अधिकारियों का प्रमोशन हुआ। जैसा कि अभी प्रश्नकाल में गृह मंत्रीजी ने सदन को अवगत कराया, जोन आफ कंसोडरेशन हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को उपयुक्त सहायता देने के लिये पांच गुणा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जोन आफ कंसोडरेशन, 29 जनवरी, 1981 को जो पहले दो गुणा था, उसको पांच गुणा कर दिया। डी.पी.सी. की बैठक 17 नवम्बर, 81 को अभी हुई। इसमें 29 पद 1980 के और 9 पद 1981 के लिये थे। मेरा आपसे निवेदन है, वरीयता सूची में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो अधिकारी हैं, इस पद पर 1977 में जिनका प्रमोशन हुआ है, उनको वंचित रखा गया है, जो मेरिट में उनके साथ हैं। मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 83 पर श्री सुरेन्द्र लाल और क्रम संख्या 84 पर श्री धन्नालाल भाटी हैं। अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या ? विभाग का यह

(श्री नन्दलाल मीणा)

कहना है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, इनको अनुभव नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो तारीख 12........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर विस्तृत चर्चा न करें। इसको अस्वीकार कर दिया है। अल्प समय में अपनी बात कह दें।

श्री नन्दलाल मीणा : 77 में जिन कर्मचारियों का प्रमोशन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों के साथ किया, उन कर्मचारियों का फरवरी, 82 में प्रमोशन कर दिया परन्तु जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के कर्मचारी थे, उनके लिये यह कहा गया कि उनमें योग्यता और अनुभव नहीं है।मुख्य बात यह है, जोन आफ कंसीडेरेशन को पालना नहीं हुई। सीनियॉरिटी और मेरिट के आधार पर अधिकारियों को लेना था, उसमें, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी अनियमितता यह हुई है कि वर्ष 81 में 9 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना सा है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी अधिकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अल्पकाल में समाप्त करें।

श्री नन्दलाल मीणा : उनमें योग्यता और अनुभव है। परन्तु उनके अलावा दूसरे लोगों को महज इसलिए प्रमोशन दिया गया कि × × × उनके खिलाफ ए. सी. आर. में गलत इंद्राज हुई हैं। जिन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया, जिनकी सीनियॉरिटी की जांच चल रही है, मन्त्री महोदय, उन अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के व्यक्ति मेरिट और सीनियॉरिटी में आते हैं, उन अधिकारियों के प्रमोशन नहीं किये गये। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जोन आफ कंसीडेरेशन की पालना करायी जानी चाहिये। वरिष्ठता के आधार पर जो लोग हैं उनका प्रमोशन होना चाहिये। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी, पिवाई के सम्बन्ध में।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : उसके बाद पिवाई के कुछ गांव और मंजूर हुए हैं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 216 गांव हैं अकाल ग्रस्त, और उनमें हैं 30-40 गांवों के अन्दर तालाबों में अभी तक पानी नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्र के गांवों में एक एक गांव का क्षेत्र बीस बीस पच्चीस पच्चीस वर्ग किलोमीटर में आया हुआ है, उस गांव में दस दस ग्यारह ग्यारह सार्वजनिक

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महाराम चौधरी)

कुएं हैं, उसमें केवल एक में गांव में पिवाई के कुएं को जुता कर और कुछ आर्थिक स ा- यता देकर मेरे स्थगन प्रस्ताव आपके पास प्रस्तुत करने के बाद 10-12 गांवों में व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव और किसी तरीके से करें, 10-12 में और हो जायेगी।

श्री महाराम चौधरी : यों, अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के साथ, मेरा निवेदन है, उन खेड, एकड भाव जैसा व्यवहार हो रहा है। जैसे मेडता तहसील में पिवाई की व्यवस्था हो रही है, वहां पर डेढ़ सौ, 150-150 फीट से गहरे कुएं नहीं हैं। वहां जो पैसा दिया जा रहा है, वह पैसा इतना ही नहीं होगा, जैसी राज्य सरकार की शर्तें हैं। लेकिन नागौर तहसील के जो रेगिस्तानी क्षेत्र के गांव हैं, जहां पर कुओं की गहराई ढाई ढाई सौ, तीन तीन सौ फीट है। एक एक गांव के अन्दर दस ग्यारह ग्यारह कुए हैं। एक गांव में यदि कुए की व्यवस्था करें, दूसरे सार्वजनिक कुए हैं। ज्यादातर काश्तकार और खेती करने वाले आदमी हैं, वह सब बचारे ढाणियों में रहते हैं। गांवों के लिए एक कुएं पर पिवाई की व्यवस्था की जाती है, तो उससे सिर्फ गांव में रहने वाले लोगों का हित होता है बाकी ढाणियों में रहने वाले आदमी महरूम रह जाते हैं। इसलिये मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये बार-बार यह बात कही, मैं तो खुद शर्म करने लग गया....

श्री अध्यक्ष : इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : बार बार पिवाई की बात होती है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो गांव वास्तव में पिवाई के हकदार हैं और ढाणियों में रहने वाले हैं उनके जो सार्वजनिक कुएं हैं, जिन गांवों में वरसात बीज उगाऊ नहीं हुई यानि एक ही वरसात नहीं हुई ऐसे गांवों को कम से कम प्राथमिकता देकर उनमें भी जैसे अभी अकाल राहत मन्त्री महोदय उठ कर खड होकर कहना चाहते हैं कि सांठी का खटोड़ा बिलौका के अन्दर हमने पिवाई की व्यवस्था शुरू कर दी है जब कि, अध्यक्ष महोदय, वहां भी एक भी कुएं में, ढाणियों वाले कुएं में पिवाई की व्यवस्था नहीं की है। इसलिए इस व्यवस्था में आप थोड़ा सा विधान सभा की तरफ से.....

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने मानदण्ड निर्धारित कर रखा है कि जिन गांवों का सार्वजनिक पानी पीने का कुआं 150 फीट से ज्यादा गहरा है वहां पिवाई दी जाती है। आप कह रहे हैं कि 100 और 120 फीट गहरे कुएं हैं, मुझे मालूम नहीं है वहां दी जा रही है। आप मुझे गांवों की लिस्ट दे दीजिये। मैं सैंक्शन दे देता हूं

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उन गांवों की लिस्ट दी है। जहां 150 फीट से ज्यादा गहरे कुएं हैं, उन गांवों की बात कही है।

श्री परसराम मदेरणा : आप छोडिये उस बात को, उनको स्वीकृत किया गया है लेकिन आप कह रहे हैं कि 150 फीट से मेड़ता तहसील में कुओं की गहराई कम है

(श्री परसराम मदेरणा)

वहां पर भी अगर कलेक्टर ने, जिसके विवेक पर हमने छोड़ा था, कोई भी स्वीकृति दी है तो वह हमारे मानदण्ड के अनुसार स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये थी । हम ऐसा मानते हैं कि 150 फीट से नीचे कुओं में रोटेशन सिस्टम से पानी नहीं निकल सकता, उनको पिवाई दी जानी चाहिये । अगर 150 फीट से ऊपर हैं उनको पिवाई देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जिला परिषद् की मीटिंग हुई उसमें नागौर जिले में 55 कुओं को पिवाई की व्यवस्था देने के लिये राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी आई थी तब जिला परिषद् में यह तय करके टाल दिया गया कि हर पंचायत समिति में पांच पांच कुओं को पिवाई की व्यवस्था कर दी जाय । उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था और लिखित लैटर में भी निवेदन किया था कि वास्तव में 150 फीट से ज्यादा गहरे कुएं है या जहां 3–4 या 8 किलोमीटर दूरी तक पानी की व्यवस्था नहीं है उनको पिवाई दी जाय । लेकिन जिस प्रकार से भूर बंटती है उसी तरह से 5–5 कुएं हर पंचायत समिति में बांट दिये । मेड़ता में भी वही पांच कुएं, परबतसर में भी वही पांच कुएं । तो मेरा इसमें निवेदन यह है कि पांच पांच कुए हों तो मेरे को कोई एतराज नहीं है लेकिन जि- गांवों में 5–6 किलोमीटर तक पानी सुलभ नहीं हो रहा है उन गांवों को प्राथमिकता से पिवाई उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध करावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकमार जैन ।

श्री अनंगकुमार जैन (झा पाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले आपसे चेम्बर में मिलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी, कोटा नगर के वार्ड 4 में हत्या के संबध में ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि मैं लगातार पिछले आठ दिनों से कोटा नगर की कानून व्यवस्था, जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है....

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप दो साल से यह कह रहे हैं कि कोटा में व्यवस्था बिगड़ती जा रही है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिलकुल, अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि एस.पी. द्वारा रात रात भर गश्त लगाने के बावजूद कानून-व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है । इससे अहसास होता है कि एस. पी. स्वयं प्रयत्न करते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पुलिस का सारा अमला इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है कि एस. पी. स्वयं द्वारा प्रयास करने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । यह जो मर्डर हुआ है दिन दहाड़े हुआ है । साढ़े सात बजे एक गरीब व्यक्ति दुकान से उठकर जा रहा था, कोई बात हुई हो तो समझ में आये, बेमतलब चाकुओं से उसे गोद डाला, दो घंटे तक लाश पड़ी रही सरे आम । लोगों ने डर के मारे अपनी दुकान बन्द कर दी, घरों के किवाड़ लगा लिये । वह पानी पानी चिल्लाता रहा उसको किसी ने पानी नहीं दिया इस डर के मारे कि कल को हमें

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गवाह बनना पड़ेगा, कल को हमें चाकुओं से गोद न दिया जाय। उस वार्ड के 25 कदम आगे प्राइवेट क्लिनिक था उसमें इन्डोर-आउट डोर हमेशा चलता है। वहां पर डाक्टर मौजूद था, वहां पर भी किसी व्यक्ति ने जाकर सूचना नहीं दी और उसकी इहलीला समाप्त हो गई। मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था कोटा नगर और कोटा जिले में दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज तक गंगानगर का अपराधों के मामले में पहला नम्बर था लेकिन अब गंगानगर में अपराधों में कमी हो रही है और कोटा जिले में रात दिन गुण्डागर्दी चरमसीमा पर पहुंच रही है। माननीय गृह राज्य मंत्री जी विराज नहीं रहे हैं अगर वे होते तो उनसे मैं आपके माध्यम से निवेदन करता। वरिष्ठतम मंत्री परसरामजी मदेरणा साहब बैठे हुए हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके पश्चिमी राजस्थान में चाहे जो कुछ हो रहा हो, आपने अकाल के नाम पर वहां पर भी लूट खसोट मचा रखी है लेकिन कोटा में गुण्डागर्दी चरम सीमा पर है, भगवान के नाम पर उसको रुकवाने में किसी न किसी प्रकार का सहयोग करें। नित्य प्रति ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जा रहा है जब कोटा जिले में मर्डर नहीं हो रहा हो, कोई लूटा नहीं जा रहा हो, डाका नहीं डाला जा रहा हो,....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मरे हुए व्यक्ति के प्रति सरकार थोड़ी तो सहानुभूति रखे, उसके परिवार, को कुछ न कुछ तो अनुदान दे। उसके पांच बच्चे हैं, एक विधवा महिला है, 60 वर्ष का बूढ़ा पिता है और उसके 55 साल की डोकरी होगी। उनका क्या होगा? उसके छोटे-छोटे, नन्हे-नन्हे बच्चों का क्या होगा? इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उसकी कुछ सहायता करें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं वरिष्ठतम मंत्री जी से, राज्य सरकार से अनुदान देने की घोषणा करवावें। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन। हवा सड़क जयपुर में 10-3 को बाबूलाल कुमावत की हत्या के विषय में।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं कि अपराधी पकड़े गये या नहीं?

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर नहीं पकड़े गये तो क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी पकड़े नहीं गये।

सुश्री पुष्पा जैन : तो, अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अध्यक्ष : तत्परता से कार्यवाही कर रही है सरकार। यही उत्तर आया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपको यह विश्वास है कि कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : मुल्जिमों की तलाश कर रहे हैं । यह उत्तर आया है ।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं तो इतना ही चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, अगर आप राज्य सरकार को थोड़ा सा इस मामले में सतर्क कर दें कि जागरुकता से, तत्परता से कार्यवाही करे तो आइन्दा अन्याय, अपराधों में कमी हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : धर्म परिवर्तन के बारे में सूचना ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा रह गया । हमारे पीपल्दा क्षेत्र में सैंकड़ों बीघा जमीन में पानी भर गया । किसान परेशान हो रहे हैं, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है । इजाजत हो बोलने की ।

श्री अध्यक्ष : आपने दो से ज्यादा दिये स्थगन प्रस्ताव, इसलिये अस्वीकार कर दिये गये ।

श्री हीरालाल आर्य : पहला तो यही था । मूव कर दिया, पहले भी यही दिया था, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : हमारे पास जो पहले आ जाय उसी एक को रखते हैं । दो पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य । दो में चर्चा की अनुमति मांगी है ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा क्षेत्र में सूकनी नामक स्थान है उस स्थान से एक साइफन निकला हुआ है ई. बी. सी. के लिये, पानी को चढ़ाने के लिये बनाया गया है । उसके पश्चिम की ओर जो राणोदिया ग्राम है, सीपेज का पानी नालियों में बहकर उन खेतों में आ गया । वहां की सैंकड़ों बीघा जमीन है जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं, जो होता था अब नहीं होता । उसमें चूंकि पानी भर गया, पानी भरने से न तो गेहूं हो रहा है और न पानी को निकालने की सरकार व्यवस्था कर रही है । चंबल परियोजना के अन्तर्गत इस तरह से पानी भर जाता है हमारे, तो उस पानी को निकालने के लिये ड्रेनेज विभाग क्या काम कर रहा है । मेरा आपसे निवेदन है, यह जमीन है, कम से कम सैंकड़ों बीघा जमीन है । कितने ही किसान प्रभावित हैं । पानी भर जाने से किसान कुछ नहीं कर पाते हैं । भूखे मरने की हालत में हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह पानी इतना भर गया है कि झाडोल, डोलीगो नदी, रनोदिया डडवाडा, इटावा चार पांच गांव प्रभावित हो गये हैं । उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया है इसलिये, गांवों की बैलगाडी नहीं निकल पाती है । पैदल लोगों को कपड़े उतार कर निकलना पड़ता है । ऐसी अजीब स्थिति में है । किसानों की रक्षा होनी चाहिये उस क्षेत्र में ड्रेनेज विभाग का काम चल रहा है । उसने साइफन से पूर्व की ओर पानी निकाल दिया है लेकिन पश्चिम की ओर के गांवों में सैंकड़ों बीघा जमीन है, उन किसानों के हित के लिये आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सिंचाई मन्त्री महोदय से कि वे अपने विभाग को आदेश दें और जो पानी भरा हुआ है उसको प्राथमिकता के आधार पर निकाल

(श्री हीरालाल आर्य)

दें। ड्रेनेज विभाग इसको प्राथमिकता पर ले। किसानों ने कई बार निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त ड्रेनेज विभाग वहां काम कर रहा है जहां फसल लहलहा रही है। अच्छी फसल खड़ी है। प्राथमिकता के आधार पर जहां ड्रेन खोदनी चाहिये, वह नहीं खोदी गई है। इसलिये किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मेरा सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन है कि इस पानी को आप निकालें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय कोटा में डाका पड़ गया, कोटा के पास में एक लाख का डाका पड़ा है उसके बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास ऐसा कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य। आप चेम्बर में मिल लें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। कौनसा स्थगन प्रस्ताव ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव रामपुरा में किरण देवी की जो हत्या हुई है, जलने से मृत्यु हुई है उसके बारे में है।

श्री अध्यक्ष : 5–6 इस तरह के केस हैं। इसमें सरकार से वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था कर रहा हूं। इसको भी उसमें सम्मिलित कर दिया गया है। आर्डर आर्डर....

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में जो हत्या हुई है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठ जायें।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था भवानी-मण्डी अस्पताल में एक्सरे मशीन कई वर्षों से खराब है। एक मिनट में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भवानी मण्डी चिकित्सालय में एक्सरे मशीन कई वर्षों से खराब पड़ी है। विधान सभा के पिछले सत्र में इस बारे में सरकार का मैंने ध्यान आकर्षित किया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि एक्सरे मशीन अलाट कर दी है और शीघ्र भिजवा दी जायेगी। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगा और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर एक भी एक्सरे मशीन पहुंची नहीं है। इसके अभाव में जनता को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर एक प्राइवेट एक्सरे मशीन जिसने लग रही है, वह जनता से अंट–शंट पैसा लेता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करूंगा कि एक्सरे मशीन अलाट की है उसकी तुरन्त व्यवस्था करके वहां भिजवावें ताकि जनता को सुविधा उपलब्ध हो सके।

दलीय स्थिति

श्री दीपचन्द द्वारा दल परिवर्तन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सादूलपुर निर्वाचन क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

से निर्वाचित निर्दलीय विधायक श्री दीपचन्द प्रगतिशील विधायक दल में सम्मिलित हो गये हैं।....

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री जयकृष्ण शर्मा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचना

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या पृ.5(8) गृह—7/82 दिनांक 18 फरवरी, 1982 को सदन का मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय आपने कहा था शून्य काल में बेरी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में....

श्री अध्यक्ष : अब कोई विचार नहीं होगा। सुबह आधा घंटा अपन ने विचार कर लिया।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा था........

श्री अध्यक्ष : उस समय शान्ति कायम हो गई थी। कृपया समय की बचत करें। माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

आधे घंटे की चर्चा। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री दाऊदयाल जोशी—कोटा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 1/95, सिचाई मंत्री के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा उठाएंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

आधे घण्टे की चर्चा उठाने की सूचना प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को चर्चा करने का अधिकार

श्री परसराम मदेरणा (सिचाई मंत्री) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

माननीय सदस्य, जो कोटा से आ रहे हैं, वे यह प्रश्न नहीं पूछा है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 49 के अन्तर्गत जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उनको अधिकार है। प्रश्न पूछने वाले दोगोद से आने वाले माननीय सदस्य हैं। इसलिये कोटा से आने वाले माननीय सदस्य को रूल 49 के अन्तर्गत इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे आधे घंटे की चर्चा कर सकें।........

(1.36 म. प.)

(**श्री अहमद बक्श सिंधी**, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इसको पढ़ाना चाहता हूं। उपाध्यक्षम होदय, आप व्यवस्था दें उसके पहले मैं निवेदन करना चहता हूं, जिस रूल 49 का जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया है उसका नम्बर (2) को आप देखें। जो सदस्य कोई विषय उठाना चाहे, वह उस दिन से जिस दिन कि वह

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उस विषय को उठाना चाहता है, तीन दिन पहले सचिव को लिखित सूचना देगा। Any member है। माननीय उपाध्यक्ष, इसीलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है, यद्यपि श्री दाऊदयाल जी है समर्थन में, श्री दाऊदयाल जी कहेंगे, वे भी अपने विचार रखेंगे। वे भी इसमें हैं। इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें।

श्री परसराम मदेरणा : नोटिस के सपोर्ट में दो माननीय सदस्यों के नाम होने चाहिये। या तो आप उठा सकते हैं और आप उठाना चाहेंगे तो वे नहीं उठा सकते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप अपनी व्यवस्था दें। कोई भी सदस्य उठा सकता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके सचिवालय का पत्र है जिसके तहत यह कहा गया है, "निर्देशानुसार आपको सूचित करना है कि सर्व श्री दाऊदयाल जोशी, हीरालाल आर्य, द्वारा दिनांक 23. 2. 1981 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1/95 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री रघुवीरसिंह कौशल, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा की सूचना दी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इस सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि उक्त सूचना स्वीकार कर ली गई है और चर्चा दिनांक 15 मार्च, 1982 को नियत की है। यह पत्र, श्री मन्, मेरे पास आया है। उसके तहत हम चार व्यक्तियों को बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में व्यवस्था दी गई है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। दिनांक 30.9.77 को आधे घंटे की चर्चा पर जब आपत्ति की गई तो आधे घंटे की चर्चा पर आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई। आधे घंटे की चर्चा की स्वीकृति हो गई तो उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल यह है कि तीन आदमियों ने मिल कर, तीन माननीय सदस्यों ने मिल कर एक मुद्दा उठाया है पब्लिक इम्पार्टेन्स का। एक आदमी बोलें या दो बोलें या तीन बोलें, यह मुद्दा है। सवाल यह है। रूल 49 का (2), सब सेक्शन (2) है····

'A member wishing to raise a matter shall give notice in writing to the Secretary three days in advance of the day on which the matter is desired to be raised, and shall briefly specify the points that he wishes to raise-:

तो इसका मतलब है कि एक मेम्बर बोल सकता है। दो या तीन डिस्कशन में भाग ले सकते हैं लेकिन नियमों के अनुसार एक ही आदमी बोलेगा। आप बोलें।

(51)

आधे घंटे की चर्चा
कोटा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कोटा जिले में विद्युतीकरण में जो भेद-भाव किया जा रहा है, योजना के अनुसार जो कार्य पूर्ण होने चाहिए, वह कार्य पूर्ण नहीं किये जा रहे हैं और उस क्षेत्र की जनता को विद्युतीकरण से महरूम करने का प्रयास किया जा रहा है इस विषय पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा।

मूल प्रश्न के दिन भी मैंने चर्चा की थी कि गत तीन वर्षों की जो बात कही गई थी, मंत्री महोदय ने गत तीन वर्षों में एक वर्ष छोड़ दिया था जिस वर्ष में शायद विद्युतीकरण की बहुत सारी योजनायें स्वीकार हो गयी थीं। इसलिये मैंने इसमें यह भी एक मुद्दा उठाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जहां सहरिया जाति के लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, शाहबाद का क्षेत्र गिना जाता है। इस बात को जो माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, कांग्रेस के पक्ष के वे जानते हैं कि शाहबाद पंचायत समिति की जो आर. ई. सी. की स्कीम मंजूर हुई है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन, नयी दिल्ली ने पैसा राज्य सरकार को शाहबाद में विद्युतीकरण के लिये 31/5/79 को सैंक्शन किया। जो योजना बनी थी जो हमारा कान्ट्रेक्ट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन से था जिसके माध्यम से वहां पैसा मुहैया करना चाहते थे उस योजना के अनुसार शाहबाद पंचायत समिति में 1979-80 में 41 गांवों का विद्युतीकरण हमको करना था। 1980-81 में 48 गांवों का विद्युतीकरण करना था। 1981-82, जिसकी कि आज 15 मार्च चल रही है, में 21 गांवों में विद्युतीकरण 31 मार्च तक करना था। इस प्रकार 31 मार्च, 82 तक 110 गांवों में विद्युतीकरण इस पंचायत समिति क्षेत्र में हो जाना चाहिए था। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी तक केवल 12 गांव ही विद्युतीकृत हुए हैं 110 गांवों में जब कि हम विद्युतीकरण के लिये पैसा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन से हमारे कान्ट्रैक्ट के अनुसार लेने की स्थिति में थे। हमें विद्युतीकरण करना चाहिए था 110 गांवों में इस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में परन्तु 12 गांव ही विद्युतीकृत हुए हैं। मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि वर्ष में एक पीली किताब बनती है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी लाल किताब नहीं पीली किताब निकलती है। उस पीली किताब में इस वर्ष में एक भी गांव विद्युतीकृत करने का उल्लेख नहीं है। यानि कि 12 गांव विद्युतीकृत रहने हैं। 110 गांवों में से केवल 12 गांवों को ही विद्युतीकृत रहना है।

एक दूसरे क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा, इटावा जो अनुसूचित जाति का क्षेत्र है इसकी योजना 31/10/79 को सैंक्शन हो गयी। योजना के अनुसार प्रथम वर्ष में 36 गांव, दूसरे वर्ष 38 गांव और इस वर्ष में 30 गांव, इस प्रकार 104 गांवों में विद्युतीकरण 31 मार्च, 1982 तक करना था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय, से कहना चाहूंगा कि 19 गांव केवल

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

विद्युतीकृत हुए हैं और उस पीली किताब में एक भी गांव के इस वर्ष विद्युतीकृत होने की चर्चा नहीं है। लाडपुरा तो नया नया क्षेत्र है वहां से तो हमारे कांग्रेस के मन्त्री भूतपूर्व माननीय विधायक हैं पर कोटा जिले के साथ भेदभाव होता है इसलिये उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। 81–82 में 56 गांवों का विद्युतीकरण होना था लेकिन 56 गांवों में से एक भी गांव अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुआ है। 12 गांवों का टार्गेट है यह सूचना मेरे पास फरवरी तक की है। शायद फरवरी के बाद में एक आध गांव हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। इन 56 गांवों में से एक भी गांव को अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है, विद्युतीकृत होने की स्थिति में भी नहीं है। सांगोद से माननीय सदस्य आते हैं वहां 28 गांव 81–82 में विद्युतीकृत होने थे, स्कीम बनी सांगोद की उसमें 81–82 में 20 गांव विद्युतीकृत होने थे किन्तु 81–82 का आखिर आ गया है, एक भी गांव विद्युतीकृत नहीं हुआ है। 81–82 में इस पीली किताब में एक भी गांव को विद्युतीकृत करने की योजना नहीं है। मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने इसलिए पेश किये कि पता नहीं किस की कुदृष्टि है? मन्त्री महोदय तो नहीं रखते हैं कुदृष्टि क्योंकि पीली किताब उनके कार्यभार सम्भालने से पहले ही बन गयी थी, उन्होंने अखबार में चर्चा की है कि मेरे आने के बाद ही सारी योजनायें बनी हैं। मुझे यह जानकारी है कि यह किताब उनसे पहले ही बन गयी थी, ऊर्जा मन्त्रीजी जो चाहे उत्तर दें लेकिन यह पीली किताब पहले ही बन गयी थी। उनकी कुदृष्टि, जिसका कि मैंने जिक्र किया, के कारण ही ये गांव विद्युतीकृत नहीं हो सके जिनके कहने से आर. ई. सी. की योजनाएं चलती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो स्थिति बनी है कोटा में पावर जनरेट हो रही है, थर्मल पावर प्लाण्ट, एटामिक पावर प्रोजेक्ट बनेगा तो कोटा में बनेगा और हाइडल है तो वह भी वहीं पर है, उसको हम भुगत रहे हैं, हमको सब प्रकार की व्यवस्था करनी होती हैं, इससे पर्यावरण का जो नुकसान होगा उसको भी भुगतेंगे और कोई नहीं भुगतेगा लेकिन फिर हमको क्यों अछूता रखा जा रहा है। जो योजनाएं स्वीकृत हो गयी हैं आपका उसमें कुछ नहीं जा रहा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन नयी दिल्ली से पैसा आ रहा है तो फिर आप भेदभाव की नीति क्यों अपना रहे हैं।

एक और विषय पर मंत्री महोदय से कहना चहता हूं। आप कृपया देखें पैसा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन का है, पैसा देने के लिये वह तैयार है उन्होंने कहीं कहीं पर पहली किश्त भी दे दी है, कहीं कहीं पर दूसरी किश्त भी दे दी है। अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि इटावा में आप 38.581 लाख रुपया ले चुके हैं, और खर्च कितना किया है 18 लाख। बाकी का यह कहां गया? यह आर एस. ई. बी. के जयपुर के दफ्तर से चलकर कोटा पहुंचा या नहीं? यह भी मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे देखें, ये आंकडे तो अपने आप बोलेंगे, यह आपके दिमाग में भी होने चाहिए, आपको भी दिये गये होंगे, मेरी सूचना के अनुसार यह है, इसकी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जरूर जाँच करें। 38 लाख में से 18 लाख इटावा पंचायत समिति में आर. एस. ई. बी. ने दिया था वह पहुंचा या नहीं ? नहीं पहुंचा तो क्या कहीं और लग गया ? अगर आप लाडपुरा में देखेंगे तो 20.652 लाख रुपया आया, दूसरी और प्रथम किश्त में परन्तु उसमें से डेढ़ लाख रुपया खर्च हुआ, यह आपका विभाग कहता है। माननीय मन्त्री महोदय, इस बात की जाँच करायें यह पैसा जो जयपुर से जाना बताया गया है कोटा तक पहुंचा नहीं। और जगह वह डायवर्ट हो गया। यह भी पीली किताब में नहीं लिखा है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, राजस्थान के मन्त्री नहीं हैं उनके यहां पर कुछ गांव विद्युतीकृत किये गये हैं और उनको पीली किताब में नहीं लिखा गया है। माननीय सचेतक महोदय भी चले गये, उनको पता था कि मैं कोट करूंगा वे भी एक विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, जहां भी जो गांव विद्युतीकृत हुए हैं पर वह उस पीली किताब में नहीं हैं। सारा काम आर. एस. ई.बी. द्वारा हुआ है, जिनको विद्युतीकृत किया गया है उनके बारे में शायद जोधपुर वालों को मालूम नहीं है, जयपुर में भी मालूम नहीं है, शायद मन्त्री महोदय को भी मालूम नहीं है कि ये गांव विद्युतीकृत हो गये हैं, धौलपुर वाले हमारे गृह राज्य मन्त्रीजी हैं, मैं तीन मन्त्री महोदय पर आरोप लगा रहा हूं, तीन मन्त्री महोदय के यहां काम हो रहा है, उनके विधान सभा क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया जा रहा है, किन्तु यह पीली किताब में नहीं है। पैसा इनके लिए कहां से स्वीकृत किया गया है, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे जवाब दें। इस बात की घोषणा करें कि सारा काम योजना के अनुसार हुआ है।

अगर यह सारी सूचना अभी नहीं आयी है तो, मन्त्री महोदय मंगाये, इन्क्वायरी करायें। वह कौनसे तत्व हैं, कौनसी साजिश है, कौनसा राजनैतिक दबाव है जिसके कारण एग्जीक्यूटिव्ज के साथ मिलकर पता नहीं किसकी गैर जानकारी में इस प्रकार का विद्युतीकरण हो रहा है। जो पीली किताब में नहीं है, वह हो रहा है। जहां पैसा नहीं दिया जाय, वहां दिया जा रहा है। जिनके नाम से पैसा आ रहा है वहां नहीं लगाकर अमानत में खयानत हो रही है। दिल्ली से तो आ गया, किन्तु गया कहां ?

एक सूचना और मिली है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 51 लाख रुपये दिये हैं, 48 लाख पहुंच गये हैं। 51 में से 48 लाख कहां पहुंचे, इसका किताबों में इन्द्राज नहीं है, 51 में से 48 लाख पहुंचे उसमें कितने गांव विद्युतीकृत हुए ? 110 में से केवल 12 गांव। कहां चला गया रुपया, किस जगह चला गया, सब जगह अव्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोटा जिले कोटा विभाग हाड़ौती के लिये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ने कार्पोरेशन आर.एस.ई.बी.को लिखा था कि इसकी फर्स्ट पोजीशन है ऑल इण्डिया में, 2-3 सालों में यह काम हुए, उस समय इतना काम किया, इतना पैसा खर्च हुआ, योजना बनी उसमें हमको फर्स्ट पोजीशन मिली है। अब वह हमारे लिये यह लिखेंगे कि यह तो अमानत में खयानत करने वाले लोग हैं। पैसा तो ले जाते हैं और डायवर्ट कहीं कर देते

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हैं। मैं कह रहा हूं कि 51 लाख में से 48 लाख की चर्चा की है, लेकिन 110 में से 12 गांव हुए हैं। माननीय मन्त्री महोदय, पैसा वहां पहुंचा नहीं, कहीं और डायवर्ट हुआ, उसका कहीं और उपयोग हुआ, या रेकरिंग एक्सपेन्सेज से लोगों को चुकाने की दृष्टि से सारा हुआ।

एक अन्तिम बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मन्त्री महोदय, इस बात की जानकारी जरूर करें कि हो क्या रहा है? हो यह रहा है, कहां इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ? 1100 से 1500 कर दीजिए, घोषणा कर दीजिये, राज्यपाल महोदय के भाषण, बजट भाषण में चर्चा कर दीजिए। बजट पर चर्चा उन्होंने की नहीं। पिछले अप्रेल, मई में आर.एस.ई.बी. ने लिख दिया कि सब खरीद बन्द कर दो, कुछ भी उगाही मत करो। आज जब टार्गेट पूरा करने की बात आ रही है, तब चर्चा क्या हो रही है? लोगों से कहा जा रहा है कि सामान लाओ, गारन्टी पर पैसा देंगे, पैसा अब नहीं देंगे पैसा बाद में देंगे। कौन ससुरा बैठा है जो देगा। आर्डर तो पैंडिंग हैं। वह नहीं देना चाहते हैं,क्योंकि एडवांस नहीं मिलता। राजस्थान सरकार और आर. एस. ई. बी. घाटे की व्यवस्था में है दिवालिया है, हमारे काम को पूरा नहीं कर सकेगी इसलिए सामान रिलीज नहीं कर रहे हैं। राजस्थान विद्युतीकरण के नाम से सफर कराा चला जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मन्त्री महोदय से, कुछ मुद्दे कोटा विभाग की दृष्टि से मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। अमानत में खयानत पैसे का दुरुपयोग, पैसे का नहीं पहुंचना, पूरे गांवों का विद्युतीकरण नहीं होना, पीली किताब में नहीं लिये, वहां हो जाना, इनकी जानकारी करायेंगे। इन्हीं सब बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जब अपना उत्तर दें, मैंने जो मुद्दे उठाये हैं उनका भी उत्तर दें। हम पर स्नेह प्रेम रखिये, जो आपने शायद रखा नहीं पैसा आया और उपयोग में, काम में आया नहीं, वैसे ही खर्च हुआ यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मंत्री महोदय से जवाब, उसके बाद में आपको....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : हमने जो चाहा था, वह जवाब नहीं आया है....

श्री उपाध्यक्ष आप लोग सवाल उठायेंगे तो उसके ऊपर....

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय ने पिछली बार मेरे प्रश्न के उत्तर में तीन जानकारियां दी थीं कि मैं माननीय सदस्यों को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि एक घंटे के अन्दर चर्चा खत्म होनी है, आपने 15 मिनट ले लिये हैं और अब 15 मिनट बचे हैं, इसी में मिनिस्टर को जवाब देना है, उसके बाद सवाल उठे तो....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो मिनट दे दीजिए....।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा मूल प्रश्न था, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पर जिस दिन हमने यह चार्ज लगाया अपने प्रश्न के उत्तर के बाद कि यह सरकार कोटा जिला अथवा हाडौती के प्रति उपेक्षावृति बरत रही है । 14 पंचायत समितियों में से, मंत्री महोदय ने बड़े गुस्से में आकर कहा, 2 पंचायत समितियों में काम चल रहा है । माननीय सदस्य महानुभाव गलत आरोप लगा रहे हैं । 14 में से 2 । उस समय आपने कहा कि एक पंचायत समिति है सांगोद और दूसरी है सुल्तानपुरा । मेरा निवेदन करना यह है कि सांगोद में वर्ष 79-80 और 80-81 के लिए जो एम.एम. योजना के तहत 15 लाख 37 हजार 79 रुपया आया उसमें से एक पाई भी 80-81 में नहीं लगी, 81-82 में नहीं लगी । उस दिन भी मैंने निवेदन किया था तो माननीय मदेरणा साहब ने कहा था कि सांगोद के कितने गांवों की योजना है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । मैं समझता हूं कि यह सूचना निश्चित रूप से अभी उनके पास आ गयी होगी । इसकी योजना थी, पैसा आया है तो योजना का क्या बना ? 80-81, 81-82 में, माननीय मदेरणा साहब, आपने पूरा हाडौती क्षेत्र घूमा है, हमारे राजस्थान के तत्कालीन मंत्री श्री जुझार सिंह के आधार पर, आपने देखा होगा उजाड और काली सिन्ध ये दो बड़ी नदियां हैं, इनके किनारे किनारे की योजना थी, अगर यह योजना लागू हो जाती तो धरती सोना उगलने लगती, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना में एक पैसा, पाई नहीं लगी । इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है । दूसरे, आपने जानकारी दी थी कि कितने गाँवों को विद्युतीकृत किया गया है, यह सूची मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा । यह आपका आश्वासन है । ये तीनों बातें अगर हमारे पास आ गयी होतीं तो आज की डिबेट में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट हो गये होते । उस दिन आपने यह कहा कि मैं यह देखूंगा कि जो पैसा योजना के लिये स्वीकृत किया गया है वह उसी में खर्च होगा या नहीं, यह सूचना माननीय सदस्यों को भेज दूंगा । मेरा निवेदन यह है कि ये तीनों सूचनायें अब तक हमें नहीं मिलीं । जैसा कि आपने बताया, उसके आधार पर सांगोद की योजना थी, एक दो प्रकार की योजनायें थीं । एक एम. एम. के तहत और एक आर. एम. एस. पी. के तहत । इन दोनों योजनायें पर 19 लाख 54 हजार 67 रुपये 5 साल के अन्दर खर्च होने थे परन्तु वहां कोई योजना नाम की चीज नहीं चल रही है । इसी के साथ सुल्तानपुर के अन्दर 97 हजार 322 रुपये की 5 साल की योजना स्वीकृत हुई थी । मेरा निवेदन यह है कि 51 लाख रुपये में से 25 लाख रुपये केन्द्र सरकार से आपने और आपके विद्युत विभाग ने अब तक प्राप्त कर लिये, इन योजनाओं के लिये । जैसा माननीय ललित किशोर जी ने बताया कि यह सारा पैसा योजनाबद्ध तरीके से मन्त्रियों के क्षेत्रों में जा रहा है । कोटा जिला जो सारे राजस्थान को अन्न देता है, अन्नदाता है । श्रीगंगानगर के बाद राजस्थान में केवल कोटा जिला एकमात्र ऐसा जिला है, जो आज चावल, गेहूं और तिल्ली के मामले में सारे राजस्थान की पूर्ति करता है, उस जिले की सरकार योजनाबद्ध तरीके से उपेक्षा कर रही है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस उपेक्षावृति को समाप्त करें । मैंने निवेदन किया कि जिस प्रकार बिजली की कटौती हुई, पानी

(श्री दाऊदयाल जोशी)

की भी योजनायें कट गई, कल परसों मन्त्री महोदय ने कहा कि दाऊदयाल जी के क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक औषधालय पिछले दो सालों में नही खोला गया है, पानी की टंकियां नहीं, बिजली नहीं तो आखिर हम क्यों रिप्रजेन्ट करते हैं राजस्थान की विधान सभा में ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कह दें कि तुम्हारे यहां कुछ नहीं होगा । हमने कभी भेदभाव नहीं बरता........

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य । आपने दो मिनट की जगह पांच मिनट ले लिये हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, सरकार इस भेदभाव की प्रवृति को समाप्त करके निश्चित रूप से कोटा जिले के लिए उपेक्षावृति छोड़ें वरना इसके परिणाम गम्भीरतम होंगे और किसी भी मन्त्रीको कोटा की धरती पर घुसने नहीं दिया जायेगा । जिस प्रकार पूर्व में मन्त्रियों की दुर्गति हुई उसी प्रकार, उससे भी अधिक होगी । अगर विश्वास नहीं हो तो हरिदेव जी जोशी से पूछ लेना........

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये । सिंचाई मन्त्रीजी ।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, पीपल्दा और सांगोद से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर मैंने 23 फरवरी को दिया था, उससे उत्पन्न तीन मुद्दों पर आज कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की । पहला तो यह कि तीन सालों से कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा 78 और 79 में हुई थी मैंने सदन में माननीय सदस्य के इस प्रश्न के एक भाग के उत्तर में जो सूचना दी, वह केवल 79 और 80 से लेकर 81-82 तक की दी है । मुझे 78-79 से देनी थी, यह बात थी । इस सम्बन्ध में भाग (1) के उत्तर में मैंने उन सभी 11 योजनाओं के सम्बन्ध में कि कौन-कौन से साल के अन्दर स्वीकृति हुई है, यह पढ़कर इस सदन में सुनाया था । इसलिए मैंने कोई बात ऐसी नहीं की । 78-79 में जब कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, जो मेरे वर्दी प्रिडिसिसर थे उस वक्त, कितनी योजनायें स्वीकृत हुई उनका श्रेय लेना चाहते हैं, वह श्रेय मैं छिपाना नहीं चाहता हूं । निश्चित रूप से उन्होंने योजनायें स्वीकृत कराई होंगी और कराना स्वाभाविक भी था । यहां पर यह बात कही, उपाध्यक्ष महोदय, स्वीकृति होने से अभी तक वर्षवार कितने कितने गांवों का विद्युतीकरण होना था और कितने गांवों का हुआ, और दूसरा मुद्दा यह उठाया कि वह धनराशि जो आपने कर्ज के रूप में ली है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उस राशि का उपयोग सही हुआ या नहीं, या अमानत में खयानत कर दी । मैं निवेदन करूंगा, यह बात सही है कि जिन गांवों का योजनाओं के अनुसार फंड प्रोग्राम था वह विद्युतीकरण

(श्री परसराम मदेरणा)

तो नहीं हो सका।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री भंवर लाल शर्मा :ठीक कमेन्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन कुल मिलाकर विद्युतीकरण का जो पैसा मिला है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से इन सभी नो स्कीम्स के लिये, वह कुल राशि पहले दूसरे इन्स्टालमेन्ट को मिलाकर इस तारीख तक अन्ता,में 32 लाख 15 हजार सात सौ मिला है, अभी तक खर्चा हुआ है 50,33,000 बारां स्कीम के लिये 25 लाख एक हजार मिला है, उस पर खर्चा 33,82,000 हुआ है, किशनगढ़ की 7,83,900 की स्कीम है अभी तक जो इन्स्टालमेन्ट मिले है उसमे खर्चा हुआ 79,19,000, सुल्तानपुर के लिए 5108290 मिले है और खर्चा 51 लाख 80 हजार हुआ है, इटावा मे 32,06,520 रुपये मिले है उसके अगेन्स्ट में खर्चा जो हुआ है वह 22 लाख 47 हजार हुआ है। लाडपुरा के अन्दर 20, 6520 मिले है और उसमे खर्चा 2 लाख 32 हजार रुपये हुआ है। सुल्तानपुर में खर्चा नही हुआ, सागोद दाना के अन्दर 614 300 मिला है उसमे 3,50,000खर्चा हुआ, सागोद आर. आर. एम. पी मे 705840 म से 2 लाख 32 हजार रुपया खर्चा हुआ है। पहली और दूसरी किश्त के कुल 2,55,04,250 प्राप्त हुए हैं उसके अगेन्स्ट मे खर्चा हुआ है 2,55,75,-000/रु. जो दोनो किश्त मिले है इन सभी योजनाओं का 3,2,500 रुपया ज्यादा खर्चा हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना है कि अमानत में खयानत कर दी है, यह कतई नहीं हुआ है। अब एक-एक पंचायत समिति के सम्बन्ध में अगर आप चाहें वैसे केवल आपने शाहबाद के बारे में बहुत बात कही, शाहबाद के सम्बन्ध में मैं आंकड़े आपको दे चुका हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इटावा और लाडपुरा का भी दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : शाहबाद के बारे में आंकड़े दे चुका हूं। शाहबाद के ऊपर यह सही है कि गावों का इलेक्ट्रिफिकेशन 12 का हुआ है और कुएं बहुत थोड़े हैं, 5कुओं का अभी तक विद्युतीकरण हुआ। लेकिन सबट्रान्समिशन भी इसी लाइन के अन्दर शामिल है, उस पर खर्चा ज्यादा हुआ है। जब तक ट्रान्समिशन लाइन नहीं होगी, ट्रान्समिशन लाइन का मतलब 31 के. वी. लाइन। 31 के. वी. की कोई लाइन नहीं देंगे और 11 के. वी. की देना चाहते हैं तो विद्युतीकरण में वोल्टेज नीचे रहेगा और ड्रिपिंग होगा जिससे किसानों को बड़ी भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। स्कीम के अन्तर्गत है ट्रान्समिशन लाइन। ट्रान्समिशन लाइन खींचकर उसको सैकण्ड फेज मे लेने की बात है। कुल खर्चा जो है, जितना जो हमें मिला उसमें खर्च कर दिया। मैं आपको बता चुका हूं इसलिए इटावा ट्रान्समिशन में ज्यादा खर्चा हुआ है। ट्रान्समीशन में खर्च ज्यादा हो गया इसलिये अब विद्युतीकरण गांवों में

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई,

(81)

(श्री परसराम मदेरणा)

होना चाहिये या एनर्जाइजेशन वैल्स का नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि गांवा पर खर्चा नहीं हुआ है जहां तक जो स्थिति है वह मैंने आपको बताई। लेकिन शार्टफाल के सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि शार्टफाल क्यों हो रहा है। चाहे आर. ई. सी. स्कीम हो, चाहे आर्डिनरी आर. ई. स्कीम है इसको बोर्ड आरम्भ करता है। पिछली बार भी एक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया सदन में 1977-78 और 78-79 और खास तौर से 78-79 और 79-80 के अन्दर जो योजना के मद के अन्तर्गत प्रावधान था, उस प्रावधान से इलेक्ट्रीफिकेशन का काम गांवों में और कुओं पर कनेक्शन देने का ज्यादा ले लिये, उसकी वजह से डिस्टोरशन हुआ, उस डिस्टोरशन की वजह से जो कुछ संसाधन हमने जुटाने की कोशिश की, जुटाते रहे वह जुटाने के बाद में भी शार्टफाल रह गया। इंग्रर वाइज कितना शार्टफाल हुआ था? जिस वक्त माननीय सदस्य इन सब योजनाओं को देख रहे थे, मैं आपके सामने इसके भी आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना होती है, जो स्वीकृत होकर आती है उसके स्वीकृत होने में और उसके पूरा होने में फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार एक एक इन्स्टालमेन्ट के ऊपर जो नोर्म्स रखे हुए हैं, फिजिकल टार्गेट उसके साथ इतना स्टाक, इतने कुएं और गांव जब तक आप विद्युतीकृत नहीं कर देते हो पहले इन्स्टालमेन्ट का 50%, दूसरा इन्स्टालमेन्ट देने के पहले पूरे के पूरे गांव जो टार्गेट के अनुसार हैं, तो मैं यह निवेदन कर रहा था यह जो डिस्टोरशन प्रारम्भ हो गया, क्योंकि योजना के अन्दर प्रावधान तो है बहुत कम और गांव लें लेते हो ज्यादा यह बात सही है कि आपने जो नार्मल ग्रिड में जितनी स्टेट में आते हैं, उसमें इस बात का श्रेय लेने का प्रयत्न किया, हम ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण कर रहे हैं लेकिन जैसा कि वित्त मन्त्री भाषण में 12 तारीख को यहां उल्लेख कर रहे थे, आपने सबसे बड़ा डिस्टोरशन किया, जो राजस्थान का अहित किया और आपमें जो कांफिडेंस जनता ने रखा था उसकी खयानत की आपने जनरेशन पर पैसा नहीं रखा और ज्यादातर आप एक्सटेंशन पर पैसा लगाते रहे उसकी वजह से आज यह स्थिति है। वह आंकड़े उन्होंने दिये थे मैं उनको रिपिट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा, इस वजह से कोटा के अन्दर भी आर. ई. सी. के अलावा जो काम हाथ में ले लिये गये, बोर्ड के द्वारा उसमें कोटा जिले में पिछले दो साल से 33 के. वी. की लाइन आर. ई. सी. में डाली थी वहां पर ट्रांसफार्मर और दूसरे सब स्टेशन बनाये गये उसमें 26 लाख 6 हजार, आर. ई. सी. में इसलिए कह रहा हूं, मद तो एक ही प्लान के अन्दर चाहे आर. ई. में खर्च करो चाहे आर. ई. सी. खर्च करो पैसा उस काम के लिये मिल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं यह बात मैं खुद कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं आप देखिये 1978-79 के अन्दर जो आपके पास प्रावधान था, उस प्रावधान के मुताबिक आपको 1240 गांव और 1: कुएं लेने चाहिए थे परन्तु उसके अगेंस्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने 2145 गांव और 26720 कुएं लिये। दिखती बात है आप ज्यादा खर्चा करेंगे? आर. ई. और आर. ई. सी. दोनों पर खर्चा करेंगे तो प्लान के अन्दर जो कुछ भी आपके पास साधन हैं, राशि उपलब्ध है वह सीमित है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह उपलब्ध कराइये, मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये मैंने क्या कराई है, आपने कराई है, वह मुझे मालूम है। 1978-79 के अन्दर 13 हजार गांव में 17 करोड़ 15 लाख 40 हजार का प्रावधान था। उस प्रावधान के अनुसार 1300 लोकेलिटी को इलक्ट्रिफाई करने की बात थी और 17 हजार कुओं को सिंचित करने की बात थी, उसके अगेन्स्ट 1300 की जगह 1531 करना पड़ा और 17 हजार की जगह 28 हजार 400 कुओं का प्लान बनाया। जो खर्चा ज्यादा हुआ है इससे आज की स्थिति यह है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। बात नहीं करें।

श्री परसराम मदेरणा : यह फाइनेंशियल इनडिसिप्लीन किया है यानी करे और भुगते कोई और। × × ×

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था 1978-79 के फिगर्स दे रहा था जो आपने खर्चा किया कुल मिलाकर 22 करोड़ रुपये ज्यादा हुआ। 22 करोड़ के अन्दर जो फण्ड आपने क्रियेट किये ए. आर. पी. सी., आर. एम. पी., डी. डी. पी., डी. पी. ए. पी. और चीफ मिनिस्टर फण्ड से भी ले लिया, लेकिन लेने के बाद 17 करोड़ का घाटा रहा और 1979-80 के अन्दर 33 करोड़ का घाटा रहा। लोन वगैरह लेने के बाद नेट डेफिसिट 10 करोड़ का रहा, इसलिए करे सरकार....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न कीजिये, माननीय सदस्य गौर से सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : यह क्यों रहा घाटा? कोटा जिले में वर्ष 1978-79 में माननीय सदस्य ने जैसा कहा, 1979-80 और 1980-81 में 35,33 और 11 गांवों को विद्युतीकरण किया गया और 149,205, 203 का किया वह आर. ई. की योजना नहीं थी आर. एम. पी. की बात नहीं, मैं नान आर. ई. सी. की बात कर रहा हूं। सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत यह काम हाथ में लिया गया, उसकी वजह से 50 लाख 742 हजार रुपये विद्युत पर और लाइनों पर करीबन 34 लाख रुपये के आसपास खर्च किये गये। यह कुएं और विद्युतीकरण पर खर्च हुआ, यह खर्चा योजनाओं पर नहीं था। तो यह डिस्टोर्ट होता चला गया। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है कि अभी तक जो धनराशि हमने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त की है, वह 2 करोड़ 55 लाख 42

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री परसराम मदेरणा)

हजार 500 सौ थी । इसके प्रतिरिक्त कोटा जिले में हम करीब 2 करोड़ 75 लाख खर्च कर चुके हैं. इसलिये इसमें खयानत का प्रश्न ही नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापस में बात न करें ।

श्री परसराम मदेरणा : दीगोद से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो इनकी योजना है सांगोद की मिनिमम नीड की.......

श्री दाऊदयाल जोशी : दो है ग्रार. एम. ग्रौर ग्रार. एम. पी.

श्री परसराम मदेरणा : मैं दो की बात नहीं कर रहा हूं ।

ग्रार. एम. पी. इस योजना में, ग्रभी तक यह सही है, जैसा ग्राप पूछ रहे थे 22 गांव हैं । ग्राप 22 गांवों का विद्युतीकरण करेंगे, ऐसी योजना थी । ग्रापने पूछा इसमें कितने हुए?4 गांवों का विद्युतीकरण हुग्रा । यह कहना कि मैंने यह कह दिया था कि प्रोग्राम मैंने बनाया था, इस बात का मैंने कहीं उल्लेख नहीं किया है । यह ग्राप सभी जानते हैं कि पूरे साल भर का फेज प्रोग्राम बोर्ड बनाता है ग्रपने फण्ड्स को देखते हुए ग्रौर उसके ग्रनुसार फाइनेन्शियल डिसिप्लीन को मेंटेन करते हुए हमें ग्रपने कार्यक्रम को ग्रागे चलाना चाहिए । जिस तरह ग्रापने खर्च तो कुछ नहीं किया ग्रौर गांवों के नम्बर बढ़ा दिये उसके लिये वही जिम्मेदार हैं । डिस्टोर्शन ग्रौर डेफिसिट की वजह से गालियां पड़ती हैं राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर को । इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? वह भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी लीडर की है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप जनरेशन को बिना बढ़ाए ट्रांसमिशन लाइन को स्ट्रेंथन किये बिना यदि इलेक्ट्रिफाई करने के प्रोग्राम को शुरू करने का श्रेय लेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इससे लोगों में बड़ा ग्रसंतोष होने वाला है । इसलिए मैं समझता हूं यह कार्यक्रम टेक्निकल तरीके से पूरा चलाना चाहिए, इसमें टेम्पो मेंटेन करने वाली बात है, जो ग्रापने कही है ग्रापने साधन मेंटेन नहीं किये इसलिये इसका लाभ नहीं रहा । ग्राप कह रहे थे कि हम प्रस्ताव लाये थे, सिंचाई दरें बढ़ाने का, फिर वापस लिया । प्रस्ताव लाते गये ग्रौर वापस लेते रहे ग्रौर राजस्थान को दिवालिया बना दिया, राजस्थान का ग्रोवर ड्राफ्ट 340 करोड़ का कर दिया । मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि जो धनराशि कार्पोरेशन ग्रपनी इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम में देता है ग्रन्त के ग्रन्दर जनता के ग्रन्दर व्यय करते हैं, वह व्यय जहां 32 लाख रुपये का था हमें 50 लाख रुपये का फायदा हुग्रा है, 32 लाख के ग्रन्दर 50 लाख का फायदा । फिर यह कहना कि बोर्ड ने खयानत कर ली है, ठीक नहीं है । एक पंचायत समिति के ग्रन्दर कॉस्ट के एसकालेशन की वजह से ग्रौर दूसरे प्रोग्राम हाथ में लेने की वजह से ग्रगर इतना ज्यादा खर्च हुग्रा है तो उसके लिये बोर्ड ने ग्रलग से लोन नहीं लिया, वह योजना के ग्रन्दर खर्च हो रहा है । इसी तरह बारां

(श्री परसराम मदेरणा)

में 25 लाख की जगह 33 लाख से ऊपर खर्चा हुआ है. यही हालत किशनगंज की रही है। 60 लाख 8 हजार के अगेंस्ट में 82 लाख रुपया खर्च हुआ है, इसी तरह दूसरी जगह वही कम खर्च हुआ है, लेकिन पंचायत समितियों में आर. ई. सी. स्कीम में ज्यादा खर्चा होने की वजह से कोटा जिले में जो टोटल धनराशि एक दो इंस्टालमेंट में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने दी, उसमें हमने 32 हजार 500 रुपये ज्यादा खर्च किये हैं तो जो अगले साल का कार्यक्रम बनेगा, जैसा आप सभी को मालूम है कार्यक्रम अगले साल बनने वाला है पंचायत समितियों के लिये आर. ई. सी. स्कीम है यथासम्भव है। 24 स्कीम ऐसी हैं राजस्थान में, जिनके कार्यक्रम हाथ में नहीं लिये गये और उनमें से सांगोद को बाद में इलेक्ट्रिफाइड किया है। लेकिन·······

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सुल्तानपुरा में एक भी पाई नहीं खर्च की गई ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तेजित न हों। संयम रखें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बोर्ड का पैसा आप खा गये।

(व्यवधान)

श्री रघुबीर सिंह कौशल : बिलकुल खा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप अपने सदस्यों पर कन्ट्रोल नहीं रख सकते।

(व्यवधान)

राजस्थान में कोटा ऐसा जिला है जो सबका पेट भरता है, सबका पालन-पोषण करता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य। मैं अनुमति नहीं देता।

श्री परसराम मदेरणा : कोई नाम लिये बिना मैं यह बात स्पष्ट कर चुका था। मैंने यह बात नहीं की थी कि दो पर काम चल रहा है, मैंने कहा था कि 1979-80 में जो सैंक्शन हुई हैं, उन पर दो में काम चल रहा है, बाकी अन्ता और उसके लिये कहा कि इन पर काम चल रहा है, मैंने छिपाया नहीं और न ही छिपाना चाहता हूँ। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं आगे के लिये जो पैसा हमने लिया है, बोर्ड इसकी व्यवस्था करेगा अपने संसाधनों से जो निगम का पैसा अपना समय पर खर्च नहीं हुआ और फिजिकल टार्गेट्स अचीव आपने नहीं किये तो आगे की किश्त नहीं ले सकेंगे और इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोग्राम को सैटबैक मिलेगा। इसलिये मैंने आज ही सुबह चीफ इंजीनियर को निर्देश

(श्री परसराम मदेरणा)

दिये थे कि यह जो डिस्टोरशन दिख रहा है, ओवर आल राजस्थान के डिस्टोरशन की जिम्मेदारी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य पर है, यह लाइबिलिटी उन्होंने की है, लेकिन उसके अलावा भी जो आज पैसा निगम से आता है पंचायत समिति में आर. ई. सी. की स्कीम को लगाना उससे सम्भव हो........

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय से मैं दो तीन सवाल करना चाहता हूं। एक सवाल तो मैंने तीन मंत्रियों की पीली किताब से बाहर निकल कर विद्युतीकरण की इन्क्वायरी के लिये किया, उस बात पर एक शब्द भी नहीं बोले, वह बताने की कोशिश करें। दूसरी बात ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, समय का ध्यान नहीं रखते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने डिस्टोरशन की चर्चा बड़े जोर से की है। आर. ई. सी. की जब स्कीम बनती है.... .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

सर्वे जब होता है मंत्री, महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस वर्ष में जितने गांव इलेक्ट्रिफाई होने हैं, जो आर. ई. सी. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन, न्यू दिल्ली तय करता है, उन गांवों के हिसाब से लाइन्स का भी पैसा उसमें अंतर्निहित होकर उसी वर्ष स्वीकार करता है। माननीय मंत्री महोदय ने बात बताने की कोशिश की, बड़ी चिकनी चुपड़ी करके बात बताने की कोशिश की। जो पहले गांव इलेक्ट्रिफाई करने थे, वे हुये नहीं। उनकी एल. टी. लाइन थी उन्होंने 33 के. वी. की चर्चा की है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा जो 33 के. वी. की लाइन शाहबाद तक पहुंचाना चाहते हैं वह की या नहीं। 132 के. वी. सांगोद से बारां आई है उसे डाइवर्ट नहीं कर दी? केवल मात्र डिस्टोरशन की बात कहने की कोशिश मत कीजिये। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का सर्वे होकर उस सर्वे के हिसाब से गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन, कुओं का इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइन्स की पूरी व्यवस्था उस वर्ष में होती है, उस वर्ष में वह नहीं हुई। तो निश्चित रूप से प्राइवेट तौर से चर्चा की। आप यह भी बताने की कोशिश करेंगे, आप तीसरी किश्त नहीं ले पाये, दूसरी भी समय पर नहीं ले पाये। इसलिये उस वर्ष में उन गांवों को इलेक्ट्रिफाई नहीं कर पाये। उस वर्ष में उन लाइन्स को पहुंचा नहीं पाये इसलिये प्राइस एसकालेशन आपको दुःख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, यह रीति नीति के कारण है। इसलिये ऐसा कहने की कोशिश मत करिये इसमें सारा सर्वे होता है। मंत्री महोदय, सारे डिस्टोरशन की चर्चा करते हुये मुझ पर भार थोप रहे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं I am not a technical man neither

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

you. ये तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं दिल्ली में और एक्सपर्ट्स बैठे हैं आर. एस. ई. बी. में। उनके इंजीनियर्स मिलकर फिर सर्वे करने जाते हैं उसके बाद वे आकर बताते है कि इस वर्ष इतना पैसा, इतने गांव, इतने कुएं, इतनी एच० टी० लाइन, इतनी एच० टी. लाइन्स, यह होंगी। वह नहीं किया है इसलिये कहना चाहता हूं कि जिस वर्ष में जितने गांव, जितने कुयें, जितनी एच० टी० लाइन्स जितनी बड़ी लाइन्स करने के लिये आर. ई. सी. से पैसा मिला, वह खर्च नहीं हुआ उसका परिणाम लैंग अप है....

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण न कीजिये, समाप्त कीजिये, डाइरेक्ट सवाल कीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एस-कालेशन की जिम्मेदारी मुझ पर आकर खड़ी हो गई है। आधा घंटा, ठीक है, आपने जिस प्रकार से डिस्टार्ट करके मुझ पर जिम्मेदारी की चर्चा की है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न कीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये कहना चाहता हूँ क्या अब भी, आगे भी जिसकी चर्चा हो रही है और जिसमें फिर आपने संसाधनों की बात की है, तो बतायेंगे वित्त मंत्री संसाधन क्या दे रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं प्रदेश को? क्या करेंगे?

मंत्री महोदय जनरेशन से जोड़ गये हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क को, जनरेशन का अलग विषय है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की चर्चा से जनरेशन को मत जोड़िये। उसके लिए अलग पैसा मुहैया कराना पड़ता है, अलग खर्चा करना पड़ता है, अलग साधन जुटाने पड़ते हैं, लगाना पड़ता है। इसलिये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन के माध्यम से जो कोटा की चर्चा आपने की है, आपने गांव पीछे रख दिये, एच. टी. पीछे कर दी है उन्हें करवाने की बात बहुत कहते हैं। तीन मंत्रियों के क्षेत्र में पीली किताब से बाहर निकलकर विद्युतीकरण कराया है। मैंने आरोप लगाया है क्या मंत्री महोदय उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे? मैं एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि मुझ पर चार्ज लगा दिया पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर मैं कहना चाहता हूं न एक्सपर्ट मैं हूं न एक्सपर्ट वह हैं, एक्सपर्ट्स वह हैं जो बैठे हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझ पर आरोप लगाया है। अगर सही है तो जांच कीजिये, कठघरे में खड़ा कीजिये, निकाल कर देखिये। मुझ पर आप थोपेंगे मैं आप पर थोपूंगा। न टेक्निकल एक्सपर्ट आप हैं, न मैं और न कोई है। इस तरह डिस्टार्ट करने की कोशिश मत करिये। एक समय था जब इलेक्ट्रिफिकेशन से इतनी राजस्थान को प्रोग्रेस मिली थी। आप पैसा नहीं मुहैया कर पाये, उपयोग नहीं कर पाये इसका परिणाम है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सवाल करें। आप भाषण न कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है मेरी कान्स्टीट्यूएंसी में आपने पूरी कान्स्टीट्यूएन्सी में 4 गांव बताये ...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कीजिये, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आपको कभी अलाउ नहीं करूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं प्रश्न करता हूं. आप नाराज मत होइये, हुजूर।

श्री उपाध्यक्ष : नाराज नहीं हूं. समय का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हमें जरूर दुख होता है...

श्री उपाध्यक्ष : सब पता है मुझे।

श्री दाऊदयाल जोशी : सुल्तानपुर, पंचायत समिति अन्न उपजाऊ क्षेत्र है, वहां एक पाइप भी नहीं बिछा। कारण क्या है? सांगोद में दो बड़ी नदियां हैं, तीसरी नदी है डाऊ, उजाड़ कालीसिंध। सांगोद का इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिये था कम से कम मगर 4 गांव में क्यों बिजली लगी? दूसरा, मेरा निवेदन है कि कोटा से लगा हुआ रामकिशन का क्षेत्र है जहां पर 22 लाख आपको खर्च करना चाहिये था, हम को तो छोड़ो, हम तो गये, हम तो आपकी दूसरी मां के हैं, हमको दुख होता है. हम जब उस क्षेत्र में जाते हैं. कान्स्टीट्यूएन्सी में जाते हैं, जब कांग्रेस के उम्मीदवार...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सवाल कर रहे हैं या भाषण कर रहे हैं। आप सवाल कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक बात, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। किशनगंज पर बहुत पैसा खर्च किया और उस पर शेम शेम किया। हमने खर्च किया है, हमें गर्व है, फख्र है, किशनगंज शाहबाद स्कीम लागू करके सहरिया पर खर्च किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत किया होगा लेकिन वह बताने का यह मौका नहीं। आप सवाल कीजिये, प्रश्न कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : सहरियां के लिये खर्च किया है, अन्याय नहीं है, गरीब सहरिया जाति के लोग हमेशा उपेक्षित रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य : पश्चिमी राजस्थान में क्या किया?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : पीपल्दा क्षेत्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रथम साल में जो मेरे इलाके में काम होना था…

श्री उपाध्यक्ष : सवाल किया जाय।

श्री हीरालाल आर्य : सवाल ही कर रहा हूं।

उसके लिये वहां मैटीरियल आया, 10-15 जगह खम्भे पड़े हुये थे उन खभों के सामान का उपयोग न करके वहां से उठाकर अन्यत्र ले जा रहे हैं। तो मैं उसके बारे में जानकारी चाहूंगा।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इन्द्रगढ़ नायब तहसील में जहां 19 गांव इलेक्ट्रिफाई होने थे, वे नहीं किये गये हैं। आज वहां पर सैंकड़ों किसानों ने बिजली के कनेक्शन के लिये फार्म भरे हैं, आज दो-दो साल हो गये ? वहां के लोग बेचारे बार बार आफिसों के चक्कर लगाकर परेशान हो गये हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। यहां पर अभी मन्त्री जी ने आंकड़े दिये हैं, लेकिन मेरे यहां तो बिजली के कनेक्शन्स नहीं लगे हैं।

तीसरा मेरा निवेदन यह कि जो 33 के. वी. लाइन और इसके साथ ही दूसरी लाइन अयाना में 11 के. वी. को सैंक्शन हुई थी, उस पर भी बिलकुल ही काम नहीं हुआ है।

चौथा प्रश्न मेरा यह है कि 82-83 में मेरे इलाके के बारे में आपने कुछ भी नहीं फर्माया है तो क्या वहां पर कोई योजना इसमें नहीं है ? ये चारों प्रश्न हैं, जिनका जवाब मन्त्री महोदय देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मन्त्री जी।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल है, केवल एक सवाल, एक पाइन्टेड सवाल है, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि विद्युत।

(व्यवधान)

वितरण के लिये जनता पार्टी के शासन काल में अनावश्यक तरीके से अनाप शनाप खर्चा किया गया यह तो आपने बताया…

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री सूर्यकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूँगा कि उन्होंने जो इस सदन में जानकारी दी है कि जनता शासन में अनाप-शनाप विद्युतीकरण में खर्चा किया गया, उसका बेलेन्स नहीं रखा गया, तो 77-78 में…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी के लिये पूछें। इस प्रकार आपको जानकारी नहीं मिलेगी। आप सवाल करिये।

श्री सूर्यकुमार : सवाल ही कर रहा हूं। सन् 77-78, 78-79 और 79-80 में विद्युत की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना जो विद्युतीकरण किया गया उससे जो आज विद्युत वितरण में अव्यवस्था चल रही है उसकी जिम्मेदारी कहां तक उनकी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

जोशी जी, आप तो पुराने सदस्य हैं आप तो डिसिप्लीन रखिये। आप बहुत पुराने आदमी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब फिर आप शुरू हो गये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कोटा से आये हैं, पीली किताब का उल्लेख कर रहे थे। तीन मन्त्रियों के ऊपर इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने का उन्होंने सुझाव रखा। इन्क्वायरी इस बात की इन्स्टीट्यूट करने की बात कही कि पीली किताब में जो फेज्ड प्रोग्राम है उसमें कोई गांव नहीं था और उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। आपने हजारों कुओं का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया परन्तु आपने न तो पीली किताब का ध्यान रखा और न लाल किताब ध्यान रखा। हम छोटी बातों में नहीं जाते। मैंने आपके ऊपर डिस्टोरशन की जो बात कही वह मैंने कोई दूसरी बात नहीं कही कि आपने अमानत में खयानत कर दी, मेरा कहने का मतलब यह था कि आपने फाइनेन्शियल इनडिसिप्लीन किया था, जो कान्फिडेन्स सदन में आपने इम्पोज किया था, फाइनेन्शियल डिसिप्लीन आपको एक मन्त्री की हैसियत से रखना चाहिये था उस डिसिप्लीन को आपने नहीं रखा। यह बात मैंने कही थी। विद्युतीकरण में पीली किताब की बात आपने कही वह न मैंने बनाई है और न ही आपने बनाई है। पीली किताब के अनुसार कितना कर दिया ? जैसे मुद्दे यहां रखे हैं, जो तथ्य यहां रखे हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी के खिलाफ में इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की जाय।

दूसरी लाइन के बारे में कहा, उसके संबंध में मैं पहले बता चुका हूं कि आर. ई. सी. की स्कीम लाइन बिछाने का खर्चा उसमें सम्मिलित नहीं था। यह तो मिनिमम रिवाइजड नीड्स प्रोग्राम की जो योजना बनी थी, उसमें यह सम्मिलित हुआ था।

दूसरी बात जनरेशन के सम्बन्ध में कही गयी वह यह बात कही गई कि टोटल प्लान में मिलाकर आप कुल कितने कनेक्शन देंगे और इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना खर्चा कर देंगे। तो जो प्रपोर्शन जनरेशन की बात की, वह कम किया और हर साल जनरेशन कम करते चले गये यह आंकड़े फाइनेन्स मिनिस्टर ने सदन में प्रस्तुत कर दिये, मैं उनका अब रिपीटिशन नहीं करना चाहता हूं। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात जरूर [illegible]

(श्री परसराम मदेरणा)

सांगोद और सुल्तानपुर में कम खर्चा किया गया है।

श्री बाऊदयाल जोशी : खर्चा नहीं हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : खर्चा तो हुआ है परन्तु इस साल कम हुआ है। सुल्तानपुर में नहीं हुआ है। सांगोद मे खर्चा हुआ है पर थोड़ा हुआ है। अभी तक चार ही गांव वहां पर इलेक्ट्रिफाई हुए हैं। अन्य आर. ई. सी. स्कीम मे खर्चा हुआ इसलिय कम हुआ है। कुल मिलाकर खर्चा हुआ पर कम हुआ। कोटा की स्कीम के अन्तर्गत बहुत ज्यादा खर्च हो गया। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, सांगोद के बारे में मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि सांगोद में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था उसका कार्यकाल छोटा था। जो कुछ किया जाना चाहिये था वह उसमें नहीं हुआ। मै यह चाहूंगा यह कार्य फंड प्रोग्राम के अन्तर्गत जल्दी से जल्दी से पूरा किया जाना चाहिये।

पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने खम्भों के बारे में बताया कि खम्भें हटा कर ले गये। यह बात सही है पीली किताब के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इस साल इटावा के अन्दर किसी भी प्रोग्राम को हाथ में लेने की बात का उल्लेख नहीं है। जहां तक उल्लेख का प्रश्न है वह तो मापदण्ड के अनुसार होता है, दोहरा मापदण्ड हम नहीं अपना सकते हैं। पीली किताब में नहीं है तो वहां से खम्भे लोग उठाकर ले गये, वह दूसरी पंचायत समिति में ले गये, वह खम्भे वह। कहां हैं अब।

नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह ठीक ही कही कि बिजली उपलब्धता के अनुरूप नहीं मिली डिमान्ड बढ़ती गयी और बढ़ती चले जाने पर जनरेशन कम किया। इस प्रकार जनरेशन, डिमान्ड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप हो गया। इसके लिये अगर कोई जिम्मेदार है तो जनता सरकार है। उस सरकार में भी कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह व्यक्ति जिम्मेदार है कोटा से आने वाले माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप बैठ जाइये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य अंकित न हो।

श्री बाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आर्डर आर्डर।

श्री बाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके से लोग खम्भे उठा कर ले जा रहे हैं। वह अनुसूचित जाति का इलाका है। आप फर्मा रहे हैं कि पीली किताब में नाम नहीं है दूसरी पंचायत समिति में ले गये। यह अन्याय हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : वहां के लोग आन्दोलन करेंगे, लोग खम्भे ले जाने वालों

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)

को मारेंगे आप कोई इसके लिये व्यवस्था करें। हमारा इलाका शिड्यूल्ड कास्ट का है। अनुसूचित जाति के इलाके के लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री हीरालाल आर्य : यह ठीक नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लोग आंदोलन की तैयारी में हैं। खम्भे ले जाने वाले को वह मारेंगे या उनको पकड़ लेंगे। आप उस इलाके के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं इस तरह से पक्षपात नहीं चलने दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात मत कीजिये, माननीय सदस्य। मुझे आपको नाम से सम्बोधित करना पड़ेगा।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बाहर राजस्थान राज्य कर्मचारियों की मांगों के बारे में जुलूस आया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीन सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। आसन पैरों पर है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आपसे तो मुझे यह उम्मीद नहीं थी। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। उनके मुंह में जुबान नहीं है क्या।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति

चर्चा समाप्त हुई। माननीय वित्त मंत्री जी। मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार एवं मतदान।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग 24--शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 अरब 98 करोड़ 19 लाख चार हजार रुपये तक की राशि प्रदान जावे।

(व्यवधान)

मांग संख्या 24 पर कटौती

प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय,

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

1. वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2. सीकर नगर की एक लाख से अधिक की जनसंख्या को देखते हुये खेल स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. श्री कल्याण कालेज सीकर में और अधिक विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. सीकर विधान सभा क्षेत्र की श्याम गढ़ पंचायत के ग्राम भगोआ में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. सीकर विधान सभा की पलासम पंचायत में सैकेन्डरी स्कूल खुल जाने के पश्चात् आज तक वहां पर अध्यापकों की भारी कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

6. सीकर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पचायत गुंगाटा के ग्राम कुशलपुरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

7. सीकर नगर में श्री मारु–गर्ल्स स्कूल जो नया स्कूल खोला जाना था उसके भवन में नया स्कूल न खोलकर पुरानी स्कूल के स्थानांतरण से सीकर की बालिकाओं को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

8. श्री कल्याण कालेज सीकर में भवन, खेल के मैदान तथा अन्य साधनों की कमी पर चर्चा के लिये।

9. सीकर विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय श्यामगढ़ में उच्च प्राथमिक स्कूल (मिडिल स्कूल) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. राजस्थान प्रदेश में महिला विश्व विद्यालय वनस्थली में स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

11. नगरपालिका क्षेत्र के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन नगरपालिकाओं को दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)

12. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

13. वर्ष 1981-82 में विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में एक भी प्राथमिक विद्यालय न खोलने, प्राथमिक को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत न करने एवं उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित न करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

14. उच्च प्राथमिक विद्यालय, लुहार गली, प्रतापगढ़ के सहायक अध्यापकों के तेरह वर्ष से बकाया पड़े स्थिरीकरण के मामले को निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. डूंगरपुर में विधि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

16. राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण, छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ने तथा शिक्षा स्तर में गिरावट आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

17. टौंक जिले में प्राइमरी स्कूलों को मिडिल में तथा मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. जिला टौंक के मेन्दवास के पास मालियों की झोंपड़ियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. टौंक महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिन्दी एवं राजनीति शास्त्र के विषय प्रारम्भ कराने एवं विधि संकाय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

20. विभाग द्वारा निराश्रितों एवं विकलांग बच्चों के लिये निशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. निवाई में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. अरनिया माल सैकन्डरी स्कूल में कमरों की कमी पर चर्चा के लिये।

23. निशुल्क प्राइमरी शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. टौंक शहर की पुराने टौंक सैकन्डरी बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

25. स्कूल खोलने के पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये।

26. स्कूलों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध न कराने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

27. देहाती क्षेत्रों में अध्यापकों को आकर्षित करने के लिये अलग से भत्ता दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. मिडिल स्कूल तक की शिक्षा को पंचायती राज संस्थाओं के अधीन रखने से शिक्षा के स्तर में आने वाली गिरावट पर चर्चा के लिये।

29. शिक्षा संस्थाओं में साल भर अध्यापकों की कमी रहने से छात्रों एवं अभिभावकों में व्याप्त भयंकर असंतोष पर चर्चा के लिये।

30. शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

31. शिक्षा के साधन शहरों और ग्रामों में समान रूप से उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री राम किशोर मीणा)

32. राजस्थानी भाषा को अभी तक राजयभाषा का दर्जा दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

33. शिक्षा स्तर में आ रही गिरावट पर चर्चा के लिये।

34. राज्य में नई शिक्षा नीति की घोषणा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. गत वर्ष नये स्कूल खोलने में सरकार द्वारा बरते गये पक्षपात पर चर्चा के लिये।

37. कन्या पाठशालाओं में अध्यापिकाओं की कमी से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

38. गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदान देने में बरते गये भारी पक्षपात पर चर्चा के लिये।

39. ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के अध्यापकों को वहीं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)

40. तहसील बहरोड़ में बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु नये माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

41. भीलवाड़ा तहसील के वरडोद, दाथल ग्राम में सैकण्डरी स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

42. विभिन्न शालाओं में अध्यापकों के पदस्थापन नहीं होने से अध्यापन कार्य में हुए नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौंमूं)

43. राजस्थान के गांवों में शिक्षा स्तर के लगातार गिरने, अध्यापकों की भारी कमी तथा शहरी एवं ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं में सरकार की भेदभावपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

44. जिला परिषदों पर प्राइमरी शिक्षा का अधिक भार नहीं डाले जाने पर चर्चा के लिये।

45. शिक्षा के सरलीकरण एवं विषयों को घटाना तथा 10+2 की शैली पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

46. शिक्षा विभाग में घोषित स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा किये गये मनमाने स्थानान्तरणों से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री राम किशोर मीणा)

47. गत दिनों अध्यापकों के किये गये अन्धाधुन्ध ट्रान्सफरों से राजकोष को हुई हानि पर चर्चा के लिये।

48. प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की अत्यधिक कमी पर चर्चा के लिये।

49. महिला शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

50. ग्राम सिकराय व माण्डारेज में कन्या माध्यमिक शालाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. ग्राम हींगवा में कन्या शाला की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

52. झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में नये प्राइमरी, मिडिल एवं सैकन्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. झालावाड़ कालेज में नये विषय खोलने एवं गर्ल्स कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

54. राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय मन्नी का बड़ अलवर को क्रमोन्नत कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

55. थाना हाउस स्कूल की जीर्ण शीर्ण स्थिति सुधारने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

56. पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा के समावेश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु चर्चा के लिये।

58. प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

59. निजी शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

60. रेगिस्तानी सीमावर्ती जिलों में दूर दूर रहने वाले अशिक्षित पशुपालकों को शिक्षित करने के लिये विशेष प्रबन्ध करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैंरू लाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

61. उदयपुर क्षेत्र में नये स्कूल खोलने, विद्यालय भवनों का निर्माण कराने तथा अध्यापकों की पूर्ति करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

62. टौंक जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने में सरकार द्वारा भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

63. शिक्षा, कला एवं संस्कृति के उत्थान पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

64. शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई स्थानान्तरण नीति रद्द कराने हेतु चर्चा के लिये।

65. बी. ए. तथा बी. एड. करने वाले अध्यापकों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ देने हेतु चर्चा के लिये।

66. मारवाड़ जंकशन में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

67. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापकों को छात्रवृत्ति देने एवं उन्हें रोजगार दिलाने की निश्चित अवधि निर्धारित करने हेतु चर्चा के लिए।

68. शिक्षा की वर्तमान नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा का मूल उद्देश्य बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

69. गरीब किसानों के छात्रों के लिये छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

70. राजकीय माध्यमिक विद्यालय करवर, माटून्दा व राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय नैनवा में क्रमशः वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. नैनवा पंचायत समिति में 10+2+3 शिक्षा पद्धति अथवा 8+3+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत नैनवा में उच्च शिक्षा हेतु हाई स्कूल को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए।

72. राजकीय माध्यमिक विद्यालय देई जिला बून्दी में साइन्स बायोलोजी का विषय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

73. दासपां उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला में स्टाफ की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी)

74. प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम आठ सैकण्डरी स्कूलों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. बाड़मेर जिले के प्रत्येक ग्राम में एक प्राथमिक पाठशाला तथा ढाणियों के समूहों के बीच एक प्राथमिक पाठशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम हायर सैकण्डरी स्कूल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

77. शिक्षा की दृष्टि से बालोतरा परगना की उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर)

78. शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई)

79. राज्य सरकार शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने (हाथ और हुनर से जोडने) में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (विलाडा)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

80. बिलाडा कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करने से जनता में व्याप्त भारी रोष पर चर्चा के लिये।

श्री माधोवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाडा)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)

81. बालिकाओं का शिक्षा की ओर आकृष्ट न होने से सामाजिक व्यवस्था में असन्तुलन की सम्भावना पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाडा)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

82. छात्रों को वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन वृक्षों की आमदनी का स्कूल के रख रखाव तथा फर्नीचर खरीदने में उपयोग करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

83. बाल विद्या पुत्र कन्या पाठशाला सूरसागर को सरकार के सुपर्द किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

84. जाजीवाल कलां मिडिल स्कूल तथा प्रतापनगर व नाइयों की बगीची, प्राइमरी स्कूल को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. जिला शिक्षा अधिकारी तथा उपनिदेशक, शिक्षा (छात्रा) विभाग, जोधपुर के बीच कार्य का बंटवारा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

86. कला को अधिक प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये।

87. शिक्षा, कला और संस्कृति के उत्थान के लिये प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

88. पंचायत समिति सांचौर में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. सांचौर पंचायत समिति में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. माध्यमिक शालाओं को पंचायत समिति के अन्तर्गत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

91. जिला सवाई माधोपुर में छात्र/छात्राओं की संख्या की अत्यधिकता को दृष्टिगत रखकर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

92. स्कूलों में शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक साज सामान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)

94. ग्राम रायसराना एवं मांढन में नवीन माध्यमिक विद्यालय खोलने तथा ग्राम मांढन को छात्रा विद्यालय एवं ग्राम रायसराना छात्र माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

95. ग्राम तलवाना, बीरनवास एवं बिजोरावास के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

96. कला एवं संस्कृति के उत्थान हेतु विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

97. शिक्षा की दयनीय स्थिति एवं उसके सुधार की व्यापक आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

98. झुंझुनू जिले के गुढ़ा निर्वाचित क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र में पोसाना मैनपुरा, जोधपुरा पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी में महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी में उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

102. बीकानेर जिले की तहसील कोलायत में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश वर्षा ऋतु में रखने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

104. ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. राजस्थान राज्य शैक्षणिक, अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान में हुए गबन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

106. उदयपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के कारण इस संस्था को दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

107. विद्या भवन उदयपुर द्वारा सचालित बी. एड. कालेज में प्रवेश अंकों के प्रतिशत के अनुसार न देकर नियम विरुद्ध प्रवेश दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. उदयपुर नगर की फतह माध्यमिक विद्यालय को हायर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत हेतु चर्चा के लिए।

109. उदयपुर नगर के अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु अपनायी गई दोष पूर्ण नीति पर चर्चा के लिये।

110. उदयपुर शहर के विस्तार को ध्यान में रखकर गोवर्धन विलास क्रीड़ा केन्द्र को अतिशीघ्र विकसित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

111. बांसवाड़ा जिले में जिला विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तावित सैकेंडरी व मिडिल स्कूल नहीं खोले जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

112. बांसवाड़ा जिले में प्रौढ़ शिक्षा के व्यापक प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. जिला बांसवाड़ा तहसील बागीडोरा के करजी. गांव में सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

114. प्राथमिक स्कूलों में पुस्तकें, कापियां तथा स्लेटें छात्रों को मुफ्त उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

115. हायर सैकण्डरी स्कूल, खण्डार में विज्ञान विषय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. हायर सैकण्डरी स्कूल, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में विज्ञान विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. खण्डार विधान सभा क्षेत्र में बोदल, कमोखरी, दौलाड़ा, करमापुर व झाड़ावाग में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. खण्डार विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय बहरोवण कलां, लहसीग एवं पाचोलास को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल)

119. खण्डार विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खिजूरी को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकुंवार बैरवा (फागी)

श्री बालचन्द्र ग्रार्य वीर (डग)

120. चाकसू सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न ग्रसंतोष पर चर्चा के लिये।

121. वर्ष 1981 में खोले जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों मे फागी तहसील को वंचित रखने से उत्पन्न ग्रसन्तोष पर चर्चा के लिये।

122. छोटे ग्रामीण कलाकारों को ग्राज तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाने से उनमें व्याप्त ग्रसंतोष पर चर्चा के लिये।

123. फागी निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल खोलने में सरकार द्वारा भेदभाव बरते जाने पर चर्चा के लिये।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना)

124. सिवाना पंचायत समिति में ग्रध्यापकों की कमी को दूर करने व प्रौढ़ शिक्षा को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

125. गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में डिग्री कालेज खोले जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के छात्रों को ट्रेनिंग देने हेतु एक ग्राई. टी. ग्राई. खोलने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमोन्नत कराने तथा सैकण्डरी स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

128. गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र के गोगुन्दा ग्राम में बालिका स्कूल में भूगोल का विषय ग्रौर खोलने एवं खेलने के लिए ग्राउन्ड बनाने बाबत चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायतों में विद्यार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों में ग्रध्यापकों की संख्या बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शिक्षा के निरन्तर गिरते हुए स्तर से विद्यार्थियों का जीवन ग्रन्धकारमय होने पर चर्चा के लिये।

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़)

131. पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करने तथा शिक्षास्तर में गिरावट को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगनसिंह (बयाना)

132. शिक्षा नीति में ग्रामूलचूल परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

133. शिक्षण संस्थाग्रों की कमी को दूर करने एवं शिक्षा स्तर को बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)

134. उदयपुर विश्वविद्यालय को कृषि कार्यों हेतु कम अनुदान देने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

135. मकराना नगर में डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

136. इटावा में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. इटावा एवं इन्द्रगढ़ में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. मांगरोल, खातोली तथा इन्द्रगढ़ माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. पीपल्दा क्षेत्र के बोरदा एवं माल बमोरी में उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. पीपल्दा क्षेत्र की स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

141. शिक्षकों का वेतन बढ़ाने तथा उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने हेतु उनको दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

143. कोटा में हाड़ौती विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

144. प्राथमिक शिक्षा में अविभक्त इकाई योजना को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. खेलों के गिरते हुए स्तर को ऊंचा उठाये जाने तथा विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. शिक्षा के गिरते स्तर को ऊंचा उठाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भरोसीराम (हिण्डौन)

147. हिण्डौन तहसील के आरेनिया का पुरा-बन्ध का नगल, निसूरीया का

(श्री भरोसी राम)

पुरा, मोतीपुरा में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

148. हिण्डौन तहसील के ग्राम पीपलहेडा-परोदा, झिरना में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

149. हिण्डौन तहसील के ग्राम खरैटा, कोटरी-जटवाड़ा तथा वाजना कलां में सैकण्डरी स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

150. उच्च माध्यमिक विद्यालय सीसवाली एवं माध्यमिक विद्यालय अन्ता (कोटा) में कृषि विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

151. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक व उच्च प्राथमिक शालाओं के अभाव को दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

152. ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा के गिरते जा रहे स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास)

153. शिक्षा एवं कला के उत्थान में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

154. प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के अभाव पर चर्चा के लिये।

155. नई प्राथमिक शालाएं न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

156. शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. कला व संस्कृति के विकास का आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

158. शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने के लिये नये प्रयोग शुरू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

159. माध्यमिक विद्यालय सीमलो (कोटा) में वाणिज्य विषय के अध्यापक की कमी पर चर्चा के लिये।

160. माडा क्षेत्र के ग्राम तिसाया पंचायत समिति अन्ता जिला कोटा में उच्च प्राथमिक शाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

161. सुल्तानपुर एवं कनवास जिला कोटा में हायर सैकण्डरी विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. कोटा डिवीजन में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

163. संस्कृत अध्यापकों के वेतन स्तर में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना)

164. ग्रामीण अंचलों की शालाओं में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु चर्चा के लिये।

165. कस्बा अकलेरा जिला झालावाड़ में माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामधन (लाडनूं)

166. प्राथमिक पाठशालाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)

167. अन्ता पंचायत समिति (जिला कोटा) के ग्राम पंचायत मुख्यालय काचरी में मिडिल स्कूल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदानसिंह राठोड़ (जैतारण)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

168. शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाने बाबत चर्चा के लिये।

169. सन् 1981-82 में नये माध्यमिक स्कूल खोलने के कोई प्रस्ताव न होने के बावजूद भी 4 नये स्कूल खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भालू खां (चूरू)

170. चूरू जिले में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

171. जिला नागौर विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की तोजीना हाई स्कूल में कामर्स विषय खोलने की चर्चा के लिये।

172. जिला नागौर तहसील डीडवाना में विद्यालयों एवं अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

173. जिला नागौर विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में छोटी खाटू स्कूल, बेम्बोर स्कूल, बूंदोली स्कूल आदि में शैक्षणिक स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

174. भीलवाड़ा तहसील में सीदडियास, हा‌सियास, गुवाड़ी, बोरडा आदि में प्राथमिक शालायें खोले जाने तथा भीलवाड़ा नगर में रंगमंच की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़)

175. प्राइमरी शिक्षा हेतु अध्यापकों की भर्ती करने व नये विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

176. जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर द्वारा की गई भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

(104)

(श्रीगुलाब चन्द कटारिया)

177. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पंचायत राज से मुक्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

178. स्थानान्तरणों के कारण शिक्षकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

179. महाराजा आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

180. राजगढ़ (अलवर) हायर सैकण्डरी स्कूल की ईमारत जीर्ण शीर्ण होने से 1500 छात्रों का भविष्य अन्धकारमय होने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

181. पलवा, ढिगावड़ा, घमरेड़, कीलपुरखेड़ा, रामपुरा में उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. राजगढ़ महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

183. कोटा नगर स्थित महात्मा गांधी हायर सैकण्डरी स्कूल, रामपुरा की जीर्ण शीर्ण अवस्था के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु चर्चा के लिये।

184. कोटा नगर स्थित ईसाई मिशनरियों द्वारा सचालित स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

185. राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा खेलों पर ध्यान न दिये जाने एवं खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा का भाव बरते जाने बाबत चर्चा के लिये।

186. संस्कृत अकादमी में चयनित अधिकांश सदस्यों का संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ होने पर भी उनकी नियुक्ति करके संस्कृत भाषा की प्रगति को अवरुद्ध करने बाबत चर्चा के लिये।

187. राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

188. संस्कृत शिक्षा के नाम पर जयपुर नगर में अनेक जाली संस्थाओं को गलत तरीके से अनुदान दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

189. कोटा नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना कराने के बावत चर्चा के लिये।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

190. प्राथमिक शिक्षा को सामुदायिक विकास से पृथक कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा)

191. वर्तमान शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दागोद)

192. शिक्षा को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् से मुक्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

193. महाराजा आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर में व्याप्त भारी अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये।

194. जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर द्वारा परीक्षा व्यवस्था में की गई भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

195. उदयपुर विश्वविद्यालय में काफी अनियमितता होने के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

196. प्राध्यापकों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा)

197. बीस संकल्प के तहत राज्य में नये स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज(जमवारामगढ़)

198. अध्यापकों की कमी से प्राथमिक शिक्षा के हो रहे ह्रास से सम्पूर्ण शिक्षा खोखली हो रही है इसे रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

199. जिला सीकर के खण्डेला व कांवट ग्राम की माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर में प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं के भवनों की कमी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कारगर कदम नहीं उठाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

202. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती ग्राम चौहटन की शिव एवं बाड़मेर की शालाओं में अध्यापकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

203. बीस संकल्प के क्रमांक 2 "बढ़िया शिक्षा" के अन्तर्गत शिक्षा स्तर के सुधार एवं गुणात्मक स्तर को विकसित करने के कार्यक्रम की घोषणा के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिये।

204. टोंक महाविद्यालय में बाहर के छात्रों के लिये छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

206. कुशलगढ़ के हायर सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री फतेसिह)

207. कुशलगढ़ क्षेत्र की सैकण्डरी स्कूलों में नये विषय खोलने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

208. कुशलगढ़ में कालेज खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

209. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के शिक्षकों को आवासीय सुविधा दिलाने हेतु उचित योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

210. सन् 1980-81 में हायर सैकण्डरी स्कूल नाथद्वारा में बोर्ड द्वारा 82 छात्रों की परीक्षा रद्द करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

211. सन् 1981-82 से नाथद्वारा राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर परीक्षा केन्द्र प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. नाथद्वारा की प्रसिद्ध हवेली संगीत को सरकार द्वारा प्रोत्साहन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

213. उदयपुर विश्वविद्यालय में लम्बे समय से रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं किये जाने से इसको दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

214. उदयपुर विश्वविद्यालय में यू. जी. सी. एवं आई. सी. ए. आर. द्वारा स्वीकृत पदों की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं देने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

215. राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालय की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

216. उदयपुर विश्वविद्यालय में बिना साक्षात्कार के प्राध्यापकों (प्रोफेसर, रीडर्स एवं लेक्चरार) को कन्फर्म कर दिये जाने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

217. विद्या भवन टीचर ट्रेनिंग कालेज के प्राचार्य को नियमों के विरुद्ध यू. जी. सी. पे स्केल देने पर दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

218. नियमों के विपरीत रूरल इन्स्टीट्यूट के प्राचार्य को कन्वेन्स एवं ड्यूरेशन भत्ता देने पर संस्था को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

219. खमनोर के गांव मचीन्द की शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए।

220. नाथद्वारा राजकीय महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में भूगर्भ विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. रूरल इन्स्टीट्यूट में वाणिज्य प्राध्यापक के पद पर बिना साक्षात्कार के अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाने से उत्पन्न असन्तोष के कारण दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(श्री सी. पी. जोशी)

222. रूरल इन्स्टीट्यूट के फार्म पर अयोग्य व्यक्ति को इन्चार्ज बनाकर सुविधा देने के कारण दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

223. रूरल इस्टीट्यूट में, जिसकी एड की शर्तों के विपरीत रूरल डवलपमेन्ट एण्ड एक्सटेन्शन विषय को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

224. राज्य सरकार की स्वीकृति के नहीं होने के बाद भी विद्या भवन आर. एस. डी. में दो व्यक्तियों को ऑफिस सुपरिटेन्ड के पद पर पदोन्नति दी जाने के कारण दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

225. विद्या भवन आर. एस. डी में पद नहीं होते हुए भी प्रिन्सिपल की नियुक्ति की जाने से दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

226. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति एवं प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. शिक्षा के स्तर को उन्नत कराने के लिये उच्च प्राथमिक विद्यालय की 8 वीं कक्षा के लिये अलग से बोर्ड बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

228. निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक व कर्मचारियों को पूर्ण वेतन राजकीय कोष से चुकाने की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

229. शारीरिक शिक्षा व उद्योग शिक्षा की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ली जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

230. शिक्षकों की खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

231. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अलग से बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. शालाओं के लिए शिक्षा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

233. विश्वविद्यालय में 5-6 वर्षों से कार्यरत विधि व्याख्याताओं को हटा दिये जाने से दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

234. शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालयों, शिक्षा प्रसार अधिकारियों तथा वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को पूरा नहीं किये जाने की चर्चा के लिये।

235. संस्कृत शिक्षा निदेशालय में सन् 1980-81 एवं 1981-82 में डेढ़ लाख रुपये की खरीद में हुये भ्रष्टाचार की मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्त विभाग द्वारा जांच के उपरान्त सही पाये जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

236. संस्कृत शिक्षा निदेशालय में पिछले तीन सालों में अनावश्यक प्रतिनियुक्तियां करने एवं अधीनस्थ अध्यापकों, कर्मचारियों को निदेशालय में बुलाने पर हुये यात्रा एवं दैनिक भत्ते (टी. ए. डी. ए.) के अपव्यय पर चर्चा के लिये।

237. संस्कृत शिक्षा निदेशालय में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

238. संस्कृत शिक्षा निदेशालय से शिकायतों की जांच, अनियमितताओं व भ्रष्टाचार से सम्बद्ध फाइलों के गायब हो जाने पर चर्चा के लिये।

239. जिला अजमेर में चल रही शालाओं में अध्यापकों के रिक्त स्थान होने से छात्रों की पढ़ाई में हुई हानि पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

240. संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार की उपयोगिता एवं संस्कृत भाषा के नाम पर 1958 से 1981 तक चुनिन्दा लोगों द्वारा की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

241. संस्कृत शिक्षा विभाग में अनियमित खरीद में हुये धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़)

242. नये स्कूल खोलने में अनियमितताएं एवं शिक्षकों के तबादलों में धांधली तथा निजी शिक्षण संस्थाओं को राजकीय सहायता देने में पक्षपात पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)

243. वर्तमान शिक्षा प्रणाली को व्यवसायोन्मुख बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

244. राज्य में संस्कृत शिक्षा के समुचित प्रचार प्रसार के अभाव पर चर्चा के लिये।

245. संस्कृत निदेशक के पद पर अनियमित रूप से तदर्थ नियुक्ति किये जाने पर चर्चा के लिये।

246. संस्कृत निदेशालय द्वारा मार्च 1980 में की गई अनियमित खरीद पर चर्चा के लिये।

247. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय की कक्षाएं प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

248. संस्कृत निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

249. हिन्दी, उर्दू एवं सिन्धी साहित्य एकेडेमी को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

250. शिक्षा विभाग द्वारा बालोपयोगी वृत्तचित्र के बनाने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय अलग से नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

109

(श्रीमती उजला आरोडा)

252. जमवारामगढ़ में महाविद्यालय नहीं खोले जाने से छात्रों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

253. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय आबादी के अनुपात में नहीं खुलवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

254. वर्ष 1980-81 में आयोजित एलएल. बी. की परीक्षाओं का परिणाम अभी तक भी घोषित नहीं किये जाने से राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

255. समय पर परीक्षा नहीं कराये जाने के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

256. जयपुर जिले की ग्रामीण शालाओं में शिक्षकों के अभाव पर चर्चा के लिये।

257. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा पाठ्य पुस्तकों में मुद्रित होने वाली अशुद्धियों के कारण मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

258. नैतिक शिक्षा को अभी भी किसी स्तर पर शिक्षा में सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

259. राज्य में संगीत शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर नहीं होने से उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

260. शिक्षा विभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष के पदोन्नति के अवसर नहीं दिये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

261. माध्यमिक शालाओं में संगीत के शिक्षकों की कमी पर चर्चा के लिये।

262. संगीत नाट्य कला अकादमी द्वारा ध्रुपद के विशेषज्ञ डागर बन्धुओं को कोई प्रोत्साहन न दिये जाने से संगीत नाटक कला अकादमी को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

263. राज्य में अनुदानित संस्थाओं में भ्रष्टाचार होते हुये भी अनुदान दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

464. शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

265. राजस्थान विश्वविद्यालय प्रेस में घोर अव्यवस्था के होते हुये भी विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

266. स्कूलों में शिक्षकों के अभाव एवं महिला शिक्षिकाओं की गाँवों में नियुक्ति के क्रम में चर्चा के लिये।

267. प्रौढ़ शिक्षा एवं संस्कृत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

268. महिला शिक्षा के प्रति सरकार की अवहेलना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्रीमती विद्या पाठक)

269.जुलाई, 81 की बाढ़ में सांगानेर बालिका विद्यालय के भवन के बह जाने पर भी विभाग द्वारा अन्य भवन बनाने हेतु अभी तक कोई कारगर कदम नही उठाये, इस पर चर्चा के लिये।

270. सांगानेर तहसील के ग्राम लूनियावास में सैकण्डरी स्कूल के अभाव से अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बच्चों की पढ़ाई छूट जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

271. सार्वजनिक लाइब्रेरियों पर सरकार द्वारा उचित ध्यान न देने पर चर्चा के लिये।

272. पुरातत्व विभाग को अधिक सार्थक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

273. विभिन्न अकादमियों की उपयोगिता पर पुनः विचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

274. विधि महाविद्यालय में सात वर्ष से कार्यरत लेक्चरारों को हटाकर गैर कानूनी तौर पर अन्य की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

275. विधि महाविद्यालय में पार्ट टाइम लेक्चरार की स्ट्रेंथ रेगुलर लेक्चरार से कम होने से एलएल. एम. के विद्यार्थियों में रोष पर भी राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

276 एम. एल. एम. डिग्री रखने वाले विद्यार्थियों को विधि महाविद्यालय में नियुक्ति न देकर पार्ट टाइम एडवोकेटों को गैर कानूनी तौर पर नियुक्ति देने से उक्त डिग्री रखने वालों में व्याप्त रोष पर भी राजस्थान विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

277. स्कूलों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

278. विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुई अनियमितताओं पर भी इनको दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

279. बाड़मेर जिला विशेष रूप से बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में अपर्याप्त शिक्षण संस्थाओं के कारण असन्तोष पर चर्चा के लिए।

व्यवस्था का प्रश्न

बेरी वेतन आयोग के प्रतिवेदन को लागू न करने के विरोध में राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल एक व्यवस्था हुई थी उसके अन्तर्गत, क्योंकि समय नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री नाथूसिंह : हां पाइन्ट ऑफ आर्डर है। पेज 99 निकालिये।

उपाध्यक्ष महोदय, बाहर कर्मचारियों ने विधान सभा को घेर रखा है। कर्मचारियों की पुलिस ने पिटाई की है। उपाध्यक्ष महोदय, बरी पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के विरोध में लाखों कर्मचारी सारे राजस्थान से आये हैं। विधान सभा को चारों तरफ से घेर रखा है। पुलिस ने उनकी बाहर पिटाई की है।

एक माननीय सदस्य : यह क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर है। कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : लाखों आदमी हैं क्या बाहर ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य मुझे बाध्य न कीजिए....

(व्यवधान)

अंकित न हो। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आप तो बहुत दयालु हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप बड़े दयालु हैं। हजारों की तादाद में लोग आये हुए हैं और आप इतनी भी दया नहीं कर रहे हैं कि मन्त्री महोदय को कह सकें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य 295 के तहत नोटिस दिया था जो स्वीकार कर दिया गया। इसलिए मैं असमर्थ हूं....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य

(व्यवधान)

अंकित न हो

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कार्यवाही में बाधा न डालें। मुझे नियमों के अनुसार कार्यवाही

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

करने पर बाध्य न कीजिए, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये। आप बात तो सुनिये। जब कोई बहुत बड़ी भीड़ यहां घुसना चाहे तो व्यवस्था की ही जायेगी।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इच्छा है, आप माननीय सदस्यों को यहां से निकालना चाहते हैं तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। आप समय तो दें। ऐसा क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

मैं अपोजिशन के लीडरों को यह कहता हूँ....

(व्यवधान)

(2.47 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आज सुबह चर्चा की थी। अन्याय की बात कर रहे है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बात करें तो सुन भी सकता हूँ। मैंने श्री नाथूसिंह जी का नाम पुकारा है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अभी नीचे गया तो, अध्यक्ष महोदय, चारों तरफ से विधान सभा के दरवाजे बन्द हैं....

श्री अध्यक्ष : सब खुले हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : .. जेल है।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

अध्यक्ष महोदय, हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। दरवाजे बन्द कर रखे हैं। विधान सभा को जेल में परिणत नहीं किया जा सकता। हम बाहर जाना चाहते हैं, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं। —

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं वह बाहर जा सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : ....दरवाजे बन्द हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी हो, विधान सभा चारों तरफ से बन्द कर दी गयी हो; कर्मचारियों ने घेर रखी हो, पुलिस में और कर्मचारियों में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया गया हो, पिटाई की गयी हो, वह घायल हो गए हों, और विधान सभा के चारों तरफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी हो ऐसी परिस्थिति में....

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति में तो हमको यहां और गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री नाथूसिंह : वही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो आवेश में क्यों आ रहे हैं। बात कहें।

श्री नाथूसिंह : ....अध्यक्ष महोदय, और सदन चल रहा हो। उस परिस्थिति में, यदि इतनी बड़ी समस्या पर विचार नहीं करें जिससे लाखों और करोड़ों लोग प्रभावित हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। शांत रहें।

श्री नाथूसिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस विधान सभा की कोई विशेषता नहीं रह जाती है....

श्री अध्यक्ष : शांत रहें।

श्री नाथूसिंह : ...अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में इस विधान सभा की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है, अध्यक्ष महोदय, अगर इस समस्या पर विचार नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस समय सदन चल रहा है, चारों तरफ से हम बन्द बैठे हैं। एक दिन दो दिन आप विधान सभा और चला सकते हैं, ऐसी आग लगने वाली नहीं है लेकिन आज इस समय परिस्थिति जो यहां पर पैदा हो गयी है उस पर हमें सबसे पहले विचार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मामला ईज़ी नहीं है, बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सरकार से भी कहें कि आज ही इस सम्बन्ध में विचार कर

(श्री नाथूसिंह)

और घोषणा करे। मंत्रिमण्डल की कई बार बैठक हुई। अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार की तरफ से जो अन्तिम रूप से समझौता हुआ, अध्यक्ष महोदय 6 मार्च को सरकार और कर्मचारियों के संघों के बीच में समझौता हुआ....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, सुबह से ही बोल रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : इन सिफारिशों को आपकी सरकार क्या समझ रही है?

इस सरकार से आप आज की तारीख में बयान दिलावें। इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट का क्या होगा? क्या रद्दी की टोकरी में पटक दी जायेगी?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

जैसा मैंने आज सुबह माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि इस सदन के समक्ष कई मसले आते हैं उनमें से बहुत से तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण मसलों को, विषयों को सदन के सामने रखने की एक प्रक्रिया है। इस तरह का आज एक प्रस्ताव आया था, पहले भी प्रस्ताव आया था। उन प्रस्तावों को मैंने राज्य सरकार को जानकारी देने के हेतु भेजा है। बेरी कमीशन की रिपोर्ट, आप जानते हैं कि सरकार कई दफा, कई विषयों पर कमीशन नियुक्त करती है, जिनके प्रतिवेदन आते हैं। इनमें राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ने का भी प्रश्न रहता है तो सरकार गहराई से विचार करके उस पर निर्णय लेगी। तत्काल उस पर, महत्वपूर्ण मसले पर फैसला यहां हो जाय यह मुश्किल रहता है। आप जानते हैं इतनी जल्दी फैसला नहीं हो सकता है। क्योंकि आज कुछ कर्मचारी संघों ने अथवा संगठनों ने हड़ताल या प्रदर्शन करने का तय किया उस विषय को लेकर के सदन में इस तरह का माहौल बनाया जाय तो हमारी सभा, जो बहुत गहन विषयों पर विचार करती है, हड़ताल कितनी हुई है, इस पर ठण्डे दिल से विचार कर सकती है। मामला यह मेरे विचाराधीन है, इस पर अवसर देना या नहीं देना इसके लिये आपने मुझे अधिकृत कर रखा है। मैं समझता हूं सुबह से ही आज माननीय सदस्य इतना आवेश और आक्रोश प्रकट कर रहे है जिससे जो पूर्व निर्धारित विषय हमारी कार्य सूची में है उसको सम्पादित करने के अन्दर कठिनाई हो रही है।

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, सभी विषय यहां आते हैं और सभी जनहित के होते हैं। आज जो विचारणीय विषय है वह है राजस्थान में शिक्षा का क्या कार्यक्रम है, आगे के लिए क्या कार्यक्रम बने, पीछे क्या त्रुटियां रही हैं और कितनी बड़ी धनराशि राज्य सरकार को प्रदान करनी है। यदि मांग को आपने देखा हो तो दो अरब रुपयों का प्रावधान हमको

(श्री अध्यक्ष)

करना है। उस बात पर गहराई से विचार न हो तो हमारा समय बेकार जायेगा। यह आपके सोचने की बात है कि अपन को कितना महत्व देना चाहिये, साल भर में सरकार को क्या करना है, कौनसी नीतियों को महत्व देना है— इस बारे में अपने को सुझाव देने हैं। न कि वित्त मंत्री जी द्वारा बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करने के सम्बन्ध में।

आपने, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने मत व्यक्त कर दिये। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। आपने जो कुछ कहा है, उस पर विचार होगा। लेकिन तत्काल कुछ फैसला हो जाय, आप जानते हैं ऐसा होता नहीं है। मेरा माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कृपया धैर्य रखें। जो कुछ हो गया, उसको आप पर्याप्त समझ लें इस विषय पर मैं। समझता हूं, जो आज की कार्य सूची है उस को लें और उस पर ही हम विचार करें, यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा बेरी वेतन आयोग का प्रश्न नहीं है....।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि विधान सभा के दरवाजे बन्द कर दिये....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आज प्रदर्शित हो चुका है कि सरकार यहां का शासन चलाने में कतई अक्षम है। विधान सभा के दरवाजे बन्द कर दिये....।

श्री अध्यक्ष : सदन का मत यदि जानना हो तो उसके लिये भी प्रस्ताव करने का तरीका है। उसके पश्चात् मालूम हो जायेगा कि सरकार में जनता का विश्वास है या नहीं, उसका तरीका है....

(व्यवधान)

कान्स्टीट्यूशनल जो तरीका है, उसको अपनायें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सर्वोच्च सत्ता अपने दरवाजे बन्द कर दे....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दरवाजे बन्द करने पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आज से नहीं वर्षों से विचार चल रहा है....

(व्यवधान)

116

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान के वित्त मंत्री....

(व्यवधान)

वैसे ही आप....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : विपक्ष की ओर से इतने माननीय सदस्य बोलें है। पक्ष की ओर से चीफ व्हिप महोदय कुछ कहना चाहते हैं। आप सुनिये, शान्ति से सुनिये। क्या पता ये कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय यदुनाथ सिंहजी ने कहा कि दरवाजे बन्द हैं। कोई दरवाजे बन्द नहीं हैं। मैं इनके साथ चलकर इनको बाहर तक सैफ पहुंचा सकता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : दरवाजे बन्द हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : हमने स्वयं ने देखा है। गलत बोल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : गलत बयानी करते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री दाऊदयाल जोशी : पधारो पान खाने मेरे साथ।

श्री अध्यक्ष : यह कौनसा जनतान्त्रिक तरीका है कि माननीय जिम्मेदार सदस्य कुछ कहना चाहते हैं..

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, असत्य कह रहे हैं। मैं और आप दोनों पान खाने चलते हैं। पधारो पैसे भी मैं ही दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चलाने की प्रक्रिया है, नियम है, परम्परायें हैं। इस प्रकार के प्रदर्शन और हड़तालें जब विधान सभा का सत्र होता है, हमेशा चलती हैं, हमेशा होती रही हैं। आपके राज में भी होती थीं पहले भी होती थीं, अब भी होती रही हैं। उनका कर्त्तव्य है कि अपनी बात को विधान सभा तक पहुंचायें और अपना कर्त्तव्य है कि जो विषय यहां लिया जाता है उस पर विचार करें। इस तरह की हड़तालें तो कई दिनों से चल रही थीं-आयुर्वेद की चली, फिर कोई हड़ताल चली। आज ये लोग प्रदर्शन के लिए आये, कल दूसरे लोग आयेंगे एक बार रैली लेकर भी आये थे। मेरा नम्र निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय ने फरमा दिया कि इस विषय पर गहनता से विचार हो रहा है कि राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है। जब मौका आयेगा तब इस पर विचार कर लिया जायेगा।

आज इस मांग पर विचार कर रहे हैं इसको कृपया आप सहानुभूतिपूर्वक चलने दें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आप भी राज्य सरकार को सहानुभूतिपूर्वक चलने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : राज्य कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं। आप चलकर बात करिये न उनसे, चलिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं किसी माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने की इजाजत...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपसे छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, जिन नियमों के तहत हमने 25 जनवरी के दिन विधान सभा में इस सम्बन्ध में प्रश्न दिया, उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन दिया, उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, उसके बाद स्थगन प्रस्ताव दिये, इसके अतिरिक्त कौन सा माध्यम रहता है। आज की स्थिति की हमने आपको सूचना भी दी, इन सारी चीजों को देखते हुए भी 23 दिन के बाद भी अगर राज्य सरकार इस छोटे से इश्यू पर अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकती....

श्री अध्यक्ष : यह छोटा इश्यू नहीं है, माननीय सदस्य बहुत बड़ा इश्यू है....

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो कह सकते हैं कि इतनी हमारी मजबूरी है. यह हम कर सकते हैं, आखिर कुछ बोल तो सकते हैं या नहीं बोल सकते ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने एक बात कही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ये सवाल....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप एक ही बात कहते हैं अब कोई मामला नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : देखते हैं, मुख्य मंत्री कैसे बोलते हैं। आप हमारे उप नेता को नहीं बोलने दे रहे।

श्री दाऊदयाल जोशी : और उनको नहीं बोलने दे रहे हैं। आप विचार कर लीजिए, इसका कुपरिणाम क्या होगा। ये चेलेन्ज है हमारा समझाओ, खेतसिंह जी, आप इनको।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : इनको उपदेश दीजिए, हमको नहीं। आप इनको उपदेश दीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री रामसिंह बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन सी बात करनी है, आप

(श्री रामसिंह विश्नोई)

उसी बात को लेकर नहीं बोल सकते। आप 11 बजे से बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है। सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की गयी।

(तदनन्तर विधान सभा की कार्यवाही म.प.3.05 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा की कार्यवाही म.प.3 35. (श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासिन) बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब भाषण दुबारा नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया था। अगर हम बोलने खड़े होंगे तो इस प्रकार ट्रेजरी बैंच हमको बैठाने की कोशिश करेगा।

श्री अध्यक्ष : ट्रेजरी बैंच वाले शांति पूर्ण तरीके से कार्य संपादित कर रहे थे...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसका मतलब यही है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह बात हो गई। अब डिमाण्ड चलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपको डिमाण्ड पर बोलने का अवसर दे सकता हूँ। आज जो विचाराधीन डिमाण्ड है उसमें भी तो सरकारी कर्मचारी आते हैं। उस वक्त आप कह दीजिए।

श्रीमती उजला अरोडा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी, माननीय चतुर्वेदी जी को बोलने नहीं दिया। माननीय सदस्य को यदि बोलने नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा। उनको बोलने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : सुबह से ही आप बिना मेरी अनुमति के ही बोलने का अवसर प्राप्त कर रही हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब हाउस एडजोर्न होता है तो जो विषय चल रहा होता है वही रिज्यूम होता है दुबारा।

श्री अध्यक्ष : अगर कायदे का विषय हो, पहले कार्यसूची में हो तो दुबारा आता है। कार्यसूची में नहीं हो तो दुबारा नहीं आता।

श्री भवर लाल शर्मा : व्यवधान डालने से आपको एडजोर्न करना पड़ा ....

श्री अध्यक्ष : नहीं कोई व्यवधान नहीं हुआ। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, कोई व्यवधान नहीं हुआ।

(व्यवधान)

अब वेरी आयोग पर तो बोलने की इजाजत दूंगा नहीं। इसमें बोलने की इजा-

(श्री अध्यक्ष)

जत दे देता हूं । इसमें आयोग वगैरह सब हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कुछ बात तो कहने देंगे कि यह प्ली लिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप शिक्षा की डिमाण्ड पर बोलिए ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग के बारे में सरकार....

श्री अध्यक्ष : सरकार कुछ कहना चाहे तो कह दें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । अव्यवस्था न फैलायें, कृपया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : अब मैं नियमों का आश्रय ले रहा हूं, जो उपयुक्त है, मैं नेम करूंगा । इसके बाद प्रस्ताव आयेगा, उसके बाद मतदान होगा और तय होगा मामला । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, मुझे कृपया बाध्य न करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रकार इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्या । आज 11 बजे से जब से सदन शुरू हुआ है, बराबर व्यवधान चल रहा है बेरी आयोग को लेकर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सत्ता पक्ष के लोग अगर हमको बोलने नहीं देंगे...

श्री अध्यक्ष : यह बाधा उपस्थित की जा रही है । आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर ये लोग हमें बोलने नहीं दे रहे हैं तो हम भी बोलने नहीं देंगे । हम भी नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

आप इस प्रकार प्रतिरोध के लिये तैयार करते हैं तो हम भी प्रतिरोध करेंगे । अगर ललित जी नहीं बोलेंगे तो हम किसी को बोलने नहीं देंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपके आसन पर आने के पूर्व तक राजस्थान विधान सभा में व्यवस्था नहीं थी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर । बैठ जाइये, माननीय सदस्य । व्यवस्था भंग न करें, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन मेरा निवेदन करना यह है···

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से सम्बो-

(श्री अध्यक्ष)

धित करता हूं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपसे हमने सहयोग किया है लेकिन आपने कभी, सत्ता पक्ष ने कभी सहयोग नहीं किया...

(व्यवधान)

निलम्बन

श्री दाऊदयाल जोशी का विधान सभा के सत्र के अवशेष समय के लिये निलम्बन

श्री अध्यक्ष : मेरे पास अन्य कोई चारा नहीं है। मैं माननीय दाऊदयाल जोशी को नाम से संबोधित करता हूं।

प्रस्ताव करता हूं कि उनको सदन की सेवा से इस सत्र के अवशेष समय के लिये निलंबित किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पूरे सत्र के लिये निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री दाऊदयाल जोशी को सत्र के बचे हुये समय के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया गया।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर विधान सभा की कार्यवाही म. प. 3.41 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की

4.12 बजे पुन: प्रारम्भ हुई

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भंवर लाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री खेतसिंह राठौड : अब क्या बात कर रहे हैं, किस विषय पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं बोलूं, जब पता लग जायेगा।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : सत्ता पक्ष का यह तरीका है बोलने का....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य को अधिकार है बोलने का, पाइन्ट आफ आर्डर पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनको बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

(व्यवधान)

श्री भवंर लाल शर्मा : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर मेरा यह है, मैं तो ग्रापकी ग्रनुमति से एक निवेदन करना चाहता हूं. ग्राज सुबह से ही कर्मचारियों की मांगों को लेकर विपक्ष का यह विचार है व यह इच्छा है कि सरकार ग्रपनी स्थिति स्पष्ट करे, इस बात को लेकर काफी उत्तेजना भी सदन में ग्राई ग्रौर दो बार ग्रापने सदन को एडजोर्न भी किया । इसी बीच में माननीय सदस्य का निलम्बन कर दिया । उस निलम्बन में मैं समझता हूं कि शायद ग्रापकी भी भावना नहीं रही होगी ।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं हमारी तो भावना थी ।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : ग्रौर ग्रगर रही भी होगी तो ग्रभी नहीं है । परिस्थितियों में जिस प्रकार माननीय सदस्य को ग्रापने सस्पेंड किया । माननीय सैयद, दाऊदयाल जी, इस सदन के एक बहुत ही समझदार ग्रनुशासन प्रिय ग्रौर ग्रपनी जनता के दुख दर्द को बड़ी ग्रात्मीयता से रखने वाले सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

जिनका कभी ऐसा कोई भाव नहीं रहा कि सदन के माननीय ग्रध्यक्ष की ग्रव-मानना हो । मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं जो विषय उन्होंने उठाया था, जिसके कारण सारा विपक्ष उत्तेजित था उस बात को देखते हुए, उस लाइट में, ग्रापने जो निलम्बन कर दिया, उसको ग्राप वापस लें पुनर्विचार करें ।

श्री ग्रध्यक्ष : यह तो एक प्रस्ताव से ही हो सकता है, प्रस्ताव कोई सदन में रखेंगे तो उसको मैं सदन के समक्ष रखूंगा, ग्रवसर दूंगा । दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य ग्रपने विचार व्यक्त करें । माननीय सदस्य का निलम्बन करना कोई ऐसी छोटी सी बात तो है नहीं, बहुत ही गम्भीर मामला है । जब परिस्थितियां ऐसी हो गई तो उस ग्रवस्था में मुझे यह कटु निर्णय लेना पड़ा । ग्राप प्रस्ताव रखिये, मैं सदन की राय मालूम करूंगा, उसके बाद में सदन की राय जानूंगा ।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज, यह प्रस्ताव रखिये, ग्रार्डर, ग्रार्डर,

पहले इसमें कोई प्रस्ताव रखिये ग्रन्यथा मैं दूसरा विषय लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, निष्कासन का प्रस्ताव ग्रापने रखा था, ग्राप ही पुनर्विचार कर लें ।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, दुबारा पुनर्विचार नहीं । निष्कासन का प्रस्ताव रखने का ग्रधिकार है लेकिन वापस पुनर्विचार करने का

(श्री अध्यक्ष)

अगर किसी पक्ष से आयेगा तो सदन से पूछकर राय लूंगा, उसके पश्चात विचार करूंगा ।

श्री **मोहन लाल मोदी (नीम का थाना)** : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं अगर हाउस को यह विश्वास हो जाय कि हाउस शांतिपूर्वक चल जायेगा, तो मैं समझता हूं इसमें पुनर्विचार कर लेना ही वाजिब है ।

श्री **अध्यक्ष** : कोई प्रस्ताव हो तो पुनर्विचार का प्रश्न उठता है ।

श्री **यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं माननीय दाऊदमाल जी का जो निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया, निलम्बन हुआ उसको खारिज किया जाय, उसको वापिस किया जाय । पुर्नविचार किया जाय ।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विरोधी दल के सचेतक महोदय ने अभी आपके सामने बात कही कि वह बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं, यह तो सारे सदन ने देखा है वह कितने अनुशासन प्रिय हैं, पिछले कई दिनों से यह देखा जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बाधा बहुत ही डाल रहे हैं, सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से चलाने में । कई दफा ऐसा मौका आया है जब इस प्रकार से नाम पुकारा गया और फिर बाद में तय किया गया कि यह कार्यवाही नहीं होनी चाहिए । यह अच्छा नहीं लगता लेकिन आज तो उन्होंने सारी पुरानी परम्पराओं को तोड़ दिया और उससे आगे बढ़ करके और क्वेश्चन आवर्स नहीं चलने दिया । तब से लगातार अभी तक इस बात पर अड़े हुए हैं । बाहर जाकर एम्पलाइज के सामने भाषण में यह कहकर आते हैं सदन की कार्यवाही हरगिज नहीं चलने देंगे । इस प्रकार की बातें करते हैं । उसके बाद जिन माननीय सदस्य का आपने नाम लिया उनके नेता का दायित्व था कि वे उसी वक्त उनको बिठा देते । उनको बिठाया नहीं अब उनका निलम्बन हो गया । उसके बाद में मैं यह समझता हूं हमारा दल यह उचित समझता है कि निलम्बन ठीक हुआ है और उन्हें पुनः ···

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : और कोई माननीय सदस्य अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं ।

श्री **यदुनाथ सिंह** ।

श्री **यदुनाथ सिंह** : प्रश्न यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, कौन बाधा डाल रहा है बाधा डालने में हम भी और आप भी बराबर भागीदार हैं । प्रश्न यह है कि एक गम्भीर मसला था । इस पर बहुत पहले चर्चा हो जाती, चर्चा नहीं हुई तो आज रख देते । इतना बड़ा यहां पर जुलूस आया था । एक आम हड़ताल का यहां पर माहौल बना इसको लेकर वातावरण में गरमागरमी होना निश्चित था । इस

(श्री यदुनाथसिंह)

विषय में कोई यहां पर गरमा गरमी हुई। इसको देखते हुए मैं सदन से निवेदन करूंगा इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह ।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने बहुत ही गम्भीर प्रश्न विचारार्थ है । श्री दाऊदयालजी जोशी भावक व्यक्ति हैं जैसा उनके व्यवहार से परिलक्षित होता है । जो व्यक्ति भावुक होता है उसके सामने कोई ऐसी गम्भीर स्थिति आ जाय भावावेश में हो सकता है वह सीमा से बाहर चले जावें, इसलिए माननीय मुख्य सचेतकजी ने विचार व्यय किये वह उनके दल के मुख्य सचेतक होने के अनुरूप नहीं हैं । मेरा यह निवेदन है कि श्री दाऊदयालजी भावुकता, भावावेश में आ गये, इसका यह मतलब नहीं कि सदन से उनका निलम्बन कर दें । मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं एक सदस्य भावना प्रकट करने का हकदार बनता है । थोड़ा आउट स्पोकन हो जाता है तो उसमें क्या है ।

टोड़ाभीम से आने वाले माननीय सदस्य चतुर्भुजजी, हम जानते हैं, बुजुर्ग सदस्य हैं । जनभावना से बहुत ही ओतप्रोत हैं । वह कभी कभी नियमों के बाहर आते रहते हैं । इसी तरह से दाऊदयाल जोशी से कोई बात हो गई है उस पर पुनर्विचार होना चाहिये, यह निलम्बन रद्द होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने भी इस बात को रखा. यह महसूस करते हैं कि इस सदन के सामने गम्भीर एक मसला है राज्य कर्मचारियों को लेकर क्योंकि शायद राज्य सरकार चाहती है....

श्री अध्यक्ष : इसमें आप ज्यादा चिन्तित हो सकते थे । आप तो इसमें चिन्तित नहीं थे, दाऊजी इतने चिन्तित क्यों हुए ?

श्री मेघराज तावड़ : क्योंकि यह एक ऐसा मसला है इस पर अपने विचारों को रखने का अधिकार है । यह प्रजातन्त्र है, अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में यह बात आई है. कोई क्षुब्ध भी होता है, उत्तेजना भी होती है. इसलिए दाऊदयालजी जोशी के निलम्बन का प्रस्ताव किया है, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं इस पर पुनर्विचार करें, इसको वापस लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारी लाल ।

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा सदन में हुआ, मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं । आपको कठोर निर्णय लेना पड़ा, यह आपके अनुरूप भी मुझे नहीं लगता । जो मुख्य सचेतक महोदय ने फरमाया···

श्री अध्यक्ष : आज सदन में जो कार्यवाही हुई वह सदन की गरिमा, परम्परा, मान्यताओं के अनुकूल है क्या ?

श्री हजारीलाल शर्मा : उसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा हूं ।

(व्यवधान)

मुख्य सचेतक महोदय ने जिस ढंग से अपने बहुमत का प्रयोग करते हुए जो नकारात्मक बात कही वह भी मुझे शोभा-जनक नहीं मालूम पड़ती । पुनर्विचार करने में तो, मेरी राय यह है, कोई दोष नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य को जो आपने निकालने का सदन में निर्णय लिया, मैं समझता हूं कि कठोर निर्णय है । जैसा आपने कहा कि प्रारम्भ से ही इस विषय पर गरमा-गरमी रही और थोड़ा सा सीमा का उल्लंघन भी हुआ है, यह बात कुछ हद तक सही है, किन्तु जन-भावनाओं के साथ जुड़े रहने के कारण कई बार स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की स्थिति बन जाना अस्वाभाविक नहीं है । जहां तक व्यक्तिगत रूप से दाऊ-दयाल जी का सवाल है, निष्कपट और निर्विकार हृदय से उनका । यह बात सच है कि आग्रह है वह बात रखते हैं अपने ढंग से और उस आग्रह से रखने के बाद....

(व्यवधान)

अगर सत्तापक्ष का यही निर्णय हो कि हमको केवल बोलने का अधिकार है, राज करने का अधिकार इनको है और प्रचण्ड बहुमत के आधार पर इस प्रकार का निर्णय करना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है....

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निर्णय बड़ा कठोर है । शायद उनके मन में यह भी भावना थी कि आपने जो मुझे आज्ञा दी, उस आज्ञा के अनुरूप मैं दो मिनट अपनी बात कहना चाहता था । दो मिनट न मिलने के कारण आग में घी डालने वाली बात जैसे हुई । उसके बाद यह स्थिति आई । वैसे तो माननीय मुख्य सचे-तक महोदय ने कड़ा रुख अपनाया है, मुझे कुछ नही कहना है । बहुमत के आधार पर आप चाहें जैसा निर्णय कर सकते हैं । मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो स्थिति बन रही है या बनती है आखिर हम लोगों की बात रखने का प्रयत्न करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, सीमा में भी सदा रहते हैं, कई बार यह सच है कि इसी प्रकार की स्थिति होती है, इसमें उसका थोड़ा बहुत उल्लंघन होता है । मैं आपके माध्यम से सदन से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं होता या कोई और होता तो मुझे स्वीकार होता । दाऊ-दयाल जी जैसे व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आग्रह से अपनी बात रखने वाले, उनके मन में जो आया निर्विकार रूप से उनके मन में आया । उनके विरुद्ध यह बहुत बड़ा कदम है । मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करना चाहता हूं कि स्वस्थ परम्परायें बनें । ऐसा दृष्टिकोण न अपनाया जाये । जो प्रस्ताव आया है उसको वापस लें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा दाऊदयाल जी ने सदन में कहा है और विरोध किया है, मैं मानता हूं विरोध करना उनका हक है, लेकिन 40 मिनट में से 35 मिनट तक विरोध करते रहना हमने नहीं देखा । हमने इस सदन में कुछ संकल्प कुछ मर्यादा बनाए रखने का संकल्प लिया था, लेकिन हम अनुचित तरीकों का प्रयोग करके, गलत तरीके से सरकारी काम में बाधा डालते रहें यह विपक्ष के लिए उचित नहीं है । श्री दाऊदयालजी मेरे प्रिय विरोधी साथी हैं, लेकिन उन्होंने बिलकुल एक अनुशासनहीनता का परिचय दिया । चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहें विपक्ष के यह किसी के लिए उचित नहीं है । सदन सबका है, सदन की मर्यादा है सदन की परम्परायें हैं, गरिमा है । इसीलिए आप सदन की गरिमा को, परम्परा को, कानून को नियमपूर्वक अपनायें....

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इजाजत दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विचारणीय विषय है कि माननीय दाऊदयाल जी ने ऐसा प्रश्न क्यों उठाया, उनका मुद्दा क्या था, उनकी मांग क्या थी ? मांग यह थी कि बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों को माना जायेगा या नहीं माना जायेगा । उन्होने उसको सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, प्रश्न के माध्यम से उठाया, कोई जबरदस्ती सरकार पर नहीं की जा रही थी कि आप ये सिफारिशें स्वीकार करें ही या कर रहे हैं या नहीं, उनका जवाब देने में सरकार को क्या परेशानी थी । मैं नहीं समझती, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इसमें सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली थी । सरकार ना भी कह सकती थी अभी विचाराधीन है यह भी कह सकती थी या सरकार सदन की एक कमेटी बनाकर या ऐसी ही कोई विशेष मीटिंग कराकर जैसा उसको उचित लगता, कह सकती थी । सरकार मौन है । तो उसके बाद हम लोगों के पास चारा क्या था ? अध्यक्ष महोदय, यह सदन के विवेक को एक चुनौती है कि क्या उन सदस्य दाऊदयाल जी का कोई कार्य ऐसा रहा, जो अशोभनीय हो ? इस परिस्थिति में विपक्ष के लोग मांग करने के सिवाय क्या कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : तो सत्ता पक्ष आज अपने बहुमत से इस परिस्थिति में काम चला सकता है क्या ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति क्यों बनी थी ..

(व्यवधान)

सरकार की जवाबदेही है, सिर्फ हंसने मात्र से काम नहीं चलेगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर, आर्डर । पर्याप्त चर्चा हो गई ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । अब इस पर मतदान करा लेते हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो विधान सभा में आज परिस्थिति बनी है। मैं मानता हूँ कि विधान सभा की गरिमा के विपरीत थी, लेकिन मुझे यह बात कहने में बड़ी खुशी है कि अन्य राज्यों की विधान सभाओं के बनिस्पत हमारी विधान सभा में वातावरण बड़ा शान्त और सौहार्द्रपूर्ण रहता है। जिस तरह की....

श्री अध्यक्ष : आज के दिन को तो निकाल दें।

श्री यदुनाथ सिंह : आज के दिन परिस्थिति ऐसी थी, मैंने कहा था कि जब सड़क गर्म होगी तो विधान सभा गर्म होगी। जो बाहर हुआ है, वह यहां होगा। जो वहां हो रहा है उसकी चर्चा यहां होना स्वाभाविक है। सरकार का कोई जवाब नहीं आया। जैसा सख्त रुख विधान सभा में, अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष का रहा है उसको देखते हुए मैं उचित समझता हूं कि मैं अपना प्रस्ताव वापस लूँ, इसलिये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ....

श्री अध्यक्ष । मांग संख्या 24....

(व्यवधान)

मतदान के लिये प्रस्तुत कर दूं ? इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है...

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आखिर हमारे पास क्या रास्ता है ? हमने 23 जनवरी के दिन इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में....

(अनवरत व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है, बैठ जाइए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, स्थगन प्रस्ताव दिया और उसके पश्चात् भी यदि सरकार हमारे प्रस्ताव का, हमारे लोकतन्त्रीय अधिकारों का अगर पालन नहीं करती है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मांगों पर मतदान।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसके अनुसार हमको संतुष्ट नहीं करती है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों की इस विषय में कोई चर्चा करने की इच्छा नहीं है इसलिये प्रश्न करता हूं।

(व्यवधान)

मांग संख्या 24 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24—शिक्षा, कला, एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,98,19,04,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 16 मार्च, 1982 के प्रातः 11·00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.31 बजे मंगलवार दिनांक 16 मार्च, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 416 की सूची

पदोन्नति में 40 बिन्दु रोस्टर पंजिका की सूची—अद्यावधि

(राजस्थान पुलिस सेवा, कनिष्ठ वेतन शृंखला)

पिछले वर्ष के आरक्षित शेष पदों को आगे लाया गया		नियुक्ति का विवरण			नियुक्त व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति की तिथि	अ.जा./अ.ज.जा. यदि नहीं हो तो नकारात्मक	आरक्षण अग्रेषित	
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	नियुक्ति की तिथि	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	रोस्टर के अनुसार सामान्य अथवा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित			अ.जाति	अनु.ज.जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1975 पद–20								
—	—	30–11–76	1.	अनुसूचित जाति	1. श्री एस.डी. पासवोला	नकारात्मक	–	–
		,,	2.	सामान्य	2. श्री प्रतापसिंह	,,	–	–
		,,	3.	,,	3. श्री अर्जुनसिंह	,,	–	–
		,,	4.	अनु. जनजाति	4. श्री सतवन्त सिंह	,,	–	–
		,,	5.	सामान्य	5. श्री तारासिंह	,,	–	–
		,,	6.	,,	6. श्री मालसिंह	,,	–	–

128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		30-11-76	7.	अनुसूचित जाति	7. श्री के.एल. राव	नकारात्मक	–	–
		,,	8.	सामान्य	8. श्री डी.सी. मलिक	,,	–	–
		,,	9.	,,	9. श्री गायत्रीशरण	,,	–	–
		,,	10.	,,	10. श्री अखै सिंह	,,	–	–
		,,	11.	,,	11. श्री गजेन्द्रपालसिंह	,,	–	–
		,,	12.	अनु. जनजाति	12. श्री संग्राम सिंह	,,	–	–
		,,	13.	सामान्य	13. श्री गुरुचरण सिंह	,,	–	–
		,,	14.	अनुसूचित जाति	14. श्री दुले सिंह	,,	–	–
		,,	15.	सामान्य	15. श्री रघुवीरसिंह	,,	–	–
		,,	16.	,,	16. श्री शम्भू सिंह	,,	–	–
		,,	17.	,,	17. श्री द्वारकासिंह	,,	–	–
		,,	18.	,,	18. श्री मुकुन्दकिशोर	,,	–	–
		,,	19.	,,	19. श्री बी.डी. बहुखण्डी	,,	–	–
		,,	20.	,,	20. श्री बृजपालसिंह	,,	3(75)	2(75)
वर्ष 1976, पद–29								
3(75)	2(75)	16-3-79	21.	अनु. जनजाति	1. श्री गजेन्द्र सिंह	,,	–	–
–	–	,,	22.	अ.ज.जाति	2. श्री प्रभू सिंह	,,	–	–
		,,	23.	सामान्य	3. श्री सुरेन्द्र सिंह	,,	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16-3-79	24.	सामान्य	4. श्री राजेन्द्र सिंह	नकारात्मक	—	—
		,,	25.	,,	5. श्री देवी सिंह	,,	—	—
		,,	26.	,,	6. श्री साधूसिंह	,,	—	—
		,,	27.	,,	7. श्री एम.एल. ध्यानी	,,	—	—
		,,	28.	अनु. जाति	8. श्री कुशलानन्द	,,	—	—
		,,	29.	सामान्य	9. श्री केशरसिंह	,,	—	—
		,,	30.	अ.ज.जाति	10. श्री चिमनलाल	,,	—	—
		,,	31.	सामान्य	11. श्री केशरसिंह	,,	—	—
		,,	32.	,,	12. श्री सुरेन्द्रनाथ	,,	—	—
		,,	33.	,,	13. श्री जगमालसिंह	,,	—	—
		,,	34.	,,	14. श्री अनूपसिंह	,,	—	—
		,,	35.	अनु. जाति	15. श्री सोहनलाल	,,	—	—
		,,	36.	सामान्य	16. श्री सीताराम पारीक	,,	—	—
		,,	37.	सामान्य	17. श्री हनुमान सिंह	,,	—	—
		,,	38.	,,	18. श्री शिवलाल माथुर	,,	—	—
		,,	39.	अनु.ज.जाति	19. श्री कामेश्वर प्रसाद	,,	—	—
		,,	40.	सामान्य	20. श्री जे. आर. मल्होत्रा	,,	—	—
		,,	1.	अन. जाति	21. श्री अर्जुनसिंह	,,	—	—
		,,	2.	सामान्य	22. श्री नरेन्द्रकुमार	,,	—	—

(130)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16-3-79	3.	सामान्य	23. श्री तेगबहादुरसिंह	नकारात्मक	....	....
		,,	4.	अनु.ज.जाति	24. श्री मोहनसिंह नेगी	,,	....	....
		,,	5.	सामान्य	25. श्री डालसिंह	,,	....	....
		,,	6.	सामान्य	26. श्री चुन्नीलाल	,,	....	....
		,,	7.	अनु. जाति	27. श्री मोहनसिंह	,,	....	....
		,,	8.	सामान्य	28. श्री हबीबुर रहमान	,,	....	....
		,,	9.	,,	29. श्री नवलाराम	,,	3(75) 5(76)	2(75) 4(76)
वर्ष 1977, पद–15								
3(75) 5(76)	**2(75) 4(76)**	16-3-79	10.	सामान्य	1. श्री जालिमसिंह	,,	....	....
		,,	11.	सामान्य	2. श्री गोविन्दनारायण	,,	....	....
		,,	12.	अन.ज.जाति	3. श्री शिवराजसिंह	,,	....	....
		,,	13.	सामान्य	4. श्री भूरसिंह	,,	....	....
		,,	14.	अनु. जाति	5. श्री जालिमसिंह	,,	....	....
		,,	15.	सामान्य	6. श्री रघुनाथसिंह	,,	....	....
		,,	16.	,,	7. श्री नाहरसिंह	,,		....
		,,	17.	,,	8. श्री बख्तावरसिंह	,,	....	..
		,,	18.	,,	9. श्री रामगोपाल	,,	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16-3-79	19.	सामान्य	10. श्री कल्याणसिह	नकारात्मक	....	....
		,,	20.	,,	11. श्री भोपालसिह	,,	....	....
		,,	21.	अनु. जाति	12. श्री महेन्द्रसिह	,,	....	....
		,,	22.	अनु.ज.जाति	13. श्री देवदत्त	,,	....	....
		,,	23.	सामान्य	14. श्री पी.एन. शुक्ला.	,,	....	....
		,,	24.	,,	15. श्री खडकसिह	,,	3(75) 5(76) 2(77)	2(75) 4(76) 2(77)
वर्ष 1978, पद-15								
3(75) 5(76) 2(77)	2(75) 4(76) 2(77)	31-7-80	25.	सामान्य	1. श्री भवानीसिह	नकारात्मक	....	....
		,,	26.	,,	2. श्री पारथसिह	,,	....	....
		,,	27.	,,	3. श्री जे.एन. मिश्रा	,,	....	....
		,,	28.	अनुसूचित जाति	4. श्री वृजलाल बधावा	,,	....	....
		,,	29.	सामान्य	5. श्री बुद्धाराम	,,	....	....
		,,	30.	अनु.ज.जाति	6. श्री श्रीरामसिह	,,	....	....
		,,	31.	सामान्य	7. श्री गंगाजल	,,	....	....
		,,	32.	,,	8. श्री उदयसिह	,,	....	....
		,,	33.	,,	9. श्री कैलाशचन्द	,,	....	....

131

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31-7-80	34.	सामान्य	10. श्री शिवचन्द्र लूथरा	नकारात्मक	....	....
		,,	35.	अनु. जाति	11. श्री मूलसिंह	,,	....	....
		,,	36.	सामान्य	12. श्री नारायणसिंह	,,	....	....
		,,	36.	,,	13. श्री जगदीशसिंह	,,	....	....
		,,	38.	,,	14. श्री चिमनसिंह	,,	....	....
		,,	39.	अनु.ज.जाति	15. श्री नारायणप्रसाद	,,	5(76) 2(77) 2(78)	4(76) 2(77) 2(78)
वर्ष 1979, पद-7								
5(76) 2(77) 2(78)	4(76) 2(77) 2(78)	31-7-80	40.	सामान्य	1. श्री चन्द्रदत्त	,,	....	....
		,,	1.	अनुसूचित जाति	2. श्री बहादुरसिंह	,,	....	....
		,,	2.	सामान्य	3. श्री अमरसिंह	,,	....	....
		,,	3.	,,	4. श्री नगेन्द्रसिंह	,,	....	....
		,,	4.	अनु.ज.जाति	5. श्री सवाईसिंह	,,	....	....
		,,	5.	सामान्य	6. श्री गणेशनारायण	,,	....	....
		,,	6.	,,	7. श्री एम.एम. कौल	,,	2(77) 2(78) 1(79)	2(77) 2(78) 1(79)

(वर्ष, 76 का कोटा लेप्स)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1980, पद-5								
2(77)	2(77)	31-7-80	7.	अनु. जाति	1. श्री नेकरामसिंह	नकारात्मक	....	....
2(78)	2(78)							
1(79)	1(79)	,,	8.	सामान्य	2. श्री लक्ष्मणसिंह	,,	....	....
		,,	9.	,,	3. श्री भारतप्रकाश	,,	....	....
		,,	10.	,,	4. श्री हिम्मतसिंह	,,	....	....
		,,	11.	,,	5. श्री ओमदत्त	,,	2(78)	2(78)
							1(79)	1(79)
							1(80)	....
							(वर्ष, 77 का कोटा लेप्स)	
वर्ष 1981, पद-21								
2(78)	2(78)							
1(79)	1(79)	21-1-82	12.	अनु.ज.जाति	1. श्री आनन्दसिंह	नकारात्मक	....	....
1(80)	—	,,	13.	सामान्य	2. श्री शंकरलाल	,,	....	....
		,,	14.	अनु.ज.जाति	3. श्री पृथ्वीसिंह	,,	....	....
		,,	15.	सामान्य	4. श्री महिमानन्द	,,	....	....
		,,	16.	,,	5. श्री मनफूलसिंह	,,	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
–	–	21-1-82	17.	सामान्य	6. श्री मूलसिंह	नकारात्मक	....	....
		,,	18.	,,	7. श्री नवरत्नमल	,,	....	....
		,,	19.	,,	8. श्री पुखराज मेहता	,,	....	—
		,,	20.	,,	9. श्री ग्रमरसिंह	,,	....	....
		,,	21.	ग्रनु. जाति	10. श्री बृजमोहन	,,	....	....
		,,	22.	ग्रनु.ज.जाति	11. श्री टीकमसिंह	,,	....	....
		,,	23.	सामान्य	12. श्री करणसिंह	,,	....	....
		,,	24.	,,	13. श्री तुलसीराम	,,	....	....
		,,	25.	,,	14. श्री पी.डी. उपाध्याय	,,	....	....
		,,	26.	,,	15. श्री कानसिंह	,,	....	....
		,,	27.	,,	16. श्री हजारीराम	,,	....	....
		,,	28.	ग्रनु. जाति	17. श्री प्रतापसिंह	,,	....	....
		,,	29.	सामान्य	18. श्री रामप्रसाद मीना	ग्रनु.ज.जाति	....	....
		,,	30.	ग्रनु.ज.जाति	19. श्री मनोहरलाल	नकारात्मक	....	....
		,,	31.	सामान्य	20. श्री मदनलाल चड्डा	,,	....	....
		,,	32.	,,	21. शेषराज (सेवा निवृत्त)	,,	1(79)	1(79)
							1(80)	....
							3(81)	3(81)

(वर्ष 78 का कोटा लेप्स)

पदोन्नति में 40 बिन्दु रोस्टर पंजिका की सूची—अद्यावधि

(राजस्थान पुलिस सेवा, वरिष्ठ वेतन शृंखला)

पिछले वर्ष के आरक्षित शेष पदों को आगे लाया गया । अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	नियुक्ति का विवरण: नियुक्ति की तिथि	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	रोस्टर के अनुसार सामान्य अथवा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति की तिथि	अ.जा./अ.जा. यदि नहीं हो नकारात्मक	आरक्षण अग्रेषित: अ.जाति	अ.ज.जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1975, पद–10								
—	—	14–9–76	1.	अनुसूचित जाति	1. श्री मोहम्मद अमीन	नकारात्मक	–	–
		,,	2.	सामान्य	2. श्री एम. एन. धवन	,,	–	–
		,,	3.	,,	3. श्री एच. सी. शर्मा	,,	–	–
		,,	4.	अनु. जनजाति	4. श्री वी. एस. यादव	,,	–	–

135

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		14–9–76	5.	सामान्य	5. श्री बाबूलाल शर्मा	नकारात्मक	–	–
		,,	6.	,,	6. श्री जी. पी. शर्मा	,,	–	–
		,,	7.	अनु. जाति	7. श्री वी. आर. सूरी	,,	–	–
		,,	8.	सामान्य	8. श्री नाथीलाल	अनुसूचित जाति	–	–
		,,	9.	,,	9. श्री दाताराम	अनुसूचित जाति	–	–
		,,	10.	,,	10. श्री डालचन्द गुप्ता	नकारात्मक	–	1(75)
वर्ष 1979, पद–33								
—	1(75)	5–9–79	11.	सामान्य	1. श्री मुखराम	नकारात्मक	–	–
		,,	12.	अनु. जनजाति	2. श्री मोहनसिह राठौड	,,	–	–
		,,	13.	सामान्य	3. श्री गणपतराज माथुर	,,	–	–
		,,	14.	अनु. जाति	4. श्री दुर्गालाल शर्मा	,,	–	–
		,,	15.	सामान्य	5. श्री आर. पी. नाग	,,	–	–
		,,	16.	,,	6. श्री वासुदेव वर्मा	,,	–	–
		,,	17.	,,	7. श्री उम्मेदराम विश्नोई	,,	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5-9-79	18.	सामान्य	8. श्री पुखराज सीरवी	अनु. जाति	–	–
		,,	19.	,,	9. श्री मनफूल सिंह	नकारात्मक	–	–
		,,	20.	,,	10. श्री नरेन्द्र कुमार पाटनी	,,	–	–
		,,	21.	अनु. जाति	11. श्री मोहन सिंह भाटी	,,	–	–
		,,	22.	अनु. जन जाति	12. श्री रामेश्वर सिंह	,,	–	–
		,,	23.	सामान्य	13. रणधीर सिंह	,,	–	–
		,,	24.	,,	14. श्री जे. के. सोनी	,,	–	–
		,,	25.	,,	15. श्री लक्ष्मीकान्त	,,	–	–
		,,	26.	,,	16. श्री एम. के. शर्मा	,,	–	–
		,,	27.	,,	17. श्री अर्जुन सिंह	,,	–	–
		,,	28.	अनु. जाति	18. श्री शंकर लाल सरोलिया	,,	–	–
		,,	29.	सामान्य	19. श्री बनवारी लाल शर्मा	,,	–	–
		,,	30.	अनु. जन जाति	20. श्री रामवल्लभ	,,	–	–
		,,	31.	सामान्य	21. श्री रामदयाल गोयल	,,	–	–
		,,	32.	,,	22. श्री कल्याण मल शर्मा	,,	–	–

(137)

848

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5-9-79						
		,,	33.	सामान्य	23. श्री उम्मेद सिंह कृष्णया	नकारात्मक	–	–
		,,	34.	,,	24. श्री महावीर प्रसाद	अनुसूचित जाति	–	–
		,,	35½	अनु. जाति	25. श्री वीरेन्द्र कुमार गोदीका	नकारात्मक	–	–
		,,	36.	सामान्य	26. श्री मदन लाल दहियां	अनुसूचित जाति	–	–
		,,	37.	,,	27. श्री लक्ष्मीनारायण मीना	अनु. जन जाति	–	–
		,,	38.	,,	28. श्री चुन्नी लाल	अनु. जाति	–	–
		,,	39.	अनु. जन जाति	29. श्री जगदीश चन्द्र कावट	अनु. जन जाति	–	–
		,,	40.	नकारात्मक	30. श्री हरिशचन्द्र भगत	नकारात्मक	–	–
		15-5-80	1.	अनुसूचित जाति	31. श्री सोमनाथ शेखर	,,	–	–
		,,	2.	सामान्य	32. श्री हनुमान सिंह विश्नोई	,,	–	–
		,,	3.	,,	33. श्री अविनाशचन्द्र चोपड़ा	,,	–	–

पदोन्नति में 40 बिन्दु रोस्टर पंजिका की सूची

(चयन वेतन श्रृंखला. आर.पी.एस.)

पिछले वर्ष के आरक्षित शेष पदों को आगे लाया गया। अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	नियुक्ति का विवरण: नियुक्ति की तिथि	रोस्टर एवं विन्दु संख्या	रोस्टर के अनुसार सामान्य अथवा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति की तिथि	अ.जा./अ.ज.जा. यदि नहीं हो तो नकारात्मक	आरक्षण अग्रेषित अ.जाति	अनु.ज.जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1975, पद–6								
=	=	31–7–76	1.	अनुसूचित जाति	1. श्री आर. एन. गौड़	नकारात्मक	=	=
		,,	2.	सामान्य	2. श्री. राम सिंह	,,	=	=
		,,	3.	,,	3. श्री के. जी. धाभाई	,,	=	=
		,,	4.	अनु. जन जाति	4. श्री पी. पी. सी. भंडारी	,,	=	=
		,,	5.	सामान्य	5. श्री शिवकुमार शर्मा	,,	=	=
		,,	6.	,,	6. श्री हनुमान प्रसाद	अनु. जाति	=	-1(75)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1977–78 पद–16								
=	1(75)	3-8-78	7.	अनुसूचित जाति	1. श्री जी. पी. नाग	नकारात्मक	=	=
		,,	8.	सामान्य	2. श्री चन्द्र सिंह	,,	=	=
		,,	9.	,,	3. श्री वी. डी. शर्मा	,,	=	=
		,,	10.	,,	4. श्री एम. एल. वैश्यगर्ग	,,	=	=
		,,	11.	,,	5. श्री भूरमल जैन	,,	=	=
		,,	12.	अनु. जन जाति	6. श्री पी. जी. गोस्वामी	,,	=	=
		,,	13.	सामान्य	7. श्री सुखदेव कुमार	,,	=	=
		,,	14.	अनु. जाति	8. श्री गिर्राजसिंह	,,	=	=
		,,	15.	सामान्य	9. श्री एस. पी. कश्यप	,,	=	=
		,,	16.	,,	10. श्री आर. एस. गुप्ता	,,	=	=
		,,	17.	,,	11. श्री के. एल. गोदारा	,,	=	=
		,,	18.	,,	12. श्री हरनेक सिंह	,,	=	=
		,,	19.	,,	13. श्री एस. के. चौधरी	,,	=	=
		,,	20.	,,	14. श्री बक्सू खां	,,	=	=
		,,	21.	अनु. जाति	15. श्री एम. आर. महेश्वरी	,,	=	=
		,,	22.	अनु. जन जाति	16. श्री फिरोज खां	,,	3 (77-78)	1 (75-75) 2 (77-78)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1980, पद-9								
3(77-78)	1(75-76)	30-7-81	23.	सामान्य	1. श्री के. सी. तेजवानी	(सेवा निवृत्त) नका.	=	=
	2 (77-78)	,,	24.	,,	2. श्री ग्रार. के. सरोलिया	नकारात्मक	=	=
		,,	25.	,,	3. श्री वी. डी. गुप्ता	,,	=	=
		,,	26.	,,	4. श्री बसन्त कुमार पारीक	,,	=	=
		,,	27.	,,	5. श्री वाई. पी. शर्मा	,,	=	=
		,,	28.	ग्रनु. जाति	6. श्री पदम डी. शर्मा	,,	=	=
		,,	29.	,,	7. श्री के. के. सिंह	,,	=	=
		,,	30.	ग्रनु. जन जाति	8. श्री विरेन्द्र वरतारियां	,,	=	=
		,,	31.	सामान्य	9. श्री जी. एस. पटावरी	,,	3 (77-88) 1 (80)	2 (77-78) 1 (80)
वर्ष 1981, पद-6								
3 (77-78)	2 (77-78)	16-12-81	32.	सामान्य	1. श्री एम. एन. छवन	नकारात्मक	=	=

141

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 (80)	1 (80)	16-12-81	33.	सामान्य	2. श्री बी. आर. सूरी	नकारात्मक	=	=
		,,	34.	,,	3. श्री नाथीलाल	अनु. जाति	=	=
		,,	35.	अनु. जाति	4. श्री दाताराम	,,	=	=
		,,	36.	सामान्य	5. श्री डालचन्द गुप्ता	नकारात्मक	=	=
		,,	37.	सामान्य	6. श्री पुखराज सीरवी	अनु. जाति	= 1 (1980) 1 (1981)	2 (77-78) 1 (1980) =

परिशिष्ट–2

परिशिष्ट क

तारांकित प्रश्न संख्या 12 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	नाम पंचायत समिति	ऐसी शालायें जहां एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं है।	
1	2	3	4	
1–	बीकानेर	1– लुणकरणसर	11	
		2– कोलायत	4	
		3– बीकानेर	7	कुल 22
2–	भरतपुर	1– बयाना	1	
		2– बसेड़ी	3	कुल 4
3–	जयपुर	1– लालसोट	4	कुल 4
4–	सीकर	1– श्रीमाधोपुर	1	कुल 1
5–	सवाईमाधोपुर	1– गंगापुर	1	
		2– खण्डार	4	
		3– महुआ	3	
		4– सपोटरा	2	
		5– करौली	4	कुल 14
6–	जैसलमेर	1– सम	22	कुल 22
7–	अजमेर	1– जवाजा	7	
		2– पीसागन	4	कुल 11
8–	झालावाड़	1– पिण्डावां	6	
		2– खानपुर	2	कुल 8

1	2	3		4
9–	बाड़मेर	1– बालोतरा	5	
		2– चोहटन	18	
		3– शिव	17	
		4– बायत.	1	
		5– बाड़मेर	18	
		6– सिण्डधारी	3	कुल 62 (बासठ)
10–	बून्दी	1– नैनवा	2	
		2– हिण्डौली	1	कुल 3
11–	कोटा	1– शाहबाद	1	कुल 1
12–	जालौर	1– सायला	4	
		2– जालौर	1	
		3– जसवन्तपुरा	2	कुल 7
13–	जोधपुर	1– फलौदी	1	
		2– ग्रोसियां	1	कुल 2 (दो)
14–	सिरोही	1– ग्राबूरोड	5	कुल 5
15–	नागौर	1– मुण्डवा	9	
		2– जायल	1	कुल 10
16–	पाली	1– रायपुर	1	कुल 1
17–	भीलवाड़ा	1– जहाजपुर	2	कुल 2
18–	बांसवाड़ा	1– पीपलखूंट	3	
		2– बांसवाड़ा	2	
		3– कुशलगढ़	2	कुल 7
19–	उदयपुर	1– कोटड़ा	12	
		2– भाडोल	7	
		3– सराडा	4	
		5– खमनोर	1	

1	2	3	4	
		6– कुम्भलगढ़	6	
		7– गोगुन्दा	11	
		8– दरियावद	11	
		9– सलूम्बर	4	
		10– गिवई	1	कुल 57
				243

परिशिष्ट 'ख'

भरतपुर जिले के ऐसे स्कूलों की सूची जहां पर एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं है :–

1. श्यामपुरा ।

2. चन्द्रपुरा ।

3. भेड़े का पुरा

4. दुर्गसी

146

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जासके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में बालक-बालिकाओं को पोशाक तथा पाठ्य एवं लेखन सामग्री का वितरण

426. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1980-81 एव 1981-82 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की सात तहसीलें एवं तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में अध्ययन करने वाले कक्षा 3 से 5 तक के आदिवासी बालकों एवं बालिकाओं के लिये निःशुल्क पोशाकें, पाठ्य एवं लेखन सामग्री एवं प्रोत्साहन राशि हेतु राज्य सरकार ने जिलेवार कितनी कितनी राशि आवंटित की थी ? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अपने जिले में कितने बालक/बालिकाओं को पोशाकें एव पाठ्य एवं लेखन सामग्री वितरण करवाई ? कृपया पंचायत समिति-वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों वर्षों में उपयोजना क्षेत्र में कक्षा 3 से 5 तक पढ़ने वाले कुल कितने बालकों ने प्रवेश पाया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कक्षा 3 से 5 तक के आदिवासी बालकों एवं बालिकाओं के लिये निःशुल्क पोशाकें तथा पाठ्य एवं लेखन सामग्री हेतु आवंटित धनराशि की स्थिति को जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारियों ने पोशाकें, पाठ्य सामग्री जिन बालकों एवं बालिकाओं को वितरित की हैं, उनका संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में उपयोजना क्षेत्र में कक्षा 3 से 5 तक पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

1980–81 एवं 1981–82 में जिला चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति प्रतापगढ़ में कक्षा 3 से 5 तक के आदिवासी बालक एवं बालिकाओं के लिये निःशुल्क पोशाक/पाठ्य एवं लेखन सामग्री हेतु आवंटित राशि, उन्हें वितरित की गई सामग्री तथा बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का का विवरण :–

1–वित्तीय प्रावधान :–

वर्ष 1980–81	राशि (रुपये)	वर्ष 1981–82
पोशाकों हेतु	14,000	पूर्ण सूचना प्राप्त की जा रही है।
पुस्तकों हेतु	7,000	
कुल आवंटन	21,000	

(147)

2–वितरण स्थिति :–

वर्ष 1980–81		वर्ष 1981–82
कक्षा 1 से 2 के छात्र	339	पूर्ण सूचना प्राप्त की जा रही है।
कक्षा 1 से 5 छात्रायें	361	
कुल	700	

3–विद्यार्थियों की संख्या :–

	कक्षा–3	कक्षा–4	कक्षा–5
1980–81	2281	1994	1599
1981–82	2480	2270	1729

1980–81 एवं 1981–82 में जिला बांसवाड़ा में कक्षा 3 से 5 तक के आदिवासी बालक एवं बालिकाओं के लिये निःशुल्क पोशाक पाठ्य एवं लेखन सामग्री हेतु आवंटित धनराशि, उन्हें वितरित की गई सामग्री तथा बालकों एवं बालिकाओं के नामांकन का विवरण :—

1– वित्तीय प्रावधान :—

वर्ष	आवंटित राशि
1980–81	6,06,400.00 रुपये
1981–82	6,06,400.00 रुपये

2– वितरण स्थिति :—

		वर्ष 1980–1981		वर्ष 1981–82			
	पंचायत समिति का नाम	वितरित की गई पोशाकें		पोशाकें		स्लेटें	पुस्तकें
		छात्र	छात्रायें	छात्र	छात्रायें		
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	बांसवाड़ा	1675	850	1365	55	715	4229
2–	गढ़ी	1250	525	714	67	629	1346

149

1	2	3	4	5	6	7	8
3–	घाटोल	1900	405	713	38	678	872
4–	पीपलखूंट	100	148	540	25	425	600
5–	सज्जनगढ़	370	350	1075	25	960	674
6–	कुशलगढ़	405	400	1540	40	1200	1560
7–	आनन्दपुरी	249	310	1008	20	705	962
8–	बागीडोरा	460	390	1060	25	1085	968
	योग :–	6409	3378	8015	295	6397	11211

3– विद्यार्थियों की संख्या :—

	कक्षा–3	कक्षा–4	कक्षा–5
1980–81	4758	2804	1861
1981–82	4680	3504	2439

(151)

परिशिष्ट "ग"

वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में जिला उदयपुर में कक्षा 3 से 5 तक के आदिवासी बालक एवं बालिकाओं के लिये निःशुल्क पोशाक, पाठ्य एवं लेखन सामग्री हेतु आवंटित धनराशि, उन्हें वितरित की गई सामग्री तथा बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का विवरण

1– वित्तीय प्रावधान

वर्ष	आवंटित राशि
1980-81	1,95,000
1981-82	1,95,000

2– वितरण स्थिति

		वर्ष 1980-81		वर्ष 1981-82	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6
1–	पंचायत समिति झाडोल	2640	197	3006	376
2–	पंचायत समिति खेरवाड़ा	4188	1038	5764	1592
3–	पंचायत समिति कोटड़ा	2166	371	1514	419

1	2	3	4	5	6
4–	पंचायत स‌ि‌ति सराड़ा	2932	306	2838	457
5–	पंचायत समिति सलूम्बर	1947	114	1891	124
6–	पंचायत समिति घरियावद	1388	195	1708	185
7–	पंचायत समिति बगेरवा	1191	192	2237	170
8–	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) उदयपुर ।	2265	381	3090	418
9–	उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)	38	3	118	30

3– विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5
1980-81	7943	6311	5207
1981-82	8933	7234	6117

परिशिष्ट "घ"

1980-81 एवं 1981-82 में जिला डूंगरपुर में कक्षा 3 से 5 तक के आदिवासी बालक एवं बालिकाओं के लिये निःशुल्क पोशाक, पाठ्य **एवं लेखन सामग्री हेतु आवंटित** धनराशि, उन्हें वितरित की गई सामग्री तथा बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का विवरण

1- वित्तीय प्रावधान

वर्ष	आवंटित राशि
1980-81	6,51,200.20
1981-82	पूर्ण सूचना प्राप्त की जा रही है।

2- वितरण स्थिति वर्ष 1980-81

	पंचायत समिति का नाम	पोशाकें बालक बालिका	पुस्तकें	कापियां	स्लेटें
1	2	3	4	5	6
1-	डूंगरपुर	5397	3000	7029	5397
2-	सागवाड़ा	4462	2400	5582	4462

1	2	3	4	5	6
3-	सोमलवाड़ा	6426	3800	8316	6426
4-	बीछीवाड़ा	6682	4000	8978	6682
5-	ग्रासपुर	3159	1800	3951	3159
6-	जिला शिक्षा ग्रधिकारी, डूंगरपुर	4344	4344	6032	4344
7-	उप जिला शिक्षा ग्रधिकारी (छात्रा) डूंगरपुर	96	50	146	96
	योग :--	30566	19394	40154	30566

वर्ष 1981-82 पूर्ण सूचना प्राप्त की जा रही है।

3- **विद्यार्थियों की संख्या**

वर्ष	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5
1980-81	7658	6931	5167
1981-82	8053	7273	5421

रानीवाड़ा में निगम के बस स्टेशन का निर्माण

427. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा में पथ परिवहन निगम का कोई बस स्टेशन नहीं है ? यदि हां, तो कब तक बस स्टेशन बनवाया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि बस स्टेशन के लिये जिलाधीश, जालोर ने कोई जमीन आवंटित की है ? यदि हां, तो कितनी और किस जगह पर ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश जालोर से भूमि आवंटन एवं रूपान्तर होने के पश्चात् यदि निगम की वित्तीय स्थिति ठीक हुई तो इस पर विचार किया जावेगा।

(2) जी नहीं।

राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल लि. उदयपुर को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खनन के अभाव में हानि

428. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) व श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लि. उदयपुर ने वेस्ट रॉक/ओवर बर्डन हटाने का ठेका मैसर्स इस्टर्न एण्टरप्राइजेज को साढ़े छः करोड़ रुपये में दिया है ? यदि हां, तो किस-किस ने यह ठेका लेने हेतु किस-किस शर्त पर टेण्डर प्रस्तुत किये थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस फर्म ने वेस्ट रॉक/ओवर बर्डन हटाने का कार्य कब चालू कर दिया ? अभी तक कितना हटाया जा चुका है और यह कब तक पूरा हटा दिया जायेगा ?

(3) फर्म को अब तक सभी मदों में कितना चुकारा किया जा चुका है ?

(4) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं नियमानुसार खनन कार्य नहीं करने से यह स्थिति पैदा हुई है और उपक्रम को साढ़े छः करोड़ का अपव्यय करना पड़ रहा है ?

(5) क्या राज्य सरकार इस सारे मामले की जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मैसर्स इस्टर्न एन्टरप्राइजेज को 54 लाख टन (20.51 लाख घन मीटर) मलवा हटाने का ठेका 35.80 रुपये प्रति घन मीटर की दर से दिया गया है। जिसकी लागत करीब 7.43 करोड़ रुपये है। सात फर्मों ने निविदायें प्रस्तुत कीं जिसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(2) मैसर्स ईस्टर्न इन्जीनियरिंग एन्टरप्राइजेज ने ओवरबर्डन हटाने का काम 1 अगस्त, 1981 से प्रारम्भ कर दिया है। ठेकेदार ने 10 फरवरी, 1982 तक 4.71 लाख टन (1.82 लाख घन मी.) मलवा हटा दिया है। ठेके की शर्तानुसार 12 जून, 1984 तक सारा काम ठेकेदार को पूरा करना है।

(3) ठेकेदार को अब तक 64.98 लाख रु. का भुगतान हुआ है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(156)

सूची

ओवर बर्डन हटाने के लिये निम्नलिखित सात पार्टियों से निविदायें प्राप्त हुई थीं :—

1. मैसर्स जोमन्स लिमिटेड, बैंगलोर
2. मैसर्स जी. एल. अग्रवाल एण्ड कम्पनी गुप्ता) आसनसोल।
3. मैसर्स एन. पी. सी. सी., नई दिल्ली
4. मैसर्स कलकत्ता कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
5. मैसर्स ईस्टर्न इन्जीनियरिंग एण्टरप्राइजेज, कलकत्ता
6. मैसर्स रवी उद्योग, कलकत्ता
7. मैसर्स अजय माईनिंग कम्पनी, राजनांदगांव

उपरोक्त 7 पार्टियों में से निम्नलिखित निविदायें पूर्णतया शर्तों के अनुसार पाई गई और उनसे एन--90 के बाद संशोधित अंतिम दरों की तुलनात्मक सूची निम्न प्रकार है :--

क्र. सं.	पार्टी का नाम	दर
1.	मैसर्स अजय माइनिंग कम्पनी, राजनांदगांव	36.20 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर
2.	मैसर्स जी. एस. अग्रवाल एण्ड कं. आसनसोल	36.00 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर कम अन्य पार्टियों द्वारा अभी दी गई न्यूनतम दर से 1 प्रतिशत कम दर पर कार्य करने के लिये तैयार है।
3	मैसर्स इस्टर्न इन्जीनियरिंग एण्टरप्राइजेज, कलकत्ता।	35.80 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर।

अजमेर नगर के श्मशान स्थलों का सुधार

429. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, अजमेर के संयोजन में अजमेर नगर के श्मशान स्थल को सुधारने हेतु वन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ?

(2) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब किया गया, उसका संवैधानिक ढांचा, स्वरूप, अधिकार एवं कर्त्तव्य क्या क्या हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अभी तक उक्त समिति ने श्मशान स्थलों के सुधार हेतु क्या-क्या कार्य किस-किस श्मशान स्थल हेतु किए हैं ?

(4) कृपया इस समिति द्वारा भविष्य में श्मशान स्थलों के सुधार हेतु बनाई गई एवं प्रस्तावित योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु इस समिति का गठन मात्र अनौपचारिक था।

(2) दिनांक 29-11-81 को समिति का गठन अनौपचारिक होने से उसके संवैधानिक ढांचे, स्वरूप, अधिकार एवं कर्त्तव्य आदि का निर्धारण नहीं हुआ है।

(3 एवं 4) समिति का गठन अनौपचारिक है। समिति ने श्मशान स्थलों के सुधार हेतु अभी तक कोई कार्य नहीं किया है न कोई योजना बनाई है और न ही कोई योजना प्रस्तावित की है।

जिला पाली के अधिशाषी अभियन्ताओं का मुख्यावास

430. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला पाली में दो अधिशाषी अभियन्ता नियुक्त हैं ? यदि हां, तो इनके पास जिले का कौन कौनसा क्षेत्र है ? सूची सदन की मेज पर रखें। जिले के नक्शे में भी इस क्षेत्र को बताकर प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक अधिशाषी अभियन्ता, जिनके पास सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर तथा जैतारण तहसील हैं, का हैड क्वार्टर पाली रखने के लिये ही सिर्फ सोजत-पाली सड़क उनको दी गई है, जब कि उनका क्षेत्र पाली शहर के आसपास कहीं नहीं है और 25 किलोमीटर बाद में शुरू होता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उन्हें पाली से अपने क्षेत्र का दौरा करने पर सरकार का अधिक व्यय होता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपयुक्त आफिस तथा रिहायशी मकान की भी व्यवस्था नहीं है ? क्या इनका हैड क्वार्टर सोजत में रखे जाने का सरकार विचार

(श्री माधव सिंह दीवान)

रखती है ? यदि हां, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि. विभाग, जिला खण्ड-प्रथम पाली के अधीन पाली, देसूरी, बाली व सुमेरपुर तहसीलो का क्षेत्र है जब कि अधिशाषी अभियन्ता जिला खण्ड द्वितीय, पाली के अधीन खारची, सोजत, रायपुर एवं जैतारण तहसीलें हैं । मानचित्र सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(प्रपत्र "क")

(2) जी नहीं । अधिशासी अभियन्ता, जिनके पास सोजत, खारची, रायपुर व जैतारण तहसील है, का मुख्यालय प्रशासनिक दृष्टि से पाली में रखा गया है ।

(3) जी नहीं । इस अधिशाषी अभियन्ता का कार्य क्षेत्र पाली मुख्यालय से ही शुरू होता है ।

(4) अधिशाषी अभियन्ता, सा नि. विभाग जिला खण्ड-द्वितीय, पाली के कार्यालय के लिये व्यवस्था कर दी गई है लेकिन रिहायशी सरकारी मकानों की पाली में कमी होने के कारण व्यवस्था संभव नहीं है । सोजत में हैड क्वार्टर रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

रेड़ (टोडारायसिंह) क्षेत्र को वन विभाग के कब्जे से हटाना

431. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजमहल और गावढी के रेड़ नाम के क्षेत्र की खसरा नं. 110 की भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बनास नदी में आई बाढ़ से पहले उक्त भूमि वन विभाग के अधिकार में नहीं थी ?

(3) क्या राज्य सरकार इस रेड़ नाम के क्षेत्र को वन विभाग के अधिकार से निकालने का आदेश देकर गरीब किसानों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजमहल और गांवडी के ग्राम राजमहल एवं गांवडी में खसरा नम्बर 110 नहीं है, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी नहीं ।

जयपुर स्थित आई. ए. एस. एवं आई. पी. एस. अधिकारियों द्वारा ऋण की अदायगी

432. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

(श्री यदुनाथ सिंह)

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जयपुर स्थित ऐसे कितने और कौन कौन आई. ए. एस. एवं आई. पी. एस. अधिकारी हैं जो उनके द्वारा लिये गये विभिन्न ऋणों की अदायगी नहीं कर रहे हैं और क्यों ?

(2) सरकार ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) संकलित सूचना के अनुसार जयपुर में पदस्थापित आई. ए. एस. एवं आई. पी. एस. अधिकारियों द्वारा लिये गये विभिन्न ऋणों की नियमानुसार अदायगी की जा रही है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जयपुर सम्भाग के सिंचाई बांध

433. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर संभाग में कितने सिंचाई के बांध हैं ? इन बांधों में से सन् 1950 से पूर्व बने हुये कितने बांध हैं और सन् 1950 के बाद के बने हुये कितने बांध हैं ?

(2) वर्ष 1981 में जयपुर संभाग में आई बाढ़ से इन बांधों में से कितने बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं ? क्षतिग्रस्त बांधों में से कितने बांध सन् 1950 के पूर्व के बने हैं और कितने बांध सन् 1950 के बाद के बने हुये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जो बांध क्षतिग्रस्त हुये हैं उनमें से सन् 1950 के बाद बने हुये बांध अधिक हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? जिन ठेकेदारों के माध्यम से तथा विभागीय अधिकारियों के अन्तर्गत यह कार्य हुए हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर संभाग के अन्तर्गत कुल 1593 बांध हैं जिनमें से 1030 बांध सन् 1950 के पूर्व के बने हुए हैं व 563 बांध 1950 के बाद के बने हुए हैं ।

(2) सन् 1981 में जयपुर संभाग में आई बाढ़ के कारण कुल 242 बांध क्षतिग्रस्त हुये हैं जिनमें से 186 बांध 1950 के पूर्व के व 56 बांध 1950 के बाद बने हुए हैं ।

(3) जी नहीं । उपरोक्त भाग के उत्तर से स्थिति का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है । बांधों को क्षति अत्यधिक एवं अभूतपूर्व वर्षा से उत्पन्न स्थिति के कारण हुई है अतः किसी तरह की कार्यवाही ठेकेदारों तथा विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लॉटरी टिकिट्स की एजेन्ट्स में बकाया

434. श्री रामकिशोर मीणा, (सिकराय): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सन् 1980-81 व सन् 1981-82 में लॉटरी के कितने कितने मूल्य के कितने कितने टिकट एजेन्ट्स को कब कब वितरित किए गए ?

160

(श्री रामकिशोर मीणा)

(2) टिकट्स के मूल्य के रूप में एजेन्ट्स से कितना कितना रुपया कब कब जमा किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि एजेन्ट्स में अब भी टिकट्स की राशि बकाया है ? यदि हां, तो किस किस एजेन्ट में कब कब से ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। केवल 80 वें ड्रा की कुछ राशि बकाया है। बकाया राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 80-81 एवं 81-82 में ड्रा वार लोटरी टिकटों की बिक्री तथा जमा राशि की सूची

क. सं.	ड्रा सं.	टिकट बिक्री की अवधि	टिकट बिक्री किए	प्रत्येक टिकट का मूल्य	बिक्री किए गए टिकटों का मूल्य (कमीशन काटकर)	जमा कराई गई राशि	जमा की अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1980-81					(लाखों में)	(लाखों में)		
1.	72	5-4-80 से 17-6-80 तक	2250438	3/–	44·48	44·48	5-4-80 से 17-6-80 तक	
2.	73	15-6-80 से 5-8-80 तक	2345959	1/–	16·12	16·12	15-6-80 से 5-8-80 तक	
3.	74	15-8-80 से 16-9-80 तक	1251602	1/–	8·60	8·60	15-8-80 से 16-9-80 तक	
4.	75	14-9-80 से 18-11-80 तक	2488830	3/–	47·68	47·68	14-9-80 से 18-11-80 तक	
5.	76	16-11-80 से 28-1-81 तक	2361429	3/–	52·51	52·51	16-11-80 से 20-1-81 तक	
6.	77	28-1-81 से 24-3-81 तक	1675446	3/–	37·30	37·30	20-1-81 से 24-3-81 तक	
		योग :—	1,23,73,?84		206·69	206·69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1981-82								
1.	78	25-3-81 से 25-5-81 तक	2174704	3/-	48·30	48·30	25-3-81 से 25-5-81 तक	
2.	79	25-5-81 से 3-8-81 तक	3599498	5/-	127·84	127·84	25-5-81 से 3-8-81 तक	
3.	स्पेशल लैण्ड लौटरी ड्रा	12-10-81 से 16-11-81 तक	92552	2/-	1·39	1·39	12-10-81 से 16-11-81 तक	
4.	80वां	12-8-81 से 10-2-82 तक	3991383	5/-	149·00	127·69 5·28	12-8-81 से 18-2-82 तक 11-2-82 से 12-3-82	रु. 16·8 लाख बकाया है।
		योग :—	98,58,137		326·53	318·50		

81वें वर्तमान ड्रा की बिक्री दिनांक 10-2-82 से चल रही है।

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान स्टेट लौटरी के 80वें ड्रा में एजेन्टों से बकाया राशि की सूची

क. सं.	नाम कैम्प	नाम एजेन्ट	बकाया राशि	बकाया का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	मद्रास	श्री एस. एस. मरवाहा, देहली	20,000/–	18-2-82
	,,	श्री आई. सी. ठक्कर, अहमदाबाद	60,000/–	,,
		योग :—	80,000/–	
2.	देहली	श्री अमृत चौपड़ा, देहली	5,220/–	,,
		योग :—	5,220/–	
3.	बिहार	श्री दामोदर शर्मा, पटना	11,300/–	,,

163

1	2	3	4	5
	बिहार	श्री डायमन्ड एजेन्सी, पटना	1,000/-	10-2-82
	,,	श्री विजय एजेन्सी, निरसा	2,000/-	,,
	,,	श्री सुरेश शर्मा, सीतामढ़ी	1,000/-	,,
		योग :—	15,300/-	
4.	आन्ध्रप्रदेश	श्री पारसमल जैन, निरसापुर	400/-	,,
		योग :—	400/-	
5.	लखनऊ	एजेन्ट वार विगत सम्बन्धित कैम्प प्रभारी से मांगी जा रही हैं	50,700/-	
		योग :—	50,700/-	

1	2	3	4	5
6.	कलकत्ता	मै. वीरा एजेन्सी, कलकत्ता	124500/-	10-2-82
	,,	मै. कल्याण एजेन्सी, कलकत्ता	33500/-	,,
	,,	मै. ए. करमाकर, कलकत्ता	55000/-	,,
	,,	मै. मातारा डिस्ट्रीब्यूटर, सिलीगुडी	900/-	,,
	,,	मैं. सबंनी एजेन्सी, कलकत्ता	1500/-	,,
	,,	मै. लक्खू भाई, कलकत्ता	1600/-	,,
	,,	मै. एम. के. बोरा, कलकत्ता	15000/-	,,
	,,	मै. जालान लाटरीज, तिनसुखिया	18000/-	,,
		योग :—	2,50,000/-	
7.	अहमदाबाद	श्री आई. सी. ठक्कर, अहमदाबाद	5,00,000/-	,,
	,,	श्री पारेख एजेन्सी, अहमदाबाद	50,000/-	,,
		योग :—	5,50,000/-	

1	2	3	4	5
8.	मध्यप्रदेश	एजेन्ट वार विगत सम्बन्धित कैम्प प्रभारी से मांगी गई हैं	रु. 29313·75	10-2-82
		योग :—	29313·75	
9.	मोबाइल कैम्प जयपुर	श्री महावीर लाटरी एजेन्सी, जयपुर	रु. 6,21,742·34	,,
		योग :—	6,21,742·34	
		कुल योग :—	16,02,676·09	

ब्यावर के बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

435. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से लाम्बीया, कालू व ब्यावर से बालडा जो पब्लिक बसें चलती हैं उनमें बहुत भीड़ रहती है और ये बसें समय पर भी नहीं चलती हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पूर्व में कोई शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इस रूट का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक इस रूट का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर चलने वाली बसो की चौकिंग करने पर इनमें भीड़ रहने व समय पर न चलने सम्बन्धी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। श्री शिवदान सिंह राठौड़ की शिकायत दिनांक 25-1-81 प्राप्त होने पर इन बसों की दिनांक 13-8-81, 19-9-81, 2-11-81 व 21-2-82 को चौकिंग कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 19-9-81 को वाहन संख्या आर. जे. जेड. 5637 में 40 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाये गए जिसके फलस्वरूप वाहन स्वामी से 336/- रु. जुर्माना रसीद संख्या 17/236527 दिनांक 19-9-81 द्वारा वसूल किया गया। शेष चौकिंग में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

(2) जी नहीं। क्योंकि इस मार्ग का कछ भाग कच्चा है।

राज्य में चुंगी वसूली का मापदण्ड

436. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में चुंगी वसूल किन-किन आधारों पर की जाती है ?

(2) राज्य में मूल्य के आधार पर चुंगी कहां-कहां ली जाती है व वजन के आधार पर कहां कहां ली जाती है ?

(3) वजन के आधार पर चुंगी वसूल करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में नगरपालिकाओं द्वारा चुंगी कर मूल्य मात्रा व वजन के आधार पर वसूल की जाती है।

(2) राज्य में ऐसी कोई नगरपालिका नहीं, जो केवल वजन या मूल्य के आधार पर चुंगी वसूल करती है। नगरपालिकाओं में उनकी स्वीकृत चुंगी अनुसूची के अनुसार कुछ आइटमों पर चुंगी की दरें मूल्य के आधार पर, कुछ आइटमों पर वजन व कुछ पर मात्रा के आधार पर ली जाती है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) नगरपालिकाओं के स्थानीय कारणों से कुछ आइटमों पर वजन के आधार पर चुंगी वसूल की जाती है।

बाड़मेर व जैसलमेर में पंचायत मुख्यावास तक सड़क निर्माण

437. श्री **अमीन खां** (शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

बाड़मेर व जैसलमेर के कितने पंचायत मुख्यवास तक सड़कें नहीं हैं तथा जिन-जिन पंचायत मुख्यावास तक सड़कें नहीं है वे कब तक पूरी की जायेंगी ?

उत्तर

बाड़मेर व जैसलमेर में क्रमश 15 व 22 पंचायत मुख्यावास अभी सड़कों से नहीं जुड़े हुये है। जिन पंचायत मुख्यालयों तक सड़क नहीं है उन्हें योजना तथा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत सड़को द्वारा जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

बीकानेर जिले की जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति

438. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):- क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की जून 1980 से जनवरी, 1982 तक कुल कितनी बैठके हुई ? कृपया प्रत्येक माह को बैठक की तिथि की एवं उनमें निर्णीत मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकारीगण जन प्रतिनिधियों को जान बूझकर बैठकों से वंचित रखने हेतु हर माह नियमित बैठक नहीं बुलाते हैं।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति की बैठकें ऐसे समय में बुलाई गईं जैसे विधान सभा सत्र के सत्रावसान के दूसरे दिन अर्थात् दिनांक 26 सितम्बर, 1981 और पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव के दिन अर्थात् दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 को, जिससे जन प्रतिनिधि इन बैठकों में भाग नहीं ले सकें ?

(4) जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति मे जून, 1980 से जनवरी 1982 तक कुल कितने मामले पेश हुए व कितने मामलों में अब तक निर्णय लिए जा चुके हैं ? कृपया निर्णीत मामलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में जन अभियोग निराकरण एव सतर्कता समिति की जून, 1980 से 82 तक कुल 7 बैठके हुई, जिनमें लिये गये निर्णयों की सूचा मय तिथि सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। शासन कार्य की अधिकता के कारण समिति की बैठकें प्रति माह आयोजित नहीं की गई हैं।

(3) जी नहीं। यह संयोगवश हुआ। इसके अतिरिक्त प्रधान के चुनाव की सूचना से पूर्व ही नियमानुसार बैठक की सूचना जारी की जा चुकी थी।

(2) जून, 1980 से जनवरी, 1982 तक समिति के समक्ष 211 मामले पेश किये गए, जिनमें से समिहित द्वारा कुल 108 मामलों का निस्तारण किया गया। प्रति सदन को मेज पर प्रस्तुत है।

जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, बीकानेर की जून, 1980 से जनवरी, 1982 तक की बैठक व उनमें निर्णीत मामलों की सूची

बैठक का दिनांक—13-6-80

1. श्री गणेशराम च. श्रे. क. कार्यालय रा. न. प. बीकानेर के बकाया भुगतान बाबत।
2. यात्रा भत्ता एवं वेतन भुगतान अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर द्वारा न करने के बारे में प्रार्थना पत्र श्री भंवरलाल बैरवा।
3. प्रार्थना पत्र श्री देवप्रकाश आचार्य क. लि. कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि., बीकानेर बाबत 858 सस्पेन्स अकाउन्ट के भुगतान।
4. शिकायत विरुद्ध श्री रामेश्वरलाल सोनी, प्रधानाध्यापक, रा. उ. प्रा. विद्यालय, सहजरासर।
5. हरिजनों की गुवाड़ एक सवर्ण वर्ग द्वारा रोके जाने के बारे में।
6. स्थानान्तरण पर अग्रिम यात्रा भत्ता, वेतन आदि दिलाने के बारे में प्रार्थना पत्र श्री हड़मानदास व्यास पम्पचालक।
7. वर्ष भर के यात्रा बिलों की राशि का भुगतान बाबत प्रार्थना पत्र श्री घनश्याम थांगी, श्रम कल्याण अधिकारी, रा. न. प., सूरतगढ़।
8. प्रार्थना पत्र श्री लालचन्द मीणा व श्री अनुसूया प्रसाद शर्मा, च. श्रे. कर्मचारी सी. ए. डी., रानप, बीकानेर को राज्य सेवा से पृथक करने के सम्बन्ध में।
9. प्रथम नियुक्ति दिनांक से 110-230 की वेतन शृंखला पर फिक्स कर भुगतान करने के क्रम में प्रार्थना पत्र श्री खलीक अहमद मुन्शी, वाटर सप्लाई स्कीम, डूंगरगढ़।
10. बिना कारण वेतन, स्थानान्तरण यात्रा बिल, 858 सस्पेन्स अकाउन्ट आदि के बारे में प्रार्थना पत्र श्री निहाल चन्द जैन।
11. प्रार्थना पत्र श्री अवतार सिंह नोतरा क. अ. बाबत एरियर भुगतान इन्क्रीमेन्ट एंव लांब केस के बारे में।
12. शिकायत विरुद्ध श्री खेमचन्द वर्मा, कोषाधिकारी, बीकानेर प्रार्थना पत्र श्री शंकरलाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जिलाधीश, बीकानेर।

बैठक का दिनांक—6-12-80

13. प्रार्थना पत्र श्री भंवरलाल सांखला लैब टेकनीशियन, सेन्ट्रल लेबोरेटरी पी. बी. एम. होस्पिटल, बीकानेर बाबत चार महीने से वेतन न मिलने हेतु।

170

14. श्री भंवरलाल चलवां भू. पू. अध्यक्ष सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 4 के विरुद्ध शिकायत ।
15. सरकारी भूमि से अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र सर्वश्री सुखबीर सिंह, हरिराम पुरानी गिनाणी, बीकानेर ।
16. श्री महबूब अली खां, वरिष्ठ लैब टेकनीशन पब्लिक लेबोरेटरी, बीकानेर को अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर (तीन) माह का वेतन न देने के बारे में ।
17. हसन खां, श्रम निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप बाबत ।
18. बीकानेर की युवा पीढ़ी को नशीली जहरीली गोलियों से नजात दिलाने हेतु ।
19. श्री बालूराम जाट नि. बरसिंगसर द्वारा श्री मुराराम मेघवाल के खेत को हड़पने के सबंध में ।
20. शिकायत विरुद्ध श्री श्यामलाल आचार्य, व., लि. राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर ।
21. शिकायत विरुद्ध श्री लाल सिंह, तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर ।
22. केसरदेशर जाटान ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में व्यवस्थापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।
23. 858 अनिवार्य जमा योजना जमा कटौती खाता स्थानान्तरण के बारे में प्रार्थना पत्र मखनलाल व्यास ।
24. लिफ्ट खण्ड वाटर कॉलेज में अधिकारी द्वारा जबरदस्ती सीमेन्ट चोरी करने तथा ब्लेक मारकेटिंग के बारे में शिकायत ।
25. श्री रामबाबू शर्मा, सहायक अध्यापक का बकाया भुगतान के बारे में ।
26. सस्पेन्स अकाउन्ट खाता के दोनों किश्तें के भुगतान करने के बारे में ।
27. विभागीय जांच विरुद्ध श्री हरिओम अग्रवाल, क. लेखाकार, आयुर्वेद विभाग, बीकानेर ।
28. 858 सस्पेन्स अकाउन्ट ट्रान्सफर करने के बारे में प्रार्थना पत्र श्री मोहम्मद हुसेन, क नि., जिला रसद कार्यालय, बीकानेर ।
29. वर्ष भर के यात्रा बिलों की राशि का भुगतान न करने के बारे में ।

बैठक का दिनांक—28.2.81

30. बीकानेर स्थित सागर रोड पर स्थित भूमि क्रय विक्रय में घोटाले के बारे में प्रार्थना पत्र श्री करनीदानसिंह मोहता ।
31. खातेदारी भूमि की रजिस्ट्री में डरा धमका कर रिश्वत लेने के बारे में शिकायत विरुद्ध श्री हनुमानदान, भू. पू. तहसीलदार, लूणकरणसर ।
32. हरिजनों के गुवाड़ एक सवर्ण द्वारा रोके जाने के बारे में ।

33. श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के भू. पू. महन्त श्री भगवन्तदास के विरुद्ध प्रमुख सिंह स्थल पीठ की चल एवं अचल सम्पत्ति लाखों के घोटाले की जांच करने हेतु ।

34. शिकायत वि. पेशकार, नगर परिषद, बीकानेर शिकायतकर्त्ता श्री मेहरामदीन ।

35. प्रार्थना पत्र श्री हनुमान सिंह पुत्र लाल सिंह, पुरानी गिन्नाणी बागवानी के मोहल्ला, बीकानेर बाबत मकान के आगे से लकड़ी का खोखा हटाने बाबत ।

36. श्री भैरवलाल उर्फ भैराराम सारण सोमलसर अर्जीनवीस, तहसील कोलायत विरुद्ध शिकायत ।

37. आवेदन पत्र श्री बारूसिंह पुत्र भगवान सिंह राजपूत, सादुल कॉलोनी बाबत भूखण्ड आवंटन के बारे में ।

38. श्री भंवरलाल सांखला, तकनीशन, पी. बी. एम. होस्पिटल बीकानेर को चार माह से वेतन भुगतान के बारे में ।

39. वैद्य श्री बुद्धि निधान रांगड़ी, चौक बीकानेर को 19 माह से भुगतान दिलाने के बारे में प्रार्थना-पत्र ।

40. श्री घनश्याम स्वामी, श्रम कल्याण अधिकारी, रा. न. प. को बकाया टी. ए. बिल भुगतान के बारे में ।

41. शिकायत विरुद्ध श्री जगरूसिंह, टर्नर, रा. न. प., बीकानेर ।

42. शिकायत विरुद्ध श्री जेठमल, व. लि., समाज कल्याण विभाग, बीकानेर द्वारा गलत तरीके से मकान किराया उठाने के बारे में ।

बैठक का दिनांक—28-4-81

43. शिकायत विरुद्ध श्री सत्यनारायण भाटी, व. लि., कार्यालय रा. न. प., बीकानेर ।

44. शिकायत विरुद्ध श्री हाजी खां, सरपंच, ग्राम पंचायत शिवबाड़ी ।

45. प्रार्थना पत्र श्री भीलनायक, कपिल आश्रम कोलायत बाबत श्री बसीरखां द्वारा नाजायज ईंट भट्टे बनाकर नुकसान पहुंचाने ।

46. श्री किशन लाल च. श्रे. क., रा. न. प., 14 वां खण्ड को बकाया भुगतान के बारे में ।

47. प्रार्थना पत्र श्री घूड़ाराम पुत्र जेठाराम, जाति मेघवाल बाबत नाजायज कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में ।

48. शिकायत विरुद्ध सी. एम. एच. ओ., गंगाशहर एवं ड्रग निरीक्षकों बाबत रिश्वत की जांच ।

49. श्री सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय सोसाइटी पर एकाधिकार एवं इसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में ।

50. माह नवम्बर, 1977 से अप्रेल, 79 तक का वेतन भुगतान किये जाने के संबन्ध में प्रार्थना पत्र श्री बुद्धिनिधान।

51. श्री रामप्रकाश तारथकी, निरीक्षक के बकाया भुगतान न होने के बारे में प्रार्थना पत्र।

बैठक का दिनांक 1-8-1981

52. शिकायत विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता, राज. न. प. 15 वां खण्ड, बीकानेर।

53. प्रार्थना पत्र श्री राजेन्द्र कुमार बाबत नौकरी की प्रतीक्षा।

54. ग्राम भलूरी के होमियोपैथिक होस्पिटल में डाक्टर की अनुपस्थिति के बारे में शिकायत।

55. छविगृह द्वारा तादाद से अधिक टिकट विक्रय करने के संबन्ध में।

56. श्री भुवनेश्वर प्रसाद, च. श्रे. क. को समय पर वेतन एवं बकाया अन्य भुगतान न मिलने बाबत।

57. स्व. श्री मोडाराम वल्द कुकमाराम को प्रोविडेन्ट फण्ड व बीमा का भुगतान न मिलने के बारे में प्रार्थना पत्र।

58. गन्दे नाले रामोसरवास, पुरानी गिन्नानी, हनुमान हथा, माजिया का वास रथखाना आदि की सफाई व्यवस्था बारे में।

59. श्री भीखसिंह, च. श्रे. क. की सेवा पुस्तिका एवं एल. पी. सी. भिजवाने बाबत।

60. श्री भंवर सिंह, पम्प ड्राईवर, गांव जागनू के विरुद्ध शिकायत।

बैठक का दिनांक 26-9-81

61. ग्राम भलूरी के होमियोपैथिक होस्पिटल में डाक्टर की अनुपस्थिति के बारे में।

62. उमाराम चौधरी ठेकेदार को किये गये कार्य का भुगतान न किये जाने के बारे में।

63. श्री पृथ्वी सिंह, भू. पू. नायब तहसीलदार कोलायत का वेतन स्थिरीकरण बाबत।

64. माह दिसम्बर, 78 का वेतन दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र श्री किशन स्वरूप माथुर।

65. श्री दाऊदयाल रंगा, वैद्य आयुर्वेद चिकित्सालय, बीकानेर के बकाया भुगतान के बारे में।

66. श्री भुनेश्वर प्रसाद, च. श्रे. क., कार्यालय जिला विस्तार अधिकारी, पूगल के बकाया भुगतान के बारे में।

67. डॉ. उमेश कुमार मोहतिया, सी. ए. एस. के बकाया भुगतान के बारे में।

68. श्री महबूब अली खां, वरिष्ठ लेब टेक्निशियन पब्लिक लेबोरेट्रीज, बीकानेर के बकाया वेतन दिलाने के बारे में।

69. श्री ग्रोम प्रकाश गुप्ता, क., अ., रा. न. प., बीकानेर के बकाया भुगतानों के बारे में।

70. वेतन-वृद्धि एरियर का बकाया भुगतान के बारे में प्रार्थना पत्र श्री मोहन लाल मेहरा, एम. एस. आई.।

71. श्री राजवीर वर्मा, सहायक अध्यापक कपूरीयर के बकाया भुगतान के बारे में।

72. स्व. श्री शिवरतन विहाणी के पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान आश्रितों को देने के सम्बन्ध में।

73. श्रीमती कृष्णा प्यारे अरोड़ा, सहायक अध्यापिका के बकाया वेतन भुगतान बाबत।

74. श्री गणेशी लाल, तहसीलदार (अकाल राहत), जिलाधीश कार्यालय, बीकानेर के टी. ए. बिल भुगतान बाबत।

75. सादुंल संस्कृत विद्यापीठ, बीकानेर के कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने के बारे में प्रार्थना पत्र कर्मचारीगण।

76. श्री दिनेश कुमार, क. लि. को बकाया वेतन भुगतान कराने के बारे में।

77. श्री गोपाल कृष्ण गांधी, भू. पू. अधिदर्शक के बकाया यात्रा भत्ता बिल भुगतान के बारे में।

78. कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान के बारे में प्रार्थना पत्र श्री शंकर लाल।

79. श्री वृद्धिनिधान वैद्य को बकाया भुगतान के बारे में।

80. श्री राम प्रसाद, सांख्यिकी निरीक्षक को बकाया एरियर भुगतान के बारे में प्रार्थना पत्र।

81. श्री वली मोहम्मद, च. श्रे. कर्मचारी की पदोन्नति बाबत।

82. श्री असगर अली, एम. एस. डब्ल्यू., मलेरिया विभाग, बीकानेर के अवकाश काल के भुगतान बाबत।

83. श्री अर्जुन देव, भूतपूर्व सहायक अभियन्ता, सी. डी. ब्लोक, बीकानेर के पेंशन केस एवं ग्रेच्यूटी तय करने के बारे में।

84. श्री हरीहर शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी के वेतन स्थिरीकरण के बारे में।

174

85. डॉ. के. ओ. ऊपन, सेवानिवृत्त सी. ए. एस. को तीन साल का बकाया वेतन दिलाने बाबत ।

86. श्री घूड़नाथ योगी, प्रधानाध्यापक रा. उ प्रा. वि., लूणकरणसर को माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 80 का वेतन दिलाने के क्रम में ।

87. श्री नानक राम, क. लि., कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि, सी. ए. डी., बीकानेर बाबत अनिवार्य जमा योजना, पुराने खाते का भुगतान ।

88. श्री सेमुअल बेंजामिन, कार्यालय अधीक्षक, आर. सी. पी., बीकानेर के वेतन स्थिरीकरण एवं उसका बकाया भुगतान के बारे में ।

89. श्री बच्छराज माथुर, भू. पू. क. लेखाकार, कार्यालय परियोजना निदेशक, डी. पी. ए. पी., बीकानेर के 858, सस्पेन्स अकाउन्ट का बकाया भुगतान दिलाने बाबत ।

90. श्री उदाराम, पम्प चालक, उरमूल डेयरी, बीकानेर के यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बाबत ।

91. श्री एस. के. पूनिया, उपनिदेशक, सांख्यिकी के बकाया वेतन भुगतान के बारे में ।

92. सुश्री एस. मिन्ज नर्स, पी. बी. एम. होस्पिटल, बीकानेर के सन् 1961 से वेतन स्थिरीकरण के सम्बन्ध में ।

93. श्री पदम सिंह राघव, सहायक पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सालय, कोलायत के सन् 1976 के वेतन स्थिरीरण के सम्बन्ध में ।

बैठक का दिनांक 26-12-81

94. नहर का पानी कृषि के लिये उपलब्ध कराने के बारे में ।
95. उन्नत बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।
96. सहकारी समितियों के गठन के बारे में ।
97. डाक व तार संबंधी सुविधा ।
98. स्वास्थ्य संबंधी सुविधा ।
99. पशु चिकित्सा संबंधी सुविधा के बारे में ।
100. गांव गुसाईसर शरेरा रिड़मलसर पुरोहितान एवं कानासर में कन्ट्रोल की सामग्री गेहूं, चीनी के वितरण हेतु कोई प्राइवेट डीलर दिलाने का मामला ।
101. सहकारी समितियों से संबंधित समस्या ।
102. रेडक्रास कार्यालय ।
103. काश्तकारों को ऋण देने के बारे में ।
104. डाक व तार सुविधा ।

105. शिकायत विरुद्ध श्रीनिवास व्यास, नथुसर गेट बाहर, बीकानेर के वृद्धावस्था पेंशन रोकने के सम्बन्ध में।

106. राज्य मंत्री के रहते हुए आचरण नियम 1971 का उल्लंघन के बारे में शिकायत विरुद्ध श्री बाबूलाल खाण्डा, भूतपूर्व कोषाधिकारी, बीकानेर एवं श्री जयश्री, क० लि०, पुरातत्व विभाग, बीकानेर।

107. प्रार्थना पत्र श्री पूनमचन्द पुत्र श्री मेघराज, नया कुआ, बीकानेर बाबत एफ. आई. आर. 60/81 दिनांक 9-6-81 की जांच में गड़बड़ी।

108. शिकायत विरुद्ध श्री डी. पी. ठुकराल, जिला बचत अधिकारी, अल्प बचत योजना, बीकानेर।

तहसील बहरोड के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

439, श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़): क्या जन स्वास्थ्य-अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार तहसील बहरोड़ के ग्राम, यथा अनन्तपुरा, दांसोद, लक्सा-बास, ढूढाडियां, सांसेडी, भोझरा, हमीदपुर, सोरवा, खोहर, शिवदानसिंहपुरा, विनया-सिंहपुरा, गूगडिया, गाघोन, खापारया व बनहड में पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

प्रश्न में वर्णित गांवों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) हमीदपुर—यह गांव स्वीकृत क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना नासलपुर-माछल के अन्तर्गत है। इस गांव में पेयजल व्यवस्था के लिये निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं वर्ष 82-83 में कार्य पूर्ण होने की सम्भवना है।

(2) गाघोज—गाघोन नाम से कोई गांव बहरोड़ तहसील में नहीं है, गाघोज नामक गांव है। इस गांव के लिए पम्प एव टेंक योजना इस वर्ष (1981-82) में प्रशासनिक स्वीकृति रु. 6.13 लाख की न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के अन्तर्गत जारी कर दी गई है। धन उपलब्धि के अनुसार योजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

(3) गुगडिया—इस गांव के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बसाई-गांगली के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में रु. 21.2 लाख की न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। धन उपलब्धि के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(4) सोरवा—इस गांव को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बुधवाल-बटेडा द्वारा लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजना को वर्ष 1981-82 में प्रशासनिक स्वीकृति त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत रु. 14.17लाख दी जा चुकी है व धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जावेगा।

(5) ग्राम अनन्तपुरा नाम से कोई गांव बहरोड तहसील में उपलब्ध नहीं है, अन्तपुरा, दौसोद लक्सीवास व विनयासिंहपुरा पेयजल समस्याग्रस्त गांव है। इनमें आगामी वर्षों में पेयजल योजनाएं वित्तीय साधनों की उपलब्धि को देखते हुये सम्भव हुआ तो स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(6) ग्राम ढुढाडिया, सांसेडी, शिवदानसिंह पुरा, खापरिया, खोहर व बनहड जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के सर्वेक्षण अनुसार पेयजल समस्या रहित श्रेणी के गांव हैं। वर्तमान में समस्याग्रस्त गांवों की योजनाओं को ही प्राथमिकता दी जा रही है।

(7) गांव भोभरा का नाम जनगणना पुस्तक में तहसील बहरोड में उपलब्ध नहीं है। यह कोई ढाणी प्रतीत होती है। वर्तमान में गांवों के लिये ही पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा रही है।

अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

440. **श्री गुलाबचन्द कटारिया**(उदयपुर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में अप्रेल, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक तथा सितम्बर, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक शराब के अवैध निर्माण करने के तथा अवैध शराब बेचाने के कितने कितने मामलों में विभाग द्वारा कार्यवाही की गई ? सूची माहवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन उद्देश्यों को लेकर शराब बन्दी समाप्त की गई है ? उनमें से कौनसे उद्देश्य प्राप्त कर लिये गये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य मे अप्रेल,81 से 31 अगस्त, 81 तक इस विभाग द्वारा शराब के अवैध निर्माण एवं बेचने के कुल 2738 एवं सितम्बर, 81 से 31 दिसम्बर, 81 तक कुल 2536 अभियान पंजीकृत कर कार्यवाही की गई। पंजीकृत अभियोगों की माहवारी सूची निम्न प्रकार से है :-

माह	अभियोगों की संख्या
अप्रेल, 81	539
मई, 81	609
जून, 81	608
जुलाई, 81	613
अगस्त, 81	369
सितम्बर, 81	681
अक्टूबर, 81	643
नवम्बर, 81	683
दिसम्बर, 81	524

(2) मद्यनिषेध की अवधि में कई प्रयासों के बावजूद भी मदिरा पीने की लोगों की आदत में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर

(आबकारी मंत्री)

नहीं होने के कारण एवं समाज विरोधी तत्वों द्वारा मद्य का अवैध निर्माण तथा व्यापार पीने वाली जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर, राज्य राजस्व को हानि पहुंचाकर कर समृद्धि प्राप्त की गई। जहरीली एवं अवांछनीय वस्तुओं से निर्मित मदिरा के अवैध निर्माण एवं उसके उपभोग से कई लोगों की मृत्यु तक हुई। जिससे शासन को लोगों के स्वास्थ्य, जन हानि एवं राजस्व हानि को रोकने से उद्देश्य से शराबबन्दी समाप्त करनी पड़ी। उक्त उद्देश्य अधिकतर प्राप्त कर लिये गये हैं।

बाल विकास परियोजना के तहत पंचायत समिति चौहटन का चयन

441. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, चौहटन का सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत चयन किया गया है ?

(2) यदि हां, तो कब से उक्त परियोजना ने काम प्रारम्भ किया है तथा कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया व इस राशि में से कितना व्यय किया जा चुका है ?

(3) उक्त पंचायत समिति में कितने केन्द्र स्वीकृत हैं तथा वास्तव में कितने चल रहे हैं व इन केन्द्रों का निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

(4) केन्द्र चालू होने की तिथि से प्रत्येक केन्द्र पर प्रावधान के मुकाबले कितना व्यय हुआ है।

(5) क्या यह भी सही है कि केन्द्रों पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को केन्द्र के प्रारम्भ होने की तिथि से अब तक मासिक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब से व इसका क्या कारण है तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) परियोजना की स्वीकृति माह नवम्बर, 1980 में की गई थी। इस योजना हेतु वर्ष 1981-82 में रु. 4.70 लाख का प्रावधान किया गया था तथा फरवरी, 1982 तक रु. 2.28 लाख व्यय किया गया है।

(3) सूचना परिशिष्ट "क" में पटल पर रखी दी गयी है।

(4) प्रत्येक केन्द्र का लेखा-जोखा अलग से नहीं रखा जाता है।

(5) जी नहीं। केन्द्रों में कार्यरत अधिकांश महिलाओं के बकाया वेतन का भुगतान उन्हें जनवरी व फरवरी, 1982 में किया है तथा शेष का भुगतान मार्च, 82 तक कर दिया जाय, ऐसी कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट "क"

इस परियोजना के लिये 100 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं किन्तु वांछित योग्यता की महिला कार्यकर्ता स्थानीय रूप से उपलब्ध न होने के कारण अभी तक केवल 33 केन्द्र ही प्रारम्भ हो सके हैं। इन केन्द्रों का कार्य समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होता है। इस अवधि में बालकों, गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलाती माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है तथा अनौपचारिक शिक्षा, पोषाहार एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

श्री बांगड़ कालेज, डीडवाना

442. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या श्री बांगड़ कॉलेज, डीडवाना की बाउण्ड्री की सीमा रेखांकित हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो अनुचित कब्जों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है ?

(2) श्री बांगड़ कॉलेज के स्टाफ को सुविधा प्रदान करने हेतु नगरपालिका डीडवाना से बांगड़ ट्रस्ट ने जमीन प्राप्त करके जो क्वार्टर कॉलेज के सामने बना रखे हैं, उनमें यह सुविधा कॉलेज स्टाफ के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को दिये जाने के क्या कारण है ?

(3) क्या श्री बांगड कॉलेज, डीडवाना द्वारा कुचामन सिटी के छात्रों को आवागमन सुविधा देने हेतु एक बस दी हुई है ? यदि हां, तो इस सत्र में उक्त सुविधा क्यों बन्द कर रखी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सीमा रेखांकन एवं अवैध कब्जों को हटाने हेतु सम्बन्धित जिला अधिकारियों को लिखा जा चुका है।

(2) बांगड़ ट्रस्ट द्वारा बनाये गये स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन ट्रस्ट द्वारा ही किया जाता है।

(3) जी हां। वर्तमान में बस खराब होने के कारण परिचालन योग्य नहीं है।

पंचायत राज सम्मेलन हेतु अनुबंधित निगम की बसों का किराया

442. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनवरी, 1982 में बीकानेर में हुए पंचायत राज सम्मेलन हेतु राज्य परिवहन की कितनी गाड़ियों को किस किस स्थान से कहां कहां के लिए अनुबंधित किया गया था ? कृपया निगम से ली गई बसों की जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सम्मेलन के लिये कितनी गाडियों को कितने कितने दिन के लिये लगाया गया ? उक्त बसें किस किसके नाम स्वीकृत की गई हैं तथा इन बसों के किराये से निगम को कितनी आय हुई तथा किन किन जिलों से कितनी कितनी राशि किस किस नाम से कब कब जमा कराई गई ?

(सुश्री पुष्पा जैन)

कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन गाडियों का कुल किराया व टैक्स कितना होता है और उसमें कब कब कितनी रकम का भुगतान किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि आगार बूंदी में बसों की कमी होने पर भी जनता की परेशानी को नहीं देखते हुए रूट की बसें रद्द करके बीकानेर हेतु बसें उपलब्ध कराई गईं ? यदि हां, तो यह किस रूट से हटा कर दी गईं तथा हटाये गये रूट पर बसों की दूसरी व्यवस्था क्या की गई ?

उत्तर

(1) पंचायत राज सम्मेलन हेतु परिवहन निगम के विभिन्न आगारों से 120 वाहन अनुबंधित किये गये थे। वांछित सूचना सदन के पटल पर दी रख गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) ये वाहन सम्बन्धित जिला परिषद को 3 से 4 दिन के लिये अनुबन्ध पर दिये गये। वांछित विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(3) उक्त अनुबन्ध पर ली गई गाड़ियों का कुल किराया 7,71,077.96 रु. होता है जिसमें किराया 5,70,597.69 रु. तथा 2,00,480.27 रु. टैक्स होता है। इस राशि में से अब तक 40,322.00 रु. अग्रिम राशि के रूप में जिला परिषद, चित्तौड़ से 30,322.00 एवं झुंझुनूं से 10,000,00 रु. अग्रिम के रूप में निगम को प्राप्त हुए हैं। शेष राशि प्राप्त होना बाकी है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

पंचायत राज सम्मेलन बीकानेर में भाग लेने वाले जन प्रतिनिधियों हेतु अनुबन्ध पर उपलब्ध कराई गये वाहनों की सूची :—

क्र. सं.	आगार का नाम	जिला	अनुबंध पर उपलब्ध कराई गई बसों की संख्या	कुल किराया राशि	किराया प्राप्त
1	2	3	4	5	6
1.	जोधपुर	जोधपुर	5	37,064.17	–
2.	फलौदी	जोधपुर	3	13,712.72	–
3.	सिरोही	सिरोही	4	24,402.72	–

(180)

1	2	3	4	5	6
4.	बाड़मेर	बाड़मेर	4	27,001.52	–
5.	जालौर	जालौर	9	49,159.60	–
6.	बून्दी	बून्दी	3	20,953.58	–
7.	भरतपुर	भरतपुर	6	49,948,57	–
8.	सीकर	सीकर	5	18,526.25	–
9.	हनुमानगढ़	गंगानगर	4	20,422.80	–
10.	अलवर	अलवर	2	14,886.35	–
11.	उदयपुर	उदयपुर	13	1,05,737.54	–
12.	झालावाड़	झालावाड़	4	34,430.90	–
13.	नागौर	नागौर	8	41,050.85	–
14.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	5	39,076.50	–
15.	चित्तौड़	चित्तौड़	7	30,322.00	30,322. अग्रिम.
16.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	5	34,605.00	–
17.	टौंक	टौंक	4	25,587.32	–
18.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	8	59,959.70	–
19.	धौलपुर	भरतपुर	4	36,664.20	–
20.	कोटा	कोटा	7	48,466.20	–
21.	झुंझुनू	झुंझुनू	4	19,675.32	10,000/ अग्रिम
22.	खेतड़ी	झुंझुनू	2	10,355.40	–
23.	गंगानगर	गंगानगर	4	17,068.75	–
	कुल योग :–		120	7,71,077.96	40,322

चांवड़ के मढ़ से नायला तक सड़क का निर्माण

444. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की चांवड के मढ़ से नायला रोड कब स्वीकृत की गई थी ? उसे कब तक पूर्ण किया जाना था ?

(2) क्या उक्त सड़क पूरी बन चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की चांवड के मढ़ से नायला रोड 29-3-1978 को स्वीकृत की गई थी। ठेकेदार से किए गये अनुबन्ध के अनुसार यह कार्य 1-9-1978 को पूर्ण किया जाना था।

(2) उक्त रोड अभी पूर्ण नहीं हुई है क्योंकि ठेकेदार ने कार्य पूर्ण नहीं किया और अनुबन्ध को शर्तो के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर दूसरा ठेका 20-5-1981 को दिया गया तथा 3 कि. मी. डामर एवं 8 कि. मी. मैटल रोड बन चुकी है।

कस्बा मण्डावा (झुन्झुनू) को निगम की द्रुतगामी बस सेवा से जोड़ना

445. **श्री मालाराम** (खेतडी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कस्बा मण्डावा, जिला झुन्झुनू राजमार्ग नं. 11 से उप मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ होने पर भी राज्य परिवहन निगम की कोई भी द्रुतगामी बस सेवा कस्बे को उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि सीकर से दिल्ली व झुन्झुनू से जोधपुर द्रुतगामी बस सेवा का मुकन्दगढ़ से झुन्झुनू के बीच कोई स्टोपेज नहीं है ?

(3) क्या कभी सरकार ने उक्त दोनों द्रुतगामी बसों को जनता की सुविधार्थ मुकन्दगढ़ से झुन्झुनू व झुन्झुनू से मुकन्दगढ़ वाया मण्डावा होकर चलाने का विचार किया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों द्रुतगामी बसों के वाया मण्डावा चलाने से 20 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा ?

(5) क्या सरकार कस्बा मण्डावा को उक्त द्रुतगामी बसों की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। झुन्झुनू से जोधपुर द्रुतगामी सेवा हेतु मुकन्दगढ़ से झुन्झुनू के बीच डूंडलोद ठहराव स्थल घोषित है लेकिन सीकर दिल्ली द्रुतगामी सेवा रात्रि सेवा है जिस हेतु डूंडलोद ठहराव स्थल नहीं है।

(3) जी नहीं।

182

(यातायात मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। मण्डावा कस्बे से उक्त द्रुतगामी बसों को पर्याप्त यात्रीभार मिलने की सम्भावना नहीं है। साथ ही सीकर से भुन्भुनू, पिलानी, लुहारू, नारनोल, महेन्द्रगढ़ तथा दिल्ली जाने वाले सीधे यात्रियों को तथा भुन्भुनू, से सीकर, लोसल, खुड, डीडवाना नागौर तथा जोधपुर जाने वाले सीधे यात्रियों को अधिक किराया राशि वहन करनी पड़ेगी तथा यात्रा समय में एक घण्टे का विलम्ब होगा।

बाड़मेर जिले में राहत कार्य

446. **श्री अमरारामचौधरी**(पचपदरा): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले में दिनांक 1 जनवरी, 1982 से अब तक कितने कार्य अकाल राहत के तहत प्रत्येक तहसील में खोले गये हैं तथा इन कार्यों में कितने नॉन-प्लान के और कितने प्लान के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में वर्तमान समय में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने-कितने कार्य अकाल राहत के तहत चल रहे हैं ?

उत्तर

(1 एवं 2)

(क) बाड़मेर जिले में 1 जनवरी, 82 से अब तक अभावग्रस्त क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा अग्रिम सहायता के अधीन विभागीय आयोजना मद के अन्तर्गत 81 कार्य अकाल राहत के तहत सहायता विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं जिनका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं. नाम तह.	नाम अभिकरण	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1. बाड़मेर	सिंचाई विभाग	1
	सा. नि. विभाग	30
	वन विभाग	2
2. शिव	सा. नि. विभाग	15
	सिंचाई विभाग	2
3. चौहटन	सा. नि. विभाग	15
4. सिवाना	सा. नि. विभाग	7
	वन विभाग	1
5. पचपदरा	सा. नि. विभाग	8
		81

(ख) उक्त सभी कार्य आयोजना मद के हैं गैर आयोजना मद से कोई स्वीकृत नहीं किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ग) बाड़मेर जिले में विधान सभा क्षेत्रवार चल रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	राहत कार्यों की संख्या।
1.	शिव	10
2.	बाड़मेर	9
3.	चौहटन	5
4.	गुढ़ामालानी	2
5.	पचपदरा	9
6.	सिवाना	5
		40

1 जनवरी, 1982 से अब तक स्वीकृत अकाल राहत कार्यों की सूची

तहसील, बाड़मेर

सा. नि वि. के कार्य :---

1. बी/टी बाड़मेर वायतू घागुण्डी पछपदरा की कुस्ट मजबूत करने ।
2. नई डामर सड़क सवाउ पदमसिंह से जिला सीमा तक ।
3. जी/ग्रार रामसर से खारची वाया पासेटी ।
4. कवास काटाडू डामर सड़क के पटरियों को मजबूत करने का कार्य 3 कि. मी.
5. डामर सड़क बांटा ग्रालेवा के पटरियों को मजबूत करने व पुलिया बनाने का कार्य 32 कि. मी. ।
6. जी/ग्रार मागरिया रेल्वे स्टेशन से पांधी का पार 12 कि. मी. ।
7. ग्रेवल सड़क घनवा से सराणा वाया जूनामीठाखेड़ा 5/0 से 10/0 कि. मी. ।
8. ग्रेवल सड़क एप्रोच गुडीसर 6/0 से 10/0
9. नव निर्माण ग्रेवल सड़क इन्द्राही से सुरा 3/0 से 16/0
10. नव निर्माण ग्रेवल सड़क सदाऊ पदमसिंह से हीरा की ढाणी 0/0 से 12/0
11. नव निर्माण जी/ग्रार छीतरकापार से कोलू वाया कोसरिया 9/0 से 16/0
12. जी/ग्रार कानोड़ से रोड 2/0 से 4/0 तक
13. जी/ग्रार देरासर से खसरा 9/0 से 11/0
14. जी/ग्रार गुडीसर से विशाला 0/0 से 12/0 तक
15. जी/ग्रार भाडसा से पोसड़ 6/0 से 14/0
16. नव निर्माण ग्रेवल सड़क सोनड़ी से नांद 5/0 से 7/0
17. जी/ग्रार पाबूसरिया से गोरडिया 0/0 से 1/50
18. मरम्मत व नव निर्माण कार्य बाटाडू से सन्तरा वाया कोलू 13/750 से 33/0
19. मरम्मत कार्य ग्रेवल सड़क राणीगांव से सनावड़ा 2/0 से 19/0
20. नव निर्माण ग्रेवल सड़क नवातला राठोडान 2/300 से 7/0
21. निर्माण कार्य ग्रेवल एप्रोच सड़क झूठ सनावडा गुडा सड़क से 2/0 से 5/0
22. नव निर्माण ग्रेवल सड़क राणीगांव से धनाऊ 0/0 से 450
23. जी/ग्रार गागरिया से पाधीकापार 0/0 से 7/0
24. नव निर्माण ग्रेवल सड़क माचभर से गंगाला वाया लाभलियार 3/0 से 10/0, 12/0 से 20/0
25. नव निर्माण ग्रेवल एप्रोच सड़क नोज स्कूल 4/0 से 8/0
26. नव निर्माण ग्रेवल सड़क बोड़वा से नोसर भाखरी 1/500 से 5/0
27. नव निर्माण ग्रेवल सडक परेऊ से हीरा की ढाणी 0/0 से 25/0
28. नव निर्माण ग्रेवल सड़क वीणी से होलानी 0/0 से 6/0
29. नव निर्माण ग्रेवल सड़क नोसर से भीमरलाई 15/0 से 17/0 तक
30. नव निर्माण ग्रेवल सड़क हाथीतला से गरल 0/0 से 7/0

वन विभाग

1. सतिरा पहाड़ी श्रे दीवार 160 हैक्टर

2. बिसाला हिल्ली पत्थर को दीवार 200 हैक्टर

सिचाई विभाग

1. चोचरा खडीन

तहसील शिव

सा. नि. वि. के कार्य

1. मुंगा कापली कला वाया भैंपका ग्रेवल सड़क
2. गुंगा मे धारवोकला पोसड़ ग्रेवल सडक
3. डामर एप्रोच सड़क तामलोर 3 कि. मी.
4. ए/आर सेदूसर से गडरा (डामर) 2/0 से 7/0
5. मुगेरिया से रूसा जिला सीमा तक 5 कि. मी.
6. ग्रेवल सड़क मौसाल से भाक
7. ग्रेवल सड़क मौखाल से चौखला फाटा वाया पोसाल की ढाणी 2 और 22 कि. मी.
8. जी/आर सिराल फाटा से सुन्दरा 23/0 से 50/0
9. जी/आर सालियानी से रातरेड़ी 7/0 से 31/0
10. जी/आर गडरा से पाकूसरिया 14/0 से 18/0 व 22/500 से 28 कि. मी.
11. जी/आर नव निमाण गिराज से शिव नियाली जिला सीमा तक 2/0 से 6/07 से 12/0
12. जी/आर राणासर से भीलों की ढाणी वाया खुडाणी 5/0 से 12/0
13. नव निमाण ग्रेवल सड़क एप्रोच सड़क ग्राम मालानी शिव गडरारोड से
14. ग्रेवल सड़क एप्रोच लालसर स्कूल खानियानी रातरेड़ी सड़क से 0/0 से 3/0
15. जी/आर नीमला से धुम्बली 2/540 किमी. से 4/760

सिंचाई विभाग

1. आरेग खडीन

2. वाबेरड खडीन

तहसील चौहटन

सा. नि. वि. के कार्य

1. डामर सड़क धारासर (2069) कि. मी. से 6 तक (चौहटन केसनोर सड़क)
2. डामर सड़क लीलसर (2972) बाछड़ाऊ से 0/0 से 6/0 तक
3. नव निमाण कार्य ग्रेवल सड़क चौहटन से मिठडाऊ वाया मते का तला देदूसर नवातला मुर्माने को तला 5/0 से 33/0
4. नव निमाण ग्रेवल सड़क धारासर से अरबी की गफन वाया जैतासर, रतासर, भोजासरिया 7/0 से 32/0
5. निमाण कार्य ग्रेवल सड़क मीठडाऊ से गुमाने का तला 0/0 से 5/50
6. नव निमाण कार्य ग्रेवल सड़क कुन्दनपुरा से बुरहान का तला 3/500 से 5/0
7. नव निमाण ग्रेवल एप्रोच सड़क ग्राम सनाउ 0/0 से 1500 तक
8. नव निमाण ग्रेवल उपरला खड़ी न 2/500 से अधिक 3/200
9. नव निमाण ग्रेवल सड़क कुन्दनपुरा से भूपिया 2/500 से 3/500
10. निमाण ग्रेवल सड़क कोतरा से भूठ 1/0 से 7/0
11. नव निमाण ग्रेवल ए/आर सड़क साइयों का तला चौहटन बाखासर सड़क से 0/0 से 3/0
12. नव निमाण ग्रेवल एप्रोच सड़क आकोडा बाड़मेर चौहटन सड़क से 2/500 से 4/0 -
13, नव निमाण ग्रेवल सड़क बाखासर से ब्राह्मणों की ढाणी 4/500 से 10/0
14, नव निमाण कार्य जी/आर लीलसर से खामनोर 0/0 से 14/0
15, नव निमाण/ग्रेवल एप्रोच सड़क वाटिया 4/500 से 5/500

तहसील सिवाना

सा. नि. वि. के कार्य -

1, संपूर्ण कार्य ग्रेवल कोठाडी से घरवला मीगवा तेलवाडा निम्बलाना
2, संपूर्ण कार्य ग्रेवल नैजल से सोमुजा
3, डामर सड़क सिवाना से हिंगलाज माता मंदिर 0/0 से 11/0 कि, मी,
4, डामर सड़क कुसीप से भीमगोढा मंदिर 0/0 से 5/0 तक
5, डामर सड़क कल्याणपुरा समदड़ी सिवाना में समदड़ी के पास लूणी नदी पर कांजवे (रपट) बनाने का कार्य 1 कि, मी,
6, ग्रेवल सड़क पादरू से सिवाना 0/0 से 30/0 कि, मी,
7, ग्रेवल सड़क छामसीन से देवलीयाली बालेसर समदड़ी 0/0 से 1/0

वन विभाग के कार्य

1, लालाना हिल्ली दोवार 200 हैक्टर

तहसील पचपदरा

सा. नि. वि. के कार्य

1, डामर सड़क वागुण्डी से मलवा महादेव मंदिर 0/0 से 10/0 तक
2, डामर सड़क डोली से कोरना
3, डामर सड़क गांव भीमरलाई 0/0 से 2/0 तक
4, ग्रेवल सड़क कंवरसी मलवा सन्तरा कि, मी, 11 से 16 तक
5, ग्रेवल सड़क साभुनी से सनोडा फाटा 4/0 से 5/0
6, ग्रेवल सड़क पारलू से कांकराना 2/0 से 6/0
7, ग्रेवल सड़क खटटू खेरा से खट्टू गांव 2/0 से 3/500
8, नव निर्माण ग्रेवल सड़क भीमरलाई से चादेसरा 2/0 से 8/0

ह.
जिलाधीश (सहायता)
बाडमेर ।

झुंझुनूं जिले में लघु सिंचाई एवं एनीकट निर्माण की योजनाएं

447. **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढ़ा) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुंझुनूं जिले की कौन कौनसी लघु सिंचाई एवं एनीकट की योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ? इन योजनाओं की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले की खां, निरकां की ढाणी तथा खो लघु सिंचाई योजनाएं मरु विकास कार्यक्रम के तहत विचाराधीन है।

(2) खां लघु सिंचाई योजना की स्वीकृति में विलम्ब का कारण लाभ लागत अनुपात 1:1 से कम होना है। शेष दो योजनाओं का आंकलन का कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं की तकनीकी एवं आर्थिक जांच का कार्य पूर्ण होने तथा उनका लाभदायक पाये जाने पर तथा वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर ही स्वीकृति दिया जाना निर्भर करेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 फरवरी, 1982)

"20 संकल्प कार्यक्रम" के तहत जिला झुंझुनू में विभिन्न कार्यों का चयन

155. **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह** (गुढ़ा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 20 संकल्प कार्यक्रम के क्रियान्वयन समिति के जिला स्तर पर कौन-कौन सदस्य हैं ? जिलेवार इनकी कितनी बैठकें आज तक हो चुकी हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 20 संकल्प कार्यक्रम के तहत जिला झुंझुनू में क्या-क्या कार्य आज तक हाथ में लिये गये और उनके चयन का क्या मापदण्ड था ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 20 संकल्प कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गई है।

1–प्रभारी मंत्री	–अध्यक्ष
2– जिले के समस्त संसद सदस्य	–सदस्य
3–जिले के समस्त विधायक	–सदस्य
4–20 संकल्प से सम्बन्धित बिन्दुओं से जुड़े हुए समस्त जिला स्तरीय अधिकारी।	–सदस्य
5–जिले के पांच जाग्रत' प्रवुद्ध एवं उत्साही सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता	–सदस्य
6–जिले में समाज सुधार, शिक्षा एवं विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध प्रमुख सक्रिय एवं रचनात्मक गैर-सरकारी स्वेच्छिक संस्था के सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्र का एक-एक व्यक्ति।	–सदस्य
7–जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	–सदस्य-सचिव

इन समितियों की बैठकों का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर सूची "क" में प्रस्तुत है।

(2) बीस संकल्प के तहत झुंझुनू जिले में किए गए कार्यों का विवरण सूची "ख" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागों से विचार विमर्श करके कार्यक्रम एवं स्थान का चयन किया गया था।

(188)

सूची "क"

क्रियान्वयन समिति की बैठकों का ज़िलेवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	बैठकों की संख्या
1-	अजमेर	3
2-	अलवर	7
3-	बांसवाड़ा	4
4-	बाड़मेर	2
5-	भरतपुर	8
6-	भीलवाड़ा	5
7-	बीकानेर	5
8-	बूंदी	3
9-	चित्तौड़गढ़	2
10-	चूरू	4
11-	डूंगरपुर	7
12-	गंगानगर	2
13-	जयपुर	4
14-	जैसलमेर	6
15-	जालौर	7
16-	झालावाड़	7
17-	झुन्झुनू	4
18-	जोधपुर	5
19-	कोटा	2
20-	नागौर	3
21-	पाली	7
22-	सवाई माधोपुर	7
23-	सीकर	8
24-	सिरोही	4
25-	टोंक	7
26-	उदयपुर	2

(४५)

सूची "ख"

संकल्पवार लक्ष्य एवं उपलब्धि (जनवरी, 1982 तक)

जिला--झुन्झुनू

संकल्प संख्या	संकल्प एवं कार्यक्रम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
4	**गरीब को छप्पर**		
	क- ग्रामीण (1) भूखण्ड वितरण	4,000	331
	(2) मकान (संख्या)	800	91 निर्मित 100 निर्माणाधीन
	ख- शहरी भूखण्ड वितरण	–	–
5	**छोटा परिवार**		
	क- स्टरलाइजेशन	6,791	6,000
	ख- आई. यू. डी.	1,190	251
6	**नई ऊर्जा**-- गोबर गैस संयंत्र	135	1
9	**जंगल से मंगल**--वृक्षारोपण (लाखों में)	4,460	5,056
10	**खेत में बिजली**		
	क- गांव में उजाला	35	37
	ख- कुए पर बिजली	1,600	1,092
11	**पीने का पानी**--लाभान्वित ग्राम	100	48
12	**ग्राम तक सड़क**--लाभान्वित ग्राम	5	5
13	**पिछड़े को पहले**--		
	क- ग्रामीण योजना		
	(I) कुल परिवार	4,800	2,152
	(II) अ. जाति परिवार	1,249	1,214
	(III) अ. ज. जाति परिवार	214	248

190

1	2	3	4
	ख- अनु. जाति कम्पो. प्लान के–अन्तर्गत लाभा. परिवार	350	
	ग- अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	1,000	1,219
14	**विकलांग कल्याण**		
	क- रोजगार	20	43
	ख- कृत्रिम अंग सहायता	100	37
15	**भंगी कष्ट मुक्ति**–छात्रावास	1	1
17	**डेयरी विकास**–दुग्ध संकलन (हजार लि.)	3.0	1.0
18	**मुर्गी पालन**–इकाइयां	--	--
19	**कृषि और सहकारिता**–		
	क- तिलहन (I) (खरीफ) (क्षेत्रफल)	--	--
	(II) (रबी) (क्षेत्रफल)	--	15.0
	ख- दलहन (I) (खरीफ) (क्षेत्रफल)	129.7	100.0
	(II) (रबी) (क्षेत्रफल)	76	21.0
	ग– उपभोक्ता भण्डार	83	83
	घ– गोदाम	40	10 पूर्ण 34 निर्माणाधीन
20	**हस्तशिल्प और उद्योग**		
	क– उद्योगों का पंजीयन (स्थायी)	650	451
	ख– हाथ करघा (अस्थायी)	400	497

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 मार्च, 1982)

पथ परिवहन निगम में निलम्बित परिचालक

178. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत)
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में पिछले 5 वर्षों में वर्षवार कितने परिचालकों को निलम्बित किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन परिचालकों में से अधिकतर लोगों को कुछ समय बाद वापस नौकरी में ले लिया गया है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने परिचालकों को ?

(3) उक्त निलम्बित परिचालकों में से क्या किन्हीं परिचालकों को बरखास्त किया गया है ? यदि हां, तो कितनों को तथा कितनों की जांच विचाराधीन है ? कृपया सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन निगम में पिछले 5 वर्षों में वर्षवार निलम्बित किये गये परिचालकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'अ')

(2) प्रतिवर्ष वापस नौकरी में लिये गये परिचालकों की सूची सदन के पटल पर रखी दी गई है। (परिशिष्ट 'अ')

(3) गत 5 वर्षों में कुल 6157 निलम्बित किये गये परिचालकों में से 2119 परिचालकों को बर्खास्त किया गया है तथा 1259 परिचालकों की जांच विचाराधीन है। वांछित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'अ')

178 की सूची

क्रम.	वर्ष 1977	1978	1979	1980	1981	योग
1. निलम्बित किये गये परिचालकों की संख्या	318	798	1308	2017	1717	6157
2. इनमें से सेवा में वापस लिये गये परिचालकों की संख्या	128	344	559	980	668	2779
3. इनमें से सेवा से पृथक किये गये परिचालकों की संख्या	154	363	577	591	434	2119
4. इनमें से जांच विचाराधीन वाले परिचालकों की संख्या	36	91	172	446	514	1259

ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट एवं ग्रॉस स्टेट इन्कम के सन्दर्भ में सरकारी व्यय

180. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट का तथा ग्रॉस स्टेट इन्कम का कितना प्रतिशत राज्य में सरकारी खर्चा है ? यह राष्ट्रीय स्तर से किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तर

ग्राम इन्कम का राज्य में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में सरकारी खर्च क्रमशः 22.65% तथा 20.26% रहा। भारत की राष्ट्रीय आय का केन्द्रीय सरकारी खर्चा इन वर्षों में क्रमशः 21.31% तथा 19.95% रहा है।

(193)

परिशिष्ट–4

सूची 'क'

अतारांकित प्रश्न संख्या 360 की सूची

क्र. सं.	आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन तिथि	लीज़डीड निष्पादन तिथि	कब्जे देने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स विजय लक्ष्मी प्रेसट्रेसड एण्ड	ए-1	12-7-79	9-11-79	9-11-79
2.	मैसर्स हिन्ना इण्डस्ट्रीज	एफ-65	14-5-80	28-6-80	4-7-80
3.	मैसर्स सत्यनारायण एण्ड ब्रादर्स	एफ-64	14-5-80	28-6-80	4-7-80
4.	मैसर्स लक्ष्मण मेटल इण्ड.	एफ-63	9-6-80	16-9-80	16-9-80
5.	मैसर्स परिहार इण्डस्ट्रीज	एफ-4	30-10-80	17-3-81	3-6-81
6.	मैसर्स गहलोत इण्डस्ट्रीज	एफ-3	20-12-80	11-2-81	11-2-81
7.	मैसर्स पोरवाल इण्डस्ट्रीज	एफ-62	28-2-81	17-3-81	17-3-81
8.	मैसर्स लक्ष्मी राम इण्डस्ट्रीज	एच-39-40	7-2-81	24-2-81	27-2-81
9.	मैसर्स रानाराम पुत्र श्रीछोगालाल	जी-26	14-3-81	2-5-81	2-5-81
10.	मैसर्स-सिघाडिया आयरन वर्क्स	जी-8	14-3-81	2-5-81	2-5-81
11.	मैसर्स किशनलाल श्यामलाल	ई-7	9-4-81	22-6-81	22-6-81
12.	मैसर्स पुखराज एण्ड कम्पनी	जी-33, 34	9-4-81	23-7-81	23-7-81
13.	मैसर्स स्वास्तिक एग्रोइम्पलीमेंट	जी-5	5-5-81	25-6-81	26-6-81
14.	मैसर्स सिघाडिया टेक्सटाईल्स	जी-10 से-11	5-5-81	22-5-81	22-5-81
15.	मैसर्स भवानी इण्डस्ट्रीज	एफ-57 से-59	17-7-81	16-11-81	16-11-83

194

1	2	3	4	5	6
16.	मैसर्सं सुराना इण्डस्ट्रीज	एफ-60	17-7-81	23-7-81	23-7-81
17.	मैसर्स पोरवाल उद्योग	एफ-61	17-7-81	—	—
18.	मैसर्स गुप्ता एण्ड कम्पनी	ई-6	21-7-81	—	—
19.	मैसर्स उमाकारन उद्योग	जी-12 13	21-7-81	23-7-81	20-11-81
20.	मैसर्स रामचन्द्र पुत्र श्रीछोगालाल	जी-15	21-7-81	—	—
21.	मैसर्स रेलकोंड मशीन्स	जी-27, 28	21-7-81	—	—
22.	मैसर्स सोलंकी ग्रायल मिल्स	एच-35 36	21-7-81	—	—
23.	मैसर्स नवलखा इण्डस्ट्रीज	एच-51 से-53	22-7-81		
24.	मैसर्स एम.के. इण्डस्ट्रीज	एच-37 38	4-8-81	3-9-81	7-9-81
25	मैसर्स मो. बैंडिग कम्पनी	जी-16	10-8-81		
26.	मैसर्स सांखला टेक्सटाईल्स	एच-41 42	12-8-81	3-9-81	3-9-81
27.	मैसर्स सिंघवी इण्डस्ट्रीज	एच-47 से-49	24-8-81	3-9-81	3-9-81
28.	मैसर्स टी.के. तेलधाना इण्डस्ट्रीज	एच-43	7-9-81	23-9-81	23-9-81
29.	मैसर्स महेश लाइम इण्डस्ट्रीज	एफ-2	13-11-81		
30.	मैसर्स भारत टेक्सटाईल्स	जी-20 21	8-12-81	29-1-82	29-1-82

सूची 'ख'

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार है :–

1. भूखण्डो को आवंटन रुपये 2/- प्रति वर्गमीटर की दर (वर्तमान में रुपये 5/-) से किये गये है। आवंटियों से प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि आवंटन के 15 दिन में व शेष 75 प्रतिशत राशि 90 दिन जमा कराकर लीजडीड निष्पादित करानी पडती है। लीजडीड निष्पदन के छः माह में निर्माण कार्य व 24 माह में उत्पादन कार्य शुरू करना पडता है।

निम्नलिखित आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की एंव उसके विरुद्ध सामने अंकित कार्यवाही की गई।

क्र. सं.	आवंटियों का नाम	की गई कार्यवाही
1.	मैसर्स शक्ति इण्डस्ट्रीज, भूखण्ड संख्या एफ-5	समय पर 25 प्रतिशत राशि न जमा कराने पर आवंटन दिनांक 7-12-81 को निरस्त कर दिया गया। आवंटी के प्रतिवेदन पर पुनः विचार किया जा रहा है।
2.	मैसर्स पोरवाल उद्योग, भूखण्ड संख्या एफ-61	समय पर लीजडीड निष्पादन न करने पर दिनांक 13-1-82 को निरस्त कर दिया गया तत्पश्चात् उद्यमी को पुनः नई दर रुपये 3/- प्रति वर्गमीटर पर आवंटन बहाल किया गया।
3.	मैसर्स श्रीराम पुत्र श्री चुन्नी लाल भूखण्ड सं. जी-14	समय पर लीजडीड निष्पादन न करने पर आवंटन निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर दी गई।
4.	मैसर्स रामचन्द पुत्र श्री छोगालाल भूखण्ड सं. जी-15	समय पर लीजडीड निष्पादन न करने पर इनके आवंटन दिनांक 27-1-82 को निरस्त कर दिये गये लेकिन उद्यमियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों पर पुर्नविचार किया जा रहा है।
5.	मैसर्स मोहम्मद ट्रेडिंग कम्पनी भूखण्ड सं. जी-16	.... उपरोक्तानुसार ....

1	2	3
6.	मैर्सस रेलकोंड मशीन्स भूखण्ड सं. जी-27 व 28	.... उपरोक्तानुसार ....
7.	मैसर्स सोलंकी ग्रायल मिल्स, भूखण्ड संख्या एच. 35 व 36	.... उपरोक्तानुसार...........
8.	मैसर्स गुप्ता एण्ड कम्पनी, भूखण्ड संख्या ई-6	.... उपरोक्तानुसार...........
9.	मैसर्स बीना इण्टर प्राइजेज, भूखण्ड संख्या एफ-2	समय पर 25 प्रतिशत राशि जमा न कराने पर उनका आवंटन दिनांक 21-7-81 को निरस्त कर दिया गया व धरोहर राशि जब्त कर दी गई।
10.	मैसर्स महेश लाइम इण्डस्ट्रीज भूखण्ड सं. एफ-2	75 प्रतिशत राशि समय पर जमा करने पर उद्यमि को दिनांक 23-2-82 को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 361 की सूची

सूची 'क'

कच्चे माल का आवंटन/स्पोन्सर

सीमेन्ट आधारित

इकाई का नाम		वर्ष 1980 मात्रा मै. टन	वर्ष 1981 मात्रा मै. टन
1	2	3	4
(1)	मै. श्री कृष्ण गोपाल टाइल्स फैक्ट्री, रानीबाजार	83	110
(2)	,, ओसवाल सीमेन्ट प्रोडक्टस औ. क्षे.	51	68
(3)	,, आर. एम. टाइल्स इण्ड, रानी बाजार	57	76
(4)	,, श्री टाइल्स एण्ड मार्बल इण्ड औ. क्षे.	58	106
(5)	,, ए. के. टाइल्स फैक्ट्री, रानी बाजार	67	84
(6)	,, सैनिक टाइस फैक्ट्री रानी पुरिया रोड	42	76
(7)	,, खन्जान्ची टाईल्स फैक्ट्री, कोटगेट के अन्दर	67	100
(8)	,, राज बिल्डिंग मैटेरियल, जानवरों के अस्पतालकेपास	40	40
(9)	,, भारत सीमेन्ट फैक्ट्री, गोगागेट के बाहर	20	30
(10)	,, भगवाना राम रघुनाथप्रसाद पत्थरपेडा	20	30
(11)	,, ओम टाईल्स फैक्ट्री, भीनासर	40	40
(12)	,, सन्तोषी सीमेन्ट प्रोडक्टस, गोगागेट के बाहर	20	30
(13)	,, नथमल लक्ष्मीनारायण, पत्थरपेडा	10	30
(14)	,, हनुमान टाइल्स फैक्ट्री, एण्ड पाइप फैक्ट्री ना.	60	92
(15)	,, प्रकाश टाइल्स फैक्ट्री; नापासर	65	92
(16)	,, सन्तोषी सीमेन्ट उद्योग, नापासर	40	40
(17)	,, जगदम्बा टाइल फैक्ट्री, नोखा	40	40
(18)	,, वरमा टाईल फैक्ट्री; नोखा	40	44
(19)	,, मघाराम टाइल फैक्ट्री, नोखा	30	34
(20)	,, सिम्पलेक्स टाइल्स इण्ड औ. क्षे. बीकानेर	40	64
(21)	,, लाईफ टाइम ए. सी. प्रोडक्ट, जानवरों के अस्पताल के सामने	40	46
(22)	,, सोनी टाइल्स फैक्ट्री, बीकासर की बारी	30	40

1		2	4	4
(23)	मै	कोठारी टाइल्स फैक्ट्री, औ. बस्ती,	40	56
(24)	,,	ओरियन्ट सीमेन्ट फैक्ट्री गोगागेट बीकानेर	10	30
(25)	,,	जय सन्तोषी टाइल्स, रानी बाजार	20	40
(26)	,,	रूरल स्पन पाइप फैक्ट्री, नापासर	10	76
(27)	,,	गहलोत टाइल्स फैक्ट्री, गंगा शहर	10	–
(28)	,,	मोदी टाइल्स फैक्ट्री, धोबी तलाई	10	40
(29)	,,	कैलास सीमेन्ट इण्ड नापासर	10	30
(30)	,,	बी. के. भाटी सीमेन्ट उद्योग, बीकानेर	–	30
(31)	,,	मोदी सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	–	30
(32)	,,	नेशनल कलर एण्ड केमिकल, बीकानेर	–	30
(33)	,,	श्री राम सीमेन्ट प्रोडक्ट, बीकानेर	–	110
(34)	,,	दीवाकर उद्योग, बीकानेर	–	30
(35)	,,	गहलोत सीमेन्ट प्रोडक्ट, बीकानेर	–	20

कोल/ कोक पर आवंटन/स्पोन्सर

स्टीम कोक पर आधारित

क्र. सं.		इकाई का नाम व पता	1980 मात्रा वैगन में	1981 मात्रा वैगन में
1		2	3	4
1.	मै,	बीकानेर सिरेमिक्स प्रा. लि. औ. क्षे बीकानेर	7	7
2.	,,	इन्द्र कैमिकल इण्ड ,, ,, ,,	2	2
3	,,	रा-- प्रोडक्टस प्लास्टर एण्ड फर्टिलाइजर औ. क्षे. बीकानेर	2	2
4.	,,	माडर्न प्लास्टर वर्क्स. औ क्षे	3	3
5.	,,	सी. के. प्लास्टर एण्ड कैमिकल औ. क्षे. बीकानेर	2	2
6.	,,	राज प्लास्टर प्रा. लि. औ. क्षे. बीकानेर	2	2
7.	,,	शाह वाक इण्ड. औ. क्षे.	2	2

1	2	2	4
8.	मै स्नोव्हाइट प्लास्टर एण्ड ग्रौ. क्षे.	1	1
9.	,, जाजडा इण्ड. ग्रौ. क्षे. बीकानेर	1	1
10.	,, स्वास्तिक लाइम एण्ड कैमिकल ग्रौ. क्षे.. बीकानेर	1	2
11.	,, प्रेम सिरेमिक्स ग्रौ. क्षे. बीकानेर	1	1
12.	,, लक्की पेन्ट एण्ड कैमिकल	1	1
13.	,, सत्यराज एण्ड कम्पनी ग्रौ. क्षे.. बीकानेर	1/2	1/2
14.	,, शक्ति इण्ड.	1/2	1/2
15.	,, हनुमान कैमि इण्ड. नोखा	1/2	1/2
16.	,, चाडक गम एण्ड कैमिकल इन्ड. नोखा	1/2	1/2
17.	,, भारत मैटल ग्राइरन वर्क्स, बीकानेर	1/2	1/2
18.	,, राजस्थान वूलन मिल्स, बीकानेर	1/2	1/2
19.	,, जनता कोडिंग एण्ड स्पिनिंग मिल्स इण्ड.	1/2	1/2
20.	,, ग्रशोका वूलन मिल्स, बीकानेर	1/2	1/2
21.	,, मलानी वूलन मिल्स, बीकानेर	1/2	1/2
22.	,, लक्ष्मी, वूलन मिल्स, बीकानेर	1/2	1/2
23.	,, जे. के. वूलन इन्ड, ग्रौ. क्षे. बीकानेर	1/2	1/2
24.	,, भारत वूलन मिल्स ग्रौ. क्षे. बीकानेर	1/2	1/2
25.	,, सूरज वूलन इन्ड, ग्रौ. क्षे. बीकानेर	1/2	1/2
26.	,, बीकानेर वूलन मिल्स, बीकानेर	2	1/2
27.	,, राजस्थान ग्रामोद्योग संस्थान, बीकानेर	2	2
28.	,, ग्रोसवाल वूलन मिल्स, बीकानेर	1/2	1/2
29.	,, ग्रलाइड फाइवर्स एण्ड टेक्स को. यू. नं.-1 ग्रौ. क्षे. बीकानेर	1/2	1/2
30.	,, गणपति वूलन मिल्स ग्रौ. क्षे. बीकानेर	1/2	1/2
31.	,, महेश ग्रायल मिल्स, ग्रौ. क्षे. बीकानेर	1/2	1/2
32.	,, महावीर ग्रायल मिल्स, ग्रौ. क्षे. बीकानेर	1	1
33.	,, श्री श्याम दाय एण्ड ग्राल मिल्स,	1/2	1/2
34.	,, नवलखा गम एण्ड दाल मिल्स, बीकानेर	1/2	1/2
35.	,, माडर्न लाइम वर्क्स, रानी बाजार	1/2	1/2
36.	,, गजराज एमूराम चूना उद्योग वी. एस. स्कूल के पास	1/2	1/2
37.	,, बीकानेर लाइम वर्क्स रेलवे साइडिंग बीकानेर	1/2	1/2
38.	,, खादीमन्दिर उद्योग भवन, बीकानेर	2	2

२००

हार्ड कोक आधारित औद्योगिक इकाइयों की सूची

क्र. सं.		इकाई का नाम	वर्ष 1980 (मात्रा वैगन में)	वर्ष 1981 (मात्रा वैगन में)
1.	मै.	कुमार एण्ड कुमार ब्रादर्स, गंगाराम कालोनी अजमेर रोड, बीकानेर	1 वैगन	1 वैगन
2.	,,	मोदी कनफैक्शनरी बिस्कुट, एण्ड इण्डस्ट्रीज	1 वैगन	1 वैगन
3.	,,	शक्ति इण्डस्ट्रीज रोड नम्बर, बी-10 औ. क्षे. बीकानेर	1-वैगन	1 वैगन
4.	मै.	श्री नारायण लेबोरेट्रीज, जेल वेज के पास बीकानेर	1 वैगन	1 वैगन

स्लेक कोक

1.	मैसर्स मदन लाल ईंट भट्टा बीकानेर	3 वैगन प्रति माह	वैगन प्रति माह

मोम आवंटन

मोम पर आधारित

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष 1980 में किये गये आवटन की मात्रा बोरी में।	1981 वर्ष में किये गये आवंटन की मात्रा बोरी में।
1.	राजस्थान केण्डल वर्क्स, बीकानेर	218	181
2.	बागला इण्डस्ट्रीज बीकानेर	10	-
3.	सुषमा इण्डस्ट्रीज बीकानेर	12	7
4.	राजेन्द्र केण्डल वर्क्स, बीकानेर	21	21
5.	बंशीवाला कोटेज एम्पोरियम, बीकानेर	36	36
6.	राष्ट्रीय उद्योग बीकानेर	20	43
7.	पूर्णमल सत्यनारायण इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	5	-
8.	राजस्थान टिम्बर, इण्ड, नापासर	2	5
9.	जय कैमिकल वर्क्स, बीकानेर	5	5
10.	केन्द्रीय विद्यालय, बीकानेर	2	-
11.	काजलिया केण्डल इण्ड. वर्क्स, बीकानेर	5	-
12.	जय श्री महाप्रेस, बीकानेर	2	4
13.	महावीर केण्डल वर्क्स, बीकानेर	-	10
14.	गणेश कैमिकल्स, बीकानेर	-	5
15.	हनुमान कैमिकल नापासर	-	10

लोह एवं इस्पात का आवंटन

लोह एवं इस्पात पर आधारित

क. सं.	इकाई का नाम	वर्ष 1980 मात्रा में टन में।	वर्ष 1981 मात्रा मै. टन में
1	2	3	4
1.	मै. अब्दुल गफार मजीद, नया कुआं, बीकानेर	2.004	11.200
2.	,, आजाद आइरन इण्ड. लो. मो.	20.676	12.800
3.	,, अब्दुल रजाक मुन्शी लो. मो. बीकानेर	5.343	3.166
4.	,, अहमद अली चौखूटी	1.415	0.632
5.	,, अहमद एण्ड सन्स, लो. मो.	2.151	....
6.	,, अनवर अली पुत्र नूर मोहम्मद लो. मो.	3.531	....
7.	,, अलाम मोहीनुद्धीन लो. मो.	4.302	....
8.	,, अहमद बख्श जहीरुद्धीन, नया कुआं	1.567	....
9.	,, अब्दुल सलाम पुत्र कमरूद्धीन सुभाष चौक, बीकानेर	12.851	2.154
10.	,, अयूब अली पुत्र रमजान अली, सुभाष रोड,	10.4025	0.642
11.	,, अब्दुल रहमान लुहार, कन्सारा बाजार, बीकानेर	12.550	7.165
12.	,, अब्दुल मलीक अब्दुल रहमान, लो. मो.	30.052	5.919
13.	,, ए जो आइरन वर्क्स, रमपुलिया रोड, बीकानेर	15.8855	1.815
14.	,, अनवर आइरन वर्क्स, सिटीकोतवाली, बीकानेर	3.453	....
15.	,, अजीज अहमद लियाकत अली आइरन वर्क्स,	2.615	2.785
16.	,, आनन्द इन्ड रानी बाजार, बीकानेर	27.765.	6.683
17.	,, अब्दुल कलाम एण्ड सन्स, बीकानेर	6.021	1.234
18.	,, अब्दुल रहमान लुहार, कसाइयों की गली	8.274	1.619
19.	,, भारत बिल्डिग कम्पनी, स्टेशन रोड,	8.623	....
20.	,, बीकानेर आइरन वर्क्स,	3.710	....
21.	,, भोजावत आइरन वर्क्स, गजनेर रोड, बीकानेर	15.744	1.306
22.	,, बद्री लाल एण्ड कम्पनी नोखा	3.897	1.704
23.	,, बीकानेर आइरन सेन्टर लो. मो.	17.338	10.689
24.	,, चांद मोहम्मद एण्ड सन्स, लो. मो.	2.551	0.370

1	2	3	4
25.	मैं चौधरी रिपिट इन्ड, भीनासर	3.670	....
26.	" दीप आइरन एण्ड स्टील इन्ड. चौखूंटी, बीकानेर	....	....
27.	" दाऊदी आईरन वर्क्स, लो. मो.	11.400	3326
28.	" फकरुद्दीन साहाबुद्दीन, लो. मो.	2.520	....
29.	" गुप्ता नेल इन्डस्ट्रीज, बीकानेर	31.420	9395
30.	" गैंदाजी कमरूद्दीन लो. मो.	21.085	1.937
31.	" गजानन्द इण्ड. नोखा	2.703	....
32.	" जनरल आइरन स्टील वर्क्स, लो. मो.	2.831	0723
33.	". जी. एम. एग्रो इण्ड, नया कुआं,	9.883	2447
34.	" असन अली अक्सर अली	0.503	....
35.	" हाजी मोहम्मद, सोकत अली, लो.मो.	23.841	....
36.	" हाजी रहीम वर्क्स, लो.मो.	2.505	1.619
37.	" इन्साफ टेडिंग कम्पनी, लो मो	4.847	3.185
38.	" इन्डियन स्टील वर्क्स, सिटी कोतवाली के पीछे,	24.272	2.824
39.	" अलानुदीन मोहम्मद, बिस्ती	6.337	1.756
40.	" जमालुद्धीन लो.मो.	2.622	2.015
41.	" जमालुद्धीन पुत्र अलावक्स	1.001	....
42.	" कमरूद्धीन वर्क्स, कन्सारा बाजार	4.941	....
43.	" घमासुद्धीन ठठेरा, लो.मो.	2.650	....
44.	" जमालुद्धीन एण्ड सन्स लो मो	10.892	5.524
45.	" जमीया आइरन वर्क्स, लो.मो.	....	1.023
46.	" सैयद अली आइरन वर्क्स लो.मो.	20.256	....
47.	" जय श्री इन्ड प्रो. क्षे.	27.345	12.930
48.	" कमल इन्जी. वर्क्स, रानी बाजार	30.655	2.025
49.	" कुमार एण्ड कुमार ब्रादर्स	....	....
50.	" खलील पुत्र सदरूद्धीन	1.495	....
51.	" खिजली आइस वर्क्स, लो.मो.	9.390	4.449
52.	" लाल मोहम्मद चांद मोहम्मद लो.मो.	5.159	1.309
53.	" मोहम्मद ट्रेडिंग कार्पोरेशन	7.662	5.600
54.	" महबूब अली कालू लुहार	11.972	....
55.	" मोहम्मद रसूल कसाइयों की गली	8.476	....
57.	" मोहम्मदेद्द हुसैन कन्सारा बाजार	2.755	....
58.	" मोहम्मद इसाक मोहम्मद हुसैन लो. मो.	25.980	19.371

(२०४)

1	2	3	4
59.	मै. महनूद्दीन गुमान रसूल लो. मो.	2.563	—
60.	" मोहम्मद फारूक गफार वर्क्स	16.305	4.183
61.	" मोहम्मदी आइरन वर्क्स,	29.032	17.883
62.	" मोहम्मद रमजान लो. मो.	5.280	0.631
63.	" मोहम्मद उमर, फकीर मोहम्मद	1.999	....
64.	" मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद अनवर चौखूटी	9.355	....
65.	" मोहम्मद कासीम तेली	0.615	....
66.	' मोहम्मद कासम मोला वर्क्स, लो. मो.	18.070	1.215
67.	" मोजूद्दीन सदरूद्दीन लो. मो.	6.819	....
68.	" मोहम्मद जफर मोहम्मद रमजान, गंगाशहर रोड	22.252	1.888
69.	" मोहम्मद सफी अब्दुल सलाम लो. मो.	....	....
70	" मोहम्मद वक्स अब्दुल सतार नागौरी	8.075	0.627
71.	" मोहम्मद अली जहुरूद्दीन कोतवाली के पास	2.151	0.490
72.	" मोहम्मद रमजान नसरूद्दीन रानी बाजार	4.980	0.502
73.	" मोहम्मद हुसैन एण्ड संस लो. मो.	2.188	0.902
74.	" नानक चन्द इण्ड. नोखा	1.650	1.394
75.	" मंजूर अली दौलत अली लो. मो.	4.484	....
76.	" मोहम्मद इस्माइल गुलाम रसूल कसाईयों की गली	11.176	1.390
77.	" मोहम्मद आइरन इण्ड. भैरूदानजी के बंगले के पास,	0.505	5.844
78.	" नसरूद्दीन वर्क्स लोहार रामपुरिया कालेज के पिछे	11.773	....
79.	" नसरुद्धीन अनरुद्धीन कमाल कालोनी, बीकानेर	3.595	....
80.	" मोहम्मद फारुक अलानूर चौखूटी	9.027	....
81.	" नूर हसन लोहार लो. मो.	3.232	....
82.	" नेशनल फर्नीचर वर्क्स, नया कुआं	40.438	14.110
83.	" न्यू आइरन सप्लाइर्स, करासो की मस्जिद	8.469	....
84.	" ओम प्रकाश इण्ड. नोखा	2.965	1.727
85.	" पुरुषोतम आइरन वर्क्स, स्टेशन रोड, बीकानेर	0.630	....
86.	" अनवर लोहार लो. मो.	2.572	....
87.	" राम किशन इन्ड. नोखा	3.820	1.362
88.	" राज इंजीनियरिंग वर्क्स, गजनेर, रोड,	6.857	....
89.	" समशुद्धीन फकरुद्धीन, नया कुआं	4.057	....

1		2	3	4
90.	मैं	सलीम आइरन इन्ड. लो. मो.	15.332	0.806
91.	"	सदरुद्धीन साबूदीन लो. मो.	2.146	....
92.	"	समसुद्धीन पुत्र मूला लो. मो.	1.933	....
93.	"	सैयद आइरन वर्क्स, लो. मो.	86.333	3.100
94.	"	सोकत कलाकार लो. मो. मस्जिद के पास	10.961	5.437
95.	"	सकूर मोहम्मद अहमद लो. मो.	2.840	....
06.	"	सलीमुद्धीन फकरुद्धीन आइरन वर्क्स, लो. मो.	1.027	....
97.	"	उस्मान गनी राठौड़ कन्सारा बाजार	27.751	37.085
98.	"	सुभान पुत्र अजीम वर्क्स, लो. मो.	6.395	4.409
99.	"	उस्मान गनी पुत्र इलावक्स लो. मो.	1.021	....
100.	"	अमरुदीन नसीव वर्क्स लो. मो.	2.926	....
101.	"	उस्मान कमर लो. मो.	17.324	1.915
102.	"	जैड दी नागोरिया आईरन वर्क्स, लो. मो.	0.880	....
103.	"	इसुफ हसन नागोरी लो. मो.	19.685	3.897
104.	"	हसन पुत्र फकीर मोहम्मद	....	0.410
105.	"	जहरुद्धीन हसन लो. मो.	....	2.694
106.	"	जावेद अली आइरन वर्क्स,	....	1.199
107.	"	जलालुद्धीन पुत्र सिराजुद्धीन	....	1.894
108.	"	मकबूल हुसैन अखतर हुसैन	....	5.574
109.	"	शफी मोहम्मद पुत्र अहमद लो. मो.	....	0.411
110.	"	शंकर एग्रीकल्चर इन्ड.	....	5.143
111.	"	उमरी अजीम वर्क्स	....	2.518

सूची "ख"

मुख्य मुख्य स्थापित उद्योग	नियन्त्रित कच्चा माल	आवंटन का आधार
1- सीमेण्ट टाइल्स व अन्य सीमेण्ट आधारित	सीमेण्ट	मशीनों की संख्या, पावर कनेक्शन, उपलब्धि, खपत, मशीनों की किस्म आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है।
2- प्लास्टर आफ पेरिस) 3- ऊन आधारित) 4- खाद्य तेल) 5- सिरेमिक [इन्स्युलेटर])	कोल/कोक	गत उत्पादन, भट्टियों की साइज व क्षमता, खपत उपलब्धि। प्लास्टर आफ पेरिस के उत्पादन में 250 मै. टन जिप्सम के केल्सीनेशन के लिये 30 मै. टन स्टीम कोल चाहिये। स्पोन्सर के विरुद्ध राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्राप्त कोयला आवंटन वेगन के प्रतिशत के आधार पर इकाइयों को वितरण किया जाता है।
6- मोम आधारित	पेराफिन वेक्स	यह इकाइयों की क्षमता का मोम उत्पादित करने वाले को 20 प्रतिशत कम्पाउण्ड वेक्स के लिये 5 प्रतिशत क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स को 15 प्रतिशत त्रैमासिक आवंटन किया जाता है।
7- लोह इस्पात आधारित	लोह-इस्पात	यह क्षमता अनुसार पासबुक के आधार पर सीधा ही राजस्थान लघु उद्योग निगम के आगारों से प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है।

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 363 की सूची

एक जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक यातायात शाखा (ट्रैफिक पुलिस) जिला उदयपुर द्वारा किये बसों के चालान की सूची :-

आर. जे. वाई. 3213, आर. एस. वाई. 4904, आर. एस. वाई. 4491, आर. जे. ई. 2065, आर. जे. वाई. 4435, आर. एस. वाई. 5169, आर. जे. वाई. 9435, आर. एस. व ई. 4977, आर. जे. वाई. 4653, आर. जे. वाई. 2441, आर. एस. वाई. 7608, आर. एस. वाई. 4522, आर. एस. वाई. 6717, आर. एस. वाई. 5712, आर. एस. वाई. 1541, आर. एस. वाई. 2817, आर. एस. वाई. 4559, आर. जे. आर. 3943, आर. एस. वाई. 6752, आर. एस. बी. 3991, आर. जे. वाई. 6379, आर. जे. एच. 926, आर. जे. वाई. 6032, आर. जे. जे. 371, आर. जे. वाई. 371, आर. जे. वाई. 3873, आर. जे. वाई. 3679, आर. जे. वाई. 8892, आर. एस. वाई. 2039, आर. जे. वाई. 6022, आर. आर. वाई. 1093, आर. जे. वाई. 3213, आर. एस. वाई. 2402, आर. एस. वाई. 3595, आर. जे. एच. 813, आर. जे. वाई. 4527, आर. जे. वाई. 4709, आर. एस. वाई. 3402, आर. जे. एच. 4082, आर. एस. वाई. 9165, आर. एस. वाई. 1541, आर. जे. वाई. 4735, आर. जे. वाई. 4678, आर. एस. वाई. 4701, आर. एस. वाई. 5159, आर. जे. वाई. 6164,

मोबाइल ट्रैफिक द्वारा बसों के किये गये चालानों की सूची:-

आर. जे. वाई. 9435, आर. आर. एम. 1077, आर. एस. वाई. 4761, आर. एस. वाई. 4421, आर. आर. एम. 9770, आर. जे. वाई. 3231, आर. एस. वाई. 4695, आर. एस. वाई. 6762, आर. एस. एम. 9754, आर. एस. वाई. 4551, आर. आर. एम. 1077, आर. एस. वाई. 3402, आर. एस. एल. 5658 ।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 381
की सूची

क्र. सं. 1	नाम विद्यालय 2		क्षेत्र जिसमें चल रहे हैं 3
1- रा. उ. मा. वि.	प्रतापनगर	भीलवाड़ा	प्रतापनगर भीलवाड़ा
2- रा. मा. वि.	राजेन्द्रमार्ग	,,	राजेन्द्रमार्ग भीलवाड़ा
3- ,,	पुर		पुर भीलवाड़ा
4- ,,	सांगानेर	,,	सांगानेर भीलवाड़ा
5- ,,	सुभाषनगर	,,	सुभाषनगर भीलवाड़ा
6- ,,	भीमगंज	,,	भीमगंज भीलवाड़ा
7- रा. उ. प्रा. वि.	गांधीनगर	,,	गांधीनगर भीलवाड़ा
8- ,,	लेबर कालोनी	,,	लेबर कालोनी भीलवाड़ा
9- ,,	जूनावास	,,	जूनावास भीलवाड़ा
10- ,,	नाथद्वारा सराय	,,	नाथद्वारा सराय भीलवाड़ा
11- ,,	पुलिस लाइन	,,	पुलिस लाइन भीलवाड़ा
12- ,,	शाहजीमोहल्ला	,,	शाहजी मोहल्ला भीलवाड़ा
13- ,,	भूपालगंज	,,	भूपालगंज भीलवाड़ा
14-	पुर वार्ड नं. 20	,,	पुर वार्ड नं. 20 पुर
15- ,,	नं. 1 भीलवाड़ा		ये दोनों ही विद्यालय दो
16- ,,	नं. 2 भीलवाड़ा		पारियों में एक ही राजकीय भवन में चलाये जा रहे हैं।
17- रा. प्रा. वि.	कांवाखेड़ा	भीलवाड़ा	कांवाखेड़ा
18- ,,	किशनावतों की खेड़ी	,,	किशनावतों की खेड़ी
19- रा. प्रा. वि.	बिलिया खुर्द	भीलवाड़ा	बिलिया खुर्द भीलवाड़ा
20- ,,	हरणीकला	भीलवाड़ा	हरणीकला
21- रा. प्रा. वि.	सालरा	भीलवाड़ा	सालरा
22- ,,	धानमण्डी	,,	धानमण्डी से संलग्न खटीकों बस्ती में
23- ,,	वार्ड नं. 8	भीलवाड़ा	डा. राधाकृष्ण कालोनी भीलवाड़ा
24- ,,	गुजरपाड़ा	भीलवाड़ा	गुजरपाड़ा भीलवाड़ा

1		2		3
25-	रा. प्रा. वि	नाडी मोहल्ला	भीलवाड़ा	नागौरी मोहल्ला भीलवाड़ा
26-	,,	पुर माली मोहल्ला	भीलवाड़ा	पुर
27-	,,	मैंगलपुरा	भीलवाडा	मैंगलपुरा भीलवाडा
28-	,,	मालीखेडा	भीलवाडा	रा. उ. प्रा. वि. जोधपीए·र (भीलवाडा) के भवन में दिन की पारी में चलाया जा रहा है ।
29-	रा. प्रा. वि.	दादाबाड़ी	भीलवाड़ा	दादाबाडी भीलवाडा
30-	,,	सांगानेर	भीलवाड़ा	सांगानेर भीलवाड़ा
31-	,,	वार्ड नं. 4	भीलवाड़ा	पालनागृह भीलवाडा
32-	,,	वार्ड नं. 10	भीलवाड़ा	राजेन्द्र मार्ग भीलवाड़ा
33-	,,	वार्ड नं. 14	भीलवाड़ा	प्रावि धानमण्डी भवन में
34-	,,	वार्ड नं. 22 पुर		वार्ड नं. 22 पुर भीलवाड़ा
35-	,,	सिन्धुनगर	भीलवाड़ा	सिन्धुनगर भीलवाड़ा
36-	,,	हरिजन कालोनी	भीलवाडा	धानमण्डी भीलवाडा से संलग्न मुसलमान बस्ती में मोमिनो की मस्जिद में
37-	रा. प्रा. वि.	हरिजन बस्ती	भीलवाड़ा	हरिजन बस्ती भीलवाड़ा
38-	,,	भीमगंज	भीलवाड़ा	भीमगंज भीलवाड़ा
39-	,,	सुभाषनगर	भीलवाड़ा	सुभाषनगर भीलवाडा
40-	,,	बापूनगर	भीलवाड़ा	बापूनगर भीलवाड़ा
41-	रा. प्रा. वि.	शास्त्रीनगर	भीलवाड़ा	इसी सत्र में स्वीकृति मिली है भवन की उपलब्धि हेतु प्रयास जारी हैं। भवन उपलब्ध होते ही विद्यालय प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

२१८

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न सख्या 382 की सूची

क. स.	छपवाये गये टिकटों का का डिनोमीनेशन	छपे हुए टिकटों की संख्या	बेचे गये टिकटों की संख्या	बिना बिके हुए शेष टिकटों की संख्या
1.	दो रुपये के	4250	2042	2208
2.	पांच रुपये के	3000	2049	951
3.	दस रुपये के	1500	45	1455
4.	पच्चीस रुपये के	200		
5.	एक सौ रुपये के	100 = योग 300 पांच रुपये के टिकट चैरिटी शो के दिन उपलब्ध न होने के कारण 25 रुपये एवं 100 रुपये के टिकटों को 5 रुपये में परिवर्तन कर 102 टिकट बेचे गये शेष 198 टिकट बचे हुए हैं।		

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 384 की सूची

क्र सं.	नाम सीमेंट कम्पनी जहां से सीमेंट प्राप्त किया गया	मात्रा	मूल्य
1.	मैसर्स जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा	24 मै. टन (480 थैले)	11304.14
2.	मैसर्स बिडला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	15 मै. टन (300 थैले)	7123.20

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 385 की सूची

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्थाएं) अजमेर के क्षेत्राधिकार की शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची :--

जिला	शाला का नाम	रिक्त पद	विषय	संख्या	तिथि जब से रिक्त है
स. मा.	राजकीय वि., भंडार	प्र. अ.	–	1	जनवरी 82 से
अजमेर	राउमावि, ब्यावर	व्याख्याता	गृहवि.	1	अगस्त 81 से
अजमेर	–,,–	–"–	हिन्दी	1	नम्बबर 81 से
–,,–	–,,–	–"–	र. शास्त्र	1	नवम्बर 81 से
–,,–	राउमवि, नसीराबाद राउमावि. टौंक	शा. वि. (द्वि. वे. श्रृं)	–	1	जुलाई 81 से
टौंक	राउमावि, टौंक	–"–	–	1	जनवरी 82 से नव सृजित पद।
–,,–	रामावि, उनियारा	द्वि. वे. श्रृ.	गणित	1	मार्च 82 से
–,,–	राजमावि, निबाई	–"–	–,,–	1	मार्च 82 से
स. मा.	राजमावि, सवाई माधोपुर	–"–	शा. वि.	1	अगस्त से लेकिन इसके विरुद्ध तृ. वे. श्रृ. शा. वि. कार्यरत है।
–,,–	राजमावि, सपोटरा	–"–	गणित	1	दिसम्बर 81 से

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 386 की सूची

क्रमांक	नाम अतिक्रमणकर्ता	स्थान	दिनांक	अंक
1	2	3	4	5
1.	श्री दीपूसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह रावत पुलिस बोर्ड, अजमेर	महुआ बीड	27-4-79	28 × 40 कमरा ईटों का बनाना
2.	श्री खिलसिंह पुत्र मगनसिंह बाल अजमेर	,,	,,	15 × 40 ,,
3.	श्री रामनिवास पुत्र राधाकृष्ण कुम्हार शा. नगर	,,	,,	30 × 25 पर नाजायज कब्जा
4.	श्रीमती गीतादेवी पत्नी हनुमानसिंह दरोगा अजमेर	,,	,,	10 × 7 पर एक मकान बनाना
5.	श्रीमती बल्लु पत्नी लक्ष्मण गली लोहारान, अजमेर	,,	,,	14 × 7 कच्ची ईटों का बनाना
6.	श्रीमती अमीना पत्नी शफी मोहम्मद मुसलमान, अजमेर	,,	,,	16 × 10 का कच्चा ,,
7.	श्रीमती नन्द्राबाई पत्नी किशनजी राजपूत	,,	,,	10 × 8 ,,
8.	श्री मनोद खां पुत्र मोहम्मद खान मुसलमान अजमेर	,,	,,	एक मकान 16 × 9 बनाना
9.	श्री देवीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह दौसवान	,,	,,	15 × 40 का मकान बनाना
10.	श्री शिवराज पुत्र बलदेव भाई	,,	,,	40 × 25 से कब्जा 6 × 9 × 14का बनाना
11.	श्रीमती जमीता पत्नी जमरोद मुसलमान अजमेर	,,	,,	20 × 10 का कमरा बनाना
12.	श्री मोतीसिंह पुत्र हुकमसिंह रावत अजमेर	,,	,,	एक मकान 40 × 28 कच्ची ईटों का बनान
13.	श्री इब्राहम खां पुत्र ईस्माइल खां मुसलमान	,,	,,	दो कमरे पक्के 16 × 10 और 12 × 10
14.	श्री मिश्रीलाल पुत्र धन्ना भावी, अजमेर	,,	,,	9 × 8 का बनाना

1	2	3	4	5
15.	श्रीमती रमामा पत्नी रामलाल कहार	महुआ बोर्ड	27-4-79	एक झोपड़ी बनाना
16.	श्री बदृद खां पुत्र सरदार खां देशवासी अजमेर	,,	,,	एक झोपड़ी बनाना
17.	श्री रंगलाल पुत्र चोखा भामी अजमेर	,,	,,	एक झोपड़ी 15 × 9 बनाना
18.	श्री देवी लाल पुत्र बख्तावार अजमेर	,, ,,	,, ,,	एक झोपड़ी 19 × 3 बनाना
19.	श्री भंवर पुत्र बाबा राम भावी	,, ,,	8-7 79 ,,	14 × 9 का कमरा बनाना
20.	श्रीमती नारायणी पत्नी देवीसिंह लोहाखान	,,	8-1-80	एक कमरा 13 × 11 का बनाना
21.	श्री जगदीश लाल पुत्र हनुमान नाई अजमेर	,,	,,	एक कमरा 16 × 10 का बनाना
22.	श्री प्रेमसिंह दूधासिंह रावत अजमेर	,,	,,	कमरा 16 × 12 रसोई 8 × 6
23.	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र विशनसिंह राजपूत अजमेर	,,	8-1-80	16 × 10 का कमरा बनाना
24.	श्री मांगी लाल पुत्र जयराम शास्त्री नगर गणेशगढ़, शास्त्री नगर	,,	26-4-80	24 × 10, 10 × 10, 13 × 9
25.	श्रीमती आचूकी पत्नी घासी गूजर	,,	,,	12 × 8, 4 × 3
26.	लादूराम पुत्र बिहारी लाल पारीक	महुआबोड	13-4-80	वन विभाग भूमि पर 60 × 40 के 4 कमरे 10 × 18, 8 × 6, 8 × 4, 8 × 3
27.	श्रीमती सीता बाई पत्नी राजमल अजमेर	गणेशगढ़ शास्त्रीनगर	3-4-80	10 × 10 पर कब्जा 3 × 3 की झोपड़ी
28.	श्री देवीसिंह पुत्र लालसिंह दरोगा शास्त्री नगर	गणेशगढ़	4-4-80	22 × 9 का कमरा
29.	श्री छीतर पुत्र सूमा मेघवंशी अजमेर	गणेशगढ़	16-3-80	13 × 8 कमरा बनाना
30.	श्री छोटू पुत्र लादूजा कुमार गणेशगढ़	गणेशगढ़	26-4-80	20 × 20 का कब्जा 5 × 4 पर

1	2	3	4	5
31.	श्रीमती पुष्पा पत्नी मोहनलाल, अजमेर	गणेशगढ	3-5-80	9 × 9 में 6 × 3 कमरा
32	श्री रामसिंह पुत्र हरी सिंह रावत, अजमेर	महुआ बीड	,,	10 × 6 पर कब्जा
33.	श्रीमती भंवर बाई पत्नी मिश्रीलाल अजमेर	गणेशगढ	,,	5 × 4, 4 × 5 पर कब्जा
34.	श्री गुमान पुत्र भैरू गूजर अजमेर	,,	14-6-80	19 × 12 पर कब्जा पर मकान
35.	श्री जेठमल पुत्र छीतर अजमेर	महुआ बीड	28-8-80	20 × 25 पर कब्जा
36.	श्री ईस्माइल खां मुसलमान	,,	2,10-80	12 × 8 कमरा
37	श्रीमती पारवती पुत्री भूरा घोसी अजमेर	,,	,,	10 × 10 झोंपड़ी
38.	श्री बाबूखान पुत्र वजीर खान अजमेर	,,	28-8-80	16 × 12 मकान 12 × 12 कब्जा
39.	श्रीमती शकीना पत्नी अलादीन अजमेर	,,	20-3-80	9 × 8 झोंपड़ी
40.	श्री देवीसिंह पुत्र मोहनसिंह अजमेर	,,	17-3-80	16 × 11 एक कमरा
41.	श्री भंवरपुरी पुत्र मोहनपुरी	गणेशगढ शास्त्रीनगर	21-6-80	12 × 9 में एक कमरा बनाना
42.	श्री विहारी लाल पुत्र रामगोपाल ब्राह्मण	,,	1-3-80	30 × 12 के दो कमरे बनाना
43.	श्री मूला पुत्र मेघाजी कुम्हार शास्त्री नगर	,,	5-5-80	10 × 7 कब्जे दो कमरे 10 × 4
44.	श्री छगनसिंह पुत्र सवाई सिंह	महुआ बीड	15-6-80	20 × 10 का बनाना
45.	श्री रामसिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत, अजमेर	गणेशगढ	16-3-80	18 × 10 व 9 × 5 कमरा रसोई बनाना
46.	श्री सीताराम पुत्र चंद्रवती ब्राह्मण शास्त्री नगर	,,	5-5-80	10 × 8 कब्जा 5 × 4 कमरा
47.	श्री प्रहलाद पुत्र भवंराम समोजिया	,,	3-6-80	6 × 4 कमरा 3 × 2 रसोई
48.	श्री भंवरसिंह पुत्र रामनारायण शेखावत	,,	13-5-80	12 × 12 कब्जा 4 × 5 बनाना

216

1	2	3	4	5
49.	श्रीमती सुगनी पत्नी श्रवण घासी	महुआ बीड	29-6-80	36 × 40 में कब्जा 21 × 11 कमरा
50.	श्री हुकमसिंह पुत्र जवान सिंह मेहरात	,,	20-6-80	20 × 15 कब्जा 15 × 8 कमरा
51.	श्री खन्ना पुत्र रामदेव, अजमेर	,,	30-6-80	25 × 20 का बाडा 10 × 8, 7 × 6 का कमरा बनाना
52.	श्रीमती मानी पत्नी मंगला अजमेर	,,	2-7-80	19 × 9 दो कमरे बनाना
53.	श्री चेना लाल पुत्र गंगाराम, अजमेर	,,	1-7-80	40 × 36 कब्जा 14 × 18 बनाना
54.	श्री तुरताराम पुत्र हरजी अजमेर	,,	3-7-80	25 × 15 कब्जा 15 × 10 झोंपड़ी
55.	श्री नोरती पत्नी लालाचचंद अजमेर	,,	6-7-80	90 × 85 कब्जा 30 × 10 व 20 × 10 कमरे
56.	श्री किशनलाल पुत्र रामलाल, अजमेर	,,	,,	150 × 101 भूमि पर कब्जा 13 × 9 व 8 × 8
57.	श्री सुवा लाल पुत्र गोपी लाल अजमेर	,,	12-8-80	28 × 10 कब्जा करना
58.	श्री मदन लाल पुत्र सुवाराम भामी अजमेर	,,	2-3-80	40 × 30 कब्जा करना 8 × 6 व 15 × 9 झोंपड़ी बनाना
59.	श्री कालू चन्द भैरू भील अजमेर	,,	4-7-80	40 × 35 कब्जा 12 × 8 झोपड़ी
60.	श्री छोटू पुत्र कुदन लोहाखान	,,	6-2-81	4.50 × 3.30 एवम् 20 × 13 पर कब्जा
61.	श्री फकीर मोहम्मद पुत्र अलावीन अजमेर	,,	,,	30 × 40 पर कब्जा
62.	श्री लादू खां पुत्र अजीम खान लोहाखान	,,	,,	14.50 × 19 पर कब्जा 4.80 × 3.50 व 2.50 × 3.50 कमरा बनाना

1	2	3	4	5
63.	श्री नारायण सिंह पुत्र गंगा सिंह अजमेर	महुवा बीड	6-2-81	10 × 20 कब्जा 4.70 × 2.90 कमरा बनाना
64.	श्री भंवर लाल पुत्र हरजी अजमेर	गणेशगढ	30-8-80	24 × 18 कब्जा 4 कमरा
65.	श्री भंवर लाल पुत्र हरजी अजमेर	शास्त्रीनगर	,,	45 × 21 कब्जा 12 × 8
66.	श्री मदन लाल पुत्र हरजी अजमेर	,,	4-7-80	45 × 21 कब्जा 12 × 8
67.	अमरदा पुत्र रामकरण ब्राह्मण	,,	,,	15 × 12.50 कब्जा 6.70, 4.50 व 3 50 व 2.65 दो कमरे बनाना
68.	भंवरी बाई पत्नी भवर सिंह अजमेर	महुआ बीड	5-6-80	12 × 8 भूमि पर कब्जा 4 × 3 पर कमरा बनाना
69.	सुबहरी लाल पुत्र रामसिंह	लोहाखान	29-7-80	15 × 14 पर कब्जा 4 × 5 कमरा बनाना
70.	ओम प्रकाश राम गोपाल माली	गणेशगढ	3-5-81	13 × 10 छपर्रा 15 × 20 कब्जा
71.	मोहन सिंह पुत्र कल्याण सिंह दरोगा	,,	,,	33 × 12, 11 × 3 व 21 × 23 पर कब्जा करना
72.	श्री मुराद सिंह पुत्र ओंकार सिंह दरोगा	,,	,,	12 × 12 व 25 × 12 कब्जा
73.	श्री मोतूराम पुत्र लक्ष्मी राम	,,	,,	20 × 12 कमरा बनाना 20 × 20 लम्बा
74.	श्री गणेश सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत	,,	23-5-81	3 × 3 कमरा बनाना 7 × 10 कब्जा
75.	श्री कान सिंह पुत्र भैरू सिंह दरोगा	,,	22-12-81	16 × 13 कब्जा 4 × 3 कमरा बनाना

परिशिष्ठ "क"

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 389 की सूची

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

सोडियम एवं मर्करी वेपोर लाइटों का विवरण

क. सं.	लाइटो का विवरण	फर्म का नाम व पता	तादाद	दर	राशि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सोडियम वेपोर स्ट्रीट लाइटिंग एल्यूमिनेटर 400 वाट जी. ई. सी. मेक	मै. जैन लेक लिमिटेड माया मैन्शन एम. आई. रोड़, जयपुर	20 नग	रु. 2048/प्रतिनग सेल्स टेक्स अलग से	रु. 45,056/-	
2	सोडियम वेपोर लैम्प्स 400 वाट जी. ई. सी. मेक	मै. अशोका ट्रेडर्स बिच्छु की गली, अलवर।	20 नग सेल्स टैक्स अलग से	रु. 1000/- "	रु. 22,000/--	

(2)

1	2	3	4	5	6	7
3-	सोडियम बैपोर लाईटिंग फिटिंग्स विद लैम्प्स 250 वाट बजाज मेक	मैं. बजाज इलैक्ट्रीकल्स लि0 45-47, वीरनारायण रोड बम्बई-450023.	60 नग	रु. 2425/- प्रति नग सेलस टैक्स अलग से		रु. 1,60,050/-
4-	हाई प्रेसर मर्करी बैपोर लैम्प्स 250 वाट (मैसूर) मेक	मैं नैशनल एन्टरप्राइजेज 1447, फेजगंज, बहादुरगढ़ रोड दिल्ली-110006	30 नग	रु. 154/- " सैलस टैक्स अलग से		रु. 13,552/-
5-	हाई प्रेसर स्ट्रीट लाईटिंग एल्यूमिनेटर टाइप 250 वाट मर्करी फिटिंग्स ई. सी. ई. मेक	मैं इलैक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन एण्ड इक्विवमेन्ट कम्पनी लि0 छ, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर।	50 नग	रु. 775/- " सेलस टैक्स अलग से		रु. 68,200/-
						3,08,858/-

(3)

1	2	3	4	5	6	7
6-	हाई प्रेशर मर्करी वेपोर लेम्प्स 125 वाट सिल्वानिया मैक	मैं. सिल्वानिया एण्ड लक्ष्मण लिमिटेड विहृइान्ड टैगोर विद्या भवन डी–237, बनी पार्क, जयपुर ।	120 नग	रु. 83/72 प्रति नग सैल्स टैक्स अलग से		रु. 10,815–78
7–	स्ट्रीट लाइटींग फिटिंग 125 वॉट ई. सी. ई. मैक	मैं. इलैक्ट्रिक कन्स्टक्शन एण्ड इक्विपमेन्ट कम्पनी लि. 3, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर ।	50 नग	रु. 455/– प्रतिनग		रु. 42,542–50

योग रु. 3,52,216–28

अधिशाषी अभियन्ता एवं सचिव
नगर विकास न्यास,
अलवर ।